

(2)

MINUTES OF THE 61ST MEETING OF THE RAJASTHAN  
HOUSING BOARD HELD ON 12-9-1977 .

The following were present :-

|    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
|    | Shri D.D.Purohit       | Chairman |
| 2. | Shri Mangal Behari     | Member   |
| 3. | Shri Vijai Singh       | "        |
| 4. | Shri K.C.Mital         | "        |
| 5. | Shri Hanuman Prabhakar | "        |
| 6. | Shri Bhure Khan        | "        |
| 7. | Shri Bal Chand Baid    | "        |
| 8. | Shri Pankaj Pancholi   | "        |
| 9. | Smt. Uma Mathur        | "        |

Shri L.L.Rawat did not attend the meeting.

Also present :-

|    |                 |                        |
|----|-----------------|------------------------|
| 1. | Shri J.C.Sharma | Secretary              |
| 2. | Shri D.R.Jain   | Chief Accounts Officer |

The following decisions were taken in respect of the agenda

Item :-

Item No. 61.1: Confirmation of the Minutes of the 60th Meeting of the Board.

The minutes of the 60th meeting of the Board held on 17-8-1977 were confirmed.

Item No. 61.2: Review of action on outstanding items.

The information contained in the agenda note was noted.

Item No. 61.3: Demand of employees:

The Board considered this agenda item at length. It was also brought to notice that on the date of the Board meeting the employees were on pen down strike and were not working. After reviewing the entire situation and taking into consideration the various aspects of the matter it was resolved to form a Sub-Committee consisting of Shri Vijai Singh, Town Planning Secretary, Shri K.C.Mital, Housing Commissioner, Shri Hanuman Prabha and Smt. Uma Mathur to talk to the office bearers of the Union from 16th September to 18th September 1977 provided the pen down strike was called off by the Union. It was also decided that the recommendations of the Sub Committee so formed may be put up before the Board in its next meeting which may be called in a fortnight's time.

Item No. 61.4: Confirmation of the employees of the Board.

The Board noted the contents of the agenda note and resolved that the concept of confirmation may be incorporated in the Rajasthan Housing Board Recruitment and Promotion Regulations also, for which a letter be also written to Government.

Item No. 61.5: Regulations for grant of Housing Building loan and Conveyance Loan.

The Board considered this agenda item and decided that the matter may be considered by the Sub-Committee formed by the Board with regard to agenda item No. 61.3 (Demand of Employees).

Item No. 61.6: Auction of Sites for Petrol Pump, Cinema, Hotel, Motel in Jawahar Nagar Colony, Jaipur.

It was decided to postpone the consideration of this agenda item for the next meeting of the Board.

Item No. 61.7: Proposals for creation of some new posts.

After discussing the proposals it was resolved that a consolidated position of entire staff strength in the Organization may be put up for detailed consideration of the Board in the next meeting. A special meeting may be called for discussing the staff structure of the organization, exclusively.

Item No. 61.8: Expost facto sanction for release of advertisement of Rs. 800/- for the Souvenir being published by Institute of Engineers Kota, Branch.

It was resolved to accord Expost facto sanction for release of advertisement of Rs. 800/- for the Souvenir being published by Institution of Engineers Kota Branch.

Item No. 61.9: Sale of two shops in Nahri Ka Naka Colony, Jaipur for Post Office to P. & T. Department Government of India on out right sale.

After considering the agenda item it was resolved to sell two shops in Nahri Ka Naka Colony, Jaipur to P. & T. Department for running Post Office on outright sale basis. It was also decided to charge the lowest price of auction so far received in respect of similar shops in the colony.

( 5 )

Item No. 61.10: Position of Outstanding dues.

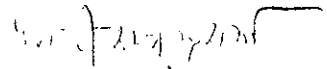
The Board considered the agenda item and showed concern for the outstanding amount of recovery. It was decided that the functions and duties of various functionaries in the Board should be clearly defined so that work is evenly distributed amongst various cells and Departments of the Board.

During the course of discussions it was also decided to <sup>let</sup> a policy note prepared regarding Annual Accounts of the Board which may be discussed by the Board.

Item No. 61.11: Item for information, Report and Confirmation of the Bo

The Board noted the contents of the agenda.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

  
(J.C. SHARMA),  
Secretary,  
Rajasthan Housing Board,  
Jaipur.



MINUTES OF THE 62ND MEETING OF THE RAJASTHAN HOUSING BOARD  
HELD ON 27-9-1977

The following were present :-

- |    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 1) | Shri D.D. Purohit      | Chairman |
| 2) | Shri K.C. Mital        | Member   |
| 3) | Shri Hanuman Prabhakar | Member   |
| 4) | Shri Bhure Khan        | Member   |
| 5) | Shri Bal Chand Baid    | Member   |
| 6) | Shri Pankaj Pancholi   | Member   |
| 7) | Smt. Uma Mathur        | Member   |

Sarvahri Mangal Behari, Vijay Singh and B. Rambo sought leave of absence, which was granted. Shri R.L. Rawat did not attend the meeting.

Also present :-

- |    |                  |                         |
|----|------------------|-------------------------|
| 1. | Shri J.C. Sharma | Secretary               |
| 2. | Shri D.R. Jain   | Chief Accounts Officer. |

The following decisions were taken in respect of the agenda items :-

Item No. 62.1: Confirmation of the Minutes of the 61st Meeting of the Board.

The minutes of the 61st Meeting of the Board held on 12-9-1977 were confirmed.

Item No. 62.2: Review of action on outstanding items.

The information contained in the agenda note was noted.

Item No. 62.3: Borrowing of the loan from HUDCO by offering the Security of mortgage of properties - Oustees M.I.G. Housing Scheme, Sagwara.

The Board considered the agenda item and resolved to mortgage the properties mentioned in the agenda note for securing the loan to be raised from HUDCO. It was

( 2 )

also resolved to authorise the Chairman to execute the mortgage deed(s) or deed of modification, if any, on behalf of the Board under the common seal of the Board in the presence of Housing Commissioner.

Item No. 62.4: Loan from HUDCO for Ana Sagar Circular Road- Phase-II (E.W.S.) Scheme, AJMER.

The Board considered the agenda item and resolved to accord sanction for taking loan from HUDCO for Ana Sagar Circular Road Phase-II(E.W.S.) Scheme, Ajmer consisting of the following salient features :-

|                                                                                                   | <u>E.W.S.</u>        | <u>Comul. &amp; Community</u> | <u>Total</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Date of commencement                                                                           | 16-8-1976            | 16-8-1976                     |              |
| 2. Duration of project                                                                            | 1 year               | 1 year                        |              |
| 3. Date of Completion                                                                             | 15-8-1977            | 15-8-77                       |              |
| 4. Houses for Construction                                                                        | 200 Nos.             | 8 shops & one community hall. |              |
| 5. Cost of the project                                                                            | Rs. 10.25 lacs.      | Rs. 0.49 lacs.                |              |
| 6. Loan amount                                                                                    | Rs. 10.10 "          | Rs. 0.53 lacs.                |              |
| 7. Rate of interest<br>(A rebate of 0.25% will be allowed in rate of interest for prompt payment) | Rs. 5.25% p.a.       | 14.25% p.a.                   |              |
| 8. Security of loan                                                                               | Government guarantee | Government guarantee          |              |
| 9. Repayment period                                                                               | 20 years             | -                             |              |

It was further resolved to authorise the Chairman of the Board to execute loan agreement and other necessary documents with HUDCO and affixing the common seal of the Board on the Loan Agreement in the presence of the Housing Commissioner.

( 3 )

Item No. 62.5: Demand of Employees.

The Board considered this agenda item. The Board was informed that the committee constituted for looking into the demands of the employees which met on 16, 17th and 18th September, 1977 has not yet finalised its report on account of some members having been deputed by Government on some emergent duties. It was also informed that the committee of the Board constituted for looking into the pay scales of the employees has also not finalised its report as yet on account of inadequate data available. Since the Financial Commissioner and the Secretary to the Government, Urban Development and Housing Department were not present in the meeting because of their pre-occupation in other important Government jobs, the Board could not take final decision on the points concerning demand of employees. It was, therefore, decided that the Committees formed by the Board for looking into the demand of employees and the pay scales should be convened as soon as possible in order to finalise the pending issues and the meeting of the Board may also be called very early thereafter to take necessary decision in the matter.

The Board also considered the manner in which the days of strike should be treated. It was decided that pending final decision of the Board on the recommendations of the Committee formed about their demands the day of strike (30th June 1977) and three days of pen-down-strike 12th, 13th & 14th September should be treated as days of leave, Casual leave or privilege leave whichever is due to an employee should be debited against these days on

Official Order  
issued vide  
F.O. P. 1/13/74-77/1327  
29.9.77  
By Adj. Secy  
to Govt.  
of S. India

- which no work was performed by the employees . It was, further , decided that after treating these days of no work in the manner stated about the salary for the month may be paid to the employees.

Item No. 62.6: Wages to be paid to workcharge employees.  
(With permission of Chair).

The Board considered the question whether the daily rate of wage paid to work charge employees on the site before 1st April, 1977 should be protected in case it is more than the rate prescribed under the work charge employees Regulations 1977.

It was decided that wherever the daily wage rate being paid to work charge employees before 1st April, 1977 is more than the rate payable to such employees under the work charge employees Regulations, the same should be protected as a personal pay.

Item No.62.7: Investment in Post Office Saving Bank.  
( With permission of Chair).

At the instance of Finance Department, this Board is investing a sum of 30 lacs in post office saving Bank with a view to help the Small Saving drive. It was also brought out that sum of 22 lacs will be invested after withdrawing money from Bank against F.D.Rs. The Board authorised chairman to arrange accordingly.

The Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

21-11-77  
(J.C.Sharma),  
Secretary,  
Rajasthan Housing Board,  
Jaipur.

MINUTES OF THE 63RD MEETING OF THE RAJASTHAN  
HOUSING BOARD HELD ON 26th October 1977.

....

The following were present:-

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1. Shri D. D. Purohit  | Chairman |
| 2. " Manoj Behari      | Member   |
| 3. " Vijai Singh       | Member   |
| 4. " B. Rambo          | "        |
| 5. " K. C. Mital       | "        |
| 6. " Hanuman Prabhakar | "        |
| 7. " Bhagat Khan       | "        |
| 8. " B. Chand Baid     | "        |
| 9. " P. Pancholi       | "        |
| 10. Smt. Uma Mathur    | "        |

Shri P. L. Rawat did not attend the meeting.

Also present:-

1. Shri J. C. Sharma, Secretary
2. " D. R. Jain, Chief Accounts Officer.

The following decisions were taken in respect of the agenda items:-

Item No. 63.1: Confirmation of the minutes of the 62nd meeting of the Board.

The minutes of the 62nd meeting of the Board held on 27.9.1977 were confirmed.

Item No. 63.2: Review of action on outstanding items.

The information contained in the agenda was noted.

Item No. 63.3: Consideration of the Demand Charter submitted by the Rajasthan Housing Board Employees Union with reference to the recommendations of the Sub Committee formed by the Board.

The Board in its 61st meeting held on \_\_\_\_\_ and constituted a Sub Committee consisting of Sarva Shri Vijai Singh, Town Planning Secretary, Hanuman Prabhakar, Smt. Uma Mathur and K. C. Mital to look into the demands of the employees and to submit a report for consideration of the Board. The Committee finalised its recommendations on 26.10.1977 in the morning and the Chairman of the Committee Sarva Shri Vijai Singh apprised the Board of the recommendations in the meeting with reference to this agenda item.

The Board took the following decisions in respect of the demands of the employees:-

1. Service Regulations.

It was noted that the approval of the Government has been received for the following Regulations passed by the Board:-

- (i) The Rajasthan Housing Board Service Regulations 1970.
- (ii) The Rajasthan Housing Board Employees Conduct Regulations 1976.
- (iii) The Rajasthan Housing Board Employees Disciplinary and Appeal Regulations 1976.

The Board again considered the provisions of the Rajasthan Housing Board Employees Recruitment and Promotion Regulations 1976 and the "Schedule" passed earlier by the Board. In this connection the amendment proposed vide item No.63.8 in the Rajasthan Housing Board Conditions of Recruitment and Promotion Regulations 1976 was also considered. The recommendations of the Sub Committee formed by the Board to assist the Govt. in approving the Regulations were also taken into consideration by the Board. After discussing the matter it was decided to approve the Rajasthan Housing Board Employees Recruitment and Promotion Regulations along with the "Schedule" as appended in Annexure 'A'. It was further decided that the Govt. may be requested to accord approval for these regulations and "Schedule" since all the amendments have now been incorporated in these Regulations after discussions with the Govt.

2. Promotions:

It was noted that the <sup>management</sup> ~~amendment~~ of the Board <sup>office</sup> has given ~~an~~ adhoc promotions to the employees of the Board in different categories pending approval of the Rajasthan Housing Board Employees Recruitment and Promotion Regulations by the Government. The Board was informed that a note on "staffing pattern" is being prepared which may be discussed by the Board in the next meeting.

3. Penalties awarded to employees.

The Board was informed that review petitions <sup>given</sup> by aggrieved employees are under consideration of the <sup>management</sup> ~~Board~~ in accordance with the provisions of the

Rajasthan Housing Board Employees Disciplinary Appeal and Appeal Regulations. The Board noted the information given with respect to this demand.

4. Deputation

It was noted that after 30th June 1977, no officers/officials of the pay Rs. 595/- <sup>6,495/-</sup> has been taken on deputation by the Board. It was decided to observe the agreement entered into by the Management with the Union of employees on 30th June 1977 in accordance with this demand.

5. Pay Scales:

The Board considered the question <sup>of revision</sup> ~~revision~~ of pay scales of the employees. At present the employees of the Board are given pay scales according to the pay scales applicable to the employees of the Govt. During the course of discussions on this item it was thought proper not to compare the pay scales of the employees of the Board with the pay scales of the employees serving in Organisations which are running on commercial lines. <sup>or under company law</sup> It was, therefore, decided that at present there do not exist any reasons for revising the existing pay scales of the Board employees.

6. Bonus.

The Board considered the question of payment of Bonus to the employees of the Board in accordance with the provisions of the payment of Bonus Act. The matter has been referred to the Govt. It was, therefore, decided that the Board <sup>no act is required</sup> ~~should take action~~ on this behalf in accordance with the directions/orders of the Government.

7. Conveyance & Housing Building Advances

The Board considered ~~this~~ the subject of conveyance loan and house building loan to the employees of the Board in accordance with the regulations for the grant of house building advance to the employees of the Rajasthan Housing Board and the regulations for the grant of advance for purchase of conveyance to the employees of the Rajasthan Housing Board which were submitted to the Board for consideration in its 51st meeting.

The Board approved the regulations for the grant

The Board considered the demands of the Union.

Progress of construction of houses was reviewed. Satisfaction was expressed that some houses have been constructed and allotted to the Union.

It was decided that on the eve of Deepavali the regular employees <sup>of the Union</sup> and regular work charged staff who have completed 240 days in the previous financial year

of the Board may, therefore, be given an amount equivalent to about their half month's salary. This would be in the nature of an advance. If any legal liability arises on the Board regarding any fringe benefit later, this advance would be set off against the same. Otherwise the Board would consider the terms on which it would be recovered/adjusted in a future meeting. This would not form a precedent. Nor would it be interpreted as concede to any legal liability towards payment of etc. to the employees.



of house building advances. The employees of the Board with the amendment for that the original advance may be given to the employees drawing less than Rs. 500/- p.m. to the extent of 40 months salary. The Board further resolved that a provision of Rs. 2,00,000/- be kept for the house building loan in the current budget provision.

As regards the regulations for the grant of advance for purchase of conveyance to the employees of the Rajasthan Housing Board, it was resolved to approve these regulations with the amendment that the helpers should be given conveyance loan only for purchase of cycles and the employees who are drawing salary above Rs. 460/- and up to Rs. 1450/- these should be allowed to purchase scooter/Motor cycle/Moped with less than 1 H.P. or above. It was further resolved to keep a budget provision of Rs. 1,00,000/- for this purpose during the current year's budget.

#### 8. Daily wage employees.

The Board considered this demand and resolved that the posts reserved for Scheduled castes and Tribes should first be filled in after advertising the vacancies. If suitable candidates belonging to reservation categories are not available the remaining posts may be filled in by special screening of persons already working on daily wages posts.

#### 9. Travel concession.

The Board considered this demand and resolved that it will not be possible for the Board to give any financial help to the employees for undertaking private journeys even once in three years for site seeing purposes.

#### 10. Education fee for children of the employees.

The Board considered this demand at length. It was resolved that the Board should re-imburse the tuition fee being paid by the employees in respect of their own children. This reimbursement should be confined in respect of such permanent employees who are non income-tax payers and should be confined to such children who are getting education up to Higher Secondary level in only government run schools.

#### 11. Site Engineer Trainees.

It was decided that the post of

Site Engineer (Trainee) should be abolished. It was decided that recruitment of the post of Site Engineer should be made on the following posts:-

- (a) 20% of the posts by direct recruitment from Ist Class Engineering Graduates having at least one year's experience.
- (b) 80% of the posts to be filled in by promotion from amongst degree holders, Jr. Site Engineers and diploma holders Jr. Site Engineers (25% Degree holders, 25% diploma holders) who have minimum experience of 3 to 7 years respectively.

12. Stenographers:

The Board considered this demand and decided that the question of creation of separate posts of Stenographers should be considered along with the consideration of staffing pattern in the Board.

13. Reservation of houses for Board employees.

The Board considered the question of provision of reservation of 3% houses for Board employees. In view of the fact that so far enough houses to the extent of 3% of the total houses allotted have not been allotted to Board employees in Jaipur, It was resolved that a special registration scheme for only employees of the Board may be initiated during this year. 3% of the total flats being constructed in Jawaharnagar colony may be kept apart for allotment to such Board employees. It was also decided that the allotment scheme for Board employees may be separated from general allotment scheme.

14. Promotion of helpers.

The Board considered this demand and resolved that the minimum qualifications for promotion from the post of helper to the post of Jr. Assistant should be "At least Matriculate knowing typing qualifications". For direct recruitment the qualifications of at least IInd class Higher Secondary and typing qualifications were considered proper.

15. Uniform of helpers.

The Board considered this demand and decided that the provision of giving two cotton shirts to regular helpers should continue.

16. Unauthorized work being taken from helpers.

The Board considered this demand and decided that ~~the person should be asked to perform official~~ <sup>should</sup> ~~work~~.

17. Office bearers to sign attendance register.

The Board considered this demand and decided that ~~the person should be allowed to sign attendance~~ <sup>should</sup> ~~register~~.

18. Office facilities to office bearers of the Union.

The Board was informed that the office bearers of the Union were informed by the Sub Committee that it would not be possible for the Management to give office facilities demanded by the Union for the present.

19. Reconsideration of the case of Shri M. L. Saxena.

The Board considered separately the case of Shri M. L. Saxena vide item No. 63.5.

20. Fixation.

The Board considered this demand and decided that upon fixation of an employee in a particular grade if there occurs any discrepancy with regard to his emoluments on account of date of normal increment, the same may be looked into and amendment if thought necessary in the concerning rules and regulations should be put up to the Board.

21. Provident Fund deductions.

The Board considered this demand and decided that the provisions of Provident Fund Act and Rules should be followed properly and detailed instructions should be issued in this behalf to all concerned authorities.

22. Qualifications for promotion on the post of Accounts Assistant.

The Board considered this demand and decided that a B.Com cannot be placed at par with B.A. or B.Sc. In accounts branch <sup>was</sup> emphasis on qualification of commerce faculty ~~was~~ considered proper.

23. Time scale for employees.

The Board considered this demand and decided that the present provision of giving annual increments to employees of the Board is enough. It was decided to introduce the time scale ~~concerning~~ <sup>as</sup> ~~present~~ <sup>is</sup> ~~not~~ <sup>affairs</sup> necessary.

## 24. Facilities to the players & sportsman

The Board considered this demand and decided that the Chairman of the Board be authorised to grant special G.A. & D.A. to such employees of the Board who are sent for participation in tournaments on behalf of the Board. It was further resolved that the Chairman may be authorised to grant accelerated increments to really deserving players employees.

## 25. Execution of further studies by Diploma holders

The Board considered this demand and resolved that the Diploma holders may also be given opportunity to execute further studies to the same extent as other categories of employees are being given this opportunity for executing further studies.

## 26. Workers participation in Management.

Since the appointment of the proposed members of the Board is made by the Govt., the Board is not competent to consider this demand and therefore no consideration was done in respect of this demand in the meeting of the Board.

## 27. House rent deductions.

The Board considered this demand and decided that only such rent should be recovered from the employees of the Board which ~~should~~ have been allotted houses of the Board for residential purposes as is being charged by the Government of Rajasthan from its employees from time to time.

## 28. Re-organisation of work in Housing Cell-II, III.

The Board considered this demand and decided that while putting proposals for staffing pattern in the next meeting of the Board the duties and functions of each ~~will~~ Cell should also be defined.

## 29. Creation of a separate Recovery Cell.

The Board considered this demand and decided that a separate Recovery Cell in the Accounts Branch headed by a competent officer should be created who may deal with all cases of outstanding recoveries and ~~settlers~~ <sup>settlers</sup> in the Board.

30. After considering above mentioned 29 demands of the Union the Board considered the progress of construction and allotment of houses since the establishment of the Board. The Board expressed satisfaction of completion of 14,000 houses by the year 1977. To celebrate this, it was decided to give all regular employees of the Board an amount equivalent to about 14<sup>15</sup> days salary which will be ~~xx~~ treated as advance adjusted against any gratuitous award if given to the employees here-in-after in future.

Item No. 63.4: Request for exchange of house from Naka Colony to Jawahar Nagar by R.S. Nagar.

The Board considered this agenda item and resolved that a letter may be addressed to the Secretary, Town Planning, Government of Rajasthan explaining the facts of the case for seeking further clarification in the matter.

Item No. 63.5: Request of Shri M. L. Saxena for change of mode of payment from out right sale to Hire Purchase.

The Board considered this agenda item and decided that complete facts of similar cases dealt in the past may be collected and the agenda may be made more detailed with reference to those cases for detailed consideration of the Board.

Item No. 63.6: Special allotment of 25 houses of 18x35 size in Pawan Puri Colony Bikaner.

The Board considered this agenda item at length. The site and plan of Pawan Puri Colony was also seen. In view of the fact that a number of houses are lying vacant for last two years and despite our notification for lottery in Oct. 1977 in which persons registered in 1976 were given an opportunity to purchase houses, 134 houses of 18x35 size are left un-allotted. It was decided to allot 25 houses as mentioned in the application enclosed with the agenda note to the intending purchasers except house No. 4 & 5. It was further decided that the applicants who have applied to purchase these houses should be asked to get themselves registered in accordance with their income group. Shri Dharam Chand who has sponsored this application should also be asked to intimate the Board as to which

house is to be allotted in favour of which applicant so that necessary further action in the matter can be taken.

Item No.63.7:Construction of houses at Vigyan Nagar  
Kota ~~xxxxxx~~ through Labour Contracts.

....

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

The Board considered this agenda item and accorded administrative and financial approval for undertaking construction of houses at Vigyan Nagar colony Kota through labour contracts as per details mentioned in the agenda note.

Item No.63.8:Proposed amendment in the Rajasthan Housing  
Employees Conditions of Recruitment and  
Promotion Regulations 1976.

....

The Board considered the agenda item and resolved to approve the amendments proposed in the Rajasthan Housing Board Employees Conditions of Recruitment and Promotion Regulations 1976 as contained in the agenda note.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

*Y. J. J. J. J.*  
*Secretary*

MINUTES OF THE 64TH MEETING OF THE RAJASTHAN HOUSING  
BOARD HELD ON 3RD DECEMBER, 1977 AT JAIPUR.

\*\*\*\*\*

The following were present :-

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1) Shri D.D. Purohit      | Chairman |
| 2) Shri Mangal Behari     | Member   |
| 3) Shri Vijai Singh       | Member   |
| 4) Shri B. Kambo          | Member   |
| 5) Shri K.C. Mital        | Member   |
| 6) Shri Hanuman Prabhakar | Member   |
| 7) Shri Bal Chand Baid    | Member   |
| 8) Shri Pankaj Pancholi   | Member   |
| 9) Smt. Uma Mathur        | Member   |

Sarva Shri Bhure Khan and Prabhu Lal Rawat could not attend the meeting..

Also present :-

- 1) Shri J.C. Sharma
- 2) Shri D.R. Jain

Secretary

Chief Accounts Officer.

Item No. 64.1: Confirmation of the Minutes of the 63rd Meeting of the Board.

The Minutes of the 63rd meeting of the Board held on 26th October, 1977 were confirmed, with the following observations/amendments:-

Item No. 63.8:

Instead of writing "The Board considered the agenda item and resolved to approve amendments proposed in the Rajasthan Housing Board Employees Conditions of Recruitment and Promotion Regulations, 1976 as contained in the agenda note". The <sup>exact</sup> wordings of the proposed amendment should be reproduced in the resolution also, in spite of the fact <sup>that</sup> the amended "Regulations" and "Schedule" were appended to the Minutes.



Item No. 63.3(1)

In the "Schedule" required to be appended to the Rajasthan Housing Board Conditions of Recruitment Promotion Regulations 1976 in the Chapter concerning "Planning" against the post of Assistant Town Planner it may be mentioned for the time being that the post will be filled up by 100% direct recruitment and 75% by direct recruitment and 25% by promotion as envisaged because the post of Town Planning Assistant is not existant at present.

Item No. 64.2: Review of Outstanding Items:

The information contained in the agenda was noted.

Item No. 64.3: Floatation of 10½% Rajasthan Housing Board Debentures 1989(II Series).

It was resolved to raise public loan of Rs. 300 lacs issue of unsecured debentures during the 1977-1978 on the terms and conditions mentioned in the agenda.

Item No. 64.4: Security Deposit by the Contractors of Rajasthan Housing Board.

It was decided to postpone this item for detailed consideration in the next meeting.

Item No. 64.5: Release of amount deposited in C.D.S.

The Board considered the question of refund of C.D.S. amount deposited by the employees under the provision of Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act.



The Board also noted that a Special registration Scheme for the Employees of the Board has been promulgated for Jaipur city which is effective from 1st December 1977 to 31st December, 1977.

In accordance with this scheme of registration the employees are required to deposit registration amount as under :-

- |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 1) Employees falling in High Income Group       | Rs. 10,000/- |
| 2) Employees falling in Middle Income Group.    | Rs. 5,000/-  |
| 3) Employees falling in Low Income Group        | Rs. 2,500/-  |
| 4) Employees falling in Economic Weaker section | Rs. 500/-    |

In view of this special scheme of registration it was resolved that the employees may be allowed to take back their amount of C.D.S. money in order to deposit it in the Scheme of registration for allotment of houses, subject to the permission of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) C.D. Special cell, Govt. of India.

It was further resolved that a special request be made to Ministry of Finance, Govt. of India for permitting the release of amount of C.D.S. money deposited by the Employees by giving full details of the amount deposited.

Item No. 64.6: Borrowing of loan from HUDCO by offering the security of Mortgage of properties of Pratap Nagar, Bhagat Ki Kothi Jodhpur and of Shastrinagar Ajmer for Jawahar Nagar Phase VII M.I.G. Jaipur.

The Board considered this agenda item and resolved to

Mortgage the properties as mentioned in the agenda to secure the loan to be raised from HUDCO for Jaipur Nagar Phase-VIII, MIG Scheme, Jaipur. It was further resolved to authorise the Chairman to execute the mortgage deed/deed of modification(s) on behalf of the Board under the common seal of the Board in the presence of Housing Commissioner.

Item No. 64.7: Loan from HUDCO for Krishna Nagar EWS Scheme, Bharatpur.

The Board considered this agenda item and resolved to approve the scheme as contained in the agenda item to raise a loan of Rs. 10.26 lacs in accordance with the terms and conditions of the HUDCO. It was further resolved to authorise the Chairman to execute a loan agreement with HUDCO under the common seal of the Board in the presence of Housing Commissioner.

Item No. 64.8: Allotment of surplus houses in Bikaner and Ajmer.

The Board considered this agenda item and resolved that the surplus houses in Ajmer and Bikaner may be disposed in the following manner:-

- " A general notification may be issued mentioning surplus houses in Ajmer and Bikaner for allotting them to any person falling in the necessary income group who is desirous of purchasing a house on hire purchase or out right sale basis irrespective of his being registered or not. This would mean that we will offer these houses for allotment to persons on first come first basis. If a person who is not yet registered with us desires to purchase a particular house, he may be asked to deposit the necessary registration fee before an allotment letter is issued to him on hire purchase or out right sale basis as desired by him. If more than one person opt for a particular house then the house will be allotted through

to one person. The cost of the houses to be offered in this manner will remain the same as has been intimated to people during the course of summer 1977 draw. Even if after promulgation of this scheme the houses remain surplus then these may be auctioned. "

It was also decided that the procedure for allotment of houses may be reviewed in such a manner so that houses do not remain un-disposed of for unnecessary longer, period.

Item No.64.9:

Allotment of a house to an accredited journalist out of reserve quota in Alwar.

The Board considered this agenda item and resolved to allot house No. 3-4 -3 to Shri Purshottam Sharma who is an accredited journalist out of the reserve quota of "M.Ps from Rajasthan, MLAs and accredited journalists" in view of the reasons mentioned in the agenda note.

Item No.64.10:

Unauthorised construction of temples, gurudwaras etc. in colonies of the Board.

The Board considered this agenda item at length. It was decided that in future planning of our colonies some provision must be kept for places of religious worship. It was also decided that some regulations/ guidelines may also be framed for allotment of these places to bonafide Institutions so that individuals do not take possession of such places. As regards present cases of unauthorised occupation for such purposes efforts should be made to identify the Trusts or Corporate Bodies which are responsible for construction and running of such religious places, so that necessary action is taken to regularise allotment of land in their favour keeping in view the plan of the Colony, and the convenience of the residents.

It was also decided that a comprehensive policy of dealing with cases of unauthorised occupation of different types should also be evolved which may be discussed by the Board in subsequent meeting.

Item No. 64.11: Grant of "Leave not due" to Shri L.C.Kothari, Assistant of the Board.

The Board considered this agenda item and decided to grant leave not due to Shri L.C.Kothari, Accounts Asst. of the Board for the period 8-4-1977 to 28-5-1977 in accordance with the Rule 93(d) of the Rajasthan R.S. Rules. It was further decided that in similar cases provisions of Rule 93(d) of RSR may be followed in respect of the employees of the Board.

Item No. 64.12: Permission for installation of Telephone connection at the residence of Superintending Engineer under O.Y.T. Scheme.

It was resolved to accord the permission for installation of a telephone connection at the residence of the Superintending Engineer under O.Y.T. Scheme.

Item No. 64.13: Auction of sites for Cinemas, Petrol Pump, Hotel in Jawahar Nagar Colony, Jaipur.

The Board considered this agenda item and resolved to auction Petrol Pump, Cinemas, Hotel and Motel in Community Com Commercial Centre of the Jawahar Colony, Jaipur in accordance with the existing provisions for auction of shops with the following amendments:

1/4th amount of the auction price may be paid in one lumpsum at the time of auction and the remaining 3/4 may be recovered in 4 annual instalments with 14% interest per annum.

Item No. 64.14: Amendment in T.A. Regulations:

The Board considered this agenda item and resolved that in the Rajasthan Housing Board Employees Travelling Allowance Regulations 1970, the following amendment may be inserted:-

In the approved category of Appendix 'B' for the payment of daily allowance during tours in Category 7 "Rs. 250/- and above but below Rs. 350/-" may be substituted by "Rs. 240/- and above but below Rs. 350/-" and in category 8 "Below Rs. 250/- may be substituted by below Rs. 240/-"

Item No. 64.15 : Item for information, Report and Confirmation of the Board.

The Board noted and confirmed the items contained in the agenda note.

Item No. 64.16:

Amendment in Rajasthan Housing Board Festival Advance Regulations 1972.

The Board considered the agenda item and approved the amendments suggested in the Rajasthan Housing Board Festival Advance Regulations 1972 in the following manner:-

- 1) Rule No. 1 insert "not exceeding Rs. 700/- in place of Rs. 350/-.
- 2) Insert Rs. 150/- in place of Rs. 75/-.

Item No. 64.17:

Transfer of name of ownership for House No. 5-Gha-1 measuring 20x50 in Jawahar Nagar Colony, Jaipur.

The Board considered this agenda item and decided to transfer house No. 5-Gha-1 measuring 20x50 in Jawahar Nagar Colony, Jaipur from the name of Shri Mulk Raj Madan to the name of his son Shri Chinanlal Madan subject to completion of necessary legal formalities

regarding no objection from his other brothers and  
and deposition of the balance cost of the house in  
lumpsum by Shri Chimanlal Madan.

Item No. 64.18:

Allotment of house No. 6-Ga-9(A) 40x60 instead of 2-Ga-9(A) 40x60 instead of 2-Ga-11(40x60), Jawahar Nagar, Jaipur allotted to Shri Sharad Deora.

The Board considered this agenda item and resolved the allotment of house No. 6-Ga-9(A) (which pertains Oct. 1975 draw) to Shri Sharad Deora on hire purchase basis with rate of interest at 11% and repayment period of 15 years is in order because it is based on sound financial principles and therefore there appears to be no reason for changing this rate of interest to 8% which was applicable during the course of April 1975 draw. It was further resolved that this resolution of the Board may be sent to the Government for necessary action at their end.

Item No. 64.19:

Manghan

Request of Shri L. Mal for transfer of his house 4-Ka-3 ( 25x50 ) in Nahri Ka Naka in the name of his elder son Shri T.M. Nariyani.

The Board considered this agenda item and decided that the house No. 4-Ka-3 ( 25x50 ) in Nahri Ka Naka Jaipur Manghan allotted in the name of Shri L. Mal may be transferred in the name of his elder son Shri T.M. Nariyani after completion of legal formalities regarding no objection from other brothers and mother with the condition that remaining cost of the house will be paid in one lumpsum by Shri T.M. Nariyani.

Item No. 64.20

Allotment of two houses of 18x35 size in Nahri Ka Naka Scheme for Dispensary.

The Board considered this agenda item and decided to rent out two houses 4-j-21, 4-j-22 measuring 18x35 size in Nahri Ka Naka Colony for Dispensary. It was further resolved that the rent which becomes due according to F.W.D. pattern of rent determination be charged from the Medic-l Department. The Housing Commissioner may intimate the decision of the Board to the concerned authority in the Medic-l Deptt. in order to obtain their consent and agreement before the houses are handed over.

Item No. 64.21:

Creation of the post of Estate Managers and Personnel Officer.

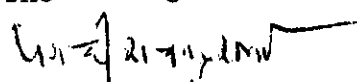
The Board considered this agenda item and decided that a consolidated staffing pattern may be put up for consideration of the Board in the next meeting.

Item No. 64.22:

Construction of houses of 40x90 size in Instrumentation Colony, Kota.

The Board considered the proposal to construct about 17 houses of 40x90 size house in Instrumentation Colony, Kota out of Board's funds and decided to accord permission for such construction subject to the provision that allotment of these houses for High Income Category will be covered by the latest resolution of the Board in this behalf ( i.e. 'on outright basis')

The Meeting ended with a vote of thanks to the Chair,

  
(J.C. Sharma),  
Secretary, Rajasthan Housing Board,  
Jaipur.

\*\*\*

MINUTES OF THE 65TH MEETING OF THE RAJASTHAN HOUSING  
BOARD HELD ON 22ND DECEMBER, 1977 AT JAIPUR.

\*\*\*

The following were present :-

1. Shri D.D. Purohit
2. Shri Mangal Behari
3. Shri Vijay Singh
4. Shri B. Kambo
5. Shri K.C. Mital
6. Shri Hanuman Prabhakar
7. Shri Bhure Khan
8. Shri Bal Chand Baid
9. Shri Pankaj Pancholi
10. Smt. Uma Mathur

Chairman

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member.

Shri P.L. Rawat did not attend the meeting.

Also present :-

1. Shri J.C. Sharma
2. Shri D.R. Jain

Secretary

Chief Accounts Officer.

Item No. 65.1:

Confirmation of the minutes of the 64th meeting of the Board.

The minutes of the 64th meeting of the Board held on 3rd December, 1977 were confirmed with the following amendment in item No. 64.8 regarding allotment of surplus houses in Bikaner and Ajmer :-

Added the following sentence after the last line of the resolution :

"This scheme will be valid upto 31st March, 1978".

Item No. 65.2:

Review of Outstanding items.

The information contained in the agenda note was noted.



Item No. 65.3: ✓ Security Deposit by the Contractors of Rajasthan Housing Board.

After discussing the various aspects of the matter it was decided that the agenda item may be re-drafted accordingly for discussion and decision of the Board in next meeting. Itc

Item No. 65.4: ✓ Rajasthan Housing Board Work Charge Employees Regulations 1977-relaxation of the provisions of leave and holidays in individual cases.

The Board considered this agenda item and resolved to authorise the Chairman to grant special leave 9 days with effect from 1-8-1977 to 9-8-1977 to Shri Narayan Lal who is a regular temporary work charge employee in Division-I, Jaipur.

Item No. 65.5: ✓ Allotment of houses on rental basis to the staff of the Board.

The Board considered this agenda item in details. It was decided that detailed scheme of rental housing for the staff of the Board may also be prepared along with other proposals and put up for consideration of the Board.

Item No. 65.6: ✓ Staffing Pattern.

The Board considered this agenda item and resolved the Chairman may be authorised to form a Sub-Committee of the Board as suggested in the agenda item.

Item No. 65.7: ✓ Request of Shri Ramdass Khurana allottee of house 3- 2 -31 size 25'x50' Jawahar Nagar Jaipur to transfer his house in the name of his son Shri Ganpatlal.

The Board considered this agenda item and decided

( 3 )

transfer the house No. 3- C -31 measuring 25'x50' in Jawahar Nagar Colony, Jaipur from the name of Shri Randass Khurana to the name of his son Shri Ganpat Lal Khurana, on the terms and conditions mentioned in the agenda note.

No. 65.8:

Stepping up the pay scale of Senior employees upto a figure equal to the pay of Junior Employees.

The Board considered this agenda item and adopted the following resolution:-

"It is hereby resolved that the pay of a Senior Board employee in the revised new pay scales in the higher post should be stepped upto a figure equal to the pay of the junior Board employee in that higher post equal to the pay as fixed for the Junior Board Employee in that higher post promoted on or after 1-9-1976. The stepping up should be done with effect from the date of promotion of the junior government servant subject to the following conditions:

- a) Both the Junior and senior Board employees should belong to the same cadre and the post which they have been promoted should be in identical scales 1976 in the same cadre.
- b) The pay scale in force prior to 1-9-76 and its corresponding pay scales under revised new pay scales 1976 of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be identical.
- c) The anomaly should be directly as a result of application of the provisions of rule 26 A of Rajasthan Service Rules in the Revised new pay Scales 1976 as adopted by the Board.

- d) Other conditions laid down in the Government of Rajasthan's decision below rule 32 of the Rajasthan Service Rules as amended from time to time mutatis mutandis shall also be applicable.

Item No. 65.9:

Amendment in Rajasthan Housing Board Employees Service Regulations 1970- Regulation of initial pay on promotion

The Board considered this agenda item and resolved to substitute regulation 22(11) of the Rajasthan Housing Board Employees Service Regulations 1970 in the following manner:-

"Pay of an employee is fixed under Sub-rule (i) above the next increment shall be granted on the date he has drawn his increment had he continued in the lower post; provided that where the pay is fixed at the minimum of the time scale and the pay as fixed exceeds the pay drawn in the lower post by the amount equal to the amount of the next increment in the lower post plus the first amount of the increment in the higher post, the next increment shall be admissible after completion of service for the full incremental period counting for increment."

Item No. 65.10: Item for information, Report and Confirmation.

- i) The Minutes of the Property Allotment Committee of the Board held on 15th & 16th December, 1977.

The Board considered the points involved in the item concerning agenda of the Property Allotment Committee meeting held on 15th & 16th December, 1977. It was thought proper to request the Property Allotment Committee to reconsider the matters in the light of discussions held in the meeting of the Board.



/ DRAFT /

40TH MEETING OF THE RAJASTHAN  
BOARD OF DIRECTORS  
Held on 10th February, 1978

\*\*\*\*\*

16/2/78  
The following were present:-

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 1) Shri D.D. Purohit    | Chairman |
| 2) Shri Mangal Bahari   | Member   |
| 3) Shri B. Kanbe        | Member   |
| 4) Shri M. C. Mishra    | Member   |
| 5) Shri H. P. Prabhakar | Member   |
| 6) Shri Bal Uday Baid   | Member   |
| 7) Shri Pankaj Pancholi | Member   |
| 8) Shri Uday Kumar      |          |

Shri V. Jayaram & Bhure Khan sought leave of absence.  
Shri K. K. Khawat did not attend the meeting.

Present were Shri R. C. Pancharya, Secretary; Shri  
G. S. Mathur, Accounts Officer and Shri V. B. Mathur, Senior Accounts  
Officer.

Item No. 66.1: Confirmation of the minutes of the 65th Meeting  
of the Board.

The minutes of the 65th Meeting of the Board  
held on 22nd December, 1977 were confirmed.

Item No. 66.2:

Budget Estimates for the year 1978-79 and  
Budget Estimates for the year 1977-78.

The Budget was discussed. For further  
discussion it was decided that meeting was  
held on 20-2-78 and 21-2-78.

Item No. 66.3:

Borrowing of loan from HUDCO by offering security  
of mortgage of properties, Jawahar Flats, Jaipur. (MIG)

The Board considered this Agenda item and  
resolved to approve the mortgage of properties as  
mentioned in the Agenda note to secure loan  
raised from HUDCO for Jawahar Flats, Jaipur. (MIG)  
It was further decided to  
authorise the Chairman to execute the necessary  
(2)

( 2 )

deed of modifications on behalf of the Board  
under the common seal of the Board in the  
presence of Housing Commissioner.

Loan from HUDCO for LIG Housing Scheme

It was resolved to accord approval of the Board  
for general acceptance of the scheme and permission  
to raise the loan of Rs. 14.17 lakhs in accordance  
with the terms and conditions of the Corporation.  
It was further resolved to authorise the Chairman  
to execute loan agreement etc. with HUDCO under the  
Common seal of the Board in the presence of the  
Housing Commissioner.

Item No. 66-5:

Loan from HUDCO for Talvandi (MIS) Housing Scheme,  
Phase -II, Kota.

It was resolved to accord approval of the Board  
for general acceptance of the scheme and permission  
to raise the loan of Rs. 36.12 lakhs in accordance  
with the terms and conditions of the Corporation.  
It was further resolved to authorise the Chairman  
to execute loan agreement etc. with HUDCO under  
the common seal of the Board in the presence of  
the Housing Commissioner.

Allocation of houses to the Board employees  
with permission of the Government

The matter was considered and it was decided that  
the decision for the reservation of a certain  
of houses to the employees of the Board was  
taken earlier in a meeting of the Housing Committee  
under the convenership of the Secretary to the Govt.,  
Housing and Urban Development. Since the matter  
in this meeting, it was decided that the matter  
of all the members of the Board may be referred to Shri V.  
enable him to give his views on the matter in the  
1st instance.

(3)  
No. 1 auctioned in Jawahar Nagar,  
Shri Moti Lal Mahendra Kumar (With  
the Chair).

The Board considered this item and resolved to  
approve the proposals contained in the same  
and to refund the amount in question with  
interest subject to the undertaking to be taken  
from the party, that he will not claim interest  
for any other claim whatsoever.

Item No. 66. Request of Shri Desh Raj Nakra to transfer his house  
No. 1- 7-2(30x60) in Jawahar Nagar, in the  
name of his elder brother Shri P.L. Nakra (With  
permission of the Chair).

The Board considered this agenda item and  
resolved to approve the request of Shri Desh  
Nakra to transfer his house No. 1- 7-2  
in the name of his elder brother Shri P.L. Nakra.

Item No. 66. Request for change of tenement from  
(With permission of the Chair).

The Board resolved to approve the request  
Shri K.E. Goyal, if he has not already occupied  
the previous house.

Item No. 66.10. Rajasthan Housing Board Employees (Privileged leave,  
Surrender leave and encashment of) Regulations, 1974,  
amendment thereto.  
(With permission of the Chair).

The item could not be discussed at this time  
and it was decided to put up this item at the next  
meeting of the Board.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(R.C. Goyal)  
Secretary



MINUTES OF THE 67TH MEETING OF THE BOARD  
HELD ON 21ST FEBRUARY, 1978 AT JAIPUR.

\*\*\*

The following were present:-

- |    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 1) | Shri D.D. Parohit      | Chairman |
| 2) | Shri K.C. Mital        | Member   |
| 3) | Shri Hanuman Prabhakar | Member   |
| 4) | Shri Bhure Khan        | Member   |
| 5) | Shri Bal Chand Baid    | Member   |
| 6) | Shri Pankaj Pancholi   | Member   |
| 7) | Shrimati Uma Mathur    | Member   |
| 8) | Shri Prabhu Lal Rawat  | Member   |

Sarvshri Mangal Bahari, Financial Commissioner; Vijay Singh, Secretary, Urban Development & Housing Department; B. Kambo, Chief Town Planner & Architectural Adviser sought leave of absence.

Also present were :-

- |    |                     |                         |
|----|---------------------|-------------------------|
| 1) | Shri R.C. Pancharya | Secretary               |
| 2) | Shri D.R. Jain      | Chief Accounts Officer. |

Item No. 67.1: Confirmation of the Minutes of the 66th Meeting of the Board.

The minutes of the 66th Meeting of the Board held on 10th February, 1978 were confirmed, except item of Shri K.K. Goyal which is re-worded at item No. 67.8 in the end.

Item No. 67.2: Budget Estimates for the year 1978-79 and Revised Budget Estimates for the year 1977-78.

The Budget was discussed in detail alongwith recommendations of Finance Committee and it was resolved to approve the Revised Budget Estimates for the year 1977-78 and Budget Estimates for the year 1978-79 with net deficit of Rs. 3.82 lacs for



( 2 )

which proper measures may be adopted to balance the deficit by increasing revenue ~~at other places like~~ auction of shops etc. It was settled to keep administrative expenses at 5% and for that more houses and shops should be constructed and quickly disposed off (shops by auction).

Item No. 67.3:

Rajasthan Housing Board Employees (Privilege Leave Surrender leave and encashment of) Regulations, 1974 amendment thereto.

The Board resolved to adopt the provision as contained in the Government order referred to in Agenda Note, regarding carrying forward the balance of the surrender and encashment of the P.L. to the next block of two years as detailed in the Government order.

Item No. 67.4:

Loan from HUDCO for composite housing Scheme at Alwar (south West Block) 2 (EWS, LIG & MIG) scheme Phase-I, Alwar.

It was resolved to accord approval of the Board for general acceptance of the scheme and permission to raise loan of Rs. 36.80 lacs in accordance with the terms and conditions of the Corporation. It was further resolved to authorise the Chairman to sign the loan agreement etc. with HUDCO under the seal of the Board in the presence of the Commissioner.

Item No. 67.5:

Loan from HUDCO for composite Talvandi Scheme at Kota.

It was resolved to accord approval of the Board for general acceptance of the scheme and permission

raise  
terms  
further  
the lo  
seal of  
Commis

Demand  
Sangh

The Ch  
Board

by the  
repres

Sogani  
of the

Board

Financ

and Ho

and Ho

memora

22/23

The Co

repres

conver

Secret

will h

on 27th

recomm

recomm

up bef

Board

make a

as are

possib

( 3 )

raise loan of Rs. 97.24 lacs in accordance with the terms and conditions of the corporation. It was further resolved to authorise the Chairman to execute the loan agreement etc. with HUDCO under the common seal of the Board in the presence of the Housing Commissioner.

No. 67.6: Demands of employees (Rajasthan Housing Board Karmchhari Sangh)

The Charter of demand submitted by Rajasthan Awasan Board Karmchhari Sangh dated 17-2-1978 was discussed by the members of the Board in the presence of the representatives of Karmchhari Sangh namely Shri M.L. Sogani, President and Shri Niranjana Joshi, Secretary of the Sangh. It was decided by the members of the Board that a committee consisting of 5 members viz Financial Commissioner, Secretary, Urban Development and Housing, Shri Hamman Prabhakar, Smt. Uma Mathur and Housing Commissioner may go in details of the memorandum which may be submitted by the Sangh by 22/23 February 78 giving all their demands in detail. The Committee will discuss this memorandum with the representatives of the Sangh on the date and time convenient to the Financial Commissioner and the Secretary, Urban Development and Housing Deptt., They will however, be requested to fix up the meeting on 27th February or 3rd of March 1978 and submit recommendations by 10th of March, 1978. The recommendations of the committee would then be put up before the Board for decision. The members of the Board requested the representatives of the Sangh to make available the rules of other Housing Boards also as are applicable in respect of their demands, if possible.

Item No. 67.7:

Demands of Rashtriya Housing Board Karmchhari Sangh,  
Rajasthan, Jaipur.

The Board considered over the 11 point demand charter submitted by the "Rashtriya Housing Board Karmchhari Sangh" vide their letter No. RTHB/11/84/78-79 dated 1-2-79 also, the office remarks put up in this regard.

It was decided to constitute a committee consisting of the following to examine the question in detail and submit their recommendations for consideration by the Board by 10th of March, 78:-

- 1) The Financial Commissioner.
- 2) The Secretary to the Govt. Urban Dev. & Housing Dept.
- 3) The Housing Commissioner.
- 4) Shri Hanuman Prabhakar &
- 5) Smt. Uma Mathur.

Item No. 67.8:

With the permission of the Chair, the Secretary brought the notice of the Board in connection with decision of the Board taken on item No. 67.9 of the last Board meeting that the house allotted to Shri K.K. Goyal is said to have been occupied. It was desired to obtain complete information in this respect from Resident Engineer, Division-I, Kota and then put up before the Board for recommendation in the matter.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

*(Signature)*  
(C. Pancharya),  
Secretary,  
Rajasthan Housing Board,  
Jaipur.

No

Th  
Ra  
Ja  
Ko

Si

Sub

The

for

wit

Sec  
Raj  
Jai

Copy

1) A

RAJASTHAN HOUSING BOARD : JAIPUR

No. *77/19/466*

Dated : 14/4/78

The Resident Engineer,  
Rajasthan Housing Board,  
Jaipur Dn. I/II/III/ Jodhpur/Udaipur/  
Kota Dn. I/II/Banswara.

Sir,

Sub:- Extract copies of Minutes of *67.4*... Meeting of the Board.

\*\*\*

The extract copies of the minutes relating to above is sent herewith  
for taking further action in the matter under intimation to this cell,  
within 15 days. This may be treated as most urgent.

*5/12*  
Secretary,  
Rajasthan Housing Board,  
Jaipur.

Copy to :-

- 1) Accounts Cell/ Finance Cell/ Housing Cell-I/II/III/Tech. Cell/  
P.O. Cell. /Comp. Cell/ Recovery Cell/ Inspection Cell/ Drawing Cell/  
MUNO Cell/ Tender Cell.

MINUTES OF THE 68TH MEETING OF THE RAJASTHAN  
HOUSING BOARD HELD ON 22ND MARCH, 1978.

\*\*\*\*

\*\*

The following were present:-

1. Shri D.D. Barchit Chairman.
2. Shri K.C. Mittal Member
3. Shri Hemant Khabhakar Member
4. Shri Bal Chandra Baid Member
5. Shri Pankaj Pancholia Member
6. Smt. Uma Mahur Member.

Sarvashri Mangal Behari, Financial Commissioner, Vijay Singh, Secretary, Urban Development & Housing Department could not attend because of preoccupation with budget and Assembly Works. Shri Bhure Khan sought leave for absence.

Also present were :-

1. Shri R.C. Pancharya Superintending Engineer.
2. Shri G.N. Vyas Secretary.
3. Shri D.R. Jain Chief Accounts Officer.

Item No. 68.1: Confirmation of the Minutes of the 67th meeting of the Board.

The minutes of the 67th meeting of the Board were confirmed.

Item No. 68.2: Demands of the Regular employees of the Board, Rajasthan Housing Board Karachari Sangh.  
& 3. Demands of Work charged Officers of the Board (Rashtriya Housing Board Karachari Sangh.).

The matter was discussed in general and it was decided that this may be deferred for discussions and decisions for next meeting.

( 2 )

to be held on 3.4.1978. The Financial Commissioner and Secretary, Town Planning and Chief Town Planner, who on account of absence and the closure of the financial year could not find time to attend this meeting, may be requested to attend it.

Item No.68.4: Sale of 71 houses (25'x50'x47), 20'x50' and 30'x60' for purposes of staff of Command Area Development R.D.P., Bikaner.

The proposal was approved for sale of 71 houses at the price indicated in the note.

Item No.68.5: Transfer of 10 acres of land from Jawahar Nagar etc. to Rehabilitation Department.

Transfer of 3.5 acres of land and 6.5 acres from UIT area near Galta-Surajpole was approved provided the cost is paid by that Department as per decision of the Finance Department.

Item No.68.6: Special allotment of 47 houses of 18'x35' size in Pawanpuri Colony, Bikaner.

Special allotment of 47 houses of 18'x35' in Pawanpuri, Bikaner was approved. It was also decided that for balance of houses i.e. 97 nos. Attempt should be made to allot first come first serve basis. Where more than one person has deposited registration amount, decision may be taken by draw of lots.

Notice may be issued to those already registered in this category of houses to give option within 15 days failing which the houses will be allotted to new applicants and they will lose their rights thereon.

( 3 )

Item No. 68.7 : Confirmation of S/Shri S.M. Mathur, Site Engineer and S.K. Saxena, Jr. Site Engineer.

It was expressed that it is within the competence of the Chairman and he should dispose off at his level.

Item No. 68.8 : Revival of Registration.

This matter was discussed at length and it was resolved that revival of registration of registered applicants may be done provided he deposits the full registration refunded to him plus 9% (instead of 6%) interest on registration amount for the period of registration amount remained undeposited.

Priority of allotment will be determined from the date of revival of registration i.e. he will lose his right on the original date of registration.

It was also decided that the revival can be done both on hire purchase and on right sale basis and there should be no distinction on this account.

It was also further decided that if any difficulty arises in implementation of this decision, there should be no restriction in putting the case alongwith details for review before the Board.

( 4 )

Item No.68.9 : Allotment of surplus house 1- 3 -12(40'x60'  
in Pawanpuri, Bikaner to Capt.Dewan Talwar.

It was decided that as there are 12 other applicants for M.I.G. houses, there is no case to allot this house to Capt. Dewan Talwar. All the applicants registered in G.R.S. should be allowed to take part in draw of lottery.

Item No.68.10: Item for information, report & confirmation  
of the Board.

This was noted.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

( G.N. Vyas )  
SECRETARY

Rajasthan Housing Board,  
JAIPUR.



राजस्थान आवासन बोर्ड की दिनांक 22 अप्रैल 1978  
को जयपुर में हुई 89 वी बैठक का विवरण  
=====

यह नवगठित बोर्ड की प्रथम बैठक थी। निम्नलिखित व्यक्ति बैठक में उपस्थित थे :-

|                                         |   |         |
|-----------------------------------------|---|---------|
| 1) श्री गोविन्दराम हुकमाणी              | = | अध्यक्ष |
| 2) श्री मंगल बिहारी ,<br>वित्त आयुक्त   | = | सदस्य   |
| 3) श्री बी० कश्यप ,<br>मुख्य नगर नियोजक | = | सदस्य   |
| 4) श्री कलाश चन्द्र मीतल                | = | सदस्य   |
| 5) श्री अब्दुल कयूम अख्तर               | = | सदस्य   |
| 6) श्री नरेन्द्र सिंह लखारी             | = | सदस्य   |
| 7) श्री रामनारायण विस्नोई               | = | सदस्य   |
| 8) श्री सत्यनारायण पारीक                | = | सदस्य   |

सदस्य श्री जे० पी० अरोड़ा एवं श्री मोहन मेघवाल दोनों ने ही अपनी अनुपस्थिति की सूचना दे दी। सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग कार्यवाही उपस्थित नहीं हो सके।

|                        |   |                  |
|------------------------|---|------------------|
| श्री गणेश नारायण व्यास | = | सचिव एवं         |
| श्री डी० आर० जैन       | = | मुख्य लेखाधिकारी |

भी उपस्थित थे।

89\* । बोर्ड की प्रगति, उपलब्धि एवं भविष्य के कार्यक्रम व समन्वय।  
=====

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें आवासन बोर्ड के उद्देश्य

( 2 )

प्रगति और उपलब्धि की जानकारी दी । उन्हेने बताया कि बोर्ड का उद्देश्य राजस्थान में आवासोप मकानों की कमी को पूरा करना है । इस दिशा में बोर्ड ने अब तक लगभग 12 हजार मकान विभिन्न शहरों में बनाकर आवंटित कर दिए हैं, जिनमें से 4124 जयपुर में बने हैं । किन्तु इसकी तुलना में पंजीकृत आवेदक जो अपने लिए मकानों की प्रतीक्षा में हैं उनकी संख्या 24534 है, इनमें से 12182 आवेदक जयपुर में हैं ।

बोर्ड के वित्तीय स्रोतों का विवरण देते हुए अध्यक्ष ने बताया कि दिसम्बर 1977 तक बोर्ड ने विभिन्न वित्तीय स्रोतों से 3532.10 लाख की व्यवस्था की है जिसमें से 30 लाख का राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण भी सम्मिलित है । सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋण-पत्रों के विक्रय से 1388.00 लाख, जीवन बीमा निगम से 125.00 लाख, हुडको से 1367.40 लाख और पंजीकरण राशि से रु 621.70 लाख की धन राशि प्राप्त की गई ।

अध्यक्ष ने बताया कि अब रिजर्व बैंक की नई नीति के अनुसार असुरक्षित ऋण-पत्रों के विक्रय से धनराशि की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा और इसके लिए अब इसमें राज्य सरकार की गारंटी के द्वारा ही ऋण प्राप्त किया जा सकेगा । अधिकाधिक वित्तीय साधन जुटाने के लिए बोर्ड को निरन्तर प्रयास करना होगा ।

अब तक बोर्ड ने भवन निर्माण में लगभग 32.9 करोड़ रुपया व्यय किया जिसमें 5% प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित है जो देश के अन्य बोर्डों के प्रशासनिक व्यय की तुलना में बहुत कम है । निर्माण कार्यों में बोर्ड द्वारा

किया गया औसत व्यय लगभग 6.5 करोड़ प्रतिवर्ष है, गत वर्ष के व्यय लगभग 7 करोड़ रहा है, व चालू वर्ष में 10 करोड़ व्यय करने का प्रावधान है ।

इस वर्ष विभिन्न शहरों में 6500 मकान निर्माण करने की योजना है

जिनमें लगभग 2000 मकान जयपुर व 2000 कोटा में होंगे । जयपुर में मकानों की माँग को देखते हुए यह संख्या कम से कम 4 हजार होनी चाहिए ।

अध्यक्ष ने बोर्ड के समक्ष विभिन्न समस्या एवं चुनौतियों की भी चर्चा की । जयपुर में भूमि की उपलब्धि की बड़ी समस्या है और हमारे पंजीकरण की संख्या को देखते हुए तुरन्त एक हजार एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी । इस दिशा में सब सदस्यों को प्रयास करना होगा । कांफ्रेंस अमेर होटल के सामने एक भूखण्ड का हमें कानूनी अधिकार मिल गया है । राज्य सरकार की मदद से आगे प्रगति के लिए अग्रसर है ।

<sup>का</sup> बोर्ड/उद्देश्य सस्ते मकान सुलभ करना है किन्तु इस दिशा में हमारा अनुभव है कि भूमि विकास, सड़क निर्माण, पानी - बिजली की व्यवस्था आदि पर बड़ी धनराशि व्यय करनी पड़ती है जिसका भार मकानों के मूल्य पर ही आता है । साधारणतया इन सुविधाओं की उपलब्धि राज्य सरकार का दायित्व है । सरकार को इस कार्य के लिए बॉर्ड को ऋणदान देना चाहिए- बॉर्ड सरकार से यह माँग करेगा ।

**आवंटन ।**  
=====

आवंटन में विलम्ब तथा उसकी पद्धति के सम्बन्ध में बोर्ड की आलोचना की गई है । अध्यक्ष ने कहा कि इस पद्धति में सुधार जो काफी गुंजायमान है ।

... ..



सदस्यों ने अध्यक्ष के सुझावों का स्वागत करते हुए बोर्ड के कार्यों को गति देने में अपने योगदान का वचन दिया। अधिकांश सदस्यों की यह राय थी कि बोर्ड द्वारा बनाए गए मकानों की सम्पूरी धटिया किरा की है, उदयपुर में बनाए गए मकानों में सोलरपिट टैंक, छत, फर्श व दीवारें कमजोर हैं, मकानों में रहान्तता ( Privacy ) का अभाव है। उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि स्वयं सब कलोनियों को देखें।

बोर्ड द्वारा निर्मित बस्तियों में पार्क, पोस्ट ऑफिस, स्कूल आदि का निर्माण भी साथ ही होना चाहिए, ताकि निवासियों को ये सुविधाएँ तुरन्त उपलब्ध हों।

## 2. निवर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रति धन्यवाद अर्पण।

बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवाओं की सराहना करते हुए निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुआ -

“राजस्थान आवासन बोर्ड” निवर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवाओं की सराहना करते हुए उनके प्रति सादर आभार प्रदर्शित करता है।

## 3. बोर्ड की विभिन्न समितियों का पुनर्गठन :

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई -

*has  
meeting  
along with  
agenda*

( 8 )

बोर्ड की 68 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

4:

बोर्ड की 68 वी बैठक के निर्णयों का निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमोदन किया गया :-

(1) विचार बिन्दु संख्या 68-5 में 35 एकड़ भूमि के आगे 'जवाहर नगर' ( 'for Jawahar Nagar' ) अंकित किया ।

(2) विचार बिन्दु सं. 68-8 (क) <sup>इसके</sup> अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय सदस्यगण कार्यवाही करेंगे <sup>(ख)</sup> एवं साथ ही पंजीकरण के पुनर्निर्धारण के लिए विशेष मानदण्ड स्थापित करने हेतु एक प्रसन्न बोर्ड की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय । यह सुगमता देने के पीछे केवल उन लोगों को वापस लेने का इरादा रहे जिन लोगों ने आपात काल में विस्थापित कर अपने Deposits वापस ले लिये थे ।

(3) बिन्दु सं. 68-9 की समस्या को पुनः अध्ययन कर आगामी बैठक में प्रस्तुत हो ।

8-5 :

आवासन बोर्ड/कर्मचारियों के लिए मकानों के आवंटन को विविष्ट योजना।

बोर्ड ने अपनी 63 वी बैठक में बोर्ड/कर्मचारियों के लिए मकान आवंटन के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया था उसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में पुनर्विचार तथा कर्मचारियों के साथ बात-चीत के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- 1) श्री गोविन्दराय हुकमाणी
- 2) श्री जे. पी. अरोडा
- 3) श्री अब्दुल क़यूम अख्तर
- 4) आवासन अधिकारी
- 5) बोर्ड के सचिव

अध्यक्ष  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य  
सचिव

*Handwritten signature and initials*

कमेटी अपने प्रस्तावों की सूचना आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी ।

22 मार्च 1978 को आयोजित सम्पति अवंदन समिति के निर्णयों पर विचार विमर्श ।

सम्पति अवंदन समिति की बैठक ( दिनांक 22 मार्च 1978 को आयोजित ) के निर्णयों पर विचार कर इन्हें निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार किया गया :-

विचार बिन्दु संख्या 4. । एवं 4.3 का अनुमोदन किया गया एवं शेष बिन्दुओं को पुनर्विचार के लिए नई समिति के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए ।

कोटा के स्थानिक अभियन्ता श्री अब्दुल मतीन का बोर्ड की सेवा में अन्तर्लपन ।

श्री अब्दुल मतीन स्थानिक अभियन्ता, कोटा डिवीजन , राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग से 17-10-70 से प्रतिनिधित्व पर है , और वहाँ वह अधिष्ठासी अभियन्ता पद पर स्थायी है । उनका कार्य सन्तोषजनक रहा है । उन्होंने अपनी सेवाएँ स्थायी रूप से बोर्ड में अन्तर्लपित करने की प्रार्थना की है, जो राजस्थान आवासन बोर्ड ( कर्मचारियों के चयन एवं पदोन्नति ) नियम 1978 के अन्तर्गत संभव है, बोर्ड की वरिष्ठ चयन समिति ने श्री मतीन को अन्तर्लपन के लिए उपयुक्त पाया है, अतः वरिष्ठ

( 10 )

चपन समिति की सिफारिश को स्वीकार किया गया और निर्णय किया गया कि राज्य सरकार से श्री मतीन खान बोर्ड की सेवाओं में अन्तर्लपित करने के लिए अनुमति देने हेतु लिखा जाय ।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय को आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

( गणेश नारायण व्यास )  
सचिव  
राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर ।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक २५ मई, १९७८  
को हुई ७०वीं बैठक का विवरण :-

निम्नलिखित बैठक में उपस्थित थे :-

- |    |                                                       |         |
|----|-------------------------------------------------------|---------|
| १- | श्री गोविन्दराम हुकमाणी                               | अध्यक्ष |
| २- | श्री मंगल बिहारी, वित्त आयुक्त                        | सदस्य   |
| ३- | श्री विजयसिंह, सचिव नगरीय विकास<br>स्वाम आवासन विभाग. | सदस्य   |
| ४- | श्री बी० कम्बो, मुख्य नगर नियोजक                      | सदस्य   |
| ५- | श्री आर०सी० पंचाय्या, आवासन आयुक्त                    | सदस्य   |
| ६- | श्री मोहन मेघवाल                                      | सदस्य   |
| ७- | श्री नरेन्द्र सिंह लखारि                              | सदस्य   |
| ८- | श्री सत्यनारायण पारीक                                 | सदस्य   |
| ९- | श्री अब्दुल कय्युम अख्तर                              | सदस्य   |

सर्वश्री जे०पी० अरोड़ा, तथा रामनारायण विश्नोई की अनुपस्थिति

की स्वीकृति दी गई।

श्री गणेशनाथ रायणा व्यास

सचिव स्वप्न

श्री डी०आर०

मुख्यलेखा धिकारी

भी उपस्थित थे।

७०-१ बोर्ड की ६६वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन :-

बोर्ड की ६६वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन इस संशोधन  
के साथ किया गया कि अनुपस्थित सदस्यों की अनुपस्थिति की स्वीकृति का  
उल्लेख हो।

राज्य सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते की माह जनवरी १९७८ से लागू  
किश्त को बोर्ड के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाना :

यह स्वीकार किया गया कि बोर्ड कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के  
आदेशानुसार १-१-१९७८ से मंहगाई भत्ते की राशि तिप्पन दर से दी जाय:

वेतन श्रृंखला

मंहगाई भत्ते की राशि प्रतिमाह

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| १- ₹ २७५) से नीचे                 | ₹ २८-००  |
| २- ₹ २७५) से ३५०) तक              | ₹ ३२-००  |
| ३- ₹ ३५१) से ६४०) तक              | ₹ ४०-००  |
| ४- ₹ ६४१) से ९५०) तक              | ₹ ६०-००  |
| ५- ₹ ९५१) से १६००) तक             | ₹ ८०-००  |
| ६- ₹ १६००) से उपर किन्तु २३४०) तक | ₹ १२०-०० |

इस श्रेणी के कर्मचारियों  
को मंहगाई भत्ता इस प्रकार  
देय होगा कि उनका वेतन  
तथा मंहगाई भत्ते का योग  
२४००) ₹ से अधिक न हो

७०-३ बोर्ड का अनुमानानुसार अनुमोदित प्रस्ताव टिप्पणी संख्या-११ :

तलबंदी (M.I.G.) योजना, कोटा के सन्दर्भ में बोर्ड का अनुमानानुसार  
अनुमोदित प्रस्ताव टिप्पणी संख्या ११ का अनुमोदित किया गया ।

७०-४ मालवीय नगर, जयपुर में बोर्ड की नवीन कालोनी के शिलान्यास  
समारोह में संभाषित व्यय की बोर्ड द्वारा स्वीकृति :

मालवीय नगर, जयपुर में बोर्ड की नवीन कालोनी के शिलान्यास के अवसर पर समारोह के आयोजन हेतु रु० १०,०००) की राशि को व्यय स्वीकार किया गया। व्यय का विवरण बोर्ड के सामने सूचनार्थ रखा जायेगा।

Sevt  
RE  
41

७०-५ विज्ञापन राशि हेतु बोर्ड की स्वीकृति:

बोर्ड ने उक्त विचार बिन्दु को स्वीकार करते हुये " भारतीय मजदूर संघ स्मारिका " एवम् " टाऊन प्लानिंग सिल्वर जुबली इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस " के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका हेतु प्रत्येक को एक हजार (प्रति १००० रु०) की राशि विज्ञापनार्थ स्वीकार की।

७०-६ राजस्थान आवासन बोर्ड में ठेकेदारों द्वारा जमा कराई जाने वाली धरोहर राशि के सम्बन्ध में।

जहाँ तक भविष्य में किये जाने वाले ठेकों का सम्बन्ध है, यह विचार व्यक्त किये गये कि सिद्धान्ततः प्रस्ताव ठीक है। यह भी देखा जाये कि रु० १०,०००) नकद राशि के बाद एक ०डी०आर० के स्थान पर अगर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट बोण्ड लिये जाये तो क्या उचित व्यवस्था होगी। बोर्ड में नीति निर्धारण हेतु समीक्षा समेत प्रस्तुत किया जाये।

इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान ठेकों पर एक ०डी०आर० की सुविधा देने हेतु एक समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाये :--

- (१) अध्यक्ष
- (२) सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज्य सरकार
- (३) आवासन आयुक्त। /

CHD  
Hc

उक्त समिति द्वारा वर्तमान ठेकों के सम्बन्ध में किसी विशेष ठेके (Contract) में बोर्ड के कार्य के सम्पादन के हित में रु. 10,000) को नकद राशि रिक्युरिटी डिपोजिट प्राप्त हो जाने के बाद बकाया राशि बैंक की राशि लेने की सिफारिश स्वीकार करने पर यह सुविधा दे दी जावे।

707

आवीट्यों से ली जाये वाली अग्रणी राशि (स्कोलरी शिफ्ट चार्ज) को प्राथमिक पाठशाला के निर्माण के साथ-साथ अन्य परियोजनाओं हेतु भी काम में लिये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड ने उक्त विचार-विम्वु पर विचार करते हुए स्वीकार किया कि बोर्ड कालोनियों में प्राइमरी स्कूल के भवनों के निर्माण के लिये आवीट्यों से जो 1) रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से राशि ली जाती थी उसका उपयोग प्राइमरी स्कूल के अतिरिक्त भी अन्य सार्वजनिक सुविधाओं जैसे औद्योगिक, कृषि, खेल-रङ्ग की सुविधाएँ इत्यादि के निर्माण हेतु

37

70.8

श्री राम नारायण गुप्ता द्वारा उनके भगन रु. 3-क-43 (25x50) जमीन का नाम, जयपुर को उनके लड़के श्री सत्यनारायण ब्राह्मण के नाम परिवर्तन हेतु प्रार्थना।

उक्त विचार-विम्वु के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि प्रोपर्टी हस्तान्तरित के लिये पहले सामान्य सिद्धान्त निर्धारण करने के लिए प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

Sens

He

90-६ श्री धन्नीराम परनामी, आवंटी मकान संख्या ४-म-२५ (२५ x ५०) का श्री हंसराज परनामी के नाम मकान का हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में आवेदन :

उक्त विचार-बिन्दु को स्वीकार करते हुये निर्णय लिया गया कि श्री धन्नीराम परनामी, आवंटी मकान संख्या ४-म-२५ (२५ x ५०) का हस्तान्तरण उनके पुत्र श्री हंसराज परनामी के नाम इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि आवंटी समस्त कानूनी कार्यवाही पूरी करें तथा बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त में करें।

90-२० मकान संख्या १-ट-३ (३० x ६०) जवाहर नगर जयपुर का आवंटन परिवर्तन श्री चन्द्र कुमार रोहरा पुत्र श्रीमति ईश्वरी बाई के नाम करने हेतु, श्रीमति ईश्वरी बाई की प्रार्थना :

उक्त विचार-बिन्दु को स्वीकार किया गया एवम् निर्णय लिया गया कि श्री टोफनदास, आवंटी मकान संख्या १-ट-३ (३० x ६०) जवाहर नगर के निधन के परिणाम-स्वरूप उक्त मकान का आवंटन उनकी पत्नि श्रीमति ईश्वरी बाई के नाम किया गया था। अब उक्त मकान का हस्तान्तरण उनके पुत्र श्री चन्द्र कुमार रोहरा के नाम कर दिया जाये।

90-२१ (अ) दिनांक ११ मई, ७८ को हुई परियोजना समिति की बैठक के निर्णय बोर्ड की सूचार्थ

(ब) मार्च, १९७८ के अन्त तक विभिन्न योजनाओं में प्राप्त की गयी उपलब्धियों की सूचार्थ :

उक्त विचार बिन्दुओं का अनुमोदन किया गया ।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय को आभार व्यक्त करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

(गणेशनाथ रायण व्यास)

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल,

जयपुर ।

राजधानी आवासन मण्डल की दिनांक 24-7-78

को हुई 71 वी बैठक का विवरण

=====

चिन्नीलिखित उपस्थित थे :-

|                           |   |         |
|---------------------------|---|---------|
| श्री गोविन्दराज हुकलापी   | = | अध्यक्ष |
| श्री मोहन मेहवाल          | = | सदस्य   |
| श्री नरेन्द्र सिंह सिन्हा | = | सदस्य   |
| श्री रामनारायण विश्णोई    | = | सदस्य   |
| श्री अब्दुल कदूर अज़र     | = | सदस्य   |
| श्री रंगल बिहारी          | = | सदस्य   |
| श्री आर० बी० पंचायी       | = | सदस्य   |

श्री० अरोडा ने सदस्य पद से अपना त्यागपत्र दे दिया है जो सरकार के पोंन है।

नारायण पारीक, श्री बी० केम्बो, मुख्य नगर नियोजक एवं श्री विजयसिंह नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अनुपस्थिति की स्वीकृति की गई।

श्री नारायण बयास, सचिव एवं श्री० जैन, मुख्य नगरियकारी भी उपस्थित थे।

बोर्ड की 70 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन।

=====

बोर्ड की 70 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

71. 2:

=====

बोर्ड की गत दो बैठकों के निर्णयों की प्रामाण्यता ।

=====

बोर्ड की गत दो बैठकों के निर्णयों की प्रामाण्यता का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । इस नई व्यवस्था के लिए सदस्यों ने सन्तोष व्यक्त किया ।

71. 3:

=====

ठेकेदारों द्वारा जमा कराई जाने वाली घरोहर राशि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण ।

=====

ठेकेदारों द्वारा जमा कराई जाने वाली घरोहर राशि में 10,000 रुपये की राशि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जमा कराई जाये । इस हजार से अधिक जमा राशि किसी बैंक की खाई जमा ( एफडोडीआर0 ) के रूप में अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्रों के रूप में जमा की जाये जो बोर्ड की घरोहर के रूप में होगी और इन पर बोर्ड का अधिकार ( लिपन ) अधिक होगा । इस खाई जमा राशि / राष्ट्रीय बचत-पत्रों की अवधि संबंधित कार्य के पूर्ण होने की अवधि तथा वह अवधि भी सम्मिलित होगी जो बोर्ड की प्रतिभूति के लिये आवश्यक है । इस सम्बन्ध में निविदा की शर्तों में तथा ठेकेदारों से किये जाने वाले इकरारनामे में आवश्यक परिवर्तन कानूनी सलाहकार की सलाह से किया जाय ।

71. 4:

=====

आपातकाल की अवधि में मकानों के पंजीकरण को पुनर्जिवित करने के सम्बन्ध में ।

=====

आपातकाल की अवधि में मकानों की पंजीकरण राशि के वापस लेने के मामलों में पंजीकरण को पुनर्जिवित करने पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि जिन आवेदकों को आपातकाल की व्यापारियों के कारण घनराशि वापस लेनी पड़ी थी उन्हें उनकी घनराशि वापस जमा कराने की अनुमति दी जाये और उनका पंजीकरण इसी विधि से पुनः कर लिया जाय । इस तरह के व्यक्तियों से कोई धन संग्रह नहीं लिया जायेगा । ऐसे व्यक्तियों की सूची निम्नीलिखित है :-

Continued  
Vidhan Sabha  
18/3/78  
Dr. K. S. 28



( 3 )

श्री प्रेमचन्द  
श्री सोधगवल जैन  
श्री रागकुमार सिंह  
श्री सुशीलकुमार गिल्लल  
श्री युगल विशोर शर्मा  
श्री तेजुराम शर्मा  
श्री नेहराज शर्मा  
श्री आयप्रकाश नागपाल  
श्री आर०के० पन्त  
श्री अमल बिहारी  
श्री सचिन बिहारी  
श्री पशोदा देवी  
श्री जेदेलाल जैन  
श्री ज्ञान सी० बोरीडिया  
श्री विस्मनाथ शर्मा

उक्त जिन व्यक्तियों ने आपातकाल के दौरान अन्य कारणों से पंजीकरण  
राशि वापस ली है उनका भी पंजीकरण पुनर्निर्मित करने का निर्णय लिया  
गया है। और जो व्यक्ति जो परीक्षा स्तर से भी आपातकाल में विवश हो गया  
है वह व्यक्ति न रह जाय। अतः यह तय किया गया कि उन्हें भी  
उक्त राशि पुनः जमा कराने की स्वीकृति दी जाय। किन्तु  
उक्त राशि वापस ली तिथि से जमा कराने की तिथि तक उक्त राशि पर 9%  
दर पर ब्याज देना होगा। इस प्रकार के व्यक्तियों की सूची निम्नलिखित है:-

- 1) श्री इन्द्र मल्लोत्रा
- 2) श्री रत्न0रत्न0 कुश्मल
- 3) श्री सूर्यपाल जीपल
- 4) श्री गंगाबहादुर पुरोहित
- 5) श्री जेठानन्द शर्मा
- 6) श्री भीमबहादुर
- 7) श्री रत्न0रत्न0 शर्मा
- 8) श्री लक्ष्मीकुमार शर्मा
- 9) श्री धनपतिशर्मा
- 10) श्री माधुलाल शर्मा
- 11) श्री प्रेम मोहन गुप्ता
- 12) श्री श्री0रत्न0कपूर
- 13) श्री मोहन लाल शर्मा
- 14) श्री उदयबहादुर शर्मा
- 15) श्री गंगूर अग्रवाल
- 16) श्री हजीपुरशर्मा

आवेदकों के पंजीकरण की पूर्व शर्तें जिनमें पंजीकरण का स्थान, मकान का दर्जीकरण आदि भी है ध्यातव्य रहेगी ।

पंजीकरण की राशि पुनः जमा कराये की इस सुविधा का उपयोग 31 अगस्त 1978 तक अथवा आवाहन बोर्ड के पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर ही किया जाय ।

को  
र  
पु  
=

बो  
न

1)

2)

3)

4)

5)

6)

यह

आवा

आवा

हैं,

जोय

अवा

===

(1)

( 5 )

बोर्ड द्वारा निर्मित बस्तियों में प्राथमिक, हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल हेतु भूमि/भवन आवंटन की प्रक्रिया के लिए गठित समिति का पुनर्गठन ।

बोर्ड की 60 वीं बैठक के निर्णयानुसार जिस समिति का गठन किया गया था, उस समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

- 1) अध्यक्ष ।
- 2) श्री अब्दुल कयूम अठार ।
- 3) श्री जे0पी0अरोडा या उनके स्थान पर मनोनीत सदस्य।
- 4) सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ।
- 5) आवस्यत आशुक्त ।
- 6) बोर्ड के सचिव इस समिति के सचिव होंगे ।

यह समिति बोर्ड द्वारा निर्मित बस्तियों में पाठशालाओं हेतु भूमि के आवंटन सम्बन्धी नीति निर्धारित तथा आवंटन करेगी । इस भूमि के आवंटन हेतु शिक्षण संस्थानों, ट्रस्ट जो शिक्षा क्षेत्र में अनुसूच रखती हों, से आवेदन आश्रित किये जायें ।

जोधपुर की चोखासनी तथा बुरसागर योजना के लिए भूमि का अवाप्तिकरण ।

- (1) चोखासनी योजना के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में अवार्ड को मान कर अविलम्ब भूमि प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय, क्योंकि एक तरफ तो भूमि के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं दूसरी ओर जिन किसानों की भूमि अवाप्ति की गई है उन में असन्तोष फैल रहा है। विलम्ब के कारण ऐसी संभावना है कि बोर्ड को व्याज भी देना पड़े। अतः अधिक जल्दी अवाप्ति अविलम्ब किया जाना आवश्यक है।

नोट - 1  
अध्यक्ष  
सचिव  
द्वारा  
सं. 1/2/81  
2/2/81

File sub. 000  
5/8/78

क/न 2/2/81  
क/र 12/2/81  
क/1 2/2/81

2/2/81  
ETP  
2/2/81

ETP  
12/2/81  
Minutes  
2/2/81

मान का

पृष्ठ 3। अगस्त  
के बाद ही

- (2) खुर सागर योजना में भूमि अवाप्तिकरण के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी न होने के कारण विचार विमर्श न हो सका ।

71. 7: बोर्ड द्वारा इच्छुक निप्रेताओं, ट्रस्ट, सहकारी समितियों आदि की निजी भूमि के क्रय के सम्बन्ध में उप समिति का गठन ।

बोर्ड की भूमि सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति हेतु भूमि अवाप्ति के अतिरिक्त इच्छुक व्यक्ति, ट्रस्ट एवं सहकारी समितियों की निजी भूमि के सम्बन्ध में जातचीत करने एवं क्रय करने के सम्बन्ध में एक कमेटी का गठन किया गया। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- 1) बोर्ड के अध्यक्ष
- 2) सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
- 3) मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुशास्त्र सलाहकार
- 4) बोर्ड के आयुक्त
- 5) जिलाधीश (संघीय जिले के)
- 6) क्षेत्र से सम्बन्धित बोर्ड के सदस्य और यदि इस क्षेत्र के बोर्ड के सदस्य न हो तो अध्यक्ष द्वारा मनोनित स्थानीय विधायक ।
- 7) मुख्य लेखा अधिकारी
- 8) बोर्ड के सचिव

71. 8: पंजीकरण एवं आवंटन के हस्तान्तरण के सिद्धान्तों का निर्धारण ।

- (1) पंजीकरण के हस्तान्तरण के लिये निम्नलिखित सिद्धान्त निर्धारित किये गये :-

- (क) पंजीकरण के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने पंजीकरण को हस्तान्तरित करना चाहे तो हस्तान्तरण की कार्यवाही परिवार के निकटतम सदस्यों के लिये स्वीकार की जाये। परिवार के निकटतम सदस्यों में पति, पत्नी, माता, पिता, बेटा, बेटों की स्त्री आना जायेगा ।

( 7 )

(ब) पंजीकरण में इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति को आवेदक मनोनीत (नामजद) करे तो उसके नाम हस्तान्तरण आवेदक के जीवन काल में संभव नहीं होगा ।

(ग) पंजीकरण के हस्तान्तरण के लिये निम्नलिखित राशि प्रशासनिक व्यय हेतु बोर्ड को देय होगी :-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग और अल्प आयवर्ग के भ्रजन

रु 5/-

मध्यम आयवर्ग एवं उच्च आयवर्ग के भ्रजन

रु 25/-

आवृत्त भ्रजन के हस्तान्तरण की प्रक्रिया :

(क) हस्तान्तरण परिवार के निकटतम सदस्यों के नाम करना स्वीकार कर लिया जाय। निकटतम सदस्यों में पति, पत्नी माता, पिता, बेटा, बेटी को ही माना जाय ।

(ख) आवृत्त भ्रजन के हस्तान्तरण के लिये आवेदक यदि किसी अन्य व्यक्ति को नामजद (मनोनीत) करे तो भ्रजन का हस्तान्तरण आवेदक के जीवन काल में संभव नहीं होगा ।

(ग) सहेरदार भाई को हस्तान्तरण उसी अवस्था में स्वीकार किया जाय जबकि पुत्र, पुत्री, माता, पिता आदि को कोई आपत्ति न हो तथा भ्रगतान एक मुश्त किया जाय । इस सम्बन्ध में जानूनी प्रक्रिया भी तय करली जाय।

(घ) उपरोक्त हस्तान्तरण के लिये यह शर्त होगी कि जिस व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण किया जाय वह उसी आयवर्ग का हो ताकि ब्याज दर तथा वित्त की राशि में फेर बदल की आवश्यकता न हो ।

(ङ) आवृत्त भ्रजन के प्रत्येक हस्तान्तरण पर निम्न लिखित राशि प्रशासनिक व्यय हेतु बोर्ड को देय होगी :-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग व अल्प आयवर्ग के लिए

रु 100/-

मध्यम आयवर्ग एवं उच्च आयवर्ग के लिए

रु 300/-

मोदीरा गरी

(15) Regulated

in the name

of the State

File No. 17/8

## (3) पंजीकृत व्यक्ति/आवंटी की मृत्यु पर हस्तान्तरण :

(2)

(क) पंजीकृत व्यक्ति एवं आवंटी की मृत्यु पर उसके प्रतिनिधि जिसको वह नामजद करें, के नाम हस्तान्तरण किया जा सकेगा। अतः नामजदगी को अनिवार्य कर दिया जाय।

(ग) जिस आवंटी अथवा पंजीकृत आवेदक ने अपने प्रतिनिधि का नाम नामजद व किया हो उसके अधिकार उसकी पत्नी, पुत्री, पुत्र, बाला, पिता जैसे जो भी उत्तराधिकारी हो को दिया जाय। इसके लिये वर्तमान प्रक्रिया जारी रखी जाय।

(ग) इसके अतिरिक्त यदि किसी आवेदक /आवंटी ने किसी का नाम नामजद नहीं किया है और न ही कोई निकटतम सम्बन्धी हो ऐसी स्थिति में हस्तान्तरण 'उत्तराधिकार प्रमाणपत्र' के आधार पर ही किया जाय।

(घ) मृत्यु पर हस्तान्तरण के लिये कोई राशि देय नहीं होगी।

## (4) संयुक्त पंजीकरण :

यदि कोई पंजीकृत आवेदक अथवा आवंटी अपने साथ अपने निकटतम सम्बन्धी का नाम भी संयुक्त रूप से अंकित कराना चाहे तो उसे उन सम्बन्धियों के लिये स्वीकार किया जाय जे हस्तान्तरण के लिये दर्जित किये गये हैं और उसमें उनकी सहमति है।

## 71-98 आवंटित मकान के प्रत्येक विनियम के सम्बन्ध में नीति निर्धारण :

(4)

(1) आवंटित मकान जो किराया द्रव्य पद्धति के अन्तर्गत है अथवा मकद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत हैं उन्हें दूहे हुए 7 वर्ष नहीं हुये है उनके विक्रय की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित नियमों का कार्य समिति आवंटन समिति की सौंपा जाय जिसमें मुख्य लेखा अधिकारी तथा जगूनी सलाहकार दो की भागीदारी किया जाये।

L.A.

- (2) निर्देशन :- वे आवंटियों द्वारा खेज से मकानों का पारस्परिक विनिर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी इनमें से प्रत्येक को मकान के प्राथमिक मूल्य का 1% अथवा 500 रुपये की राशि की छूट प्रदान की जायेगी प्रशासनिक व्यय हेतु बोर्ड को देय रहेगी ।

परीक्षण एवं आवंटन का हस्तान्तरण तथा मकानों के विनिर्माण सम्बन्धी निर्णयों के सभी अधिकार अध्यक्ष को दिये गये ।

आवंटित मकानों को किराये पर देने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण :-

आवंटित मकानों को किराये पर देने के सम्बन्ध में यह निश्चित किया गया है कि मकान किराये पर देने की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाये :-

- (1) ये शर्तें एक मुश्त नकद भुगतान पद्धति वाले आवंटियों पर लागू नहीं होंगी और केवल किराया रूप पद्धति वाले आवंटियों पर ही लागू होंगी जब तक कि उनका पूर्ण भुगतान न हो जाये ।
- (2) मकान के किरायेदार को बोर्ड द्वारा दिये गये पत्रों को आवंटित मकान पहुँचाने का उत्तरदायित्व लेना होगा तथा किरायेदार को दिये गए पत्र आवंटित को प्राप्त माने जायेंगे ।
- (3) मकान की किसी नया समय बना होती है यह देखने का उत्तरदायित्व को किरायेदार का होगा तथा मालिक मकान द्वारा किसी जमायगी में विलम्ब करने पर किरायेदार सम्पूर्ण किराये की राशि बोर्ड को जमा कराने हेतु बाध्य होगा ।
- (4) प्रत्येक बार नया किरायेदार रखते समय मालिक मकान को एक महीने के किराये के 25% की राशि बोर्ड को प्रशासनिक व्यय हेतु देनी पड़ेगी ।

निर्देशन  
71.10  
20/11/71  
को  
12/11/71  
71.9.71  
D.P.  
18/11/71

टिप्पणी :

उपरोक्त विन्दु संख्या 71-8, 71-9 एवं 71-10 के सम्बन्ध में कार्य प्रणाली एवं प्रयत्न तैयार करने के लिए उप समिति का गठन किया गया जिसमें आवासन बोर्ड के सचिव, मुख्य लेखाधिकारी तथा अन्य सदस्य होंगे। रेन्ट डीड का प्रयत्न भी इसी समिति द्वारा किया जायेगा।

71-11:

लागत एवं लेखा कार्य में स्थायीतर डिप्लोमा राखकर एवं जोधपुर निस्वावेध्यालय से उत्तीर्ण करने पर नवीकृत किये जाने हेतु।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से ऐसी जोरता वाले अधिकारियों की अधिक आवश्यकता नहीं है।

71-12:

विभिन्न धुद्वे बोर्ड की सूचनाएं एवं अनुशोधनायें।

(1) दिनांक 1-6-78 को हुई विस्तार समिति के निर्णय

(2) दिनांक 27-5-78 को हुई सम्पत्ति हस्तान्तरण समिति के निर्णय

उक्त दोनों विचार विन्दुओं का अनुशोधन किया गया।

(3) बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुशोधित प्रस्ताव को स्वीकृत टिप्पणी संख्या 12 के अनुसार दो गई जिसके अन्तर्गत हाउसिंग एवं अडजुस्टमेंट कारपोरेशन की शर्तों पर लेने हेतु बोर्ड को स्वीकृत प्रदान की गई तथा उक्त ञ के लिये लोन एडजुस्टमेंट पर हाउसिंग बोर्ड की धुद्वे से आवासन आयुक्त को हस्तान्तर करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

(4) 1-4-78 से 31-5-78 तक के आय एवं व्यय

(5) जून 78 तक विभिन्न योजनाओं की प्रगति



उक्त अरबन डवलपमेन्ट कारपोरेशन से वित्तौड के  
योजना हेतु प्र. 1

उक्त प्रस्ताव की स्वीकृत प्रदान की गई, जिसके अन्तर्गत हाउसिंग एवं  
अरबन डवलपमेन्ट कारपोरेशन से 12.98 लाख रु० की धनराशि के  
उक्त कारपोरेशन की शर्तों पर लेने हेतु बोर्ड की स्वीकृत प्रदान की  
गई तथा उक्त प्र. के लिये 'लोन एग्रीमेन्ट' पर राजधानी  
आवासन यण्डल की मुद्रा पर आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने  
हेतु अध्याज को अधिकृत किया गया ।

उक्त अरबन डवलपमेन्ट कारपोरेशन से लखनौ (अल्प आय एवं  
मध्यम आय वर्ग) योजना, भाग-III कोटा हेतु प्र. 1

उक्त प्रस्ताव की स्वीकृत प्रदान की गई जिसके अनुसार हाउसिंग एवं  
अरबन डवलपमेन्ट कारपोरेशन से 38.39 लाख रु० की धनराशि के  
उक्त कारपोरेशन की शर्तों पर लेने हेतु बोर्ड की स्वीकृत  
प्रदान की गई तथा उक्त प्र. के लिये 'लोन एग्रीमेन्ट' पर राजधानी  
आवासन यण्डल की मुद्रा पर आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने  
हेतु अध्याज को अधिकृत किया गया ।

उक्त अरबन डवलपमेन्ट कारपोरेशन से भरतपुर (भाग-II)  
योजना हेतु प्र. 1

उक्त प्रस्ताव की स्वीकृत प्रदान की गई जिसके अन्तर्गत हाउसिंग एवं  
अरबन डवलपमेन्ट कारपोरेशन से 14.11 लाख रु० की धनराशि के  
उक्त कारपोरेशन की शर्तों पर लेने हेतु बोर्ड की स्वीकृत  
प्रदान की गई तथा उक्त प्र. के लिये 'लोन एग्रीमेन्ट' एवं 'रोरगेज डीड'  
पर राजधानी आवासन यण्डल की मुद्रा पर आवासन आयुक्त की  
उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अध्याज को अधिकृत किया ।

Sample  
Recd

71-16:

राजस्थान आवासन बोर्ड कार्यकारिणी की जाँच पर विचार करने हेतु  
संविधि का गठन

आवासन मण्डल कार्यकारी संघ के सचिव कार्यकारिणी (राजस्थान आवासन  
मण्डल कार्यकारी संघ) की जाँच पर विचार करने के लिये बोर्ड की  
सचिव बैठक में एक कमेटी का गठन किया गया था। अब कमेटी  
पुनर्गठन की स्वीकृत प्रदान की गई जिससे निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- |    |                                    |         |
|----|------------------------------------|---------|
| 1) | श्री गोविन्दराव हुकसाणी            | अध्यक्ष |
| 2) | वित्तीय आयुक्त अथवा उनके प्रतिनिधि | सदस्य   |
| 3) | सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग  | सदस्य   |
| 4) | श्री अब्दुल कदूर अहतर              | सदस्य   |
| 5) | श्री जे० पी० अरोड़ा                | सदस्य   |
| 6) | आवासन आयुक्त                       | सदस्य   |
| 7) | बोर्ड के सचिव                      | सचिव    |

यही कमेटी बोर्ड के कार्यकारिणी कार्यकारिणी की जाँच पर विचार कर अपनी अलग रिपोर्ट से देगी।

71-17:

बोर्ड का 1976-77 का वार्षिक लेखा।

उक्त विचार विन्दु के अनुसार बोर्ड का वार्षिक लेखा 1976-77 का  
अनुमोदन किया गया।

बैलेन्सशीट पर टिप्पणी के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये :-

विन्दु सं०2: यह सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार को 'लिक्विडेट'   
नियुक्त करने हेतु लिखा जाय। ऐसी कार्यवाही राजस्थान   
राज्य औद्योगिक एवं उनिज विजल निगम के जहाँ से   
वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् की जाय।

विन्दु सं०3: वित्त सचिव की प्रत्येक बैठक में यह प्रमाणित किया   
जाये कि वेबों द्वारा क्लेकान सम्पत्ती पिलान कर लिया   
है।

निम्न सं04: भुगतान की जानकारी देते से जानकारी कर लेते कि क्या यह जानकारी है कि जब तक बैंक का भुगतान न हो जाय तब तक भुगतान के चालानों को रसीद नहीं दी जा सकती। साथ ही यह भी जानकारी करली जाय कि जिस बैंक का भुगतान नहीं हुआ है उसकी 'रिवर्स एन्ट्री' करदी जाय तथा जब उनका भुगतान हो जाय तो नये तौर से इन्द्राज किया जाये।

निम्न सं07: प्रतिभूतियों के रद्द करने की कार्यवाही ऐसे मामलों में की जाय जो काफी समय से विवादग्रस्त हो, ताकि जिस राशि का भुगतान हो रहा है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो।

वर्ष 1978-79 में 110.00 लाख रुपये के ऋण हेतु सुरक्षित ऋण पत्रों को प्रसारित करना।

बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि चालू वित्तीय वर्ष 1978-79 में 100.00 लाख रुपये की प्रतिभूतियों (डिबेन्चर्स) जारी कर सार्वजनिक ऋण प्राप्त किया जाय तथा इस राशि का 10% तक अधिक ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की, इस ऋण की निम्नलिखित शर्तें

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1) अवधि                               | 10 वर्ष           |
| 2) ब्याज                              | $6\frac{1}{2}\%$  |
| 3) जारी करने का क्रय-मूल्य            | 100.00%           |
| 4) 'ब्रोकरेज' और 'अंडर राइटिंग' कमीशन | 0.50 से अधिक नहीं |
| 5) दस्तावेज (ब्रोकरेज) मूल्य          | 0.12 पैसा         |
| 6) 'अंडर राइटिंग' कमीशन मूल्य         | 0.38 पैसा         |

इस ऋण के लिये राश्ट्रिय सरकार की गारन्टी होगी और उसके लिये बोर्ड सरकार को  $3/4\%$  की दर से गारन्टी कमीशन देना जो प्रतितीन माह बाद देय होगा। गारन्टी कमीशन राशि भुगतान की तिथि से। पहिले की अवधि में अदा की जायेगी। अदायगी की तिथि क्रमशः 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर

insert Remininder to C.A.D.

होगी । समय पर अदायगी न होने पर, इस कमीशन राशि पर  
अगली । तारीख से 15% बाण देय होगा ।

71-19:

2.5 करोड़ रुपये के ऋण की प्राप्ति ।  
=====

अध्यक्ष को 2.50 करोड़ रुपये तक धनराशि ऋण स्वयं विभिन्न बैंकों  
से प्राप्त करने हेतु वार्ता के लिए अधिकृत करते हुए निम्न प्रस्ताव  
पारित किया गया :-

चौ डी की यह बैठक बोर्ड के राजस्थान आवासन बोर्ड एक्ट  
1970 की धारा 44 के अन्तर्गत अध्यक्ष को विभिन्न बैंकों  
से 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि तक का ऋण प्राप्त करने  
हेतु उक्त बैंकों से वार्ता करने हेतु अधिकृत करती है। अध्यक्ष  
यहोदय उक्त बैंकों से प्राप्त ऋण के लिए गारन्टी हेतु राज्य  
सरकार से भी निवेदन करेंगे ।

71-20:

भूतपूर्व आवासन आयुक्त की सेवाओं की सराहना ।  
=====

श्री कैलाशचन्द्र मीतल, हाउसिंग जीवन्त दिनांक 30 जून '78 को  
सेवानिवृत्त हो गये हैं। बोर्ड ने श्री मीतल की सेवाओं की सराहना  
की एवं उनके भावी जीवन के सुखमय होने की कामना की।  
तत्पश्चात अध्यक्ष यहोदय को आधार प्रस्तुत करते हुए बैठक की  
कार्यवाही समाप्त की गई ।

(संकेतितप्रमाण व्यास)

सचिव

राजस्थान आवासन बोर्ड,

\*\*\*\*\*

20.11.21  
un and  
20.11.21

file sub.  
on 17/8/78  
letter issued to  
Shri K.C. Mittal  
vide No. 114

25/8/78

ॐ

सर्व

सर्व

सर्व

व

सर्व

सर्व

सर्व

सर्व

सर्व

सर्व सुखोदय निम्न

बिन्दु 71.8 के 2॥ग॥ में "भाई" के स्थान पर "भाई/बहन" पटा जाय  
तथा बिन्दु 71.8 के 2॥घ॥ के नीचे "यह परिवर्तन आवंटन की मूल शर्त 72.6  
के अन्तर्गत हो संभव होंगे" वाक्य जोड़ा जाय ।

72.2 बोर्ड की 71 वी बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति की रिपोर्ट ।  
=====

प्रगति विवरण का अवलोकन किया गया ।

72.3 बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव टिप्पणी सं० 13॥ राजस्थान 72.7  
4==== के विभिन्न नगरों हेतु सामान्य पंजीकरण योजना 1978॥  
=====

बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव ॥टिप्पणी सं० 13॥ राजस्थान 72.8:  
के विभिन्न नगरों हेतु सामान्य पंजीकरण योजना 1978 प्रस्ताव अनुमोदित  
किया गया । ये पंजीकरण अस्थायी रूप से माँग के सर्वेक्षण की दृष्टि से वि  
जायेंगे । निर्माण सम्बन्धी पंच वर्षीय योजना की प्रतियाँ शीघ्र ही  
आवासन बोर्ड के सदस्यों के सूचनार्थ भेजी जाय । जिन जिन नगरों का  
सर्वेक्षण हो गया है उस के प्रतिवेदन भी सदस्यों को भेजे जायें ।

72.4 पंजीकृत आवेदकों से बीज पूँजी ॥ SEED MONEY ॥ प्राप्त करने की  
4==== योजना ।  
=====

बोर्ड ने प्रस्तावित योजना को लागू करना स्वीकार किया तथा ऐसा  
सुझाव दिया कि पंजीकरण राशि और दो पूर्व ग्रहण राशि की  
किश्तें लगभग समान रखी जाय । पंजीकरण राशि लगभग 10 प्रतिशत  
रखी जाय ।

72.5 पंजीकृत आवेदकों की श्रेणी में परिवर्तन करने के विकल्प पर राय ।  
=====

रेजेन्डा टिप्पणी में वर्णित प्रस्ताव स्वीकार किया गया । इसके अन्तर्गत  
भी पंजीकृत आवेदक को उसकी आय वर्ग के लिये सुरक्षित मकान के अतिरिक्त  
मकान नहीं दिया जायेगा ।

2.6 आवंटन लाटरी कार्यक्रम में परिवर्तन:

बोर्ड की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वर्ष में दो बार अप्रैल और अक्टूबर में लाटरी खोली जाती है किन्तु इस व्यवस्था के अन्तर्गत मकान खाली पड़े रहते हैं अतएव यह स्वीकार किया गया कि भविष्य में छिवोजनवार एवं स्कीमवार लाटरी जब जब आवश्यकता हो खोली जाये।

2.7: 1976 के नये वेतनमान से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के संबंध में।

इस बिन्दु पर भविष्य में विचार किया जायेगा।

2.8: कर्मचारियों के माँगपत्र के सम्बन्ध में कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों पर विचार।

बोर्ड के समक्ष कर्मचारियों की माँगों पर विचार करने के लिये गठित समिति की सिफारिशों के तथ्य प्रस्तुत किये गये और यह बताया गया कि जब उक्त माँगों पर कर्मचारियों से वार्ता की जा रही थी - कर्मचारियों ने दिनांक 21-9-78 से हड़ताल कर दी और इस प्रकार वार्ता का वातावरण नहीं रहा बोर्ड ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये :-

- 1- कर्मचारों पहले अपनी हड़ताल वापस लें। तब तक कर्मचारियों से किसी प्रकार की वार्ता न की जाये।
- 2- जनहित के विरुद्ध कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता न दी जाये।

2.9: विज्ञापनों की स्वीकृति:

कॉमर्श पत्रिका को 900/- रुपये के सजावटी विज्ञापन की स्वीकृति प्रदान की गई।

2.10: बीकानेर के 71 मकान जो आयुक्त क्षेत्रीय विकास को आवंटित होने थे उनमें 42 अन्य आवंटकों को दिये जाने के सम्बन्ध में।

बीकानेर के 71 मकान जो क्षेत्रीय विकास आयुक्त को आवंटित होने थे,

उनमें से 42 प्रकान विशेष लाटरो द्वारा आवंटित किये जाने का अनुमोदन किया गया । इसको सूचना क्षेत्रीय विकास आयुक्त को दे दी जाये ।

72.11: बोर्ड के प्रोवीडेन्ट फण्ड के लिए न्यास मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति  
=====

राजस्थान आवासन बोर्ड प्रोवीडेन्ट फण्ड नियम 1974 के अन्तर्गत गठित ट्रस्ट में आवासन बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ आवासन एवं बोर्ड के सचिव को मनोनीत किया गया । उक्त ट्रस्ट के सचिव, मुख्य लेखाधिकारी, शोध ही कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के चुनाव भी कराये ।

72.12: बोर्ड की सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ:-  
=====

दिनांक 8-8-78 को सम्पन्न हुई सम्पत्ति आवंटन समिति के निर्णय।  
दिनांक 8-8-78 को सम्पन्न हुई सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

72.13: अनुपूरक प्रस्ताव :- सरकारी व अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं में कार्यरत  
===== कर्मचारियों को ब्याज से छूट ।  
=====

यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है।

तत्पश्चात्



CAI

2.14: 2.5 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति ।

बिन्दु सं० 72.14 इण्डियन ओवरसोज बैंक से मालवीय नगर जयपुर योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा अल्प आयवर्ग के मकानों के लिए ऋण हेतु उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 44 के अन्तर्गत मालवीय नगर जयपुर योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा अल्प आयवर्ग के मकानों के लिए इण्डियन ओवरसोज बैंक से उनके पत्र दिनांक 4-9-78 के अनुसार 52.55 लाख रुपये की राशि के ऋण 10 वर्ष की अवधि के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर प्राप्त करने के लिए, बोर्ड की स्वीकृति प्रदान की गई।

तदनुसार ऋण लेने के लिए राज्य सरकार को अनुमति प्राप्त करने, उक्त अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत ऋण राशि एवं उस पर ब्याज के भुगतान करने हेतु राज्य सरकार की गारण्टी प्राप्त करने एवं ऋण राशि के तत्सम्बन्धी दस्तावेज अर्थात् लोन एग्री. एवं "मोर्गेंज-डीड" आदि पर आवासन आयुक्त की उपस्थिति में राजस्थान आवासन मण्डल की मुद्रा पर हस्ताक्षर करने हेतु, मण्डल के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

श्रयात अध्यक्ष महोदय की धन्यवाद देते हुए बैठक को कार्यवाही समाप्त हुई।

॥ गणेश ॥

॥ गणेश नारायण व्यास ॥

सचिव

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर ।

राजस्थान आवासन बोर्ड को दिनांक 4-10-78  
को हुई 73 वी बैठक के निर्णय ।  
=====

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

|    |                                              |         |
|----|----------------------------------------------|---------|
| 1- | श्री गोविन्दराम हुक्माणी                     | अध्यक्ष |
| 2- | श्री नरेन्द्र सिंह लिखारो                    | सदस्य   |
| 3- | श्री रामनारायण विशनीई                        | सदस्य   |
| 4- | श्री अब्दुल कयूम अख्तर                       | सदस्य   |
| 5- | श्री मंगल बिहारो, वित्तोय आयुक्त             | सदस्य   |
| 6- | श्री औंकारसिंह, नगरोय विकास एवं आवासन आयुक्त | सदस्य   |
| 7- | श्री रमेशचन्द्र पंचार्या, आवासन आयुक्त       | सदस्य   |

श्री जे० पी० अरोड़ा एवं श्री मोहन मेघवाल को अनुपस्थिति को स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री गणेशनारायण व्यास सचिव एवं श्री डी०आर०जैन मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थे।

73.1    बोर्ड को 72 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।  
=====

बोर्ड को 72 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

73.2    बोर्ड के नियमित कर्मचारियों की माँगों के सम्बन्ध में निर्णय ।  
=====

बोर्ड के कर्मचारियों की माँगों पर विचार करने हेतु गठित उप-समिति को दिनांक 18-9-78 तथा 30-9-78 की बैठकों के निर्णयों व उनमें स्वीकृत संशोधनों को स्वीकार किया गया ।

73.3    बोर्ड के वर्कचार्ज कर्मचारियों की माँगों के सम्बन्ध में निर्णय ।  
=====

बोर्ड के वर्कचार्ज कर्मचारियों की माँगों के सम्बन्ध में विचार करने हेतु गठित समिति को दिनांक 26-9-78 की सिफारिशों को स्वीकार किया गया ।

73.4    कर्मचारियों को अनुपस्थिति की अवधि में वेतन के सम्बन्ध में निर्णय ।  
=====

"न कार्य न वेतन" के सिद्धान्त को मानते हुए यह तय किया गया कि बोर्ड के कर्मचारों को दिनांक 21-9-78 से 30-9-78 तक हस्तात पर था, उनको अनुपस्थिति की अवधि की उम्मीद उपाजित अवकाश में

समन्वित को जाय । जिन कर्मचारियों का उपार्जित अवकाश बकाया बैठक में निम्नलिखित, वह अवधि उनके भविष्य में अर्जित किये जाने वाले अवकाश में समन्वित जाय ।

73.5  
=====

तलवंडी योजना के लिए हुडको से ऋण प्राप्त करने को स्वीकृति ।

उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके अन्तर्गत हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन से 89.82 लाख तक की धराशि के ऋण उक्त कारपोरेशन को शर्तों पर ले ने हेतु बोर्ड को स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त ऋण के लिए लोन एग्रीमेन्ट एवं मोरगेंज डीड पर राजस्थान आवासन मण्डल को मुद्रा पर आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।

अन्य प्रस्ताव :  
=====

1- बोर्ड के समक्ष बोर्ड के व्यय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत चारू वित्तीय वर्ष में 238.95 लाख रुपये का व्यय हुआ है, ज इस वर्ष 904.60 लाख रुपये व्यय करने का लक्ष्य है।

बोर्ड ने निर्देश दिये कि भविष्य में वित्तीय वसूली की स्थिति का वि भी प्रस्तुत किया जाय । निर्माण कार्य का डिवोजनवार विवरण भी प्रस्तुत किया जाय ।

2- सदस्यों ने यह राय व्यक्त की कि बोर्ड में वाहनों की कमी है अतः इस मद में उपयुक्त प्रावधान किया जाय जिससे आवश्यकतानुसार वाहन खरीदे जा सकें ।

तत्पश्चात अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बोर्ड की बैठक समाप्त की गई ।

गणेश्वरारायण व्यास

सचिव

- 1- श्री गोविन्दरा
  - 2- श्री नरेन्द्र सिंह
  - 3- श्री रामनाराय
  - 4- श्री अब्दुल कयूम
  - 5- श्री मंगल बिहारी
  - 6- श्री आँकारसिंह
  - 7- श्री रमेशचन्द्र
- श्री जे० पी० अरोड़ा को गई।

श्री गणेश्वरारायण व्यास

73.1  
=====

बोर्ड को  
बोर्ड की

73.2  
=====

बोर्ड के वि  
बोर्ड के वि  
को दिन  
स्वीकृत

73.3  
=====

बोर्ड के  
बोर्ड के

73.4  
=====

कर्मचारि  
" न क  
बोर्ड के  
धो ,

5

राजस्थान आवासन बोर्ड को दिनांक 4-12-78 को हुई 74 वी बैठक के निर्णय

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

- |     |                                                                |         |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|
| 1-  | श्री गोविन्दराम हुक्माणी                                       | अध्यक्ष |
| 2-  | श्री नरेन्द्र सिंह लिखारों                                     | सदस्य   |
| 3-  | श्री रामनारायण विश्नोई                                         | सदस्य   |
| 4-  | श्री अब्दुल कयूम अन्तर                                         | सदस्य   |
| 5-  | श्री लक्ष्मोनारायण / शासन सचिव, नगरोप विकास एवं<br>आवासन विभाग | सदस्य   |
| 6-  | श्री बो० कैम्बो, मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुशिल्प<br>सलाहकार   | सदस्य   |
| 7-  | श्री सत्यनारायण पारोक                                          | सदस्य   |
| 8-  | श्री जे० पो० अरोडा                                             | सदस्य   |
| 9-  | श्री मोहन मेधवाल                                               | सदस्य   |
| 10- | श्री रमेश चन्द्र पंचार्या, आवासन आयुक्त                        | सदस्य   |

श्री गणेश नारायण व्यास, सचिव एवं श्री डो० आर० जैन, मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन बोर्ड भी उपस्थित थे।

श्री मंगल बिहारी, वित्तीय आयुक्त को अनुपस्थिति को स्वीकृति प्रदान की गई।

74.1 बोर्ड को 73 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन।

बोर्ड को 73 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

74.2 बोर्ड को 72 वी एवं 73 वी बैठक के निर्णयों को क्रियान्विति।

बोर्ड को 72 वी एवं 73 वी बैठक के निर्णयों को क्रियान्विति की जानकारी बोर्ड को दी गई। निर्णय क्रमांक 72.6 के सम्बन्ध में यह अतिरिक्त सूचना भी दी गई कि आवंटन लाटरों के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है और कार्यकम बना लिया है।

72.10 के निर्णय के सम्बन्ध में बोर्ड ने यह स्वीकार किया कि यहाँ  
में अतिरिक्त मकान उपलब्ध हों और क्षेत्रीय विकास आयुक्त को उनकी  
आवश्यकता हो तथा उनके पास इस निमित्त धनराशि उपलब्ध हो तो  
उपलब्धि के अनुसार उन्हें दे दिये जायें ।

74.6

74.3 स्टेपिंग आफ पे-स्केल §1976 के नये वेतनमान से उत्तमन विसंगति  
दूर करने के संबंध में ।

वेतन-मानों के पुनर्निर्धारण के राज्य सरकार के आदेश क्रमांक  
एफ0डो0/ई.एस0पो-रूल्स/67 दिनांक 28-4-69 के अनुसार  
गये प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा यह भी स्वीकार कि  
उक्त विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार के  
अन्तर्गत लिये गये निर्णयों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा ।

74.4 बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव सं0 14 का अनुमोदन

भरतपुर योजना भाग-2 के ऋण प्राप्त करने हेतु बोर्ड के अनुक्रमानुसार  
अनुमोदित प्रस्ताव टिप्पणी संख्या 14 को स्वीकृति दी गई जिससे  
उक्त योजना के लिये अनुक्रमों में प्रस्तावित जवाहरनगर योजना  
के अन्तर्गत बने एल-2 टाईप के 78 मकानों को मॉरगेज करके  
स्वीकृति प्रदान की गई । बंधक डोड पर राजस्थान आवासन  
मुद्रा से आवासन आयुक्त को उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु  
अधिकृत किया गया ।

74.7

74.5 बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव सं0-15 का अनुमोदन

हिरन मगरी आवासन योजना खण्ड-III , सेक्टर-5, उदयपुर  
लाख रुपये का ऋण लेने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई । यह ऋण  
15 के अन्तर्गत हाउसिंग एवं अरबन डवलपमेन्ट का ऋण  
स्वीकृति प्रदान की गई । उक्त ऋण के लिये लोन एग्रीमेंट

आवासन मण्डल को, मुद्रा से आवासन आयुक्त को उपस्थिति में हस्तांतर करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

74.6 बोर्ड के त्यौहार अग्रिम राशि से संबंधित नियमों में संशोधन कर वर्कचार्ज कर्मचारियों को उक्त नियमों के अन्तर्गत सुविधा को स्वीकृति।

बोर्ड के रैगुलर वर्कचार्ज कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम दिये जाने के संबंध में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड फेस्टिवल एडवान्स रैगुलेशन 1972 में निम्न संशोधन करने को अनुमति प्रदान की गई। इस संशोधन के लिये नियमानुसार राज्य सरकार को स्वीकृति प्राप्त की जाये।

1) A sub para (b) may be added to regulation (1) after substituting it as (1)(a) as under :-

"The Festival Advance shall also be payable to Work charged employees who have been made 'regular' under regulation 3(9) of the Rajasthan Housing Board work charged service Regulations, 1977."

2) Regulation No. 2 shall be substituted by following:-

"The amount of advance shall be Rs. 150/- to employees other than work charge employees to whom Rs. 100.00 shall be admissible on one occasion in a Calendar year."

उक्त संशोधन एवं बोर्ड को स्वीकृति को प्रत्यासा में बोर्ड के रैगुलर वर्कचार्ज कर्मचारियों को जो दोषावली अग्रिम का भुगतान किया गया उसका अनुमोदन किया गया।

74.7 विज्ञापन व्यय को स्वीकृति।

नवीन भर्ती के सम्बन्ध में राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 27-10-78 में प्रकाशित विज्ञापन के लिये ₹ 1286.40 पैसे को स्वीकृति प्रदान की गई।

आवासन मण्डल को, मुद्रा से आवासन आयुक्त को उपस्थिति में हस्तांतर करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।

74.6

बोर्ड के त्यौहार अग्रिम राशि से संबंधित नियमों में संशोधन कर वर्कचार्ज कर्मचारियों को उक्त नियमों के अन्तर्गत सुविधा को स्वोक्ति ।

बोर्ड के रैगुलर वर्कचार्ज कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम दिये जाने के संबंध में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड फेस्टिवल एडवान्स रैगुलेशन 1972 में निम्न संशोधन करने को अनुमति प्रदान की गई। इस संशोधन के लिये नियमानुसार राज्य सरकार को स्वोक्ति प्राप्त की जाये ।

1) A sub para (b) may be added to regulation (1) after substituting it as (1)(a) as under :-

"The Festival Advance shall also be payable to work charged employees who have been made 'regular' under regulation 3(9) of the Rajasthan Housing Board work charged service Regulations, 1977."

2) Regulation No. 2 shall be substituted by following:-

"The amount of advance shall be Rs. 150/- to employees other than work charge employees to whom Rs. 100.00 shall be admissible on one occasion in a Calendar year."

उक्त संशोधन एवं बोर्ड को स्वोक्ति को प्रत्यासा में बोर्ड के रैगुलर वर्कचार्ज कर्मचारियों को जो दोपावली अग्रिम का भुगतान किया गया उसका अनुमोदन किया गया ।

74.7

विज्ञापन व्यय को स्वोक्ति ।

नवीन शर्तों के सम्बन्ध में राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 27-10-78 में प्रकाशित विज्ञापन के लिये ₹ 1286.40 पैसे को स्वोक्ति प्रदान की गई ।

74.8 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारों का अनाज अग्रिम नियमों में संशोधन

राजस्थान आवासन बोर्ड ग्रेन एडवान्स 1971 में राज्य सरकार के द्वारा  
में निर्णय संख्या एफ-63/एफ.डो. रुल्स/70 दिनांक 30 मार्च, 1977  
एफ-63/एफ.डो./जो.आर.-2/70 दिनांक 19 अप्रैल 1978 के आधार  
प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार किया।

- 1) The Food Grain Advance shall be admissible to the employees of the Board including deputationists in receipt of the pay not exceeding Rs. 950/-.
- 2) The amount of advance shall be equal to one month's salary of the employee subject to a minimum of Rs. 250/- and a maximum of Rs. 400/-.
- 3) Simple interest @ 9½ % p.a. shall be charged on the amount of advance.
- 4) The amount of the advance together with interest thereon shall be recoverable in 8 monthly instalments.
- 5) An employee who is granted advance for the purchase of food grain in term of amended regulation is exempted from the production of receipt for purchase of food grain as required under clause (a) of Sub-Clause (3) of Rule 1. He shall, however give the following certificate :-

"I \_\_\_\_\_ certify that I have purchased \_\_\_\_\_ Food Grain for the full amount of Rs. \_\_\_\_\_ to me as Food Grain Advance.

74.9 राज्य सरकार से उक्त संशोधन को स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।  
हुडको से विज्ञान नगर कोटा के उच्च आय वर्ग के मकानों के लिए ऋण।

विज्ञान नगर योजना कोटा में उच्च आय वर्ग के मकानों के निर्माण  
लाख रुपयों के ऋण हाउसिंग एण्ड अरबन डवलपमेन्ट कारपोरेशन  
तथा उक्त ऋण लेने के लिए लोन एग्रीमेन्ट तथा मोरगुज  
आवासन बोर्ड को मुद्रा से आवासन आयुक्त को उपस्थित  
करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

10 हुडको  
बना

प्रता  
रूपरे  
उक्त  
मुद्रा  
को

11 पूर्व

नेशन  
रमा  
गई  
वो.

4.12 पाठ  
का

पाठ

अधि

रार्ति

धर्म

जाने

सभी

स्वो



हुडको से प्रताप नगर कम्पोजिट हाउसिंग स्कोम जोधपुर में मकान बनाने की योजना के लिए ।

प्रताप नगर जोधपुर को संयुक्त योजना हेतु हुडको से 19.47 लाख रुपये के रूप में हुडको को शर्तों पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गई । उक्त रूप के लिये लोन एग्रीमेंट पर राजस्थान आवासन बोर्ड को मुद्रा से आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।

11. पूर्व प्रसारित विज्ञापनों की स्वीकृति ।

नेशनल इंटर स्टेट बैडमिंटन चैम्पियनशिप जोधपुर बैडमिंटन एसोसिएशन स्मारिका को 1000/- रुपये का विज्ञापन देने की स्वीकृति प्रदान की गई । भारतीय मजदूर संघ को स्मारिका के लिये स्वीकृति बोर्ड को 70 वो. बैठक में हो दो जा चुकी है ।

12. पाठशालाओं की भूमि/भवन आवंटन करने हेतु गठित समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार ।

पाठशालाओं के लिये भूमि/भवन आवंटित करने हेतु गठित समिति के अधिकार क्षेत्र में विस्तार - उक्त समिति के अधिकार क्षेत्र में अनुसंगी राशि एन्सोलरो सर्विस चार्ज के उपयोग अथवा कम्प्यूनिटो सेंटर, धर्मशाला तथा अन्य सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यों के लिये भूमि दिये जाने की सम्मिलित करना आवश्यक नहीं समझा गया । इस प्रकार के सभी प्रस्ताव प्रोजेक्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जायें तथा अन्तिम स्वीकृति हेतु बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त की जाये ।

74.13 चोपासनो रोड रकोम जोधपुर के द्वितीय चरण हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने को स्वोक्ति ।

चोपासनो रोड चरण द्वितीय जोधपुर, को संयुक्त आवासोय योजना 35.12 लाख रुपये ऋण हुडको से प्राप्त करने को स्वोक्ति हुडको को शर्तों पर प्रदान को गई और लोन एग्रीमेन्ट पर राजस्थान आवासन बोर्ड को मुद्रा से आवासन आयुक्त को उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।

74.17

74.14 मधुवन योजना जोधपुर के द्वितीय चरण हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने को स्वोक्ति ।

जोधपुर को मधुवन योजना के चरण द्वितीय को संयुक्त आवासन के लिये 81.66 लाख रुपये के ऋण हुडको को शर्तों पर प्राप्त करने को स्वोक्ति प्रदान को गई। इस ऋण हेतु लोन एग्रीमेन्ट पर राजस्थान आवासन बोर्ड को मुद्रा से आवासन आयुक्त को उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।

4.18

74.15 पालो को आवासोय योजना के तृतीय चरण हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने को स्वोक्ति ।

पालो को आवासोय योजना के चरण तृतीय हेतु 60.99 लाख रुपये का ऋण हुडको को शर्तों पर लेने को स्वोक्ति प्रदान को गई तथा अध्यक्ष महोदय को उक्त ऋण हेतु लोन एग्रीमेन्ट पर राजस्थान आवासन बोर्ड को मुद्रा से आवासन आयुक्त को उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु स्वोक्ति प्रदान को गई ।

19

74.16 रामचन्द्रपुरा कोटा को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गीय क्षेत्रों को हुडको से ऋण प्राप्त करने को स्वोक्ति ।

रामचन्द्रपुरा कोटा में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गीय क्षेत्रों को आवासन योजना हेतु 6.08 लाख रुपये ऋण हुडको को शर्तों पर प्राप्त करने को स्वोक्ति प्रदान को गई ।

ऋण के

बोर्ड

हेतु अ

प्रदान की गई। इस ऋण हेतु लोन एग्रीमेन्ट पर राजस्थान आवासन बोर्ड को मुद्रा से आवासन आयुक्त को उपस्थिति में हस्ताक्षर हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

74.17

केशवपुरा कोटा को आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयुक्त योजना हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने को स्वोक्ति।

केशवपुरा, कोटा में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयुक्त को आवासोय योजना हेतु 15.87 लाख रुपये ऋण हुडको को शर्तों पर लेने को स्वोक्ति प्रदान की गई। तथा लोन एग्रीमेन्ट पर राजस्थान आवासन मण्डल को मुद्रा से आवासन आयुक्त को उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

4.18

श्री गंगानगर में कम्पोजिट आवासोय योजना हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने को स्वोक्ति।

श्री गंगानगर में कम्पोजिट आवासोय योजना हेतु 74.78 लाख रुपये ऋण हुडको को शर्तों पर लेने को स्वोक्ति प्रदान की गई तथा उक्त ऋण के लिये लोन एग्रीमेन्ट पर राजस्थान आवासन मण्डल को मुद्रा से आवासन आयुक्त को उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

74.19

हिरन मगरी सेक्टर 4 चरण प्रथम, उदयपुर योजना हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने को स्वोक्ति।

हिरन मगरी सेक्टर 4 चरण प्रथम, उदयपुर योजना हेतु 22.25 लाख रुपये ऋण हुडको को शर्तों पर लेने को स्वोक्ति प्रदान की गई। उक्त ऋण के लिये लोन एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर करने हेतु राजस्थान आवासन बोर्ड को मुद्रा से आवासन आयुक्त को उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

74.20

पुनाईटेड कॉमर्शियल बैंक से आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के मकानों हेतु 150 लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने को स्वीकृति ।

बोर्ड ने अपनी 71 वी बैठक में अध्यक्ष को विभिन्न बैंकों से 250 रुपये ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया था - इसी संदर्भ में यू0 को0 बैंक से 150 लाख रुपये के ऋण को स्वीकृति प्रदान की गई। ए.डो./सो.आर.ए./78/2536 दिनांक 12-11-78 द्वारा जो उसके अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण प्राप्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई, तथा अध्यक्ष को उक्त ऋण के लिए आवश्यक आदि पर हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

74.21

बोर्ड को सूचनार्थ एवं स्वीकृति हेतु ।

1- राजस्थान आवासन बोर्ड के प्रशासनिक व्यय का व्ययरा बोर्ड को जानकारी हेतु बोर्ड के समक्ष प्रशासनिक एवं अन्य विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार निम्नलिखित व्यय 15 लाख तथा प्रशासनिक मद पर 25.67 लाख अक्टूबर 1978 में हुआ बताया गया ।

74.22

झालावाड, रामगंजमण्डो, एवं रावतभाटा में सामान्य पंजीकरण 1978 प्रारंभ करने हेतु ।

बोर्ड ने झालावाड, रामगंजमण्डो व रावतभाटा में सामान्य पंजीकरण के निर्धारण हेतु सामान्य पंजीकरण योजना नये रजिस्ट्रार के प्रारंभ करने को स्वीकृति प्रदान की ।

74.23

बोर्ड को बकाया धराशि तथा वसूली का विवरण प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया तथा यह निर्देश दिये गये कि वसूली को बढ़ाई जाये ।

बोर्ड के समक्ष विभिन्न निर्माण कार्यों को रिपोर्ट प्रस्तुत की अवलोकन किया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए कार्यवाही समाप्त की गई।

बोर्ड क  
भो दो  
और का

1. बोर्ड के  
सचिव

राजस्थान आवासन बोर्ड की दिनांक 4-4-79  
की सम्पन्न हुई 76 वी बैठक के निर्णय ।  
=====

निम्नलिखित उपस्थित हुए :-

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| श्री गोविन्दराम हुकमाणी                                        | अध्यक्ष |
| श्री औंकार सिंह, आयुक्त नगरीय विकास एवं<br>आवासन विभाग ।       | सदस्य   |
| श्री बी० कैम्बो, मुख्य नगर नियोजक एवं<br>वास्तुशिल्प सलाहकार । | सदस्य   |
| श्री मोहन मेघवाल                                               | सदस्य   |
| श्री अब्दुल कयूम अन्तर                                         | सदस्य   |
| श्री सत्यनारायण पारीक                                          | सदस्य   |
| श्री जे० पी० अरोडा                                             | सदस्य   |
| श्री अखेराज, आवासन आयुक्त                                      | सदस्य   |

डी०आर०जेन सचिव/मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थे ।

सहायक निरीक्षक, वित्तीय आयुक्त, श्री नरेन्द्र सिंह तिलारी एवं श्री रामनारायण  
की अनुमतिस्वीकृति प्रदान की गई ।

मण्डल की 75 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।  
=====

बोर्ड की 75 वी बैठक के निर्णयों का विचार बिन्दु सं० 75.4 में  
प्रस्तावित शर्तों के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

बोर्ड की 75 वी बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।  
=====

बोर्ड की 75 वी बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की रिपोर्ट  
का बोर्ड ने अवलोकन किया व विचार विमर्श के बाद निम्न पैरों पर  
निर्णय लिया :-

75.21 मण्डल को प्रेषित की जाने वाली सूचनाएँ ।

सचिव द्वारा प्रबन्ध सूचना का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया, बोर्ड की राय थी कि इस प्रारूप का पुनर्विचार करना आवश्यक भविष्य में ऐसे बिन्दु जिन पर कार्यवाही करने में बाधा प्रस्तुत हो रही हो तथा जो लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सके, उनका विवरण मुख्यरूप से अंकित किया जाय ।

75.23 हुडको से ऋण प्राप्त कर राज्य सरकार के लिये कार्यवाही आवासों का निर्माण ॥ मिनी सेक्टेक्टर के लिये ॥

राज्य सरकार के लिये कार्यवाहियों के निर्माण के विस्तृत विचार करके यह राय दी कि ऐसे कार्यों को हाथ में लेने के पूर्व जाँच करके यह देखा जाय कि कार्य द्वारा आवासन योजनाओं को हाथ में लेने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी तथा क्या राज्य सरकार समय-समय पर हुडको को देनी होगी उसका भुगतान यदि नहीं प्राप्त होता तो उससे बोर्ड के कार्य में असंतुलन व आर्थिक कठिनाई नहीं होगी। इस दृष्टि से इस मुद्दे की पुनः जाँच बोर्ड के सामने अगली बैठक में यह मामला पुनः रख

76.3 आनासागर रोड योजना ॥ तृतीय चरण ॥ की कम्पोजिट आवास हेतु हुडको से ऋण ।

आनासागर रोड योजना, तृतीय चरण, अजमेर में कम्पोजिट योजना हेतु 34.21 लाख रु० का ऋण हुडको की स्वीकृति पर अध्यक्ष महोदय को उक्त ऋण हेतु एग्रीमेन्ट पर राजस्व आ

की मुद्रा से आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

दादाबाडी की अतिरिक्त कोटा, द्वितीय चरण की आयवर्ग की आवासीय योजना हेतु हुडको से ऋण ।

दादाबाडी , द्वितीय चरण, कोटा: उच्च आयवर्ग की अतिरिक्त आवासीय योजना हेतु 22.64 लाख रु० का ऋण हुडको की शर्तों पर लेने तथा अध्यक्ष महोदय को उक्त ऋण हेतु एग्रीमेन्ट पर राजस्थान आवासन मण्डल की मुद्रा से आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया ।

नागनीचीजी मध्यम आयवर्ग योजना भाग तृतीय बीकानेर के लिए आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों को बंधक रख कर हुडको से ऋण प्राप्त करना

नागनीचीजी मध्यम आयवर्ग योजना भाग तृतीय बीकानेर की आवासीय योजना के लिए ऋण हेतु नागनीचीजी योजना बीकानेर के 221 मकान १ गोंडीगृह के 44 जोड जनता आयवर्ग के 100 जोड अल्प आयवर्ग के 10 मकान ॥ जिनकी कुल कीमत 20,73,101/- रु० है , को बंधक रखने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा अध्यक्ष महोदय को "बंधक डीड" पर आवासन मण्डल की मुद्रा से आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया ।

दादाबाडी कोटा की अतिरिक्त उच्च आयवर्ग की आवासीय योजना भाग तृतीय; आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों को बंधक रख कर हुडको से ऋण प्राप्त करना ।

दादाबाडी कोटा की अतिरिक्त उच्च आयवर्ग योजना भाग तृतीय के लिए ऋण हेतु इन्स्ट्रुमेंटेशन कोटा 94 मकान जिनकी कुल कीमत 30,11,598 रु०

को बंधक रखने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा अध्यक्ष महोदय को बंधक डीड पर आवासन मण्डल की मुद्रा से आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया ।

76.7

बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव सं० 18 का अनुमोदन

अनुमोदन किया गया । कम्पोजिट आवासन योजना, खण्ड प्रथम, के लिये 64.23 लाख रुपये का ऋण हुडको की शर्तों पर लेने की तथा उक्त योजना की स्वीकृति अनुक्रमानुसार प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय को उक्त ऋण के लिये लोन एग्रीमेन्ट पर राजस्थान आवासन मण्डल की मुद्रा से आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया ।

76.8

बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव संख्या 19 का अनुमोदन

अनुमोदन किया गया । कम्पोजिट आवासन योजना महावीर नगर भाग खण्ड प्रथम कोटा के लिये 144.35 लाख रु० का ऋण हुडको की शर्तों पर लेने की तथा उक्त योजना की स्वीकृति अनुक्रमानुसार संख्या 19 द्वारा प्रदान की गई । अध्यक्ष महोदय को उक्त ऋण के लिए लोन एग्रीमेन्ट पर राजस्थान आवासन मण्डल की मुद्रा से आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया ।

76.9

बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव सं० 20 का अनुमोदन

अनुमोदन किया गया । कम्पोजिट आवासन योजना बून्दी के लिये 68.55 लाख रुपये का ऋण हुडको की शर्तों पर लेने की उक्त योजना की स्वीकृति अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव सं० 20 द्वारा प्रदान की गई । अध्यक्ष महोदय को उक्त ऋण के लिये लोन एग्रीमेन्ट पर राजस्थान आवासन मण्डल की मुद्रा से आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया ।



पर राजस्थान आवासन मण्डल की मुद्रा से आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया।

बोर्ड के कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने हेतु सहायक कार्मिक अधिकारियों के स्थान पर कार्मिक अधिकारी के पद का सृजन।

कार्मिक अधिकारी के पद की भर्ती मार्केट से सीधी भर्ती की जाय या किसी अधिकारी को राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जाय इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इस बात पर भी काफी बहस रही कि उक्त पद पर वरिष्ठ वेतन श्रृंखला का अधिकारी लाना उपयुक्त होगा या साधारण वेतन श्रृंखला का। यह भी मत प्रकट किया गया कि क्या श्रम विभाग से अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लाना उचित होगा। अन्ततः यह निर्णय लिया गया कि इस पद की वेतन श्रृंखला 1100-1600 स्वीकृत की जाती है। इस पद पर सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति पर किसी योग्य अधिकारी को लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

प्रति हजार रुपये की सीमा तक मण्डल कार्यालय हेतु कार्यालय सामग्री, फर्निचर, स्टेशनरी एवं मुद्रण सामग्री आदि क्रय करने हेतु स्थाई समिति की नियुक्ति।

इस बिन्दु के सम्बन्ध में वर्तमान नियमों तथा शक्तियों का विश्लेषण कर अगली बैठक में विस्तृत विवरण विचारार्थ रखा जाय।

12

मालवीय नगर आवासीय योजना जयपुर में भूमि की बढ़ी कीमत की उच्च व मध्यम आयवर्ग के भवनों में मुनाफा लगाकर पूरा करने हेतु व भूमि की डवलपमेन्ट की दर इस योजना में निर्धारण हेतु।

बोर्ड ने सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया कि जो भी लाभदायक भूमि के क्रय व विकास में लगे वह वधूल की जानी चाहिए। इसके लिये किसी

उच्च व मध्यम आयवर्ग के भवनों में भूमि की कीमत इस प्रकार  
जावे कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर व आयवर्ग वाली श्रेणी  
की भूमि की लागत कम रखी जा सके और मध्यम व उच्च  
के मकानों पर उसके भार डाल दिया जाये, इस प्रकार बोर्ड  
खर्चें वसूल कर सके, इस प्रकार बोर्ड को किसी प्रकार की सहायता  
का प्रश्न नहीं ड उठेगा । इसके लिए भूमि की अवाप्ति व उस  
में समग्र खर्चों का एक पूरा व्यौरा तैयार किया जाय और  
के भवनों के निर्माण में भूमि की लागत के प्रस्ताव विस्तृत भाव  
साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाय ।

76.13

अध्यक्ष के पास कार्यरत स्टाफ को विशेष ध्यान दिया जाये  
=====

विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने निर्णय लिया कि वेकिल  
में प्रतिनियुक्ति पर लिये गये कार्यरत स्टाफ से संबंध रखने  
बिन्दु पर राज्य सरकार की राय जान ली जाय ।

76.14

भूमि अवाप्ति अधिकारी के पद को कृमोन्नत कर एस्टेट मैनेजर  
का सृजन करने हेतु ।  
=====

उपरोक्त बिन्दु पर यह निर्णय लिया गया कि "एस्टेट मैनेजर"  
के नवीन पद के सृजन हेतु औचित्य देते हुए प्रस्ताव अगली बैठक  
प्रस्तुत किया जाये ।

76.15

मालवीय नगर में बोर्ड की नवीन कालोनी के शिलान्यास  
में संभावित व्यय की स्वीकृति ।  
=====

मालवीय नगर में बोर्ड की नवीन कालोनी के शिलान्यास  
10,634.40 के व्यौरों का अवलोकन किया गया ।

के व्यय की स्वीकृति पूर्व में ही बोर्ड की 70 वी बैठक के विचार बिन्दु संख्या 70.4 द्वारा दी जा चुकी है। शेष रु० 634.40 के व्यय की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

हुडको से दादाबाडी कोटा, चरण द्वितीय, मध्यम आयवर्ग योजना हेतु रूप।

दादाबाडी चरण द्वितीय कोटा की मध्यम आयवर्ग योजना हेतु 32.20 लाख रुपये का ऋण हुडको की शर्तों पर लेने हेतु तथा अध्यक्ष को उक्त ऋण हेतु एग्रीमेन्ट पर राजस्थान आवासन मण्डल की मुद्रा से, आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

राजस्थान आवासन मण्डल के सेवा नियमों में संशोधन - सेक्शन 53 के अन्तर्गत।

समझाव के कारण उक्त विचार बिन्दु पर निर्णय न लिया जा सका। प्रस्ताव को पुनः अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

18. बोर्ड की सूचनार्थ :

1- दिसम्बर 78 तक हुडको द्वारा स्वीकृत वर्तमान में प्रगति में चल रही योजनाओं के नक्शे।

2- फरवरी 79 की द्वितीय प्रगति रिपोर्ट

अवलोकन किया गया।

19. राजस्थान आवासन मण्डल 1977 विनियम 1 वाहन क्रय हेतु अग्रिम ऋण नियमों में संशोधन।

समझाव के कारण उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श नहीं किया जा सका। प्रस्ताव की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

76.20 राजस्थान आवासन मण्डल, यात्रा भत्ता विनियमों में संशोधन

उक्त प्रस्ताव पर समयाभाव के कारण विचार विमर्श न किया गया तथा अगली बोर्ड मीटिंग में पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

76.21 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी "मैट्रिकल अटेंडेन्स" विनियमों में संशोधन ।

समयाभाव के कारण उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श न किया गया तथा उक्त प्रस्ताव को अगली बैठक में पुनः रखने के निर्देश दिये।

76.22 आवंटि श्री भोजराज द्वारा नाहरी का नक्का जयपुर में श्री भोजराज गह दुकान सं० 2 के आवंटन को निर्णयित करने के लिए प्रस्ताव

प्रस्ताव के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि दुकान सं० 2 नक्का का नक्का जयपुर में श्री भोजराज को देने की कीमत व नियमानुसार पैनल्टी का भुगतान करने पर दे दी जावे ।

76.23 हुडको से ऋण सम्बन्धी बिन्दुओं पर विचार करने के लिए प्रस्ताव

गया कि भविष्य में ऐसे प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखने समय पर से अंकित किया जाय कि उस योजना का परियोजना संख्या अनुमोदन कर दिया गया है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त

॥ वी.एस. सिंह ॥  
सचिव

राजस्थान आवासन बण्डल की दिनांक 17-4-79 को  
मुख्यालय में सम्मन्न हुई थी। कार्यवाही ।  
=====

बैठक में निम्न लिखित उपस्थित हुये :-

श्री गोविन्द राम हुकमाणी

श्री मंगल बिहारी, वित्तीय आयुक्त

श्री आंकार सिंह, आयुक्त,  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

श्री बी० कैम्बो,

मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुशिल्प सलाहकार

श्री अरुण राज, आवासन आयुक्त

श्री मोहन मेघवाल

श्री सत्यनारायण पारीक

श्री नरेन्द्र सिंह लिखारी

श्री जे० पी० अरोडा

श्री अब्दुल कय्युम अख्तर

श्री रामनारायण विश्नोई

श्री वी०एस० सिसोदिया सचिव एवं श्री एस०एम० माधुर मुख्यलेखाधिकारी भी  
उपस्थित थे ।

बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :-

1. बोर्ड की 76 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।  
=====

सर्व प्रथम बोर्ड की 76वीं बैठक के निर्णयों को प्रस्तुत किया गया ।  
तथा ये सूचित किया गया कि कार्यवाही को अध्यक्ष महोदय द्वारा

अनुमोदित कराने के उपरान्त ही भेजा गया था। मण्डल की 76वीं  
बैठक की कार्यवाही को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

77.2

राजस्थान आवासन मण्डल के सेवा नियमों में संशोधन- सैक्शन के अन्तर्गत ।

=====

यह प्रस्ताव निम्न संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया:-

आवासन आयुक्त की भर्ती का स्रोत कू0 §11 में निम्न प्रकार संशोधित किया जाय । किसी भी राजकीय अथवा केन्द्रीय अथवा स्वायत्तशासी इंजीनियरिंग सेवा में मुख्य अभियन्ता के समकक्ष पद पर वेतन श्रेष्ठा से प्रतिनियुक्ति/चुनाव शब्द को बदल कर चयन शब्द का संशोधन भी स्वीकृत किया गया।

अधिकतम आयु के स्थान पर न्यूनतम आयु शब्द अंकित किये जायें।

आवासन आयुक्त का वेतन कुल 2500/- रुपये स्थिर § Fixed करने का निर्णय लिया गया ।

§2§ अधीक्षण अभियन्ता के पद की भर्ती के स्रोत वाले कालम में स्थानिक अभियन्ताओं की - के आगे " चयन" Selection द्वारा शब्द जोड़ा जाय तथा पदोन्नति द्वारा के पश्चात " अथवा सीधी भर्ती द्वारा शब्द जोड़े जायें ।

कालम 6 के अन्तर्गत 5 वर्ष का अनुभव के पश्चात "तथा भवन निर्माण का पर्याप्त अनुभव " शब्द जोड़े जायें ।

न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष निर्धारित की गई ।

आवासन आयुक्त के पद पर मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता के पद से पदोन्नति किये जाने के प्रावधान नियमों में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया व सचिव एवं मुख्यलेखाधिकारी के पद पर मण्डल के किसी पद से पदोन्नति नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया ।

पेज 40-

§3 मुख्यलेख

" राज

"चयन

वेतन

सीधी

उत्प्रेषण

पश्चा

न्टेन्ट

न्यूनत

§4 सचि

प्रशा

शब्द

वेत

गई

रा

सि

वा

मा

77.3

र

=

र

र

77.4

31 मुख्यलेखाधिकारी के पद के लिए भर्ती के श्रोत कालम के अन्तर्गत "राजस्थान अकाउन्ट्स सेवा" के पश्चात वरिष्ठतम के स्थान पर "चयन वेतन" शब्द जोड़े जायें।  
वेतन श्रृंखला 1550-50-1650-60-1830-70-1900 रक्खी गयी।

सीधी भर्ती के लिए योग्यता कालम में चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स जिसका उल्लेख राजकीय विभाग से संबंधित पद का 5 वर्ष का अनुभव हो के पश्चात "प्रतिनियुक्ति से आने वाले व्यक्तियों के लिए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट होना आवश्यक नहीं होगा" शब्द जोड़े जायें।  
न्यूनतम आयु सीमा 40 के स्थान पर 35 वर्ष निर्धारित की गई।

34 सचिव के लिए भर्ती के श्रोत वाले कालम के अन्तर्गत "राजस्थान प्रशासनिक सेवा" के पश्चात "अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा" शब्द जोड़े जायें।

वेतन श्रृंखला 1550-50-1650-60-1830-70-1900 निर्धारित की गई व आयु सीमा 40 के स्थान पर 35 वर्ष की गई।

राजस्थान आवासन मण्डल के आवासन आयुक्त, अधीक्षण अभियन्ता, सचिव, एवं मुख्यलेखाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं का लेखा जोखा तैयार कर वित्तीय भार सहित मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

7.3 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी यात्रा भत्ता विनियमों में संशोधन।  
राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी यात्रा भत्ता विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों को सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।

7.4 राजस्थान आवासन मण्डल विनियम वाहन-क्रय हेतु अग्रिम ऋण नियमों में संशोधन।  
उक्त विषयों में प्रस्तावित संशोधनों के लिए मण्डल ने सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

77.5 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी § मैट्रिकल अटेंडेन्स § विनियम में संशोधन ।  
=====

इस विषय पर विचार विमर्श के दौरान यह प्रश्न सामने आया कि राजस्थान आवासन बोर्ड में भी ई०एस०आई० § ESI § लागू होना है ॥ यदि हाँ तो इस प्रकार का प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक पूर्ण विवरण के साथ रखा जाय ।

77.6 किराया कृय पद्धति के अन्तर्गत देय प्रतिभूति राशि में कटौति ।  
=====

इस विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि मण्डल की अगली बैठक में यह लेखा जोखा तैयार कर प्रस्तुत किया जाय कि कुल 5% की प्रतिभूति राशि जो अब तक जमा है वह कुल कितनी तथा इस राशि को 1% भविष्य में जमा रखने के बाद बाकी 4% किस प्रकार समायोजित § Adjust § किया जायेगा । इसका विस्तृत विवरण मुख्यलेखाधिकारी प्रस्तुत करेंगे ।

77.7 उच्च आय वर्ग के आवंटियों को किराया कृय पद्धति द्वारा आवंटन  
=====

इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि जब तक इस का पूरा पता न चले कि कितने किस्लांग श्रेणी आर्थिक श्रेणी वाले आवेदक उच्च श्रेणी का मकान लेना चाहते हैं तब तक इनको किस्तों पर देने का निर्णय नहीं लिया जा सकता संभवतः आर्थिक किस्लांग श्रेणी के इने गिने लोग ही उच्च वर्ग में मकान लेने वाले होंगे । अतः जब जब ऐसी श्रेणी के आवेदक प्रार्थना पत्र दें, तब पुनः विचार कर उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा । भी निर्णय लिया गया कि नकद भुगतान पर लेने वाले आवंटियों भविष्य में इतनी सुविधा तो दी जा सकती है कि यदि मकान लेने पेज न०



कीमत 70,000 से अधिक हो तो 70,000 नगद लेकर बाकी की राशि 84 मासिक किस्तों में ली जाय । यह सुविधा राज्य के मकान के ऋण के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया

एस्टेट मैनेजर के पद का सृजन ।  
=====

इस पद के सृजन हेतु दर्शाये गये औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए इस नवीन व्यवस्था को एक वर्ष के लिए यथा प्रस्तावित स्वीकृति प्रदान करने का मण्डल ने निर्णय लिया ।

77.981४ कोटा में मिनी सेक्रेटेरियट का निर्माण :-  
=====

सिद्धान्तः इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि मिनी सेक्रेटेरियट कोटा में बनाये जाने के लिए राज्य सरकार से जो अनुबन्ध किया जाना है उसमें नियमित रूप से भुगतान होता रहे व नियमित रूप से भुगतान न होने की अवस्था में क्या प्रावधान होंगे आदि सभी शर्तों को तैयार किया जाकर मण्डल की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जाय ।

77.982४ दिनांक 14-4-79 को सम्पन्न हुई वरिष्ठ चयन समिति के निर्णय ।  
=====

वरिष्ठ चयन समिति की सिफारिशों एवं निर्णयों पर विचार विमर्श के दौरान मण्डल ने यह सुनिश्चित किया कि वरिष्ठ चयन समिति तथा कनिष्ठ चयन समिति ही विभागीय पदोन्नति समितियों का कार्य करेगी । कनिष्ठ स्थल अभ्यन्ता एवं इससे ऊपर के पदों के लिए वरिष्ठ चयन समिति, एवं कनिष्ठ स्थल अभ्यन्ता से नीचे की वेतन श्रृंखला वाले पदों के लिए कनिष्ठ चयन समिति विभागीय पदोन्नति समिति का कार्य करेगी ।

77.9§3§ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विरिष्ठ चयन समिति की सदस्यता के संबंध में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इसमें वित्तीय आयुक्त के स्थान पर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सदस्यता प्रदान की जाय ।

बिन्दु सं० 7; रिक्त स्थानों पर कनिष्ठ स्थल अभ्यन्ता से स्थल अभ्यन्ताओं के पद पर पदोन्नति ।  
=====

इस विषय पर समिति के निर्णय का अध्ययन/विचार विमर्श कर मण्डल ने यह व्यवस्था दी कि "ठेकेदार" शब्द के स्थान पर "कन्स्ट्रक्शन आर्गेनाइजेशन" लिखा जाये ।

बिन्दु संख्या 2 नव निर्मित आवासीय अभ्यन्ताओं के पदों पर स्थल अभ्यन्ताओं की पदोन्नति हेतु ।  
=====

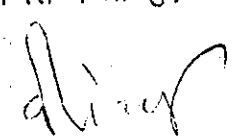
इस संदर्भ में बोर्ड ने यह सुनिश्चित कर लेने के निर्देश दिये कि निम्न " एडहॉक पदोन्नतियों की जा रही है उनके रिकार्ड में कोई विपरीत टिप्पणियाँ एडवर्स रिमार्क्स नहीं हैं ।"।

बिन्दु संख्या 5: आफीटिक्वरत असिस्टेन्ट के पद पर श्री बी०एस० वर्मा की सेवाओं का अन्तर्लपन ।  
=====

मण्डल ने यह जाहिर किया कि श्री वर्मा के पैतृक विभाग द्वारा उनकी सेवाओं की मांग की जा रही है, अतः वर्तमान प्रतिनिधित्व अवधि की समाप्ति पर उनके पैतृक विभाग में पुनः भर्ती की कार्यवाही की जाय ।

समिति के शेष निर्णयों एवं सिफारिशों को यथा प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

  
§ वी०एस० सिसोदिया §  
सचिव

(52)

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 12-6-79 को मुख्यालय  
में सम्पन्न हुई 78 वी बैठक की कार्यवाही  
=====

बैठक में निम्न लिखित उपस्थित हुये :-

- |    |                                                         |   |         |
|----|---------------------------------------------------------|---|---------|
| 1- | श्री गोविन्दराम कुमारी                                  | - | अध्यक्ष |
| 2- | श्री मंगल बिहारी, वित्तीय आयुक्त                        | - | सदस्य   |
| 3- | श्री अँकार सिंह, आयुक्त,<br>नगरीय विकास एवं आवासन विभाग | - | सदस्य   |

- |    |                                                           |   |       |
|----|-----------------------------------------------------------|---|-------|
| 4- | श्री जे०एम० मल्होत्रा,<br>मुख्य अभियन्ता एवं आवासन आयुक्त | - | सदस्य |
| 5- | श्री मोहन मेघवाल                                          | - | सदस्य |
| 6- | श्री नरेन्द्र सिंह लिखारी                                 | - | सदस्य |
| 7- | श्री अब्दुल कयूम अख्तर                                    | - | सदस्य |
| 8- | श्री रामनारायण विश्नोई                                    | - | सदस्य |

श्री बी कैम्बो, मु० नगर नियोजन एवं वास्तुशिल्प सहायकार तथा  
श्री जे० पी० अरोड़ा एवं श्री सत्यनारायण पारीक की अनुपस्थिति की स्वीकृति  
प्रदान की गई।

श्री वी.एस.सिसोदिया, सचिव एवं श्री एस०एम०माधुर, मुख्य लेखाधिकारी  
भी उपस्थित थे।

बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :-

78.1 बोर्ड की 77 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन।  
=====

मण्डल की 77 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

78.2 बोर्ड की 77 वी बैठक की क्रियान्विति रिपोर्ट ।

मण्डल की 77 वी बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का बोर्ड द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

78.3 राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यालय हेतु लाल कोठी क्षेत्र में भवन का निर्माण ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कार्यालय भवन बनाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बोर्ड ने निम्न बिन्दुओं को भी ध्यान रखने के निर्देश दिये :-

- 1- कार्यालय भवन व्यवहारिक कार्यकुशलता को दृष्टिगत रखते हुए जाय ।
- 2- राजस्थान आवासन मण्डल के व्यक्तित्व का स्पष्ट आभास इस से प्रतीत होना चाहिए ।

78.4 उच्च आयवर्ग के आवंटियों को किराया कृप पद्धति द्वारा आवंटन ।

यह निर्णय लिया गया कि जवाहर नगर, जयपुर के एक मंजिले मकानों को छोड़ कर बाकी सब कालोनियों में उच्च आयवर्ग के मकान तथा जवाहर नगर के फ्लैट्स भी किराया कृप पद्धति से आवंटित किये जायेंगे ।

78.5 मण्डल के वर्कियार्ज कर्मचारियों को दिये जाने वाले प्रस्तावित वेतनमा

उस प्रस्ताव को निम्न लिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया

- 1- सातवी पंक्ति में 250-4-270-6-300-8-340-10-360 के आगे "नोन ग्रेजुएट गार्डनर व मुन्शी के लिये" के स्थान पर "नोन ग्रेजुएट मुन्शी व गार्डनर के लिए" पढ़ा जाय ।

(5?)

2- आठवीं पंक्ति में 295-8-355-10-395-15-500 के आगे "नोन ग्रेजुएट गार्डनर व मुन्शी के अलावा सभी स्क्वैड वर्कवार्ज कार्यवाहियों के लिए" के स्थान पर "ग्रेजुएट मुन्शी व सभी स्क्वैड वर्कवार्ज कार्यवाहियों के लिए" पढ़ा जाय।

78.6 हुडको से अतिरिक्त दादाबाड़ी योजना फेज-11, मध्यम आयु वर्ग कोटा के लिए लोन।

यह प्रस्ताव मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।

78.7 बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव टिप्पणी सं. 21.

इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अंशवार में इसकी एक सूचना जारी कर उन सभी बचे हुए आवेदकों को सूचित कर दिया जाय कि वे शीघ्रातिशीघ्र संपर्क कर अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

78.8 कार्यों, §वर्क§ के सम्बन्ध में शक्तियों का प्रत्याधिकरण।

बोर्ड को 10 लाख तक निविदाएँ स्वीकृत करने के स्थान पर सम्पूर्ण अधिकार देने के बारे में सरकार से जो पत्र व्यवहार चल रहा है, उसे निपटाने हेतु उचित कार्यवाही की जाय। प्रस्तावानुसार फ़िहाल बोर्ड के सीमित अधिकारों के अन्तर्गत ही आवासन आयुक्त को 10 लाख तक तथा अधीनस्थ अभियन्ता को 3 लाख तक निविदाएँ स्वीकृत करने के लिये अधिकृत किया जाय।

78.9 जवाहर नगर जयपुर में कम्युनिटी सेंटर हेतु भूमि का आवंटन।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि जवाहर नगर में सामुदायिक केन्द्र के लिए वर्तमान आरक्षित भूखण्ड की 50% कीमत

12.6.79

76th Board Meeting

§ 4 §

लगाई जाये। इसकी आधी राशि ANCILLARY SERVICE CHARGE में से समायोजित की जाय तथा बाकी आधी राशि जहाँ नगर सेवा सदन से वसूल कर आवंटन पर उनके नाम जारी कर दिया।

78.10 मण्डल में स्थाई व अस्थाई पदों का वर्गीकरण।  
=====

यह प्रस्ताव निम्न संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया :-

जो भी तदर्थ नियुक्तियों की जायेगी उनमें यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अभ्यार्थी न्यूनतम योग्यताएँ रखे हैं तथा ऐसे अभ्यार्थी को तीन माह के पश्चात वयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा जो भी नियुक्ति आदेश होंगे वे। वर्ष अथवा वयन समिति द्वारा वयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हों, इस प्रकार से नियुक्ति आदेश निकाले जायेंगे।

78.11 बोर्ड कर्मचारियों को आवास हेतु पंजीकरण।  
=====

यह प्रस्ताव बैठक की कार्यवाही से वापिस ले लिया गया।

78.12 बोर्ड को पूजनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-  
=====

इस प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई विभिन्न समितियों की कार्यवाही का बोर्ड ने अवलोकन कर अनुमोदित किया।

अन्य विषय : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :  
=====

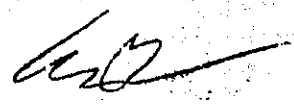
78.13 विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि जो भी मकान लाटरी नम्बर 1 व 2 के बाद विभिन्न शहरों में खाली रहे, उन बचे हुए मकानों को शीघ्रतः शीघ्र आवंटित करने हेतु प्रक्रिया बना कर आगे बोर्ड को बैठक में रखी जाय।

(54)

॥ 5 ॥

78.14 सचिव, आवासन मण्डल द्वारा बोर्ड को राजकीय उपक्रम विभाग के पत्र प-4-क॥5॥रा0उ0वि0/78/2467 दिनांक 14-5-79 जिसके अनुसार राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा नई निधुक्तियों पर पावन्दी लगाई गई है, अवगत कराया। इस पर यह राय व्यक्त की गई कि, चूँकि यह आदेश राजस्थान आवासन बोर्ड एक्ट की धारा 60 के अन्तर्गत, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इसे बोर्ड के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। अतः आवश्यक नई निधुक्तियाँ जारी रखी जाये ताकि 20 करोड के निर्धारित बजट के अनुसार कार्य संपादन किया जा सके।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करती हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।



सचिव,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
जयपुर।

/बागवान/

VICE  
शि जव  
र दिया  
:-  
कर लिया  
अभ्याधिप  
र हेतु  
वे। वर्ष  
लेक, जो  
गि।  
र।

पों की कार्य

मकान लाट  
न बचे हुए  
ट कर आग

(52)

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 12-6-79 को मुख्यालय  
में सम्पन्न हुई 78 वी बैठक की कार्यवाही  
=====

बैठक में निम्न लिखित उपस्थित हुये :-

- |                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1- श्री गोविन्दरामकुम्माणी                                    | - अध्यक्ष |
| 2- श्री मंगल बिहारी, वित्तीय आयुक्त                           | - सदस्य   |
| 3- श्री अँकार सिंह, आयुक्त ,<br>नगरीय विकास एवं आवासन विभाग   | - सदस्य   |
| 4- श्री जे०एम० मल्हौत्रा ,<br>मुख्य अभियन्ता एवं आवासन आयुक्त | - सदस्य   |
| 5- श्री मोहन मेघवाल                                           | - सदस्य   |
| 6- श्री नरेन्द्र सिंह लिखारी                                  | - सदस्य   |
| 7- श्री अब्दुल क़सूम अख्तर                                    | - सदस्य   |
| 8- श्री रामनारायण विश्नोई                                     | - सदस्य   |

श्री बी. कैम्बो, मु० नगर नियोजन एवं वास्तुशिल्प सलाहकार तथा  
श्री जे० पी० अरोड़ा एवं श्री सत्यनारायण पारीक की अनुपस्थिति की स्वीकृति  
प्रदान की गई ।

श्री वी.एस.सिसोदिया, सचिव एवं श्री एस०एम०माथुर , मुख्य लेखाधिकारी  
भी उपस्थित थे ।

बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :-

78.1 बोर्ड की 77 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।  
=====

मण्डल की 77 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।



78.2 बोर्ड की 77 वी बैठक की क्रियान्विति रिपोर्ट ।

मण्डल की 77 वी बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का बोर्ड द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

78.3 राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यालय हेतु ताल कोठी क्षेत्र में भवन का निर्माण ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कार्यालय भवन बनाये जाने सम्बन्ध प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बोर्ड ने निम्न बिन्दुओं को भी ध्यान रखने के निर्देश दिये :-

- 1- कार्यालय भवन व्यवहारिक कार्यकुशलता को दृष्टिगत रखते हुए जाय ।
- 2- राजस्थान आवासन मण्डल के व्यक्तित्व का स्पष्ट आभास इस से प्रतीत होना चाहिए ।

78.4 उच्च आयवर्ग के आवांठियों को किराया कृय पद्धति द्वारा आवंटन ।

यह निर्णय लिया गया कि जवाहर नगर, जयपुर के एक मंजिले मकान को छोड़ कर बाकी सब कालोनियों में उच्च आयवर्ग के मकान तथा जवाहर नगर के फ्लैट्स भी किराया कृय पद्धति से आवंटित किये जाय ।

78.5 मण्डल के वर्कचार्ज कर्मचारियों को दिये जाने वाले प्रस्तावित वेतन

इस प्रस्ताव को निम्न लिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया

- 1- सातवी पंक्ति में 250-4-270-6-300-8-340-10-360 के आगे "नोन ग्रेजुएट गार्डनर व मुन्शी के लिये" के स्थान पर "नोन ग्रेजुएट मुन्शी व गार्डनर के लिए" पढ़ा जाय ।

(53)

2- आठवीं पंक्ति में 295-8-355-10-395-15-500 के आगे "नौन ग्रेजुएट गार्डनर व मुन्शी के अलावा सभी स्किल्ड वर्कवार्ज कर्मचारियों के लिए" के स्थान पर "ग्रेजुएट मुन्शी व सभी स्किल्ड वर्कवार्ज कर्मचारियों के लिए" पढ़ा जाय।

78.6 हुडको से अतिरिक्त दादाबाड़ी योजना केज-11, मध्यम आय वर्ग कोटा के लिए लोन।

यह प्रस्ताव मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।

78.7 बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव टिप्पणी सं. 21.

इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अक्टूबर में इसकी एक सूचना जारी कर उन सभी बचे हुए आवेदकों को सूचित कर दिया जाय कि वे शीघ्रातिशीघ्र संपर्क कर अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

78.8 कार्यों, वर्कर्स के सम्बन्ध में शक्तियों का प्रत्याधिकरण।

बोर्ड को 10 लाख तक निविदाएँ स्वीकृत करने के स्थान पर सम्पूर्ण अधिकार देने के बारे में सरकार से जो पत्र व्यवहार चल रहा है, उसे निपटाने हेतु उचित कार्यवाही की जाय। प्रस्तावानुसार फिहाल बोर्ड के सीमित अधिकारों के अन्तर्गत ही आवासन आयुक्त को 10 लाख तक तथा अधीनस्थ अभियन्ता को 3 लाख तक निविदाएँ स्वीकृत करने के लिये अधिकृत किया जाय।

78.9 जवाहर नगर जयपुर में कम्युनिटी सेंटर हेतु भूमि का आवंटन।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि जवाहर नगर में सामुदायिक केन्द्र के लिए वर्तमान आरक्षित मूल्य की 50% कीमत

12.6.79

78th Board Meeting

4

लगाई जाये। इसकी आधी राशि ANCILLARY SERVICE CHARGE में से समायोजित की जाय तथा बाकी आधी राशि जो नगर सेवा रूदन से वसूल कर आवंटन पर उनके नाम जारी कर दिया

78.10 मण्डल में स्थाई व अस्थाई पदों का वर्गीकरण।  
=====

यह प्रस्ताव निम्न संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया :-

जो भी तदर्थ नियुक्तियों की जायेंगी उनमें यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अभ्यार्थी न्यूनतम योग्यताएँ रखते हैं तथा ऐसे अभ्यार्थियों को तीन माह के पश्चात् चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा जो भी नियुक्ति आदेश होंगे वे। वर्ष अथवा चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हों, इस प्रकार से नियुक्ति आदेश निकाले जायेंगे।

78.11 बोर्ड कर्मचारियों को आवास हेतु पंजीकरण।  
=====

यह प्रस्ताव बैठक की कार्यवाही से वापिस ले लिया गया।

78.12 बोर्ड को सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-  
=====

इस प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई विभिन्न समितियों की कार्यवाही का बोर्ड ने अवलोकन कर अनुमोदित किया।

अन्य विषय : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :  
=====

78.13 विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि जो भी मकान लाटरी नम्बर 1 व 2 के बाद विभिन्न शहरों में खाली रहे, उन बचे हुए मकानों को शीघ्रतः शीघ्र आवंटित करने हेतु प्रक्रिया बना कर आगे बोर्ड की बैठक में रखी जाय।

(54)

॥ 5 ॥

SERVICE

राशि जब  
कर दिया

कर लिया  
अभ्याधि  
कार हेतु  
1 वे। वर्ष  
ने (क, जो  
वर्ष।

गया।

तयों की का

मी लान ला

हे, उन बंधे ड

त क्ता कर अ

78.14 सचिव, आवासन मण्डल द्वारा बोर्ड को राजकीय उपक्रम विभाग के पत्र प-4-क॥5॥रा030वि0/78/2467 दिनांक 14-5-79 जिसके अनुसार राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा नई नियुक्तियों पर पाबन्दी लगाई गई है, अवगत कराया। इस पर यह राय व्यक्त की गई कि, चूंकि यह आदेश राजस्थान आवासन बोर्ड एक्ट की धारा 60 के अन्तर्गत, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इसे बोर्ड के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। अतः आवश्यक नई नियुक्तियाँ जारी रखी जाये ताकि 20 करोड़ के निर्धारित बजट के अनुसार कार्य संपादन किया जा सके।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।



सचिव,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
जयपुर।

/बागवान/

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 20-8-79  
को मुख्यालय में सम्पन्न हुई 79 वी बैठक के निर्णय  
=====

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| श्री गोविन्दराम हुक्माणी                                   | अध्यक्ष |
| श्री यशोवन्त सिंह, वित्तीय आयुक्त                          | सदस्य   |
| श्री अर्कादेव सिंह, आयुक्त, नगरीय विकास एवं<br>आवासन विभाग | सदस्य   |
| श्री जे० एम० मलहोत्रा,                                     | सदस्य   |
| मुख्य अभियन्ता एवं आवासन आयुक्त                            | सदस्य   |
| श्री मोहन भागवाल                                           | सदस्य   |
| श्री नरेन्द्र सिंह लिखारी                                  | सदस्य   |
| श्री अब्दुल क़दूर अख्तर                                    | सदस्य   |
| श्री राम नारायण विशनोई                                     | सदस्य   |
| श्री सत्यनारायण पारीक                                      | सदस्य   |
| श्री जे० पी० अरोड़ा                                        | सदस्य   |

श्री कैम्बो, मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुशिल्प सलाहकार की अनुपस्थिति  
निरूपित प्रश्न की गई ।

श्री एस० एस० दिवा- सचिव, श्री एस०एम० माधुर-मुख्य लेखाधिकारी एवं  
श्री पी० माधुर, वरिष्ठ लेखाधिकारी भी उपस्थित थे ।

निम्न निर्णय लिये गये :-

बोर्ड की 78 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।  
=====

बोर्ड की 78 वी बैठक के निर्णयों को निम्न संशोधनों के साथ स्वीकार  
किया गया :-

1- निर्णय संख्या 78.8 में निम्न शब्द जोड़े जायें :-

"आवासन आयुक्त उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो मुख्य- 9.5  
अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन एवं पथ को दी  
गई है। "

2- निर्णय संख्या 78.9 में निम्न वाक्य जोड़े जायें :-

"जवाहर नगर के सामुदायिक केन्द्रों के लिए तथा अन्य सभी 9.6  
कालोनियों में स्कूल व अन्य संस्थाओं के लिए भी भूमि का आरक्षित  
मूल्य वही माना जाय जो कि उस समय मकानों के मूल्य निर्धारण  
हेतु भूमि की कीमत के रूप में दर लगाई गई हो। "

79.2 बोर्ड की 78 वी बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।

बोर्ड द्वारा 78 वी बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का  
अवलोकन किया गया ।

79.3 110 लाख रुपये के ऋण हेतु आवासन मण्डल द्वारा 79.80 हेतु सुरक्षित  
ऋण पत्रों को जारी करना ।

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्व सभ्यता से पारित किया गया ।

79.4 मुख्यालय में बैंक आदि काटने से संबंधित शक्तियों में संशोधन ।

प्रस्ताव विचार विमर्श के बाद निम्न संशोधनों के साथ स्वीकृत किया  
प्रस्ताव के बिन्दु संख्या "एफ" के आगे निम्न प्रकार से पढ़ा जाय :-

"Senior Accounts Officer jointly with Superintending  
Engineer(Hq.) ( Only in the absence of Chief Accounts  
Officer from Headquarters)."

9.5

राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास श्री गंगानगर के निर्माण का कार्य डिपॉजिट कार्य के रूप में लेने हेतु ।

विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया ।

9.6

जयपुर में फ्लैट्स के लिए विशिष्ट पंजीकरण योजना एवं अन्य नगरों में नई पंजीकरण योजना खोलने हेतु ।

जवाहर नगर में जो लगभग 800 फ्लैट्स पिछली लाटरी में बच गए हैं उनको शीघ्र आवंटन करने की दृष्टि से एवं जयपुर शहर की मांग की दृष्टि में रखते हुए अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए सरकार पर उचित प्रभाव डालने हेतु यह तय किया गया कि जयपुर में साधारण पंजीकरण योजना प्रसारित की जाय । इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया कि जिन शहरों में पंजीकरण किया हुआ है उनके अतिरिक्त निम्न छः नगरों में भी पंजीकरण प्रारम्भ किया जावे :-

- 1- जैसलमेर
- 2- बाडमेर
- 3- टोंक
- 4- सवाईमाधोपुर
- 5- झालावाड़
- 6- रामगंज मण्डी

9.7

बोर्ड में फर्निचर एवं स्टेशनरी के क्रय हेतु उप समिति का गठन ।

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि बोर्ड की कार्यकुशलता को गति प्रदान करने के लिए निम्न सदस्यों की एक "परचेज कमेटी" गठित की जाय :-

- 1- अधीक्षण अभियन्ता
- 2- मुख्य लेखाधिकारी

यह उप समिति वस्तुओं के जैसे स्टोर, स्टेशनरी, फार्मस, फर्निचर, कार्यालय उपकरण इ. वि. के. के. आदि क्रय करने एवं छपाई करवाने हेतु एक बार में 5,000/- रुपये तक बाजार भावों की परीक्षा कर क्रय करने हेतु सक्षम होगी। आवश्यक छपाई कराने व वस्तुयों को खरीदने हेतु इस समिति को साधारण प्रचलित प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह उप-समिति स्वयं बाजार जाकर भाव/दर की जाँच करेगी जिससे कि उचित मूल्य पर व आवश्यक समय पर वस्तुएँ प्राप्त की जा सकें।

#### 79.8 कार्मिक अधिकारी के पद का नाम परिवर्तन।

विचार विमर्श किया जाकर अब "कार्मिक अधिकारी" के पद को "कार्मिक प्रबन्धक" इ. पर्सनल मैनेजर इ. का नया नाम दे दिया।

#### 79.9

स्थानीय यात्रा हेतु स्वयं के वाहन प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को दिये जाने वाले कन्वेन्स चार्ज की दरों का पुनर्निर्धारण।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।

#### 79.10

बोर्ड के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता।

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।

#### 79.11

कमजोर तथा अल्प आय वर्ग के आवासों के मूल्य को हटकों द्वारा निर्धारित सीमा में रखने हेतु सहायता देने के लिए आकस्मिक समानीकरण आरक्षण निधि।

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।



79.12 अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर आदि में जुलाई 79 की लाटरी के बाद बचे हुए गौधीगृहों की सम्पत्ति के शीघ्र निपटारे हेतु पंजीकृत आवेदकों को उनकी प्रार्थना पर आवंटन ।

राजस्थान आवासन मण्डल की 79-80 लाटरी सं० 2 के बाद जिन शहरों में भी गौधीगृह व अल्प आय वर्ग के आवास आवंटन नहीं हो पाये हैं उनको शीघ्रान्विती आवांति करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया । स्थानीय आवेदकों को इसकी पूर्व सूचना दी जाकर सम्पत्ति आवंटन समिति को प्रस्तुत किया जाय ताकि शीघ्र ही इस कार्य को निपटाया जा सके ।

79.13 मण्डल की सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

मण्डल ने दिनांक 29-6-79 को हुई सम्पत्ति आवंटन समिति, दिनांक 28-5-79 एवं 5-7-79 की 33 वी व 34 वी प्रोजेक्ट कमेटी, दिनांक 23-1-79 को सम्पन्न हुई 8 वी कोस्टिंग कमेटी, दिनांक 18-7-79 को हुई सम्पत्ति आवंटन समिति के निर्णयों व माह जून 79 तक की भौतिक प्रगति के विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया ।

अन्य विषय : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :

9.14 यूनाईटेड कामर्सियल बैंक से 150 लाख रुपये ऋण के लिए ब्याज की दर 12 % से भुगतान व अनुबन्ध करने का अनुमोदन ।

विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया ।

9.15 राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत मकान का आवंटन ।

विस्तृत विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में जो हेतु अधिकृत आवास बनाया गया था वह भूतपूर्व अध्यक्ष को अर्पित दिया गया है। अतः अध्यक्ष महोदय के लिए जो दूसरा निवास आफिशियल रेजीडेन्स हेतु सुरक्षित किया गया था उसे राजस्थान मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के राजकीय निर्देशों के अनुसार विजय सिंह भू0 पू0 सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग नुसार आवंटित किया जाय। अध्यक्ष महोदय के लिये एक आवास नगर की प्रस्तावित योजना में सुरक्षित किया जाये।

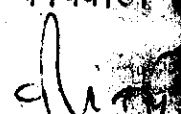
- 79.16 श्री जगदीश शरण रस्तौगी को आवंटित मकान संख्या 4-4-3 §40 का भुगतान किराया कृप पद्धति में करने हेतु।  
=====

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि श्री जगदीश शरण रस्तौगी के व्यक्ति हैं, अतः विकलांग होने के नाते इनके मकान की कुल कीमत में से 50 प्रतिशत कीमत वसूल कर मकान का किराया दिया जाय तथा बाकी रकम 5 बराबर वार्षिक किश्तों में वसूल कर

- 79.17 वर्ष 1977-78 का वार्षिक लेखा जोखा।  
=====

बोर्ड की वित्तीय समिति द्वारा पारित एजेन्डा आईटम पर विचार विमर्श कर उसकी सिफारिश के अनुसार वर्ष 1977-78 के वार्षिक सन्तुलन लेखे § बैलेन्स शीट § सर्व सम्मति से पारित किये गये।

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही की गई।

  
§वी.एस. सिसोहिया  
सचिव

विशेष के अन्तर्गत आती है कि यह

आय - रु. 79 की बिल के अन्तर्गत

राजस्थान आवास मुद्रा की दिनांक 20-8-79 की

बिल की 79 की बिल के अन्तर्गत

के अन्तर्गत आती है कि यह

राजस्थान आवास मुद्रा की दिनांक 20-8-79 की

आय - रु. 79 की बिल के अन्तर्गत

राजस्थान आवास मुद्रा की दिनांक 20-8-79 की

बिल की 79 की बिल के अन्तर्गत

आय - रु. 79 की बिल के अन्तर्गत

राजस्थान आवास मुद्रा की दिनांक 20-8-79 की

आय - रु. 79 की बिल के अन्तर्गत

राजस्थान आवास मुद्रा की दिनांक 20-8-79 की

आय - रु. 79 की बिल के अन्तर्गत

राजस्थान आवास मुद्रा की दिनांक 20-8-79 की

आय - रु. 79 की बिल के अन्तर्गत

राजस्थान आवास मुद्रा की दिनांक 20-8-79 की

आय - रु. 79 की बिल के अन्तर्गत

राजस्थान आवास मुद्रा की दिनांक 20-8-79 की

आय - रु. 79 की बिल के अन्तर्गत

राजस्थान आवास मुद्रा की दिनांक 20-8-79 की

के अन्तर्गत आती है कि यह

आय - रु. 80 की बिल के अन्तर्गत

राजस्थान आवास मुद्रा की दिनांक 20-10-79

79.1 § 18 का अनुमोदन करते समय यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के आचारन आयुक्त को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता के समान जो शर्तें लगा दी जा रही हैं, उनकी विशिष्ट तालिका बनायी जाकर बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

79.7 : बोर्ड ने फर्नीचर एवं स्टेशनरी के क्यु हेतु उप-समितिको विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु एक नोट तैयार किया जाकर बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

79.12 : 79 वी बैठक के दूर निर्णय की चोथी पंक्ति में "स्थानीय आवासों को इस्की पूर्ण योजना दी जाकर" के स्थान पर "आम जनता को आवासर प्रदान करने के लिए" लिखित किया जाकर पढ़ा जाय।

कार्यवाही के अन्य बिन्दुओं का यथावत अनुमोदन किया गया।

80.2 बोर्ड की 79 वी बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।  
=====

बोर्ड की उक्त बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

80.3 (a) Prescribing qualification and experience for the post of Town Planning Assistant, and

(b) Amending the provision for experience for the post of Jr. Draftsman.

संशोधन के साथ स्वीकार किया गया ।

Qualification and experience for the post of Town Planning Asstt.

Intermediate in Architecture or Diplo in Architectural

Assistantship (3 yrs. course) from a recognized Institution

with 2 years experience as Senior Draftsman or certificate in

draftsmanship (Civil) from National Council of Vocational Trade

with five years experience as Senior Draftsman. He should have

experience in Town Planning or Architects office in concerning

Govt., Deptt. or Public/Private undertakings of repute.

Amendment in minimum required experience for Jr. Draftsman post.

For the post of Junior Draftsman in place of two year's experience

only one year's experience is essential. For this, preference

be given to Tracers working in the Government Departments or

public Sector or workings. For this post the following

Qualifications will be essential:-

1) Poly-Technic Diploma in Civil Draftsmanship.

OR

2) Certificate Course in Civil Draftsmanship from National Council of Vocational Trade with one year's experience.

विशेष निम्नलिखित हेतु प्रयोजन का सृजन ।

विशेष निम्नलिखित हेतु प्रस्ताव सर्वोच्च प्रति सेपारित किया गया  
इस शर्त पर कि तीन वर्ष की बजट के को यदि नहीं होगी ।

अनुमानानुसार अनुमानित प्रस्ताव संख्या 10 दसकोरिया भुगतान

का अनुमानित प्रस्ताव संख्या 10 दसकोरिया भुगतान

विशेष निम्नलिखित हेतु प्रस्ताव सर्वोच्च प्रति सेपारित किया गया  
इस शर्त पर कि तीन वर्ष की बजट के को यदि नहीं होगी ।

अनुमानानुसार

80.6

Agenda by circulation Note No. 24 to obtain loan from HUDCO composite Housing Scheme, Hiran Nagar Sector Phase IV Udaipur.

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदन किया

80.7

Loan from HUDCO for composite Housing Scheme, Hiran Nagar Phase-II, Jaipur.

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदन किया

80.8

बोर्ड कर्मचारियों को अगवाई भत्ते की स्वीकृति

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदन किया

80.9

सुचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

1- लेण्ड प्रोक्थोरमेन्ट कोर्टी के निर्णय पर अनुमोदन न किया जाकर यह निर्णय लिया गया कि कोर्टी की शीफ बैठक बुलाई जाय ।

2- अप्रैल 79 से 23-10-79 तक आवास <sup>आवृत्त</sup> की प्रगति के विवरण का बोर्ड ने अवलोकन किया ।

3- माह सितम्बर 79 तक के भौतिक प्रगति विवरण का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया ।

4- इस वर्ष में माह सितम्बर तक के लेण्ड लेखों का बोर्ड ने अवलोकन किया ।

80.10

दक्षिणी-पश्चिमी भाग -2 कम्पोजिट स्कीम अलवर के लिए हड्डियों से ऋण ।

दक्षिणी-पश्चिमी भाग-2 कम्पोजिट स्कीम अलवर के लिए हड्डियों से 140.29 लाख का ऋण प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव का बोर्ड ने सर्वसम्मति से अनुमोदन दिया ।

बोर्ड के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु उप समिति का गठन ।

निम्नलिखित कार्यवाही के अन्तर्गत के कार्यवाहियों के वेतन  
की जांच के लिये उप समिति का गठन किया था । इस समिति  
द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव को अगस्त 1971 में बोर्ड का गठन हो गया  
वर्तमान राजस्थान आवासीय मण्डल के सभी संघ की मांगों के संदर्भ में  
वेतन में भी संशोधन पर विचार किया बोर्ड की एक निम्न उप-  
समिति का गठन किया गया :-

- 1- दिल्लीय संयुक्त, राजस्थान सरकार
- 2- राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार

6- बोर्ड के अध्यक्ष ।

उप समिति की कार्यवाही हेतु तीन सदस्यों की उपस्थिति कोरम  
हमें आवश्यक होगी  
नियमित पदों के विरुद्ध कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कार्यवाहियों के  
नियमन हेतु ।

दैनिक वेतन पर नियुक्त कार्यवाहियों की समस्याओं पर विचार विमर्श  
करा गया निम्नलिखित किया गया :-

27-12-71 से पूर्व नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कार्यवाहियों  
को नियमित पदों पर नियुक्त करने की समिति द्वारा  
निम्नलिखित प्रभाव से नियमित पद  
पर नियुक्त किया जायेगा । ऐसे व्यक्तियों को  
नियमित पदों के भीतर ही निर्धारित गति के अनुसार  
आगे बढ़ाया जाएगा अनिवार्य होगा, तभी उन्हें  
नियमित पदों दी जायेगी ।



2-

जो व्योमल कनिष्ठ चरित  
 के निरयोग्य न पाये जाये  
 के बाद निरुद्धत एव है  
 न्यूनतम योग्यता नहीं है  
 जाकर वर्कपार्ज स्टाफ  
 प्राप्त होने पर प्राथमिक

तत्पश्चात् अध्यक्षों धन्यवाद  
 समाप्त की गई ।

की 0एस0



**राजस्थान आवास मण्डल की दिनांक 31-12-79  
को सम्पन्न हुई 81 वीं बैठक के निणय ।**

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :

|    |                                                            |         |
|----|------------------------------------------------------------|---------|
| 1- | श्री गोविन्दराम हुकमाणी                                    | अध्यक्ष |
| 2- | श्री के० एस० रस्तोगी, आयुक्त नगरीय<br>विकास एवं आवास विभाग | सदस्य   |
| 3- | श्री बी० कैम्बो, मुख्य नगर नियोजक                          | सदस्य   |
| 4- | श्री अब्दुल क़यूम अन्सारी                                  | सदस्य   |
| 5- | श्री अश्वय राजापुर, आवास आयुक्त                            | सदस्य   |

श्री यतीन्द्र सिंह, वित्तीय आयुक्त, श्री जे० पी० अरोड़ा, श्री सत्य नारायण पारीक, श्री राम नारायण विशनोई, श्री नरेन्द्र सिंह लिखारी व श्री मोहन मेघवाल की अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई ।

श्री वी० एस० सिसोदिया, सचिव एस श्री वी० बी० माथुर, मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवास मण्डल भी उपस्थित थे ।

बैठक में निम्नलिखित निणय लिये गये :-

81.1      बोर्ड की 80 वीं बैठक के निणयों का अनुमोदन ।

विचार विचार कर बोर्ड की 80 वीं बैठक के निणयों को निम्न सशोधनों के साथ स्वीकार किया गया :-

80.3      §      Qualification and experience for the post of  
Town Planning Asstt.

राज्य योजना कमिशनर के निदेश की योग्यता एवं अनुभव के बारे में निम्न निणय लिया गया :-

Intermediate in Architecture or Diploma in Architectural  
Assistantship (3 years Course) from a recognized Institution.

with 2 years experience as Sr. Draftsman or  
in Draftsmanship (Civil) from National  
Trade with five years experience as Sr. Dra.

The above experience should be as in  
Architectural office in concerning Govt.  
Public/Private sector undertakings, etc.

80.3 (b) Amendment in minimum requirement  
Draftsman.

For this post the revised  
will be as follows :

Poly-Technic Diploma in Civil Engg.

OR

Certificate course in Civil Engg.  
Council of Vocational Trade with  
in drawing office. Preference  
working in Govt. Departments.

81.2

बोर्ड की 80 वीं बैठक के निर्णयों की क्रिया

क्रियाविधि रिपोर्ट का बोर्ड द्वारा अंतिम  
के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि  
जूनियर ड्राफ्ट्समैन की योग्यता व अंश  
सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जाय ।

81.3 एवं

81.5

आवास पंजीकरण एवं आवंटन में नाम  
प्रशासनिक शुल्क

श्रीमति कुसुम मेहता, आवंटी मकान नं० १०  
विमान नगर कोटा १ का मालिकाना हक  
आर० सी० मेहता के साथ संयुक्त रूप में

निर्णयित लक्ष्मी जी वाधवानी का पंजीकरण हस्तान्तरण के पक्ष में श्री गोविन्द कुमार वाधवानी के नाम परिवर्तन किये जाने हेतु ।

उपरोक्त विन्दु संख्या 81.3 व 81.5 पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। दोनों ही पंजीकरण के हस्तान्तरण व लगाये जाने वाले प्रशासनिक शुल्क से संबंधित थे। यह स्पष्ट किया गया कि अभी तक प्रशासनिक शुल्क केवल हस्तान्तरण पर ही लिया जा रहा है । अतः आवासों के पंजीकरण व आवंटन में बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत किसी भी नाम के जुड़वाने व हटाने से प्रदत्त प्रशासनिक कार्यवाही हेतु भी ठीक उसी प्रकार शुल्क वसूल किया जाना चाहिए जिस प्रकार कि पंजीकरण एवं आवंटन के हस्तान्तरण के लिए विभिन्न आय वर्गों से लिया जा रहा है ।

ज्योति नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी में दुकानें आवंटित किये जाने बाबत ।

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि ज्योति नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी में निर्मित 4 छोटे स्टालों को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को निर्धारित सुरक्षा मूल्य ₹ रिजर्व प्राइज ₹ पर आवंटित कर दिये जाय ।

बोर्ड के नियमित एवं वर्कचार्ज कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि के सम्बन्ध में ।

इस विषय पर यह स्पष्टीकरण दिया गया कि बोर्ड के नियमित कर्मचारियों को 11 माह की सेवा पूर्ण करने पर ही उपार्जित अवकाश देय होता है तथा वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित किये जाने पर ही नियमानुसार उपार्जित अवकाश देय होता है । तदुपरान्त विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि गत वर्ष की भोजि नियमित कर्मचारियों एवं नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों जिनके खाते में ऐसे अवकाश अवशिष्ट नहीं हैं को

हड़ताल की अवधि 9 नवम्बर एवं 13 से 26 नवम्बर का भविष्य में अर्जित किये जाने वाले अवकाशों को लिये लिया जाय ।

81.7

Rajasthan Housing Board Employees (Privilege Encashment) Regulation 1974.

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया

81.8

Amendment in the Regulation for grant of security to the Carrier & store keeper.

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया

81.9

Payment of Dearness Allowance to the employees Board

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया

81.10

आवासन प्रकोष्ठ में परियोजना अधिकारी के 6 माह के लिये अनुबन्ध पर नियुक्ति ।

इस विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया कि परियोजना अधिकारी के पद की योग्यता एवं कार्य किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है तथा अल्पकालीन बढ़े हुए कार्य को दृष्टिगत रखते हुए आवासन प्रकोष्ठ में दो सहायक आवासन अधिकारियों का होना उचित है । जयपुर एवं कोटा सर्किल का कार्यभार संभाल रहे व्यक्ति चयन समिति द्वारा लिये गये साक्षात्कार के बाद व्यक्ति परियोजना अधिकारी के वर्तमान कार्य को नहीं हो पाये हैं । अतः बोर्ड ने अध्यापक को नियुक्त है कि वे 6 माह के लिए आवासन प्रकोष्ठ के बढ़ते कार्य संभालने की कोई व्यवस्था शीघ्र करेंगे अन्यथा वे

(5)

आवासन के पद एवं योग्यता एवं अनुभव में समीक्षा करना  
कर नियमित भरती की कार्यवाही शीघ्र की जाय।

81.11

राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ एवं राजस्थान आवास  
बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत गाँगे।

इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। अतः  
निर्णय कर निम्न व्यक्तियों की एक उपसमिति गठित की गई :

- 1- श्री अब्दुल कय्यूम अख्तर
- 2- आवासन आयुक्त
- 3- उप-प्रशासन सचिव, नगरीय विभाग एवं आवासन विभाग।
- 4- उप-प्रशासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
- 5- सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल।

समिति राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ एवं राज. आवासन बोर्ड  
कर्मचारी संघों की सभी मांगों को आवासन बोर्ड एवं सार्वजनिक निर्माण  
विभाग के नियमों के रदर्भ में अध्ययन करेगी एवं संघ के प्रतिनिधियों से  
संलग्न कार्ययोजना प्रतिवेदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी ताकि भिन्न-भिन्न  
मांगों पर अलग-अलग निर्णय न लेकर एक साथ निर्णय किया जाय जिससे  
सबसे अधिक संतोखी के रूप में समझौता सम्भव हो सके।

80.12

सूचार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

- I- सम्पति आवंटन समिति की दिनांक 10-12-79 की सम्पन्न  
हई बैठक के निर्णयों का अवलोकन किया जाकर अनुमोदन  
दिया गया।
- II- बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत भौतिक प्रगति विवरण का बोर्ड  
द्वारा अवलोकन किया गया।
- III- आवासन मण्डल द्वारा निर्माण एवं प्रशासन पर किये  
गये व्यय के व्योरे का अवलोकन किया गया।
- IV- आवासन के आवंटन संबंधी सूचनाओं का भी बोर्ड द्वारा  
अवलोकन किया गया।

V- ताकि तारा अब तक सृजित एवं भर सके  
असुलोकन किया गया ।

### अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

81.13

Request for change of mode of payment  
to Hire purchase basis by Dr. B.K. Jaiswal

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि  
द्वारा नकद भुगतान से किराया रूप प्रकृति  
के परिवर्ती को लोग को स्वीकार न किया  
भुगतान प्रणाली पर ही आवास रूप करने  
नियमानुसार समय दिया जाकर आवंटन जागिर  
यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार  
में "अ. एमि. एक्ट" लागू करने हेतु निवेदन किया

81.14

अध्यक्ष ने वैदाली नगर कालोनी के बाढ़ के मास  
आये मासों के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित

81.15

Loan from Union for composite Housing Scheme  
Nagar, Bikaner.

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

81.16

कृषि समिति को सिफारिश पर एनोचर सह  
कृषि करने का अनुमोदन ।

80 वीं बैठक में विधानमंडल रिपोर्ट के  
प्रस्तुत रिपोर्ट "अ" की इस बैठक के विषय  
मान्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार  
सामान्य वि. तीव्र नियमों से परे जाकर

( 7 )

छपाई आदेश देने की योजना को निश्चित करने के लिए उससे अधिक कीमत का निर्धारण, निम्नलिखित सामान के आदेश जो इस समिति द्वारा दिए गए हैं, उन्हें कार्य के संदर्भ में उचित मान कर इसका अनुमोदन किया गया जिसमें 40.084.37 ₹ का फर्निचर, ₹ 369.00 का बिजली का सामान और ₹ 24495.50 का छपाई कार्य हुआ। तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

वी० एस० सिसोदिया  
सचिव

राज० आवासन मण्डल, जयपुर ।

४

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 8 व 9  
अप्रैल 80 को सम्पन्न हुई 83 वी बैठक की  
कार्यवाही

=====

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

|    |                                                               |   |         |
|----|---------------------------------------------------------------|---|---------|
| 1- | श्री आर० के० शास्त्री                                         | - | अध्यक्ष |
| 2- | श्री पी०के०बी० कुरूप                                          | - | सदस्य   |
| 3- | श्री आई० डी० भार्गव                                           | - | सदस्य   |
| 4- | श्री बाला सहाय                                                | - | सदस्य   |
| 5- | श्री एन० एम० कौठारी                                           | - | सदस्य   |
| 6- | श्री के० सी० मीत्त                                            | - | सदस्य   |
| 7- | श्री बी० कैम्बी, मुख्य नगर नियोजक<br>एवं वास्तु शिल्प सलाहकार | - | सदस्य   |
| 8- | श्री अरुण राज, आवासन आयुक्त                                   | - | सदस्य   |

श्री यतीन्द्र सिंह, वित्तीय आयुक्त की दिनांक 8 व 9 अप्रैल 80 की अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री वी०एस०सिसोदिया - सचिव एवं श्री विपिन बिहारीमाधुर - मुख्य लेखाधिकारी भी उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्यवाही का प्रारंभ इन शब्दों के साथ किया कि इस नव गठित बोर्ड का गठन अभी हाल ही में हुआ है तथा वर्तमान में बोर्ड के सामने जो समस्याएँ हैं उनके समाधान के लिए हम सभी अपना योगदान देने का प्रयास करेंगे। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने यह भी अवगत कराया कि उन्होंने बोर्ड की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार के प्रशासनिक

५



सुधार विभाग से भी सम्पर्क किया है, तथा, के. सी. ए. सी. बोर्ड की  
के निराकरण एवं कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु अध्ययन करवाने का  
ताकि बोर्ड की विभिन्न कार्य प्रणालियों/ प्रक्रियाओं का परीक्षण  
कार्यकुशलता बढ़ाये जाने का प्रयास किया जा सके।

तदुपरान्त बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :

83.। बोर्ड की 82 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

बोर्ड की 82 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन निम्न सुझावों के साथ किया गया :

82.3 - के उप बिन्दु संख्या ११ व १२ में जो अपेक्षाएँ  
द्वारा की गई है उनकी क्रियान्विति की जाय ।

82.5 - इस बिन्दु पर यह टिप्पणी की गई कि तार  
 न्यास को जो 5,000/- रु० का भुतान सशर्त किया  
 संदर्भ में आवासन मण्डल की कालोनिज़ों में 2 बालों  
 बालकों के खेल कूद की सामग्री व अन्य उपक्रम शीघ्र ही  
 करवाने का प्रयास किया जाय ।

82.6 - बोर्ड के कार्यालय भवन के शिलान्यास समारोह में  
पूर्व स्वीकृति से 883.72 रु० अधिक व्यय किये जाने का प्रमाण  
प्रदान की गई । साथ ही यह भी टिप्पणी की गई कि  
में ऐसी स्वीकृतियाँ हेतु अलग से एजेन्डा नोट प्रस्तुत  
उचित होगा ।

82.10 - राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी : विनिर्माण 1970 में संशोधनों के द्वारा मैं यह टिप्पणी के

मुले/ आ.अधि

५०३०

सचिव/  
अ.चि.अ.भ.  
जयपुर सर्किल

सचिव/  
पत्रिका

पूर्व से ही राज्य सरकार के नियमों को अपनाना *adopt* जा रहा है फिर भी इस संशोधन हेतु राज्य सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करली जाय ।

82.11 - राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी *खाद्यान* *अग्नि* विनियम 1971 में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में भी उपरीक्तानुसार यह सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करली जाय ।

83.2 बोर्ड की 82 वी बैठक की क्रियान्वित रिपोर्ट ।

बोर्ड द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की 82 वी बैठक के निर्णयों की क्रियान्वित - के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई क्रियान्वित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया ।

83.3 निवर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रति धन्यवाद अर्पण ।

मण्डल के निवर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्य के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया ।

83.4 बोर्ड की विभिन्न समितियों का पुनर्गठन ।

प्रस्तावित समितियों के गठन हेतु अध्यक्ष महोदय को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया, तथा यह अपेक्षा की गई कि अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित समितियाँ शीघ्र ही अपना कार्य सम्पादन प्रारंभ करेंगी ।

83.5 बोर्ड के अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव टिप्पणी संख्या 25 का अनुमोदन ।

गंगानगर में मध्यम आयु वर्ग की आवासीय योजना फेज-2 के लिए हड़को से 10.33 लाख के ऋण प्राप्त होने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

मु0ले0/ 83.6  
आ0अ0-11  
मुख्यालय

बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव टिप्पणी से  
का अनुमोदन ।

शक्तपुरा कोटा ॥ एस0आर0एस0॥ की आर्थिक दृष्टि  
आयवर्ग की योजना के लिए हडको से 9.34 लाख रुपये  
कोटा की आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग की योजना  
लाख, श्री गंगानगर फेज-2 की मिश्रित आवासीय योजना  
24.03 लाख, मालवीया नगर मिश्रित योजना फेज-1  
181.68 लाख रुपये तथा केशोपुरा कोटा फेज-2 की योजना  
के लिए 64.15 लाख रुपये के ऋणों को प्राप्त करने  
प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया ।

83.9

83.

मु0ले0/ 83.7  
आ0अ0-11  
मुख्यालय

बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव टिप्पणी  
अनुमोदन ।

मालवीया नगर जयपुर फेज-1 ॥ संशोधित ॥ की मिश्रित  
योजनाओं के लिए हडको से 175.87 लाख रुपये के ऋणों को  
प्रदान की गई ।

83

0नि

उपरोक्त तीन विषय बिन्दु संख्या 83.5, 83.6 एवं 83.7  
करते समय बोर्ड द्वारा ये अपेक्षा की गई कि भविष्य में  
भेजे जाने के पूर्व सभी परियोजनाओं को बोर्ड की जानकारी  
के समक्ष रखा जाये, तत्पश्चात् बोर्ड का भी निर्णय  
जाय ।

सचिव/ 83.8

विधि सलाहकार ॥श्रम॥ की सेवा अवधि एक वर्ष  
के लिए बढ़ाई जायेगी ।

श्री गिराज कुमार राणा विधि सलाहकार ॥श्रम॥  
एक वर्ष के लिए वित्त समिति के निर्णय से  
के अनुसार बढ़ाये जाने की बोर्ड द्वारा स्वीकृति

किन्तु यह शर्त जोड़ी गई कि राजस्थान आवासन मण्डल या विधि सलाहकार दोनों पक्षों में किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस देकर ये अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा ।

83.9 अस्थाई पदों, जिनकी वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है, उनकी एक वर्ष की अवधि बढ़ाने हेतु औपचारिक स्वीकृति हेतु ।

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया ।

83.10 राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्ष को 150/- रुपये प्रतिमाह भुगतान पर मण्डल के वाहन को निजी उपयोग में प्रयुक्त करने हेतु ।

इस प्रस्ताव को बैठक की कार्यवाही से वापिस लिया गया ।

83.11 सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :

1- दिनांक 22-2-80 की आयोजित लैण्ड प्रोक्पोरमेन्ट कमेटी के निर्णय ।

उक्त बैठक की कार्यवाही का अवलोकन किया गया । यह भी टिप्पणी की गई कि वन विभाग आदि से भूमि प्राप्त करने से पूर्व यह ज्ञात किया जाय कि उक्त भूमि आवासीय निर्माण के लिए उपयुक्त भी है कि नहीं । बोर्ड ने यह भी निर्देश दिये कि शीघ्र ही एक सेवा निवृत्त तहसीलदार या आर०ए०एस० अधिकारी को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रिक्त पद पर एक वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया जाय । इनका मुख्य कार्य विभिन्न शहरों में भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भूमि की गणवेसना एवं अवाप्ति पारस्परिक समझौतों के द्वारा करने का प्रयास करें । इस हेतु प्रत्येक खण्ड में भूमि की आवश्यकता एवं उपलब्धता

dh

को प्रदर्शित करते हुए एक तालिका बोर्ड की आगामी बैठक की जाय व उसमें यह भी अंकित किया जाय कि भूमि कितनी उपलब्ध हो सकती है, भूमि का मालिक कौन है, अवशिष्ट कार्यवाही करने में क्या अवरोध है तथा क्या भूमि आगम के द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

सचिव/  
आ०अधि०

83.11.2 दिनांक 24-2-80 एवं दिनांक 6-3-80 को सम्पन्न  
व 33 आवंटन समिति के निर्णयों का बोर्ड ने अवलोकन कर  
कि अनुमोदन से पूर्व यह उचित होगा कि नव गठित समिति इन निर्णयों का एक बार पुनरावलोकन करे, तथा  
इन्हें बोर्ड में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय तथा जब तक  
अनुमोदन नहीं हो जाता है उपरोक्त समिति के निर्णयों पर  
रोक ली जाय।

मुख्य/०/  
आ०अ०-11  
मुख्यालय

83.11.4 हड्डको से ऋण लेने सम्बन्धी प्रस्तावों पर प्रोजेक्ट कमेटी  
अनुमोदन हेतु।  
=====

इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर यह निर्णय लिया गया कि  
आवासन मण्डल की कोई भी परियोजना बोर्ड तथा परि  
की अनुमति के बिना हड्डको को नहीं भेजी जाय।

सचिव/  
आ०अधि०  
ज० स्वा०

83.11.5 राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्ष को 150/-  
पर मण्डल के वाहन को निजी प्रयोग में लाने से  
विभाग द्वारा जारी आज्ञा।  
=====

बोर्ड में अध्यक्ष द्वारा निजी उपयोग में वाहन प्रयुक्त  
में 150/- रु० प्रति माह व 500/- कि० मी० तक  
निजी उपयोग में लिये जाने के सम्बन्ध में साजकी

पत्र क्रमांक १४४॥सी०एस०ई०/७९/ ४५२२ दिनांक २१-९-७९  
को नोट किया ।

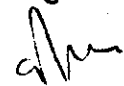
83.12

खाण्डू ग्राम, बांसवाडा के विस्थापितों हेतु आवास आवंटन ।  
=====

इस विषय पर विचार किमर्श कर यह संकेत दिया गया कि खाण्डू  
ग्राम के विस्थापितों को बसाये जाने के सम्बन्ध में आवास मण्डल  
एक दुविधाजनक एवं बम्भीर स्थिति में पड गया है।

विस्थापितों को बसाये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निर्मित आवासों के  
कच्चे विस्थापितों द्वारा लिये जाने में जो देरी की जा रही है  
इससे न केवल बोर्ड को वित्तीय हानी हो रही है, अपितु  
नियमानुसार इन आवासों को निरस्त भी किया जा सकता है।  
परन्तु समस्या के समाधान हेतु मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह  
निर्णय लिया गया कि आवासन आयुक्त किसी अधीक्षण अभियन्ता को  
इस कार्य के लिए नियुक्त कर इस कालोनी में बनाये गये आवासों में  
यदि कोई कमियाँ अथवा टूट-पुट पाई जाये तो उनका ~~defects &~~  
damage etc if <sup>any</sup> का निरीक्षण करवा कर मरम्मत करवाने हेतु  
एक तकमीना ~~Estimate~~ ॥ १० दिवस के भीतर ही तैयार  
करवायेंगे, जिसको दृष्टिगत रख कर ही प्रबन्ध समिति ~~कमेटी~~  
ग्राम मैनेजमेंट ~~अपना~~ निर्णय देगी ।

बोर्ड ने श्री आई० डी० भार्गव को इस हेतु खाण्डू कालोनी का  
निरीक्षण कर इस समस्या के निराकरण हेतु अपने सुझाव बोर्ड की  
नव गठित "प्रबन्ध समिति " को प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया ।



सचिव/  
मु०लै०

83.13

मण्डल में वाहन क्रय करने हेतु ।  
=====

इस प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि मुख्य लेखाधिकारी इस सम्बन्ध में डीजल ट्रेकर / जीप के क्रय करने के संदर्भ में एक तुलनात्मक तालिका तैयार कर के स्थान पर कोई अन्य वाहन क्रय करने का औचित्य प्रतीत न होने पर पूर्व में लिये गये, डीजल के वाहन को बहाल रखा गया ।

मु०लै०/

83.14

आ०अ०-११

मुख्यालय/  
अभि०न०नि०

हुडको से श्री गंगानगर आवासीय योजना चरण -  
[मध्यम वर्ग] हेतु ।  
=====

इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर में केवल तीन आवासों को रहन रखने का प्रस्ताव अतः यह उचित होगा कि अनासागर, अजमेर अधिकांश की कोई सम्पत्ति रहन रखी जाय ताकि प्रशासनिक [नक्शे एवं एग्रीमेन्ट आदि] सम्पादन में सुविधा रहे ।

सचिव/  
मु०लै०

83.15

मण्डल के कर्मचारियों को वाहन क्रय करने हेतु अग्रिम स्वीकृति हेतु ।  
=====

प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर सुझाव दिया कि की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करके ही इस पर

सचिव/  
आ०अधि०

83.16

निरस्त किये आवासों का नियमितीकरण।  
=====

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि चूंकि पूर्व में आफ़ प्रोपर्टी रेगुलेशन में प्रस्तावित संशोधनों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है अतः यह उचित होगा कि

संशोधन के साथ ही एक लाइन निम्न प्रकार से और जोड़ी जाकर संशोधन में करवाया जाये :

"In case of extreme hardship regularisation may be allowed with the approval of the Board for reasons to be recorded."

83.17

श्री पूरण सिंह, कनिष्ठ स्था अल्पवृत्त के असामयिक निधन के कारण टैक्सी पर हुए व्यय एवं कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना ।

बोर्ड द्वारा श्री पूरण सिंह के निधन पर हुए व्यय करते हुए ,580/- रुपये का व्यय जो उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास तक पहुँचाने हेतु टैक्सी पर किया गया है, की स्वीकृति प्रदान की गई।

मण्डल में कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना हेतु निर्देश दिये गये कि अन्य संस्थानों में इस सम्बन्ध में किस प्रकार के कल्याण कोष बनाये गये, हैं तथा उनके नियम / कार्यकलाप आदि की जानकारी मंगवाई जाकर विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

83.18

Privilege leave surrender leave and encashment of.

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया ।

83.19

Grant of personal pay to Board Employees blocked at the maximum of the pay scale under Rajasthan Civil Service (Revised New Pay Scale) Rules, 1976

विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया ।

83.20

Increase in the percentage of Administrative expenditure over the works expenditure.

विचार विमर्श कर वर्ष 78-79 के लिए प्रशासनिक व्यय 6% लगाया जाकर लेख तैयार कराये जाय ।



सचिव/ 83.21  
का०प्रबं०

Introduction of a pay scale for 'Stenographer' and procedure there of, in RHB Employees' condition and Promotion Regulation, 1976.

यह प्रस्ताव बैठक की कार्यवाही से बाधित किया गया अपेक्षित विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

का०प्रबं./83.22  
मु०सै०

Creation of one additional field circle and divisions in Rajasthan Housing Board.

इस विषय बिन्दु पर विचार करते समय यह उद्देश्य ऐसे मामले में भी जिसके कि कारण वित्तीय भार बोर्ड के लेखाधिकारी की विस्तृत टिप्पणी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत भविष्य में ऐसे सभी मामलों में मुख्य लेखाधिकारी की किये जाने की अपेक्षा की गई।

इस प्रस्ताव को अगली बैठक में पूर्ण विवरण व अपेक्षित प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

83

83.23  
=====

बोर्ड के विभिन्न कार्य क्लार्कों हेतु प्रबन्ध समिति & Committee Management का गठन।

अध्यक्ष आवासन मण्डल द्वारा बोर्ड के कार्य संपादन के टिप्पणी की गई तथा बोर्ड के सदस्यों को यह अवसर विभिन्न क्षेत्रों में काफी कुछ कार्य बोर्ड द्वारा किया बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है। अतः बोर्ड के मामलों में दिन-प्रति-दिन उठने वाली समस्याओं के हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बोर्ड के समिति" & Committee in Management से गठन किया जाना स्वीकार किया गया।

॥ १२ ॥

इस समिति के लिए निम्नलिखित 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया:

- |    |                       |         |
|----|-----------------------|---------|
| 1- | श्री आर० कै० शास्त्री | अध्यक्ष |
| 2- | श्री पी०के०बी० कुरूप  | सदस्य   |
| 3- | श्री आई० डी० भार्गव   | सदस्य   |
| 4- | श्री अख्य राज         | सदस्य   |
| 5- | सचिव आवासन मण्डल      | सचिव    |

इस कमेटी का कोरम 3 निश्चित किया गया । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य को उक्त समिति का अध्यक्ष चुना जा सकेगा । यह समिति बोर्ड के सभी क्षेत्रों में निर्णय/ सुझाव देने को सक्षम होगी तथा इस समिति के निर्णय अन्तिम होंगे, परन्तु समय समय पर अपने सुझाव बोर्ड/ बोर्ड की अन्य समितियों को प्रस्तुत कर सकेगी ।

83.24 अन्त में बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में वित्तीय, आवासन, निर्माण एवं कार्मिक, चारों विभागों के कार्य संपादन से संबंधित विस्तृत सांख्यिकी सूचनाएँ प्रस्तुत की जाएँ, जो कि निम्न प्रकार हो सकती है :

वित्तीय -  
=====

- 1- वित्तीय वर्ष 78-79 का लेखा जोखा
- 2- त्रैमासिक व्यय का विवरण
- 3- केश फ्लो-स्टेटमेन्ट
- 4- बकाया, वसूली एवं माँग आदि का विवरण
- 5- मूल्य एवं अन्य मामलों का विवरण

*dh*

अधि०अधि०  
[कवा०कन्दोल]/  
आ०अ०-११  
[मुख्यालय]

निर्माण -  
=====

- १- खण्डवार भौतिक प्रगति का विवरण  
क- पूर्ण रूप से तैयार आवासों का त्रैमासिक ल  
ख- श्रेणीवार निर्माणाधीन आवास।

२- नयी योजनाएँ जो हाथ में ली गयी हैं

आवासन -  
=====

आवा०अधि०

- १- आवंटन पत्र [ मासिक प्रगति मि  
जारी कर दिये गये।
- २- आवंटियों से माह के अन्त तक वासना की पु  
प्राप्त हुई है। उनकी संख्या व कुल रकम।
- ३- आवासों की संख्या जिनके कच्चे [ जो मा  
दिये जा चुके हैं।
- ४- रजिस्ट्रेशन व डीड आदि जो माह अन्त तक

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए  
कार्यवाही समाप्त की गई।

/बागवान/

सचिव

क्रमांक  
मुख्य वि  
नगरीय  
राजस्थ  
जयपुर

विषय  
तन्द्मी  
महोद  
समि  
विन्त  
हेतु

क्रिय  
नुता

आप  
प्रा

संल

राजस्थान आवाजन मण्डल की दिनांक 7-5-80

को सम्पन्न हुई 84 वी बैठक की कार्यवाही ।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे । :-

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1- श्री आर०के०शास्त्री              | अध्यक्ष |
| 2- श्री पी०के०बी०कुमार              | सदस्य   |
| 3- श्री आई०डी०भार्गव                | सदस्य   |
| 4- श्री बाला सहाय                   | सदस्य   |
| 5- श्री के०सी०मीतल                  | सदस्य   |
| 6- श्री यतीन्द्र सिंह               | सदस्य   |
| 7- श्री बी०के०म्बो, मुख्यनगर नियोजक | सदस्य   |
| 8- श्री अक्षराज, आवाजन आयुक्त       | सदस्य   |

श्री एन०एम०कोठारा की अनुपस्थिति को स्वीकृति प्रदान की गई ।

श्री वी०एस० सिसोदिया, सचिव एवं श्री विपिन बिहारी माथुर,  
मुख्य लेखाधिकारी भी उपस्थित थे ।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गये :

84.1 बोर्ड की 83 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

कार्यवाही द्वारा विचार विमर्श कर बोर्ड की 83 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन

निम्न शोधनों के साथ किया गया :

83.1.1.1 दिनांक 22-2-80 को आयोजित लेड प्रोक्क्योरमेंट  
कमेटी के निर्णय ।

भूमि अवधि प्राप्त सम्पत्ति के निर्णयों पर विचार करते  
समय यह निर्णयित किया गया कि किसी सुयोग्य सेवा

निवृत्त तहसीलदार अथवा आर०ए०एस०आधार  
को भूमि अवाप्ति अधिकारी के पद पर एक  
के लिए नियुक्त कर लिया जाय, इस हेतु श्री  
सहाय सदस्य आवासन मण्डल की किसी उप  
सेवा निवृत्त अधिकारी का चयन करने हेतु अ  
किया गया ताकि 1 वर्ष के अनुबन्ध पर नि  
जा सके। साथ ही यह भी निर्णय लिया  
एस्टेट मैनेजर के पद के लिए राज्य सरकार  
एक वॉरेंट वेतन श्रृंखला के आर०ए०एस०आ  
की प्रतिनियुक्ति हेतु सचिव, नगराय विकास  
आवासन विभाग से पुनः निवेदन किया  
नियुक्ति हेतु प्रयास किया जाय।

83.20

मु०ले०

Increase in the percentage of Administrative  
expenditure over the works expenditure

उक्त बिन्दु के अन्तर्गत विचार विमर्श कर वर्ष  
78-79 के लिये प्रशासनिक व्यय 6 प्रतिशत  
को निम्नांकित रूप से बढ़ा जाय:-

"The percentage of Administrative  
expenses to be capitalised  
to works increased from 5%  
immediate effect"

83.23

सचिव

बोर्ड के विभिन्न कार्यक्लापों हेतु प्रवृत्ति  
गठन।

गत बैठक के उक्त बिन्दु का अनुमोदन क  
निर्णय लिया गया कि इसके अन्तर्गत  
निर्णय / सुझाव से आवास

बोर्ड का 83 वा बैठक के निर्णयों की क्रियान्वित रिपोर्ट

बोर्ड का उक्त बैठक के निर्णयों का क्रियान्वित रिपोर्ट  
का बोर्ड ने अवलोकन किया।

#### Change of Income Group by registered applicants.

On this issue detailed discussions were held, out of which two schools of thought emerged. One school argued for reducing the seniority of the applicant wanting to get his Income Group changed. While the other school argued that this kind of action would be against the basic social objectives and it would also result in negating our own principle of allotting only that type of house for which a particular person is eligible, as per his Income group. Finally, it was decided that we may accept the requests for change in the income group only once during the month of April and May every year and for the current financial year such requests should be entertained during May and June '80. No person should be allowed to get his income group changed after 30th June 80; atleast during the current financial year (1980-81).

Further it was desired that the Chief Accounts Officer should submit the required statistics before the next meeting of the Board with a view to facilitating a final decision on the issue of changing the year of registration while allowing a change in the income category.

#### Payment of Dearness Allowance to the Board Employees.

The proposed agenda item was approved.

242

84.5

कार्मिक  
प्रबन्धक

Procedure for recruitment of Steno Typists  
and regulation of their promotion.

The proposal was considered and it was decided that the sentence on page 7 of 'R.H.B. Employees condition of service' in 'Schedule of Promotion Regulations 1976' in 'Schedule of Promotion Regulations 1976' against S.No. 5 ( Personal Assistant ) should be replaced by

"Five years experience as a  
Typist with a speed of 40 words  
in English Shorthand & 30 words in Hindi"

84\*6

सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ:-

कार्मिक  
प्रबन्धक

अ. कौन्सिल चयन समिति के निर्णयों का अनुमोदन

हुए बोर्ड ने यह अपेक्षा की कि सामान्यतया  
शेष कार्य पूर्ण कर लेगा।

84.5

विधि  
सलाहकार

ब. राजस्थान आवासन मण्डल के मुख्यालय

के सम्बन्ध में सूचनाएं

The proposal was considered and it was decided that

बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव का कार्य प्रचार को

कर यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में

के सम्बन्ध में विधि सलाहकार से परामर्श

the existing sentence be replaced by the following

स्टेण्डिंग आर्डर नं० ए००-3/1973

में जो "व्यवसायिक भूमे" शब्द का प्रयोग

क्या वह इस आवासन मण्डल के

84\*6

कार्मिक  
प्रबन्धक

सूचना यह हो सकती है, विधि सलाहकार से

इस प्रस्ताव को पुनः प्रबन्ध समिति / बोर्ड

जाय।

04/06/80  
बोर्ड का 80

सम्पत्ति आवंटन समिति का दिनांक 24-2-80 एवं  
6-3-80 के निर्णयों के सम्बन्ध में टिप्पणी।

सम्पत्ति आवंटन समिति का उक्त बैठकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत  
टिप्पणा का बोर्ड ने अवलोकन किया तथा 6-3-80 को हुई  
सम्पत्ति आवंटन समिति का बैठक का कार्यवाही का अनुमोदन  
किया गया।

स-1  
आवाजों का  
द्वितीय

भौतिक प्रगति का अवलोकन करते समय यह विचार व्यक्त किया  
गया कि भविष्य में सम्पूर्ण आवाज तैयार करके त्रैमासिक लक्ष्य  
तथा इन लक्ष्यों का प्राप्ति, दोनों के सम्बन्ध में सूचनाएं  
एक ही तालिका द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जाय।

स-3  
मु0ले0

भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक लक्ष्य 1980-81 का संशोधन।

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत सूचना का अवलोकन करते हुए यह निर्णय लिया  
गया कि मुख्य लेखाधिकारी इस सम्बन्ध में परीक्षण कर बोर्ड  
के समक्ष अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें ताकि वर्ष 80-81 के लक्ष्यों  
का बजट प्रस्ताव जो जनवरी 1980 में ही पारित किया गया  
है। उसमें इतना जल्दी ही फेर बदल क्यों कर प्रस्तावित की  
जा रही है।

मुख्य लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत वजली शाखा द्वारा का गई  
कार्यवाही की प्रगति का अवलोकन किया गया व अपेक्षा  
का गई कि जल्द ही यह कार्य सम्पूर्ण कर लिया जायेगा।

7/6



अन्य विषय अधिका महोदय का अनुमति से :-

84.7 मुख्य लेखाधिकार का पद का नाम बदलने हेतु ।  
 मु0ले0 उक्त प्रस्ताव विचार विमर्श कर सर्व सम्मत से पारित  
 गया ।

84.8 जवाहर नगर शापिंग सेंटर में सहकारी उपभोक्ता भू  
 आवा0अधि0/ जो दो दुकानें रिजर्व प्राइस पर आवंटित करने का नि  
 मु0ले0 पूर्व में सम्मत आवंटन समिति ने लिया था, उसके  
 यह निर्णय लिया गया कि सरकारी उपभोक्ता संघ  
 2 दुकानों का भाग का गई है उन्हें वे ही दुकानें आवंटित  
 कर दी जाय ताकि संघ द्वारा चाई गई इन दुकानों  
 से बाजार की अन्य दुकानों की कीमतों में भी भी  
 निलामी के समय वृद्ध हो सकेगा । यह भी अपेक्षा  
 होटल, मोटल, सिनिमा, पेट्रोल पम्प व दुकानों आदि  
 रिजर्व प्राइस नियत करवाई जाकर आग्रम कार्यवाही  
 कराया जाय ।

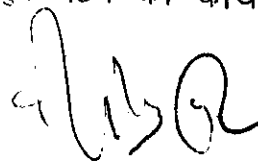
84.9 ग्राण्ड ग्राम, बांजवाडा के विस्थापितों हेतु आवा  
 अधी0अभि0 क्वा0कन्0 बोर्ड की 83 वा पैक के बिन्दु सं012 के अन्तर्गत  
 /आवा0अधि0 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । तथा निर्णय  
 कि इस कालोनी के भवनों का टूट फूट एवं भग्नावशेष  
 33 हजार रुपया व्यय करने का वित्तीय स्वाकर्म  
 गई, साथ ही ये अपेक्षा की गई कि वृत्तिक विस्थापित  
 उक्त आवास लेने को तैयार है अतः इनका सीमा  
 किया जाय।

84-10  
वा 0 अ 10  
द्वितीय

Creation of one additional field circle and two field divisions in Rajasthan Housing Board.

बोर्ड द्वारा चाहे अनुसार गत बैठक के प्रस्ताव संख्या 83-22 पर मुख्य लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणा का अवलोकन किया गया व विस्तृत विचार विमर्श कर यह निष्कर्ष लिखा गया कि जैसे ही भालवाय नगर योजना का पेज -4 हडको द्वारा स्वीकृत करवा जाती है, उसके तुरन्त बाद ही अगले में एक नया जण्ड स्थापित किया जाय। तथा झुझनू व अजमेर का कार्य भार जयपुर के किसी भी जण्ड में सम्भाल कर दिया जाय। कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए पाली में नया जण्ड जोड़ने को स्वीकृति प्रदान की गई। जोधपुर में एक नये ऑफिसल जोड़े जाने का स्वीकृति पूर्ण औचित्य के अभाव में नहीं दी गई।

तदुपरान्त अध्यक्ष को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक को कार्यवाही समाप्त की गई।



26/5  
वा 0 ए 10 अ 10 दिया,

सचिव

(128)

राज्य नगर आवासन मण्डल की दिनांक 10-6-80  
को सम्पन्न हुई 85 वीं बैठक की कार्यवाही ।  
=====

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| आर० के० शास्त्री             | अध्यक्ष |
| पी०के०बी० कुसुम              | सदस्य   |
| आई०डी० भागवि                 | सदस्य   |
| बालासहाय                     | सदस्य   |
| के० सी० मीर                  | सदस्य   |
| एन० एम० कौठारी               | सदस्य   |
| बी० कैम्बा, मुख्य नगर नियोजक | सदस्य   |

श्रीन्द्रसिंह, वित्तीय आयुक्त एवं श्री अकराज, आवासन आयुक्त की  
उपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई ।

श्री०एस०सिसोदिया- सचिव, श्री वी० बी०माधुर-मुख्य लेखाधिकारी  
ए०के० गुप्ता वास्तुविशेष निरीक्षक, भी उपस्थित थे ।

निम्न लिखित निर्णय लिये गये :-

मण्डल की 84 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।  
=====

श्री  
सी  
Secretary  
दिनांक 7-5-80 को सम्पन्न हुई 84वीं बैठक के निर्णयों का  
अनुमोदन करते समय मुख्य नगर नियोजक द्वारा यह क्वार  
व्यक्त किया गया कि पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि  
संपूर्ण निर्णय को रिकार्ड किया जाना चाहिए, केवल यह लिख  
देना ही पर्याप्त नहीं है कि प्रस्तुत किया गया बिन्दु स्वीकार  
किया गया । भविष्य में निर्णयों का सार कार्यवाही में स्पष्ट  
अंकित किया जाय ।

उपरोक्त टिप्पणी के साथ 84 वीं बैठक की कार्यवाही का  
अनुमोदन किया गया ।

85.2

बोर्ड की 84 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति

मण्डल की 84 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति का अवलोकन करते समय विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिए गये :-

Adm/Per

84.5

शीघ्रलिपिकों की भर्ती के लिए प्रस्तावित संशोधन अंग्रेजी भाषा के शीघ्र लिपिक के संबंध में ही उल्लेख किया गया है। उचित यह होगा कि शीघ्रलिपिकों के शीघ्र लिपिक के लिए भी 80 शब्द प्रति मिनट व 40 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकन के साथ काम हेतु विनियम में प्रावधान किया जाय।

SE(Hr.)

84.9

इस बिन्दु पर क्रियान्वयन रिपोर्ट में उल्लेखित टिप्पणी का अवलोकन कर यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में इस मामले स्थानीय जिलाधीश द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल के दृष्टिकोण को दृष्टिगत न रखते हुए कुछ निर्णय स्थानीय जनता के कहने पर ले लिए गये हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस मामले को उच्च स्तर पर निपटाया जाय।

Adm.

84.10

क्रियान्वयन रिपोर्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत टिप्पणी पर यह विचार व्यक्त किया गया कि राज्य सरकार को केवल 1200/- रु से अधिक वेतन वाले पद पर नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया जाना ही अनिवार्य है, खण्ड के खोले जाने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

Delegation of Powers to execute agreements with Housing and Urban Development Corporation Ltd. New Delhi.

It was decided that in future the powers to execute the agreement with Housing & Urban Development Corporation, New Delhi, on behalf of the Rajasthan Housing Board, and signing the various forms, statements, documents; should be delegated in pursuance of Section 24 of Rajasthan Housing Board Act to the Housing Commissioner, RHB, Jaipur.

To consider A.M.I.E. as equivalent to B.E.(Civil) in Rajasthan Housing Board Employees Service Regulations.

It was decided that in the Rajasthan Housing Board Employees Conditions of Recruitment & Promotion Regulation 1976, wherever the words "Degree in Civil Engineering appears for qualification for direct recruitment; the following may be added:

" OR qualification recognised by the State Government, to be equivalent to Degree in Civil Engineering."

सम्पदा अधिकारी एवं सहायक आवासन अधिकारी के पूर्व में सृजित पदों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को राष्ट्रपति आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 में सम्मिलित किये जाने हेतु ।

क प्रस्ताव बैठक की कार्यवाही में प्रस्तुत नहीं किया गया ।  
Amendment in R.H.B. Employees (Medical Attendance) Regulation, 1970.

It was decided that as the extension of the scheme to establishment engaged in construction activities is

under active consideration of State Govt. That  
this issue should be explored fully and only  
brought - up.

Per 85.7

Amendment in R.H.B. Employees (Conditions of  
& Promotion) Regulations, 1976 for the post of  
Planning Assistant.

It was decided that the following amendment  
Rajasthan Housing Board Employees Conditions  
ment and Promotion Regulations, 1976 in Sched  
at page 15 after S.No..4...be made by adding

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

- |   |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3 | "5. Town Plan-<br>ning Asstt | 50% Direct<br>50% Promotion | 1) Intermediate in<br>Architecture or<br>Diploma in Archi-<br>tectural Assistant-<br>ship (Three year<br>course) from a recog-<br>nised Institution<br>with two years exp-<br>erience as Draftsman<br>in town planning/<br>Architect's Office. | Senior<br>Drafts-<br>man |
|   |                              |                             | OR                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|   |                              |                             | .ii) Polytechnic Diploma<br>in Civil Draftsman-<br>ship with three years<br>experience as Drafts-<br>man in Town Planning/<br>Architect's Office.                                                                                              |                          |
|   |                              |                             | OR                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|   |                              |                             | iii) Draftsman certificate<br>(Civil) from National<br>Council of Vocational<br>Trade with 5 years exp-<br>erience as Draftsman in<br>Town Planning/Architect's<br>Office."                                                                    |                          |

(13)

विज्ञापन पर हुए व्यय की स्वीकृति ।

कनिष्ठ स्तर अभियन्ताओं की भतीं हेतु रोजगार सन्देश को दिये गये विज्ञापन व्यय हेतु 560/- रु, व राष्ट्रदूत दैनिक को प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को दिये जाने वाले विज्ञापनों हेतु प्राप्त दो बिलों के भुगतान हेतु क्रमशः 547.80 एवं 547.80 रु की स्वीकृति प्रदान की गई ।

राजस्थान आवासन मण्डल के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान गिरफ्तार कर्मचारियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड कर्मचारियों पर चल रहे मुकदमों को राज्य सरकार द्वारा वापिस लिया जाना उचित होगा ।

Construction of Office Building by Rajasthan Housing Board.

The Architect Planner of the Board explained the full background of this case and said that the Board had authorised the Projects Committee to take all necessary actions to get the Board building designed and constructed. The Projects Committee had selected 5 firms of Architects to submit conceptual design solutions but eventually Designs from only 2 firms were received.

The Chief Town Planner desired that his following views be recorded on this item:

"When the Board had authorised the Projects Committee to take all necessary action in this Project of a Special Committee by the then Chairman was beyond his powers. He eroded the authority of the Projects Committee and the Board. Obtaining recommendations of such Special Committee for consideration of the Projects Committee amounted to prejudicing the Members of the Project Committee. This act was very irregular and against the professional conduct. In order that further time is not lost in the construction of the headquarters building, the Board may ignore the recommendations of the said Committee, but instead consider 2 alternative designs afresh".

The Board considered all aspects of this matter and it was felt that more firms of private Architects should be approached and additional design solutions be sought so that there is a larger number of alternatives from which more suitable design could be selected. The Board desired that the Projects Committee take further action in this matter.

C.A.O. 85.11

Security in term of Bank Guarantee for loan

It was decided that the Chief Accounts Officer should check from HUDCO and Kerala Housing Board whether they are getting Bank guarantees @ 1/4% Housing



131

( 7 )

with Banks for reducing the guarantee commission

should be carried on, simultaneously.

Bank Guarantee of Security for Loan from HUDCO in respect of MIG, MIG Housing and commercial schemes.

The Board approved that :

(1) The Bank Guarantee may be furnished to HUDCO as security for obtaining loan, in cases where it is required.

(2) The Chairman was authorized to negotiate with any Bank for securing the said guarantee and to mutually agreed to by the Bank concerned and the Housing Board.

(3) The Housing Commissioner was authorized to execute agreement with the Bank - concerned to be obtained.

अनुमोदनाएँ एवं सूचनाएँ :

1211 मुबन्स समिति की प्रथम बैठक के निर्णयों का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया जाकर अनुमोदन किया गया ।

1212 मुबन्स समिति की द्वितीय बैठक के निर्णयों का बोर्ड ने अवलोकन एवं अनुमोदन किया ।

131 दिनांक 5-5-80 को सम्पन्न हुई कनिष्ठ समिति के निर्णयों का बोर्ड ने अवलोकन किया व अनुमोदन प्रदान किया ।

148 दिनांक 24-5-80 को सम्पन्न हुई कनिष्ठ चयन समिति की बैठक के निर्णयों का बोर्ड ने अवलोकन कर अनुमोदन किया ।

151 दिनांक 26-4-80 को सम्पन्न हुई कनिष्ठ चयन समिति के निर्णयों के पृष्ठ 2 पर पैरा 2 के अन्तर्गत प्रस्तावित अनुमोदन हेतु यह निर्णय लिया गया कि उस संशोधन के अनुसार टिप्पणी प्रेषित की जाकर स्वीकृत

## ॥ 8 ॥

Per/

॥6॥ वरिष्ठ समिति की दिनांक 26-5-80 की बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

E.T.P.

॥7॥ लेण्ड प्रोक्लोर मेन्ट की दिनांक सम्पन्न हुई बैठक के निर्णयों का बोर्ड ने कर अनुमोदन किया।

E.T.P.

॥8॥ प्रोजेक्ट कीटी की दिनांक 20-5-80 की बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

C.A.O.

॥9॥ मूल्य निर्धारण समिति की दिनांक 16-6-80 एवं दिनांक 7-5-80 की सम्पन्न हुई बैठक का भी मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

॥10॥ निर्माण पर हुए व्यय एवं प्रशासनिक व्यय के प्रस्तुत तालिका का बोर्ड द्वारा अवलोकन

॥11॥ वर्ष 1979-80 में दिनांक 31-3-80 तक लक्ष के संबंध में रखे गये विवरण का मण्डल ने

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से  
=====

85.14

यह निर्णय लिया गया कि श्री पी० के० बी० कुरम  
राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 का पूर्ण  
अध्ययन कर यह सुझाव प्रस्तुत करेंगे कि किन किन  
धाराओं के अन्तर्गत विकास की वर्तमान स्थिति  
ध्यान में रखी जाए तथा संशोधन आवश्यक है।

3.15

यह निर्णय लिया गया कि आगामी बोर्ड की बैठक में  
मूलतः जो विचार बिन्दु प्रस्तुत किया जाय वह अब तक  
की भौतिक प्रगति का विस्तृत विवरण व सम्पत्ति का  
आकंटन व उसके बेचान से हुई आय का लेखा जोखा  
प्रस्तुत किया जाय । इस हेतु प्रत्येक कालोनी में जो  
योजनाएँ "हडको" द्वारा स्वीकृत की गई उन परकी  
गई कार्यवाही, तैयार मकान/आर्चीटैक मकान तथा वे  
जिनका कि कब्जा दिया जा चुका है एवं वे जिस पर  
कार्य जारी है, सभी का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया  
जाय ताकि तयों के संदर्भ में वस्तुस्थिति पर विवेचन  
किया जा सके ।

—E को सम्म  
T गया।

नॉर 6-5-  
र्ड ने अक्का

80 को सम्म

म. 11.

10-6-79

हुई बैठक के  
या गया।

क लख के  
अवलाकन

0 तक सक्षय

इल न अवलाकन

10: रूम

0 4: पूर्ण

1 नि

स. ति को

1 1

॥ वी. एस. सिसोदिया ॥  
सचिव

MINUTES OF THE 86TH MEETING OF THE BOARD  
HELD ON 26TH AND 28TH JULY, 1980.

86th Meeting of the Board was held on 26th July, 80 at 11 AM in the office of the Board. As all the items of the agenda could not be discussed, the meeting was adjourned for 28-7-80 at 2.30 PM.

Following were present in the meeting:

|                                        |    |          |
|----------------------------------------|----|----------|
| Shri R.K. Shastri                      | -- | Chairman |
| Shri Bala Sahai                        | -- | Member   |
| Shri I.D. Bhargava                     | -- | Member   |
| Shri K.C. Mittal                       | -- | Member   |
| Shri N.M. Kothari                      | -- | Member   |
| Shri B. Kambo, C.T.P.                  | -- | Member   |
| Shri Akhey Raj<br>Housing Commissioner | -- | Member   |

Mr. Vinodra Singh, Financial Commissioner and Shri P.K.B. Kurup on leave of absence, which was granted.

Mr. S.S. Sisodia, Secretary RHB and Shri V.D. Mathur Chief Accounts Officer, RHB were present in the meeting.

Following officers were also invited to attend the meeting:

|                        |    |                         |
|------------------------|----|-------------------------|
| Shri Abdul Mateen      | -- | S.E. (Kota Circle)      |
| Shri H.N. Narhari      | -- | S.E. (Jaipur Circle)    |
| Shri A.K. Gupta        | -- | A.T.P.                  |
| Shri S.C. Sharma       | -- | Resident Engineer (R-1) |
| Shri Gokul Chand Verma | -- | Housing Officer         |
| Mrs. Prabha Sharma     | -- | Personnel Manager       |
| Shri S.M. Mathur       | -- | Consultant on Contn. M. |
| Shri G.C. Garg         | -- | U.A. of the Board.      |

The following decisions were taken in this meeting:

Action By 86.1 Confirmation of the Minutes of the 85th Meeting of P.M. While confirming the minutes of the 85th Meeting of it was pointed out that against item No.85.7, in place of " 5 years" experience as draftsman, the regard to experience was " 7 years".

The necessary correction should be made.

Adm / It was also pointed out that the designation has not changed, as A.T.P. ( Architectural Town Planner), should be used in place of E.T.P.(Engineer Town Planner).

The rest of the minutes were approved, as recorded.

86.2 Compliance Report of the minutes of the 85th Meeting of Board.

CAC / Suptl.Engr(J/C) The compliance report of the 85th Meeting was perused and was noted. The Chairman has negotiated a S.B.I. guarantee loan at a guaranteed commission of  $\frac{1}{2}\%$  p.a. and minimum commission being charged by the State Bank. The Board agreed to taking this guarantee, however information from Punjab Housing Board etc. may also be collected to see whether we can get bank guarantee on beneficial terms.

SC(H.) / 86.3 Reviewing the colony-wise progress of construction, and possession of Houses.

CAC/H.O. Before discussing the data presented to the Board at item No. 86.3, the Chairman expressed his satisfaction with the information which was prepared and presented before the Board. In future the Board should be fed

appropriate as to what is implementing achieved, what corrections be taken for presented to Finance wing.

While scrutiny to Construct following points

(1) Some income

(2) The need gaps

(3) Colon

(4) A col the status

(5) It w how havin

( 3 )

appropriate management information through which it could see as to what was actually planned, what was the schedule of implementing the various schemes, and what has actually been achieved; where are the short falls and reasons thereof and what corrective actions could be taken and are proposed to be taken for meeting the targets on time. Such details should be presented to the Board for the construction, housing and finance wings.

While scrutinizing the colony-wise details given with regard to Construction, Allotment and Possession of Houses ; the following points were made:

- (1) Some of the statistics appear to be anomalous/incorrect which may be checked and rectified.
- (2) The gaps in between column Nos. 10 & 11 and 8 & 14 need to be examined carefully and reasons for these gaps should <sup>be</sup> clearly given and put up to the Chairman.
- (3) Column No. 5 of the statement should be bifurcated in two parts; indicating the two broad sources of financing: HUDCO and NON-HUDCO.
- (4) A column should be added after the column No.4 indicating the date's of commencement, - - completion, and actual completion of the schemes.
- (5) It was pointed out that the term 'completed house', should be interpreted not as the physical structure having been created but as those tenements which are

( 4 )

actually available for handing over the possession to our registered applicants. Without electricity and sewage facilities more physical structures cannot be classified in the category of complete.

All Supdt. Engrs.  
A.R.Es. / H.O.

// It was also emphasised that the effort of the Engineers should not be to <sup>book</sup> more and more expenditure but to create disposable property so that it starts getting return on the capital investment. Action should be taken by all concerned for disposal of the properties, so that the time for the disposal is reduced to the minimum.

SE(Hq.)  
All R.Es.  
H.O.

(6) Quarterly Programme-Review meetings could be organised by the Housing Commissioner for the progress of each scheme and taking corrective action for the short-falls, if any.

St. Asstt. /  
SE-II(Hq.)

(7) In future, while preparing statements care should be taken, and column heading be given on every page for proper reading of statements.

Secretary/  
SE(J/C)  
CAG, H.O.

It was decided that the Secretary, RHO and S. Engineer(Jaipur Circle) will jointly prepare a progress report of all the schemes undertaken by the Board giving brief statistics about completion. A critical analysis of the current schemes with their dates of commencement and completion, schedule and the actual achievement of the same, giving reasons for the short falls, position of financing, availability of land, status of the land and auction of properties etc. Similarly, an annual report should be prepared by the Chief Accounts Officer making a critical analysis of all the schemes.

particular

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

This information  
Detailed info  
from its income

The Agenda item  
and the Chair  
necessary to  
Town Planner  
proposed scheme

All the proposals  
in the present  
decided to be  
Jaipur.

Draw for all

es, The item was  
system of disposal  
cases of disposal  
of the property  
be continued

However, a  
published in  
which must  
specified in  
of this amount  
The balance  
letter.

( 5 )

particularly examining their :

- 1) Costs;
- 2) Financing;
- 3) Turnover ratios; and
- 4) Losses incurred if any due to delays etc.

This information should be submitted in the next meeting of the Board.

Detailed information about Jawahar Nagar- Proposed Scheme, from its inception to Reservation Lottery.

The Agenda item was explained to the Board by the Secretary and the Chairman then gave <sup>the</sup> back ground as to why it was necessary to bring up this issue to the Board. The Chief Town Planner then explained the town-planning aspect of the proposed scheme in Jawahar Nagar, Jaipur.

All the pros and cons of continuing with the proposed scheme in the present form were discussed, and it was decided to continue the proposed scheme in Jawahar Nagar, Jaipur.

Draw for allotment of surplus houses.

The item was discussed and with a view to improving the present system of disposal of properties, it was decided, that in cases of default in payment of the first demand and submission of the requisite documents the cancellation/regularisation may be continued as per the existing procedure.

However, a complete list of all the allotments made should be published in the news paper(s) indicating the provisional amount which must be deposited by each allottee by a fixed date in the specified bank for that colony. In the event of non-deposition of this amount, the registration/allotment would stand cancelled. The balance amount should be communicated through the allotment letter.



It was also decided to fix a calendar for reservation of allotment lotteries for each town so that all concerned would be duty bound for completing all the pre-arrangements for the disposal of the properties as per the fix

H.O., P.R.O., 86.6  
A/m, Legal

Review of the decisions on transfer of registration, mutual exchange and giving of Hire purchase houses

The decision No. 71.8 (i) & (ii) and their views were explained. In this context the Chairman also gave views on the application of Col. Gawaia seeking of the house allotted to him, to his daughter; because of his bad state of health and a consequent decision to move to New Delhi. It was decided that permission to transfer allotment can not be given, however, looking to the circumstances. Col. Gawaia be allowed to sell this house before the expiry of seven years. It was also decided that future permission to transfer registration/allotment not be granted except in death cases.

It was decided that in view of the impracticability of implementing the decision No. 71.10, the condition on the Hire Purchase allotment for getting permission to rent out their houses should be deleted.

The cases for granting permission for sale of houses should be decided by the Chairman. In this context it was also decided that information should be collected from other Housing Boards regarding the practice followed by them for granting permission to sell.

It was decided that mutual exchange of allotments / flats should be allowed if both the parties belong to same income group and the houses / flats have equal right title basis.

86.7

L  
K

I

in

ti

ou

fo

to

for

It

some

86.8

exte  
take

The

agre

shoul

been

to ta

us,

the po

A cand

is self

to po

have to

- 11 -  
15

( 7 )

86.7

Loan from HUDCO for composite Housing Scheme, Baran  
Kota ( Waiver of Commitment charges )

It was decided that the scheme should be withdrawn,  
immediately, from HUDCO ,with a request that an alterna -  
tive proposal will be submitted in due course. Simultane-  
ously, a D.O. letter should be written to the CMD HUDCO,  
for waiving the amount of commitment charges amounting  
to Rs. 75,000/- levied on R.H.B. as commitment charges  
for this scheme.

It was also decided that all efforts should be made to procure  
some alternative land at an early date.

86.8

Extension of the date of Possession: Amendment in the decision  
taken in IIIrd COM.

The proposed amendment to drop the words 'does not' was  
agreed by the Board and it was decided that similar action  
should also be taken in the case of the persons who have  
been allotted a house on our right sale, but have not come  
to take-over the possession by the stipulated date.  
Thus, with regard to the cancellation of possession letter  
the position would now stand as below:

A cancellation clause be added in the possession letter  
itself specifying that if the allottee fails to take over  
the possession by the date specified therein, he will  
have to pay monthly instalments and penal

interest @ 15% in the first month and 18% in the subsequent two months in case of allotments based on hire purchase basis. If he does not take possession within 3 months from the date indicated in the letter, the allotment shall stand cancelled and the house may be declared surplus for the next draw if there is no waiting list. As regards possession for house allotted on outright sale, if the allottee fails to take over the possession within 3 months from the date specified therein, the allotment shall stand cancelled and the house may be declared surplus for the next draw if there is no waiting list.

06.9

After changing the income groups, classifying applicants in two categories in the same registration

HQ, OSD (GRS-79)  
PRD/Adm, Legal/

The matter was discussed by the Board and it was decided that whenever any registered applicant gets his income group changed, he should be placed in 'S' (Subsequent) category for the year of his registration and only those persons should be listed who were originally in that particular income group. The Board decided that for each year of registration there would now be two types of applicants. Group 'A' would consist of those persons who were originally registered in that particular income group in the year of registration and did not get their income group changed. Group 'S' (Subsequent) would constitute of those persons who were originally registered in a lower income group, but their income group changed, in a subsequent year, and they are now paying the balance amount of registration fee, making them eligible for the higher income group of the year of registration. Therefore, each year, while lottery is being held, there would be two clear classifications of income groups for each year of registration.

P - 0. Would include very income group

P - 5. Would include group, subsequent of registration for any change in eligibility, be taken out of draw for the taken-out. The seniority to be made between income group in date later

This practice of lotteries.

THE ADJOURNED  
ON 28-7-80

All the members of this meeting

The following

of the rent fixation issue of fixation was discussed and No. 1 and 3 were fixed, as per the provision) Act, 19

( 9 )

t month and 18% in the  
use of allotments bal  
he does not take pos  
late indicated in the  
stand cancelled  
plus for the next draw  
As regards possession  
right sale, if the al  
session within 3 mont  
the allotment shall  
by the declared sur  
no waiting list.

groups, classifying the  
as in the same regist

by the Board and if  
applicant gets his in  
ced in 'S' (Subsequ  
registration and he  
be listed who were  
lar income group. In  
each year of registra  
applicants. Group  
who were originally  
group in the year  
r income group chan  
ld constitute of the  
a later income gr  
d, in a subsequent  
of registration fee  
ncom group of the  
each year, while lot  
two clear classifi

- 0 would include persons who got registered in that very income group, in the year of registration.
- S Would include persons who got into that income group, subsequently ( i.e. later than the year of registration). While drawing the lotteries for any town/colony, for a particular year of eligibility, first the draws for group 'O' would be taken -out and if houses are still available draw for the person falling in group 'S' would be taken-out. Thus, while giving the same year of seniority to the registered applicants a distinction has been made between the persons registered originally in an income group and those who got into that income group at a date later than their year of registration.

This practice will now be followed in all future lotteries.

THE ADJOURNED 86TH MEETING OF THE BOARD WAS AGAIN HELD ON 28-7-80 IN THE CHAMBER OF THE CHAIRMAN, RHB, JAIPUR AT 2.30PM

All the members who were present on 26th July 80 attended this meeting.

The following decisions were taken:

Fixation of the rent for the RHB Office Buildings No. 1 & 3.

Issue of fixation of rent for RHB office building No. 1 was discussed and it was decided that in case of office building No. 1 and 3 the Legal Adviser should get the standard fixed, as per the Rajasthan Premises (Control of rent and Easements) Act, 1950

86.11

Creation of Additional Posts.

Amendment in Raj  
of Recruitment and

Secretary,  
Y.P. and  
D.

(A) Assistant Secretary/U.P.D.

It was decided that due to the increase in work on the part of the Secretary RHB the newly appointed be deputed to work for half the day with the to provide him assistance for correspondence P.O.C. and Assembly matters and general. This arrangement should be made for 3 months the matter may be reviewed again.

(a) Amendment

This issue that, Bo. opportunity be counted Board The for 50% d. from the of the ex. rejected additional the lower tion requ. personnel with the decided to come into to employ

(B) Creation of Additional posts of Helpers:

The proposal for creating one additional in each of the divisions was agreed. One thus be utilised as Cycle Saver by paying the cycle-Saver allowance.

The proposal for creating nine (9) additional Helpers for the Independent office of 511 (in teams, other than R.E. Headquarters).

However the proposal for creating one post in the S.P.S. 779 cell was not agreed; because cell is a temporary creation.

(b) Amendment  
Condition  
in schedule  
to the po

(C) Creation of three posts of Jamadar.

The issue regarding the creation of three posts of Jamadars for the headquarter office was discussed. As in building No. 1, 2 and 3 more than ten are posted at present, therefore, to supervise work, three posts of helpers be converted into of Jamadars in the scale of Rs. 245-350; and most helpers should be posted as Jamadars in Nos. 1, 2 and 3.

The propo a view to required and Accou employees tions 197 column No

P.Y. / Mm.

Amendment in Rajasthan Housing Board Employees Conditions of Recruitment and Promotion Regulations, 1976.

(a) Amendment regarding recruitment on the post of Tracer.

This issue was discussed in detail. It was pointed out that, Board would like to provide adequate promotional opportunities to its employees, but this aspect should be counter balanced with the over all interests of the Board. Therefore, the proposal for making a provision for 50% direct recruitment quota and 50% promotion quota from the post of Ferroman to the post of Tracer; in lieu of the existing provision of 100% direct recruitment was rejected by the majority. It was thought that laying down additional educational qualifications for promotion from the lower post, which is more than the minimum qualification required ( for the lower post) was not a healthy personnel practice. Shri I.D.Shargava, however, agreed with the proposal made on this agenda. Finally, it was decided that the existing regulations may continue and some other method for providing better opportunities to employees may be found out.

(b) Amendment in the Rajasthan Housing Board Employees Conditions of recruitment & Promotion regulations 1976 in schedule Administration and Accounts, for promotion to the post of Office Superintendent and Accountants.

The proposal was discussed and it was decided that with a view to bringing parity in qualification and experience required for promotion to the post of Office Superintendent and Accountants; the following amendments in the RHB employees 'Conditions of recruitment and Promotion Regulations 1976; in the Schedule Administration and Accounts column No. 6; should be made:

CAO/ PM/Adm.

- (i) In Schedule Administrators: at page 7 against item No.6 in column No.3 indicating the minimum experience and qualification required for promotion to the post of Superintendent; in lieu of the existing the following should be substituted:

" Must have 5 years experience as an

- (ii) In Schedule Accounts: on page 12 against No. 2 in column No. 6 indicating the experience and qualification required for promotion to the post of Accountant; the figure substituted by figure 5.

CAO/PM/Adm.

(c)

Amendment in conditions of promotion to the Accounts Assistant from Junior Assistant.

In the R.H.B. Employees conditions of recruitment regulations 1976 in schedule column page No. 12 against item No. 1 for the post of Assistant, the condition indicated in column word 'Accounts Branch' created some anomaly in promotions from the post of Junior Assistant. After a good deal of discussions, it was decided to substitute the column No.6 by following:

"Graduate Junior Assistants with 3 years experience and non-graduate Junior Assistants with 5 years experience after qualifying Departmental test for proficiency in accounts.

It was also suggested, that it would be better if the Accounts and non-accounts cadre are created right from the beginning.

7 3-11 2 3-15 5

( 13 )

For providing rental accommodation to the Officers and staff of the Board.

The proposal for providing 94 houses from the existing built-up houses in seven towns of Rajasthan to RHB employees was not accepted by the Board.

It was however, decided that the rental housing schemes should be taken up with the assistance of HUDCO for providing rental accommodation to the RHB employees & other Govt. servants. Initially be prepared for Jaipur and Kota.

Approval for the agenda by circulation Proposal No. 18.

The proposal for taking a loan from HUDCO for Rs. 6.12 lacs with a Government Guarantee for composite Housing Scheme Phase-II, Chittorgarh; which was already accepted by a majority of members through circulation, was finally approved by the Board. At this point, the Chief Town Planner raised the issue, that in the past, if one member disagreed with the agenda sent for approval by circulation to the Board members; then the matter was not decided by a simple majority and was to be put up to the Board. On this, the Board decided that because only in very urgent matters agenda items are sent for approval by circulation; (during the intervening period when the Board is not meeting); therefore, the very purpose of sending agenda items by circulation would be defeated if the matter is deferred, (due to the disagreement of one Board member) till the next Board meeting. It was, therefore, decided that decisions on agendas which are sent by circulation, should continue to be taken by a simple majority.



86.15 Fixation of the Work Charged employees as per  
in the Minimum Wages Act, 1948.

P.M./Adm/  
 ALL RES.,  
 S.F.(D/C)  
 S.E.(K/C)

The proposal for granting minimum wages to the categories of the work charged employees in the was approved as below:

" श्रमिकों को दिये जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण:-

कुशल:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1- इलेक्ट्रिशियन           | 240.50 |
| 2- कारपेन्टर               | 240.50 |
| 3- प्लम्बर (सेनीटरी फिटर)  | 240.50 |
| 4- जेनरल, पेंटर            | 240.50 |
| 5- मैकेनिक (मैकेनिकल फिटर) | 240.50 |
| 6- वायरमैन                 | 240.50 |
| 7- मिस्त्री                | 240.50 |
| 8- मैशन                    | 240.50 |
| 9- पेंटर                   | 240.50 |
| अकुशल :                    | 240.50 |

1- सर्वेयर (भूमापक)

2- मुन्शी

अकुशल:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1- मुख्य वागवान         | 187.00              |
| 2- धौबीदार              | 182.00              |
| 3- हेल्पर               | 187.00              |
| 4- वर्क स्लैन्ट         | 187.00              |
| 5- कुशल श्रमिक का सहायक | न्यूनतम वेतन 7/-    |
| 6- मजदूर                | या 182/- रु प्रतिमा |

टिप्पणियाँ

- 1- दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए निम्न मजदूरी की दर से 26 का भाग देकर की जायेगी।

7 3-11 2 3-15 5

§ 15 §

यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजन में से किसी कर्मचारी की मजदूरी दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन की प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके सम्बन्ध में नियम की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी ।

employees as per Amendment

Wages to the various employees in the State

अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी दरों निवाह भत्ता बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के स्केल में रोकड मूल्य यदि कोई हो, सम्मिलित है। इसमें साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए मजदूरी भी सम्मिलित है।

विवरण:-  
=====

अकुशल कार्य वह है जिसमें ऐसी साधारण कार्य, जिनमें कि कार्य सम्बन्धी कुशलता या अनुभव की मामूली आवश्यकता है या है ही नहीं सम्मिलित है।

यदि कुशल कार्य वही है जिसमें कार्य सम्बन्धी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता

- 240.50 प्रति घंटा या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो कि चतुर कर्मचारी के
- 240.50 ,, प्रविष्टि कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल
- 240.50 ,, प्रविष्टि कार्य भी सम्मिलित है।
- 240.50 ,,
- 240.50 ,, इस कार्य वह है जिसमें कार्य सम्बन्धी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा
- 240.50 ,, प्रविष्टि के रूप में या तकनीक या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षण
- 240.50 ,, द्वारा प्राप्त कुशलता क या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन
- 240.50 ,, में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है ।
- 240.50 ,, मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी ।

- 208.00 ,, 13 वर्ष से कम के युवा व्यक्तियों और असक्षम व्यक्तियों के लिए मजदूरी
- 108.00 ,, की न्यूनतम दरें सही श्रेणी के प्रोट मजदूरों को भुगतान योग्य दरों की 70 प्रतिशत होगी ।

- 137.00 ,, उक्त दरें । जनवरी 1980 से लागू होगी ।
- 182.00 ,,
- 137.00 ,,

अंतिम वेतन 7/- 10

182/- रु० प्रतिमा

यदि मजदूरी की दरें  
वर्ग के लिए निर्धारित

It was also decided that whenever the minimum wage is revised by the State Government the change should be made applicable to the Housing Board's Work Charge employees.

86.16

P.M./Legal/  
Adm.

Extension in the term of Legal Adviser (Part Time) Shri Gopi Chand Garg.

The proposal for extending the term of appointment of Legal Adviser Shri Gopi Chand Garg which is expiring on 31st July '80 was extended from 1-8-80, for a period of one year, on the existing terms and conditions.

86.17

CAO/PM/  
Adm

Conveyance, TA, DA & Other facilities to the persons taken on contract, and Part Time Legal Advisers for

It was decided, that, if a person on contract undertakes local journey in <sup>the</sup> interest of the Board, then his actual conveyance charges limited to @ 0.60 per km. If such person undertakes an out-station journey in the interest of the Board, then for the travel by train, he should be paid single 1st Class fair but if <sup>he</sup> travels by bus then actual bus fair may be paid.

The Daily Allowances and incidental charges on tours to be paid in the following manner:

- (i) Persons who are re-employed after retirement in Government be paid daily allowance and incidental charges which are applicable for the maximum of pay scale in which he retired.
- (ii) Persons who were not in Government Service may be paid as per the entitlement, viz of persons drawing a salary equivalent to the contract fee being paid.

(iii) Persons entitled to 5th accrue

Permission to Vallabh Bari,

The proposal a Bank Leave Bari Scheme

Amendment of Property Interest.

The matter the end wide Boa of the

Arranged during

The pr a Govt India

and of the

The pr the As re s'

( 17 )

(iii) Persons taken on whole time contract will also be entitled to the normal Casual Leave as is admissible to other Board employees, but no earned leave will accrue to them:

Permission to take loan from HUDCO for HIG houses in Vallabh Bari, Kota.

The proposal to take a loan for Rs. 52.35 lakhs from HUDCO, on a Bank Guarantee, for constructing the houses at Vallabh Bari Scheme, Kota was accepted.

Amendment in 'Hire Purchase Tenancy Agreement' of Disposal of Property Regulation 1970, regarding charging of penal interest.

The matter was discussed in the Board and it was decided that the amendment suggested in the Disposal of Property Regulation vide Board resolution No. 57.3, need not be pressed, in view of the practical difficulties.

Borrowing of Rs. 110 lacs by issue of Secured Debentures during 1980-81.

The proposal of floating a public loan for Rs. 110 lacs with a Government guarantee, as per conditions of Reserve Bank of India was accepted.

Amendment in the Rajasthan Housing Board Employees Conditions of Recruitment and Promotion Regulations 1976, incorporating Conditions for recruitment for the post of Laboratory Asstt.

The item was discussed and it was decided that in column No. 2 the designation of the post should be written as 'Laboratory Assistant'. In column No. 4 against qualification for direct recruitment in lieu of the proposed language, the following should be mentioned:

"Science Graduate having Mathematics  
Geology as one of the optional subject  
the above  
With amendments, the proposal was accepted.

86.22

Item for information & Report to the Board.

Adm.

86.22(i)

The minutes of the IIIrd CGM  
were perused and approved.

A.F.P.

86.22(ii)

The minutes of the Project Comm.  
held on 12-6-80 were perused and approved.

STP/L.10

86.22(iii)

While reviewing the information  
regarding the acquisition of land  
desired by the Board that a meeting  
of officers of the Urban Land Cell  
L.A.U. UIT, Jaipur, Deputy Secy.  
(Dealing with ULCAR) and some  
and officers of the Board should be  
at an early date for expediting the  
acquisition of more land in Jaipur city.

A.F.P. and L.A.U. should explore the  
of getting more land through regular  
Compulsory acquisition etc.

ITEMS WITH THE PERMISSION OF THE CHAIRMAN

86.23

Loan from HUDCO for Malviya Nagar Composite Housing  
Jaipur.

DAO/SE(hq.)  
SE(J/C), RE-II(Hq.)

The issue of taking a loan from HUDCO for the  
constructing 1096 houses in Malviya Nagar Phase-I  
scheme was discussed in detail and it was decided  
scheme should be withdrawn from HUDCO.

7 8 - 11 12 13-15 15

( 19 )

the request that very soon a new scheme on this land, for Two -storey housing will be submitted to HUDCO.

It was also decided that for phase-IV and V Malviya Nagar Schemes for Jaipur city, the Board should construct 2 storey houses. Such scheme for Phase -IV should be submitted to HUDCO within a period of two months.

#### Revision of Delegation of Powers:

This issue had already been discussed in great details during the R.H.B. officers' and Members' conference held on 23rd and 24th July, 1980 at HCM SIPA, in which some of the Board members and the Chairman were also present. The problems and issues were well thrashed out already; it was, therefore, decided that powers in respect of works and stores which are available to the officers of the P.W.D.(B&R) Government of Rajasthan should be delegated to the officers of similar status in the RHB in the following manner:

#### Designation in PWD(B&R)

- (1) Chief Engineer
- (2) Suptdg. Engineer
- (3) Executive Engineer

#### Designation in RHB

- Housing Commissioner.  
Suptdg. Engineer.  
Resident Engineer

Looking to the pattern of working in RHB it was decided that for the time being no powers need be delegated to the Site Engineers of the Board.

However as per the R.H.B. Act clause 2D(8), as all proposals for construction involving an expenditure of Rs. 10 lacs and above, prior permission of the state Government has to be obtained; therefore while granting powers equivalent to the

Chief Engineer P.W.D.(B&R), Government of Rajasthan regard to works and stores; to the Housing Committee a rider was put that he could exercise the power within the financial limit of Rs. 10 lacs.

It was also decided that for all those items which are applicable to the activities of the R.H.B. powers to the PWD officers shall not be delegated.

Accordingly, the details of the powers being delegated are enclosed and marked as APPENDIX-'A'

For Administration, Establishment and control the delegation of powers would be finalised and then it will be placed before the Board.

86.25

Adm

Terms and conditions for auction of sites in R.H.B.

This item could not be discussed due to shortage of time and therefore be put up in the next meeting of the Board.

86.26

Ac

Term Loan of Rs. 15.74 lacs from Vijaya Bank.

The matter was discussed at length and it was decided that the term loan of Rs. 15.74 lacs is very meagre and the loan should be taken only with any strings and conditions which are proposed to be imposed for this loan. It is acceptable only if the amount of the loan was Rs. 15.74 lacs.

86.27

Adm / Ac

Granting Special Allowances to Resident Engineer on deputation from RSEB.

While discussing this item the Board was conscious of the fact that the Resident Engineer is not a full-time officer and his services are required for the RSEB.

7 8-11 12 13-15 15

( 21 )

men of Rajasthan  
Housing Board  
also these points  
those items whi  
to R.H.B. point  
and noted.

owers being del  
A!

t and contingent  
e finalised by  
the Board.

of the Board  
d due to shortage  
next meeting of the

Visaya Bank.  
and it was  
nes is very near

will any other  
be imposed for  
of the loan was

the word 'Director  
Board.

fact that giving such special/allowances to the Officers on deputation may create some difficulties but in view of the fact that any body who is taken from RSCB would be entitled for such allowances; it was decided, that the orderly allowance @ Rs. 240/- per month as well as compensatory conveyance allowance @ Rs. 350/- per month may be paid to Shri A.S.Chandna, Resident Engineer (Elec.) during which his performance by way of economy etc for the for a period of 3 months. This matter may be reviewed in the context of the experience during these three months.

Mutual Exchange of Flat No. 3/36 allotted to Shri L.K. Chaturvedi and House No. 4-Bha-21 allotted to Shri Raghuvor Singh, in Jawahar Nagar, Jaipur.

The item was discussed and it was decided that the Chairman was competent to allow such mutual exchanges, if the total disposal price was being paid in a lumpsum by both the allottees and they both belonged to the same income group. However as this matter was brought up to the Board the exchange was allowed subject to the above conditions.

Item No. 86.29 to 86.32 could not be discussed in the Board due to the paucity of time. These items could however be put before the next meeting of the Board.

Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

( V.S.SISODIA )  
Secretary  
Rajasthan Housing Board,  
Jaipur.



MINUTES OF THE 88TH MEETING OF THE  
BOARD HELD ON 27th NOVEMBER, 1980

88th Meeting of the Board was held on 27th November, 1980  
A.M. in the Chamber of the Chairman, RHB, Jaipur. The  
following were present:-

Shri R.K. Shastri  
Shri Bala Sahai  
Shri I.D. Bhargava  
Shri K.C. Mittal  
Shri N.M. Kothari  
Shri Yatindra Singh  
Financial Commissioner  
Shri Akhay Raj  
Housing Commissioner

Chairman  
Member  
Member  
Member  
Member  
Member  
Member

Shri Ram Kumar Singh, Secretary, RHB was present in the  
meeting.

Following officers were also invited to attend the  
meeting:-

Shri Sanjiva Goyal  
Shri D.K. Jain  
Shri N.N. Narhari  
Shri A.K. Gupta  
Shri S.C. Sharma  
Shri G.C. Verma  
Smt. Prabha Sharma

C.A.O.  
Sr.A.O.  
SE (J/C)  
A.T.P.  
R.E.(H.Q-II)  
Housing Officer  
P.M.

Shri B. Kambo, Chief Town Planner and Shri P.K.B. Kurup,  
Member of the Board, who were not present, were granted  
leave of absence.

The following decisions were taken in the Meeting:-

Confirmation of the Minutes of the 87th Meeting  
of the Board:

Minutes from Item No. 87.1 to 87.34 were approved as  
recorded.

.....2

88.2 Compliance report of the decisions of 87th Board Meeting:RE(Udaipur)  
SECY/  
Sr.AO

Progress of action on the decisions 1-36 was by the Board. While reviewing item No.87.10, the Chairman pointed out that the pace of progress work relating to possession of Houses in Khandu Colony is not satisfactory. Out of 666 available houses, allotment letters have been issued in only 564 houses but possession has been taken by about 250 persons and the remaining 416 allottees had neither deposited the money nor furnished documents. Secretary and/or Sr.A.O. should re-visit the position and submit a report in the next meeting of the Board.

88.3 Loan from HUDCO for composite Housing Scheme, Jawahar Nagar, Phase VIII, Jaipur for MIG Housing Scheme, Jawahar Nagar, Phase IX, Jaipur:

CAO

The proposal was confirmed by the Board.

88.4 Special Registration Scheme for M.L.As and M.P.s of Rajasthan:

HC/Secy

The Commissioner informed the Board that he had been called by the House Committee of the Legislative Assembly on the 31st of October. The Committee wanted to consider the possibility of opening registration for members of the 7th Legislative Assembly as also the taking up of a Special Scheme for construction of houses for M.L.As/M.P.s. The Board considered that since these were high policy matters, appropriately the suggestion could have been directed to Government. Also, looking to the number of about 30,000 registered applicants for Jaipur City alone and considering the difficult position of land and Cement, the Board felt that it would

inadvisable to  
City at  
constru  
individ  
could c  
availab  
for fur  
could b  
Committ  
Governm  
Permiss  
Employee  
are an

The mat

Terms a  
Chief A

The ter

Goyal,

General

accepte

in the

(i)

(j)

(m)

(q)

inadvisable to open new Registration for Jaipur City at this stage. As to a Special Scheme for construction of houses for M.L.As not in their individual capacity but as M.L.As such a Scheme could certainly be taken up provided land was made available and Govt. took over these houses on payment for further letting out to M.L.As. These broad views could be communicated to the Secretariat of the House Committee who might consider taking it up with the Government.

Permission to treat the allotments made to the Govt. Employees/Officers on hire purchase basis till they are sanctioned loan by the Government for outright sale.

The matter was deferred for the next meeting.

Terms and conditions for deputation for the Post of Chief Accounts Officer:

The terms and conditions of deputation of Shri Sanjiva Goyal, CAO as communicated by the Comptroller & Auditor General, Defence Services, GOI were considered and accepted by the Board with the following modifications in the items indicated below:-

- (i) the leave salary and pension contribution will be paid as quickly as possible instead of 'within fifteen days'.
- (j) Shri Sanjiva Goyal will be provided medical facilities as per RHB Rules.
- (m) As no residential accommodation is available with RHB, Shri Goyal will be entitled to house rent allowance as per GOI Rules.
- (q) The Board will not provide the facility of a vehicle for private use of Shri Goyal. The circular of the GOI envisages such facility for top Executives of a Corporation only.

.....4

The terms and conditions other than those agreed upon will be decided mutually as and when need arose.

88.7. Provision of additional facilities to Shri G.C.V. Housing Officer consequent to his promotion in parent Department as Deputy Secretary to Govt.

P.M

- (a) The Board did not approve payment of order allowance @ Rs.75/- p.m. as in terms of Government order itself. This allowance is not payable to officers outside Secretariat.
- (b) The Board agreed to provide telephone at his residence, keeping in view the nature of the work of the Housing Officer.
- (c) The Board also agreed to provide a Steno Gr.II to the Housing Officer.

88.8. Revision of decision regarding charging of Seed from the allottees of RHB and carry forward of outright quota:

H.O

The matter was discussed thread-bare, keeping in view the recommendations of the Study Team of D. and AR, GOI, though it was appreciated that it would be in the larger interest of the Board to carry forward outright quota for the same category of registered applicants of subsequent years, instead of releasing it to the general H.P. as at present the matter was quite important and warrants a further serious thought. For the time-being, therefore, present practice may continue. Seed money may also continue to be realised as hitherto-fare.

88.9. Payment of additional Dearness allowance to the Employees as per revised rates sanctioned by the

CAO

The payment of Additional dearness allowance to Board Employees w.e.f. 1-7-83 was sanctioned by Board.

-: 5 : -

10 Issue of Accounts Assistant who were not considered for promotion by DPC held on 24-5-80 on the ground that their experience of Accounts work in 'Division' was not considered as experience of Accounts Branch:

The Board discussed this matter in detail. Members of the Board were of the view that literal interpretation of the word 'Accounts Branch' had debarred some Junior Assistants having experience in accounts for being considered for promotion as Accounts Assistant, because the employees working under the Chief Accounts Officer alone are not dealing with the Accounts work but those of the employees working in divisions who are doing accounts work are also part and parcel of the Accounts Branch. It was, therefore, decided that the decision of DPC held on 24-5-1980 regarding promotion to the post of Accounts Assistants should be reviewed in the light of the broader meaning of 'Accounts Branch' and after reconsideration names be arranged as per seniority in the lower cadre.

11 Construction of Office building for Rajasthan Housing Board, Jaipur:

The above item was approved.

12 Advertisement bills of Rs. 4,581.70 regarding lotteries allotment etc:

The expenditure of Rs. 4,581.70 incurred in connection with release of advertisement relating to lotteries, allotment etc. were approved by the Board.

13 Limit of Entertainment/refreshment expenses in the Conferences/Meetings:

This circular relates to Government Departments.

.....6

88th Meeting  
27-11-1980

-: 5 : -

10 Issue of Accounts Assistant who were not considered for promotion by DPC held on 24-5-80 on the ground that their experience of Accounts work in 'Division' was not considered as experience of Accounts Branch:

The Board discussed this matter in detail. Members of the Board were of the view that literal interpretation of the word 'Accounts Branch' had debarred some Junior Assistants having experience in accounts for being considered for promotion as Accounts Assistant, because the employees working under the Chief Accounts Officer alone are not dealing with the Accounts work but those of the employees working in divisions who are doing accounts work are also part and parcel of the Accounts Branch. It was, therefore, decided that the decision of DPC held on 24-5-1980 regarding promotion to the post of Accounts Assistants should be reviewed in the light of the broader meaning of 'Accounts Branch' and after reconsideration names be arranged as per seniority in the lower cadre.

11 Construction of Office building for Rajasthan Housing Board, Jaipur:

The above item was approved.

12 Advertisement bills of Rs. 4,581.70 regarding lotteries allotment etc:

The expenditure of Rs. 4,581.70 incurred in connection with release of advertisement relating to lotteries, allotment etc. were approved by the Board.

13 Limit of Entertainment/refreshment expenses in the Conferences/Meetings:

This circular relates to Government Departments.

.....6

88.14 Opening of fresh registrations:

The matter was considered at great length. It felt that before registration is opened at no a careful study may be made of the following:

H.C  
A.T.P

- (i) adequate land is readily available;
- (ii) people of the locality are quite enthusiastic about the RHB Scheme;
- (iii) there is a felt need for more houses kept in view the existing population, growth etc.

The Housing Commissioner may assess the desirability of opening registration at the following places towns satisfy the above tests:

- (1) Gulabpura
- (2) Dungarpur
- (3) Merta City
- (4) Suratgarh
- (5) Hanumanagarh
- (6) Sirohi

The Financial Commissioner pointed out that there is a strip of land of Ganganagar Sugar Mills available near the railway track at Hanumanagar. The site may be got inspected by the RHB and a colony developed, if considered feasible.

As regards, the cities where RHB colonies are in progress, it was decided that as more houses than the existing registration are available at the following places, new registration may be opened

- (1) Jodhpur
- (2) Pali
- (3) Alwar
- (4) Bhilwara
- (5) Bundi
- (6) Banswara

313

et)

Q-II)

88th Meeting  
27-11-1980

88th Meeting  
27-11-1980

-: 7 : -

length. It  
ended at now  
following fac  
ilable;  
quite enthusia

The Chairman reiterated the need for setting up a small unit for purposes of planning and advance action for the various programmes of the Board. This cell could also carry out a regular exercise of critical review of the progress of various Schemes and ensuring implementation thereof in time.

houses kept  
growth

15 Loan from HUDCO for MIG Housing Scheme, Malviya Nagar Phase -V, Jaipur:

the desired  
owing place

10 This item was approved.

16 Items for information and report to the Board

10/

(i) Minutes of the Committee on Management held on 3rd October, 1980. -Approved.

(ii) Minutes of the 8th Project Committee held on 1st Oct. 1980. -Approved

(iii) Minutes of the 1st Negotiation Committee held on 4-11-1980 -Approved

(iv) Review of decision taken in the Sr. Selection Committee held on 8th Oct., 1980. -Approved.

(v) (a) Compliance report of decision taken Item No. 86.11:

It was decided by the Board that the present arrangement may continue.

(b) Compliance report with item No.86.27 of the 87th Board Meeting:

It was decided that the Report may be obtained at the earliest and may be put up in the next Board Meeting.

(vi) Minutes of 12 & 13 Costing Committee's held on 17.5.1980 and 25.7.1980:

(II)

Board approved the Minutes of 12th and 13th Costing Committee.

.....8



- (vii) Request for advertisement in the Souvenir published by the Indian National Trade Union Congress Rajasthan Branch, Jaipur:

P.R.O

The matter regarding booking space for advertisement of MIB in the Souvenir to be published by the Indian National Trade Union Congress Rajasthan Branch was considered by the Board and it was decided that a quarter page advertisement amounting to Rs. 300/- may be sanctioned.

- (viii) (a) Investigation report on the construction houses in Nahari-ka-Naka, Housing Board, Jaipur:

H.C

- (b) Development of cracks in 152 tenements in Nahari-ka-Naka:

Chairman apprised the members with the report relating to the above investigation. However, he felt that as administrative action was warranted, the same could be considered at the level of the Chairman. The item was therefore, withdrawn.

88.17 Delegation of Powers to the Site Engineers of Housing Board

C.A.O

Shri I.D. Bhargava, Board Member was of the view that the Site Engineers having two years service or more under gone refresher Course Training may be delegated powers equivalent to that of Assistant Engineer P.W.D, subject to the condition that they will incur expenditure to the extent of sanctioned budget.

313

Powe  
Staff

Powe  
(CLY)

212

Shri Yatindra Singh, Financial Commissioner, felt that any powers which have no financial implications, may be given to the Site Engineers.

The Chairman was of the view that if condition of two years service was insisted upon, in that case there will be anomaly in the pattern of the working of the Site Engineers, because those having the service period of less than two years will not be able to exercise these powers. Moreover the objective of giving/delegating powers should be to improve the efficiency of the organisation and not a fassion to invest the officers with the powers. If the powers as suggested are delegated then large number of supporting staff will be required. It was, therefore, agreed in principle, that such powers should be delegated to the Site Engineers which may help increase the efficiency of the working of the Site Engineers, as well as of the organisation. Such powers should however be delegated without providing any additional staff.

In view of the above, it was decided that the following powers should be delegated to the Site Engineers of R.H.B:-

Table of powers delegated to the Site Engineers of RHB:

| Name of Power                                    | Extent and conditions                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Powers to write ACRs of Staff                    | JSE, Jr. Asstt. Acctt. Asstts<br>Munshi, Mistri, Helper &<br>Class -IV. |
| Power to sanction leave (CL/PL up to one month). | Do-                                                                     |

.....10

| S.No. | Name of Power                                                     | Extent and condition           |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3.    | Power to suspend subject to approval of the appointing Authority. | Munshi, Mistri, Help Class-IV. |

ADMINISTRATIVE:

|    |                                                                  |                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4. | Power to impose penalty (Minor penalty)                          | Munshi, Mistri, Help Class-IV                     |
| 5. | T.A & Conveyance bill of staff under them.                       | Jr. Asstt. Accountant Mistri, Munshi, Class       |
| 6. | Drawing and disbursement of pay for the staff working under him. | J.S.M, Jr. Asstt, Asstt. Munshi, Mistri Class-IV. |

FINANCIAL:

7. To accord technical sanction up to Rs. 5,000/- to detailed estimate.
8. To sanction estimate for ordinary repairs/Special Repairs. Up to Rs. 500/-.

In case of the Site Engineers working at Ajmer, and Banswara who are functioning independently may sanction the purchase of store articles inc TNP after calling the tenders to the tune of Rs.

The Board also decided that these powers will be of the Schedule of Delegation of powers, delegated to the officers of the Rajasthan Housing Board as vide item No.36.24 of the Board meeting held on 1980. The Schedule of powers may be updated acc

213

18 Recategorisation of houses in case of cost over-  
runs over the HUDCO ceilings:

The matter of recategorisation was explained in detail by Shri S.C. Sharma (RE HQ-II).

It was brought to the notice of the Board that while finalising the cost of houses to be included in the ensuing lotteries, as per decision of the 4th Meeting of the Committee on Management it was observed that in most cases, the costs exceeded the HUDCO ceilings. On a detailed study, the reasons identified for the cost over-runs were found as under:-

1. Increase due to inflation.
2. Increase in cost of land acquisition and development works.
3. Increase due to additional charges levied by the Board.
4. Increase in cost due to certain authorised excesses which were permitted in certain Reservation lotteries.

After detailed discussions, it was decided that a neat and clean mode of costing and allotting the houses be prescribed.

For this, it was decided that in future, for the purpose of costing and repayments, the houses may be placed in the next higher category sequel to recategorisation. However, the house shall be allotted to the original category applicants for which it was built.

For the costing and repayments of the houses of Talvandi, Kota and Malviya Nagar, Jaipur already reserved in the previous Reservation Lotteries, the principles as committed in the option booklets shall be adhered to.

H.C.  
C.A.O

88.19 The Statements of expenditure during the year 1979-80 and 1980-81 were presented in the Board Meeting for information. It was noted that the establishment of the Staff have gone up from 7.19 to 10.82% in the year 1980-81 which depicts that the administrative charges are more than that of the last year. It was also observed that the expenditure incurred up to October, 1980 is much below than the last year. It was apprehended that the financial targets of 1536.19 lacs fixed for 1980-81 may not be achieved as only Rs. 417.72 lacs have been spent so far. This shows unsatisfactory progress in the sphere of development activities for the year. It was also felt that with this speed even the target of last year, which was to the tune of about Rs. 10 crores, may not be achieved.

The Housing Commissioner pointed out that this Board had decided to route each project through the Committee, before being sent to HUDCO, according to the individual revised plan of house (to keep within HUDCO limit) layout plan and Scheme to start and thus submission of schemes to HUDCO was delayed and many schemes could not be started. The acute shortage of cement also resulted in less expenditure. He further explained that the position of funds was also not good. After repayment of quarterly instalment to HUDCO in 1980, there is likelihood of paucity of funds. The amount is expected to be released by any of the banks. It was decided that the Housing Commissioner may increase the pace of construction and expenditure and may take up the matter of release of loans by the Government at personal level.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chairman.

(RAN KUMAR)  
SECRETARY

2

(90)

MINUTES OF THE 89TH MEETING OF THE  
BOARD HELD ON 23RD JANUARY, 1981.

The 89th Meeting of the Board was held on 23rd January, 1981, at 11.00 A.M. in the Chamber of the Chairman, Rajasthan Housing Board, Jaipur. The following were present :-

- |      |                                              |            |
|------|----------------------------------------------|------------|
| (1)  | Shri I.G. Jhingran,<br>Secretary, UDH        | Chairman   |
| (2)  | Shri Bala Sahai                              | Member     |
| (3)  | Shri I.D. Bhargava                           | Member     |
| (4)  | Shri K.C. Mittal                             | Member     |
| (5)  | Shri N.M. Kothari                            |            |
| (6)  | Shri B. Kambo,<br>Chief Town Planner         | Member     |
| (7)  | Shri L.N. Gupta<br>Finance Secretary         | Member     |
| (8)  | Shri P.K.B. Kurup                            | Member     |
| (9)  | Shri L.B. Baxi<br>Housing Commissioner, RHB. | Member     |
| (10) | Shri R.K. Singh<br>Secretary, RHB            | Secretary. |

The following officers were also invited to attend the meeting :-

- (1) Shri Sanjiva Goyal, Chief Accounts Officer
- (2) Shri K.S. Goyal, S.E. (HQ.)
- (3) Shri N.N. Narhari, S.E. (J/C)
- (4) Shri A.K. Gupta, A.T.P.
- (5) Shri D.K. Jain, Sr. A.O.

The following decisions were taken in the meeting :-

- 89.1 Confirmation of the decision of 88th meeting of the Board.

Minutes were approved with the addition of the words "provided such applicants give their option" in item 18, after last but one para.

3117

The matter relating to carry forward of reserve quota (88.8) was considered to be important and such would be placed before the Board in its next meeting for consideration.

89.2 Compliance of the items of 38th Board meeting.

Noted.

89.3 Approval of auction of cinema site held on 5.1.

Approved.

89.4 Request of Smt. Ajay Dubey w/o late Shri Ajay D for allotment of house.

The request was considered in detail and it was decided that requests of widows of deceased re applicants may be considered for special allot if the same are received within a period of one of death and they have minor children. Option of category will be left to the discretion of the

89.5 Permission to treat the Govt. employees/officer hire purchase basis till they provide loan from Government for out right sale basis.

Withdrawn.

89.6 Advertisement bills of Rs. 11,585.94 regarding lotteries, allotment etc.

89.20 Sanction for payment of advertisement bill of Rs.20,972.40.

Approved. Chairman may authorise such expenditure on advertisements. However, all expenditure on advertisement will need prior approval of the

Rm

89.7 Agenda note by circulation No.33 regarding loan from HUDCO for composite Housing Scheme of Dadabari, Kota.

Approved.

89.8 Amendment in the disposal of Property Regulation, 1970-Insertion of Clause of tree plantation in Allotment letter.

The matter was considered and Board felt that amendment for this purpose was not necessary.

89.9 Stall in Gantantra Mela Pradarshni Samiti.

Sanction was given for the installation of stall in Gantantra Mela Pradarshni & approval of Rs.7,500/- for expenditure to be incurred on the exhibition was given.

89.10 Creation of an additional division for rural Housing.

While Board approved the proposal in principle, it desired that specific schemes for rural housing should be brought up before the Board for approval. It further desired that no expenditure on staff etc. will be incurred till specific schemes were sanctioned by the Board.

89.11 Privilege leave - Surrender and encashment of.

Approved as per State Government Order No.F.1(39) PD(ER)/65-II dated 29.12.80.

89.12 Loan from HUDCO for composite Housing Scheme at Mahavcer Nagar, Ph.IV., Kota.

Approved.

89.13 Loan from HUDCO for composite Housing Scheme at Mohi Colony, Banswara.

Approved.



89.14 Loan from HUDCO for LIG Housing Scheme at Vihar, Jaipur.

Approved.

89.15 Loan from HUDCO for composite Housing Scheme Mahaveer Nagar, Ph.VIII, Kota.

Approved.

89.16 Installation of one telephone connection under Scheme at the residence of Shri R.M. Mathur, Engineer, Division Alwar.

Approved. Board, however, felt that such additive matters may be decided at the level of Chairman in future.

89.17 Regularisation of unauthorised construction by the allottees of RHB.

This item was deferred as the vesting of such in the RHB was under the active consideration of the State Government.

89.18 (i) Review of decision taken on agenda item

No.87.27 regarding procedure for drawing lots-reservation per centage for different categories of the reservation persons. Deferred.

(ii) Compliance report of item No.86.27.

The item was discussed. Chairman asked Members that he would take up the matter himself with the Chairman of Rajasthan State Electricity Board.

89.19 Payment of legal fees to Shri N.L. Tibriwal conducting 22 writ-petition in High Court.

Approved.

20/2

(94)

--: 6 :--

Scheme at

89.21 Budget estimates for the year 1981-82 and revised Estimates for the year 1980-81 and minutes of the Finance Committee held on 22.1.81 of RHB.

using Scheme

Actual account for 1979-80, revised estimates of 1980-81 and the budget estimates for 1981-82 and the minutes of the meeting of the Finance Committee held on 22.1.81 were approved as presented.

unction under  
R.M. Mathur,

89.22 Term loan of Rs.25.00 lacs from the Bank of Rajasthan Limited, Jaipur.

at such admi  
the level of

Approved.

89.23 Charging of seed money from Board employees and 71 applicants for the reservation draws held on 7.3.79, 14.4.79 and 15.5.79.

struction:

sting of such  
consideration

on agenda it

are for draw  
age for dis  
no persons.

No.36.27.

Chairman assum  
up the mat  
of Rajasthan

A serious view of the delay for not issuing the letters for the deposit of seed money to the allottees, who were reserved houses, was taken by the Board. It was decided that the responsibility should be fixed on the officers/officials of the Housing Board, who were responsible for this delay. It was also decided that the seed money should also be charged from all the allottees irrespective of class category and the order of reservation. The notices in this regard for the deposit of seed money should be issued immediately and action for the allotment of house numbers to such allottees should be taken by 15th February, 81, positively.

89.24 Items for information and confirmation of the Board.

. Tibriwal  
Court.

(i) Minutes of the 2nd meeting of the Land Negotiation Committee held on 16.1.81.

(ii) Minutes of the 3rd Meeting of the Land Negotiation Committee held on 20.1.81.

21/2

(95)

7:-

OFF

The reports submitted by the Negotiations Committee were considered and it was decided that the for the purchase of land may be referred to the Sec for exemption under Section 20 of Urban Act, 1976 (Ceiling & Regulation) and permission to purchase this land on the basis of the negotiated award. Before doing so, it was felt that the Committee explore the possibility of further reduction in rates.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

21/3/76  
Secretary,  
Rajasthan Housing Board  
JAIPUR.

Please  
enclose  
Board.  
8  
is  
earlie  
in  
ma  
points  
N  
Bo  
also d  
to dis  
of the  
thf  
sa/  
kam  
of  
archit  
ust

(1926)

MINUTES OF THE 90TH MEETING OF THE  
BOARD HELD ON 8TH APRIL, 1981.

90th meeting of the Board was held on 8th April, 1981 at 10 A.M. in the Chamber of the Chairman, RHB, Jaipur. The following were present :-

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Shri A.L. Roongta,<br>Secretary, UDH.   | Chairman.  |
| Shri Bala Sahai                         | Member.    |
| Shri I.D. Bhargava                      | Member.    |
| Shri K.C. Mittal                        | Member.    |
| Shri P.K.B. Kurup                       | Member.    |
| Shri N.M. Kothari                       | Member.    |
| Shri B. Kambo                           | Member.    |
| Shri L.N. Gupta<br>Finance Secretary.   | Member.    |
| Shri L.B. Baxi<br>Housing Commissioner. | Member.    |
| Shri R.K. Singh<br>Secretary.           | Secretary. |

Shri Sanjiva Goyal, Chief Accounts Officer, RHB was also invited to attend the meeting.

The following decisions were taken in the meeting :-

1. Confirmation of the decisions of the 89th Board Meeting.

The minutes were approved as presented.

2. Compliance report of 89th meeting of the Board.

The compliance report was perused and approved.

3. The representation of Shri G.V. Damle for exempting by penal interest on unpaid instalments & rescheduling the monthly instalments.

The matter was discussed in detail. The Board decided that the pecuniary circumstances of individual allottees if considered, would set unhelpful precedents, hence Shri Damle should pay monthly instalments as well as interest just like any ordinary allottee. The representation of Shri Damle was, therefore, rejected.

90.4 Regularisation of House No.3-Ka-19(30'x60') Ajai Nagar Ajmer allotted to Shri Purshottam Gwalani.

H.O.

The matter was discussed. Since the total money has been paid by the allottee, in view of the nature and circumstances of the case, the house was regularised. Interest and penalty will, however, be charged from allottee as per rules.

90.5 Provision of decision regarding charging of seed money from the allottees of RHB & carry forward outright quota.

H.O.  
CAO.

The matter was discussed in detail. It was decided that the present practice may continue and the recovery position be brought to the notice of the Board.

90.6 Earmarking of a house for the Housing Commissioner, Jaipur.

H.O.  
SE(J/C).

The proposal was rejected in the light of the Government order no. F.9B(1) CSE/79 dated the 7th Dec., 1979, shown by Shri L.N. Gupta, Finance Secretary to members of the Board wherein it was stated that "When whole-time Chairman is a Government Servant, he shall be provided residential accommodation by the Undertaking Company etc. but their cases will be considered for allotment of Government accommodation as per rules and they will be allotted Government accommodation according to Government rules on their turn. Till the Government accommodation is not allotted to them they may arrange residential accommodation on their own and they will be entitled to House Rent Allowance according to Government House Rent Allowance Rules. As on date persons residing in the Undertaking/Company's accommodation will be required to vacate the same within 3 months period and make their own arrangements for residential accommodation or Government accommodation as the case may be. This will also apply in case of Managing Director/General Manager or Chief Executive of the Undertaking/Corporation." It was also desired that the factual position of these 2 houses declared surplus may be submitted to the Board as to how these 2 houses were declared to be surplus.

Review  
procedu  
differe

The ma  
system  
diffic  
ries w  
small  
direct  
No. F.8  
adopt  
of the  
parti  
house

f. Dec  
the  
as to  
2  
8. Form  
hire  
for  
The  
group  
will

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
8)  
9)  
10)

Review of decision taken on agenda item No.87.27 regarding procedure for drawal of lots-reservation percentage for different categories of the reservation persons.

The matter was discussed and it was decided that the present system may continue. However, in order to remove the practical difficulty in the allotment of houses to the reserved categories where the no. of houses in particular category is normally smaller, it was decided that the principle adopted vide Govt. direction under section 60 of Act for the MP/MLAs vide letter No.F.8(28)TP/75 dated the 11th June, 1975 should also be adopted in case of other categories. In future, if the no. of houses to be allotted in a particular scheme and in particular phase and at point of time, is more than 20, one house for each categories will be reserved to Ex-Army men, freedom fighters, Board employees, Handicapped and in case the no. is less than 20 the no. will be carried forward so as to ensure that a total no. of houses allotted comes to 2%, 1%, 3%, 1½% respectively.

Permission to treat the Government employees/officers on hire purchase basis till they provide loan from the Govt. for outright sale basis.

The proposal was accepted and it was decided that the houses allotted on outright basis to the Govt. employees will be treated on limited hire purchase basis provided:-

- 1) the Govt. employee/allottee will make down payment of 25% immediately and the balance amount should be paid in five equal annual instalments;
- 2) State Govt. will furnish guarantee for repayment of outstanding amounts on their behalf in individual cases.
- 3) The employees/allottee will pay interest on these deferred payment on the usual terms and conditions;
- 4) Employee will also pay penal interest for the preceding period.

If the delay is for more than 9 months then these cases may be regularised by the Chairman, keeping in view the above facts.

21/2

90.9 Extension in the term of temporary posts.

P.M.

The approval for the extension of the following temporary posts was given upto 31.3.82 :-

(A) Technical Wing:-

1. Two new field circle office
2. Five new field division and posts created according to revised pattern (additional posts).
3. Additional post of Resident Engineer(HQ)with office
4. Resident Engineer (Electric).
5. Resident Engineer (RHE) with office staff.
6. New posts in Architect Cell.

(B) Administration Wing :-

- |                         |             |        |
|-------------------------|-------------|--------|
| 1. Personnel Manager    | One post    | 1150-1 |
| 2. Project Officer      | One post    | 620-11 |
| 3. Office Supdt.        | One post    | 500-94 |
| 4. Asstt.(Housing Cell) | One post    | 440-77 |
| 5. Jr. Asstt.           | Three posts | 355-57 |
| 6. Driver               | One Post    | 355-57 |
| 7. Cycle Saver          | One post    | 240-29 |

(C) Chief Accounts Officer Wing:-

- |                            |                |        |
|----------------------------|----------------|--------|
| 1. Asstt. Accounts Officer | One post       | 620-11 |
| 2. Accountant              | Three posts    | 500-94 |
| 3. Accounts Asstt.         | Eight posts    | 440-77 |
| 4. Jr. Asstt.              | Fourteen Posts | 355-57 |

90.10 Extension of the term of Shri G.K. Rana, Legal Adviser (Labour), RHB, Jaipur.

P.M.

The continuance of Shri Rana as Legal Adviser till 30.6.81 was approved. However, the performance of work of Shri Rana may be put up for review of the Board in the next meeting.

21/27

Loan from HUDCO for Malviya Nagar, Ph.VII-A, Composite Scheme, Jaipur.

It was resolved to accord approval of the Board for general acceptance of the scheme and permission to raise loan of Rs.46.40 lacs in accordance with the terms and conditions of the Corporation. It was further resolved to authorise the Chairman to execute the loan agreement with HUDCO under the common seal of the Board in the presence of the Housing Commissioner.

Loan from HUDCO for Malviya Nagar, Ph.VIII-A, Composite Scheme, Jaipur.

It was resolved to accord approval of the Board for general acceptance of the scheme and permission to raise loan of Rs.42.68 lacs in accordance with the terms and conditions of the Corporation. It was further resolved to authorise the Chairman to execute the loan agreement etc. with HUDCO under the common seal of the Board in the presence of the Housing Commissioner.

Loan from HUDCO for Malviya Nagar, Ph.VIII-B, LIG Scheme, Jaipur.

It was resolved to accord approval of the Board for general acceptance of the scheme and permission to raise loan of Rs.32.14 lacs in accordance with the terms and conditions of the Corporation. It was further resolved to authorise the Chairman to execute the loan agreement etc. with HUDCO under the common seal of the Board in the presence of the Housing Commissioner.

Loan from HUDCO for Mahaveer Nagar, Ph.III, Composite Scheme, Kota.

It was resolved to accord approval of the Board for general acceptance of the scheme and permission to raise loan of Rs.29.95 lacs in accordance with the terms and conditions of the Corporation. It was further resolved to authorise the Chairman to execute the loan agreement etc. with HUDCO under the common seal of the Board in the presence of the Housing Commissioner.



90.15 Loan from HUDCO for composite Scheme No.5, Ph.I, Ch

CAO/  
RE-II(HQ)

It was resolved to accord approval of the Board for acceptance of the scheme and permission to raise Rs.13.21 lacs in accordance with the terms and conditions of the Corporation. It was further resolved to authorise the Chairman to execute the loan agreement etc. with HUDCO under the common seal of the Board in the presence of the Housing Commissioner.

90.16 Loan from HUDCO for Malviya Nagar, Ph.VII, Composite (Flats) Scheme, Jaipur.

CAO/  
RE-II(HQ)

It was resolved to accord approval of the Board for general acceptance of the scheme and permission to loan of Rs.92.81 lacs in accordance with the terms and conditions of the Corporation. It was further resolved to authorise the Chairman to execute the loan agreement with HUDCO under the common seal of the Board in the presence of the Housing Commissioner.

90.17 Loan from HUDCO for Malviya Nagar, Ph.VII-B, LIG, Jaipur

CAO/  
RE-II(HQ)

It was resolved to accord approval of the Board for general acceptance of the scheme and permission to loan of Rs.26.40 lacs in accordance with the terms and conditions of the Corporation. It was further resolved to authorise the Chairman to execute the loan agreement with HUDCO under the common seal of the Board in the presence of the Housing Commissioner.

90.18 Loan from HUDCO for Mukta Prasad, Ph.II, Gr.I, Composite Scheme, Bikaner.

CAO/  
RE-II(HQ)

It was resolved to accord approval of the Board for general acceptance of the scheme and permission to loan of Rs.42.04 lacs in accordance with the terms and conditions of the Corporation. It was further resolved to authorise the Chairman to execute the loan agreement etc. with HUDCO under the common seal of the Board in the presence of the Housing Commissioner.

7/2

Loan from HUDCO for Chopsani Road, Extn.Gr.I, Jodhpur.

It was resolved to accord approval of the Board for general acceptance of the scheme and permission to raise loan of Rs.27.89 lacs in accordance with the terms and conditions of the Corporation. It was further resolved to authorise the Chairman to execute the loan agreement etc. with HUDCO under the common seal of the Board in the presence of the Housing Commissioner.

It was observed that the schemes were not put up in the Project Committee Meeting, before sending them to the HUDCO. It was, therefore, decided that before forwarding such schemes to the HUDCO, they should be duly considered and approved by the Project Committee.

Amendment in powers to signing cheques.

In order to avoid delay in payment and also to minimise the expenditure of conveyance charges, the following officers of the Board were empowered to sign the cheques as under :-

- |                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| (1) Chairman and Housing Commissioner                | - Full powers. |
| (2) Housing Commissioner and Chief Accounts Officer. | - Full powers. |
| (3) Chief Accounts Officer and Sr. Accounts Officer. | - Ten Lacs.    |
| (4) Chief Accounts Officer.                          | - Five Lacs.   |
| (5) Sr. Accounts Officer                             | - One Lac.     |
| (6) Accounts Officer                                 | - 25,000/-     |
| (7) Asstt. Accounts Officer                          | - 5,000/-      |

Items for information and report to the Board:-

- (1) The decision of the 4th Negotiation Committee held on 12.3.81.

The main aim of the Housing Board is to provide Housing Accommodation to the Public at large. In view of the problem of the Housing, especially, in the Urban areas, the Housing Board has to take up various

housing schemes in an expeditious manner. There are about 73446 registered applicants (excluding and with the Rajasthan Housing Board for making the available residential accommodation, it is necessary that the Housing Board goes with this programme at a fast speed. Availability of the land is the main constraint. It has been observed in the past, the main constraint in the execution of this programme is the availability of the land. In order to overcome this problem, the committee of the following was constituted to purchase the land from the landholders by negotiation :

- (1) Secretary, UDH.
- (2) Finance Secretary.
- (3) Shri Bala Sahai.
- (4) Shri I.D. Bhargava.

Chairman.  
Member.  
Member.  
Member.

The Committee was also empowered to take up such steps to go-ahead in the matter. The Committee is further empowered to consider the allotment of land built by the Housing Board to the land-holders affected, keeping in view the number of such landholders.

90.21 (ii) The decision of senior and Junior Selection Committee meetings held on 3.3.81 and 4.3.81 respectively was approved.

P.M.

(iii) Payment of Dearness allowance to the Board employees w.e.f. 1.9.80 was also approved.

90.22 Relaxation over the choice of House size of the registered applicants so as to take the highest house of the next lower category.

SE(HQ)

Deferred.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

( R.K. Singh )  
Secretary.  
Rajasthan Housing Board; Jaipur

(70)

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक  
4.6.81 को आयोजित 91वीं बैठक के  
निर्णय

दिनांक 4.6.81 को प्रातः 11.00 बजे अध्यक्ष महोदय के कक्ष में राजस्थान  
आवासन बोर्ड की 91वीं बैठक हुई।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- |    |                                                                                  |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1- | श्री आशा राम<br>अध्यक्ष, राजन आवास मंडल व<br>सचिव नगरीय विकास एवं<br>आवासन विभाग | अध्यक्ष |
| 2- | श्री एल० एन० गुप्ता<br>वित्त सचिव                                                | सदस्य   |
| 3- | श्री पी०के०बी० कुंज                                                              | सदस्य   |
| 4- | श्री बी० कैम्बो<br>मुख्य नगर नियोजक                                              | सदस्य   |
| 5- | श्री आई०डी० भावे                                                                 | सदस्य   |
| 6- | श्री के० सी० मिश्र                                                               | सदस्य   |
| 7- | श्री एन० एम० कोटारी                                                              | सदस्य   |
| 8- | श्री एल० बी० नरुषी<br>आवासन आरुक्, राजन आवास मंडल                                | सदस्य   |

श्री बाला सहाय, सदस्य भी बैठक में अनुमति प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की।  
श्री रामकुमार सिंह, सचिव व श्री संजीवा मोहन, मुख्यलेखाधिकारी भी बैठक में  
उपस्थित रहे।

बैठक में निम्नांकित निर्णय किये गये :-

91.1  
सहाय  
सि अधिकारी

बोर्ड की 90वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन।

बोर्ड की 90वीं बैठक के अनुमोदन प्राप्त दिवसियों के साथ

(21)

किया गया :-

- 1- सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी, जो कि बोर्ड के सदस्य नहीं हैं उनकी परिस्थिति अलग से अंकित की जानी चाहिए।
- 2- निर्णय संख्या 90.21 में गठित समिति में सचिव, नगरीय एवं आवासन विभाग के स्थान पर अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड नियुक्त किया जावे। तथा आवासन आयुक्त का नाम सचिव के रूप में अस्थितिक किया जावे। साथ ही निर्णय संख्या 90.21 में अंकित किया गया कि जिन लोगों की भूमि की जांच है उन्हें उनके स्वयं के उपयोग के लिए भूखण्ड आवंटन की बात करने के लिए अधिकृत किया गया।

राजस्थान आवासन मण्डल की 90वीं बैठक की क्रिया-विनिति

बैठक की 90वीं बैठक के निर्णयों की क्रिया-विनिति रिपोर्ट

90.2 आवासन मंत्री के लिये जाने संबंधी निर्णय एवं नगद भुगतान के कोटा के अनुमति करी को रद्द।

सहसंचालक  
आवासन अधिकारी

सदस्यों द्वारा मत प्रकट किया गया कि वसूली की स्थिति बतायी जावे। बैठक में जानकारी दी गई थी वसूली 80 प्रतिशत हो रही है। कि इस नोट के जरिये सदस्यों को गिनवाती जावेगी। जो योजना की रिजल्ट, आर्थिक भार एवं उनकी योजनाओं की स्थिति प्रस्तुत की जायेगी। बताया गया कि जो नयी योजना हाथ में ली जावेगी उसकी पूर्व जानकारी बोर्ड को करनी

अधीन अधिकारी  
आवासन अधिकारी

आवासन आयुक्त के लिये एक मकान सुरक्षित

90.3 आवासन मंत्रालय के संबंध में एक विस्तृत नोट

90.10 श्री जी.के. राणा, विधि सलाहकार द्वारा

हार्मिक प्रकोष्ठ

ती

72

---3---

श्री राणा की कार्यविधि 30.6.81 तक बढ़ी हुई है। आगामी बोर्ड मीटिंग में एक अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे जिसमें इनके कार्य का पूर्ण मूल्यांकन हो। विवादों के निपटारे में इतना क्लिष्ट क्यों हो रहा है। इसका अध्ययन किया जावे।

90.22 Relaxation over the choice of House size of the registered applicants so as take highest house of the next lower category.

"इस मामले को बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जावे" पढ़ा जावे।

91.3

आवासीय भूखंड द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग के लिये मकान आवंटन में आरक्षित कोटा में वृद्धि।

आरक्षण के सभी पहलुओं पर विचार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

91.4

नव गठित जोधपुर जिल्ले के लिए वाहन की व्यवस्था हेतु।

उक्त विषय पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि नवगठित जोधपुर जिल्ले के लिए स्कूटर/ट्रक/गाड़ी खरीद ली जावे तथा इसकी बाड़ी बना ली जावे लेकिन इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि वाहनों के उपयोग के लिये उपयोगिता प्रक्रिया अपनाई जाये और अधिकतम खर्च करने की सीमा तय की जाये ताकि बोर्ड वाहनों का समुचित उपयोग हो।

91.5

आवेदकों द्वारा अपनी आय छुटाने संबंधी पूर्त में लिये गये निर्णय का पुनर्विलोकन।

इस सीमा तक स्वीकृत किया गया कि "ऐसे मामलों में जिनमें पति/पत्नी की संयुक्त आय उती वर्ग में आती हो तो ऐसे पंजीकरण रद्द नहीं किये जावे।

.....

91.6

Amendment in house building Advance Regulations.

अका निर्माण अग्रिम अण निर्माण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ १११ स्पष्टीकरण-२१७८ दिनांक २५-४-८१ द्वारा जो संशोधन किया गया उसी के अनुरूप मण्डल के भवन निर्माण अग्रिम अण वि में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

91.7

सजावटी विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र ।

उक्त विज्ञापन पर विचार विमर्श कर स्वीकृति प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया गया । नीति के तौर पर पुष्टि की गई की सजावटी विज्ञापन न दिये जायें । लेकिन अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया कि विशेष परिस्थिति में वे सजावटी विज्ञापन की स्वीकृति दे सकें ।

91.8

(i) Achievement under various schemes upto March

अवलोकन किया गया । निर्णय लिया गया कि उक्त सूचना में कि व्याख्या नहीं की गई है । अतः आगामी बैठक में अब तक कितने मकान बने, बांटा किसे गये, किसानों को कबजा दिया इसकी विस्तृत सूचना योजनावार दी जाये ।

91.9

Statement showing details of works and establishment expenditure.

अवलोकन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

91.9

बोर्ड कर्मचारियों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना ।

प्रिलहाल इसे पंजीकरण न करने का निर्णय लिया गया ।

91.10

मकान किराया भत्ता ।

बोर्ड की बैठक में बोर्ड कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता १५ प्रतिशत किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विस्तार-पूर्वक विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि चूंकि आवागमन मण्डल में वेतन आदि सभी मामलों में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा

(74)

---5---

ulations.

त्र कमांक स्फ  
जो संशोधन  
ग्रम एण विनि

।ही करने का  
ई नी सजावट  
तधिकृत किया  
वी कृति दे तो

ptp March,

सूचना में वि  
ख तक कितने  
हड्डन दिया

establis

या भत्ता  
पूर्वक विचार  
वापन मण्डल  
सरकार द्वारा

5.

घोषित नीति का अनुसरण किया जाता है और बोर्ड कर्मचारियों के वेतनमान, मंहगाई भत्ता तथा गकान किराया भत्ता आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही दिया जाता है, अतः एकाध सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किराया वृद्धि कर दी गई है तो उसको आधार नहीं माना जा सकता। चूंकि राज्य सरकार ने अंतरिम राइट व मंहगाई भत्ते की अभी थोड़े ही दिन पूर्व घोषणा की है, अतः बोर्ड कर्मचारियों को अंतरिम राइट एवं मंहगाई भत्ते की सुविधा राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों के अनुसार दी जाये। इन बारे में राज्य कर्मचारियों के लिए समय पर जो सुविधाएँ दी जाती है, दी जावेगी।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

२१/४/५५  
। राम कुमार सिंह ।  
सचिव

/अंगलानी/



राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 14.9.81  
को सम्पन्न हुई 92वीं बैठक के निर्णय ।

92वीं बैठक दिनांक 14.9.81 को प्रातः 11.00 बजे अध्यक्ष महोदय  
में सम्पन्न हुई ।

निम्नलिखित उपस्थित हुए :

सतीश कुमार,

अध्यक्ष

सदस्य राज आवासन एवं

सिचिव, नगरीय विकास एवं

आवासन विभाग ।

बी. कैम्बो,

सदस्य

मुख्य नगर नियोजक

अखय राज माथुर

सदस्य

आवासन आयुक्त

तोरन गुप्ता, वित्त सचिव की अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई।  
मकुमार सिंह, सचिव व श्री डी.के. जैन, मुख्य लेखाधिकारी भी बैठक में  
उपस्थित हुए ।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

बोर्ड की 91वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

विचार विमर्श कर पिछली बैठक के निर्णयों का अनुमोदन निम्न संशोधन के  
साथ किया गया :

91.7 सजावटी विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र ।

सजावटी विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र में लिये गये निर्णय की  
प्रथम पंक्ति में "स्वीकृति न प्रदान करने का निर्णय लिया गया"  
जोड़ा जाये ।

2

.....2

92:2 बोर्ड की 91वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।

बोर्ड की 91वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन करते समय विचार विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

90:5 आवंटियों से सीडमनी लिये जाने संबंधी निर्णय के प्रावधान स नगद भुगतान के कोटा के अग्रनयन केरीफोरवर्ड हेतु ।

आवा: आयुक्त  
मुख्यलेखाधिकारी

मुख्यलेखाधिकारी ने बताया कि वर्ष 76-77 से व्यक्तिगत खातों में कोई इन्ड्राज नहीं हुए हैं। तथा दिनांक 30.4.80 के बाद जो मकान आवंटित किये गये हैं उनके खाते ही नहीं खुले हैं। प्रकार 4000 आवंटियों के लगभग खाते खोले जाने हैं। बोर्ड ने इस पर विचार विमर्श कर आवासन आयुक्त एवं मुख्यलेखाधिकारी को अधिकृत किया कि वे आवश्यकता के अनुसार तीन माह के लिए वांछित स्टाफ नियुक्त कर लें और इसकी अनुपालना एक सप्ताह के अन्दर अन्दर सुनिश्चित कर ली जावे। मुख्यलेखाधिकारी ने आश्वासन दिया कि वे व्यक्तिगत खातों में इन्ड्राज का काम 30.11.81 तक पूरा कर लेंगे ।

90:6 आवासन आयुक्त के लिए एक मकान सुरक्षित रखने हेतु ।

आवा: अधिकारी

दो सरप्लस मकानों के बारे में पूरा विवरण तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

92:3 Mobilisation of funds for the year 1981-82.

मुख्यलेखाधिकारी

प्रस्तुत सूचना व कार्यवाही प्रोपोजल्स को बोर्ड ने नोट किया। यह भी निर्णय हुआ कि विभिन्न विन्दुओं पर की गई कार्यवाही वाकत अगली बैठकों में बोर्ड को सूचित किया जावे। चालू मकानों को शीघ्र पूरा करने के लिए यह कोशिश की जाये कि कम से कम 1 करोड़ प्रतिमाह निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराया जावे व उसे मकानों को पूरा करने हेतु खर्च किया जाये ।

पो 1 2.4 Increase in percentage of administrative expenditure.

विचार विमर्श कर बोर्ड ने प्रस्ताव के अनुसार निर्णय लेकर प्रशासनिक व्यय का राशि 72 प्रतिशत तक बढ़ाने का स्वीकृति प्रदान की।

प्रधान 2.5 Loan of Rs. 25.00 lacs from the Bank of Rajasthan.

विचार विमर्श कर बोर्ड द्वारा 12.93 प्रतिशत के स्थान पर ऋण राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज की दर की स्वीकृति प्रदान की गई।

2.6 बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव टिप्पणी सं035 का अनुमोदन।

मालवीया नगर, फेज-8 सी, एम.आई.जी. योजना जयपुर हेतु 41.93 लाख रुपये, चौपासनी रोड विस्तार एम.आई.जी. योजना जीआर-2 जोधपुर हेतु 38.70 लाख रुपये एवं युक्ता प्रसाद नगर फेज-2 जीआर-2 योजना बीकानेर हेतु 17.04 लाख रुपये के ऋण प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

2.7 बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव टिप्पणी सं036 का अनुमोदन।

मालवीया नगर फेज-7 सी हैदरा योजना, जयपुर हेतु हुडको से 60.48 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

2.8 बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव टिप्पणी सं037 का अनुमोदन।

विचार विमर्श कर 100 लाख रुपये के सुरक्षित ऋण पत्र जारी किये जाने का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

यह भी 2.9 बोर्ड कर्मचारियों को अनुकूल राशि का भुगतान।

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि सदा की भाँति बोर्ड के उन नियमित कर्मचारियों एवं वर्कचार्ज सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 3191 के अन्तर्गत रेगुलर वर्कचार्ज कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया जाये, जिन्होंने वर्ष 80-81 में 240 दिन की सेवा पूर्ण कर ली है। यह भी निर्णय लिया गया कि शीघ्रताशीघ्र राज्य सरकार की अनुमति भी प्राप्त कर ली जाये।

- 92.10 मकान संख्या 2-अ-28 120x501, चौपासनी स्कीम, जोधपुर के नियमीकरण हेतु ।

आवा0अधि0

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त विषय बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाये ।

- 92.11 मकान संख्या 1-ग-9 113x381 बापूनगर, भीलवाड़ा के नियमीकरण हेतु ।

आवा0अधि0

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त विषय बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाये ।

- 92.12 मकान संख्या 1-ग-76 जोधपुर रोड, पाली के नियमीकरण हेतु ।

आवा0अधि0

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त विषय बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाये ।

- 92.13 घाट की गूणी योजना के आवासों का आवंटन ।

आवा0आयुक्त,  
आवा0अधि0

घाट की गूणी योजना में आवासों का आवंटन नगर पालिका एवं आवंटियों द्वारा गठित समिति ने जो सहमति सूचि दी थी और उस सूचि के अनुसार डिस्पोजन आफ प्रोपर्टी रेगुलेशन के नियम 28 में दी गई है उसे हटाने के लिए जो आवंटन किये गये हैं उसकी एक्सपोज्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि जिस आवेदकों ने प्रार्थना पत्र नहीं दिया है व उनकी पंजीकरण भी जमा नहीं हुई है इस संबंध में आवासन आयुक्त, प्रशासक, नगर पालिका जोधपुर से वार्ता कर इस प्रकरण को इस प्रकार सुलझावे कि बाकी की मय पंजीकरण राशि मंडल को उपलब्ध करा दें। तत्पश्चात् यदि बांकि राशि 15.10.81 तक नहीं जमा कराई जाती है तो इस योजना के बाकी वयो मकानों को सामान्य पंजीकरण के प्रार्थियों को नियमानुसार आवंटित कर दिया जाये ।

- 92.14 श्री गोपीचंद गर्ग, विधि सलाहकार 1सिविल1 की सेवा अवधि बढ़ाये जाने हेतु ।

कार्मिक  
प्रकोष्ठ

विचार विमर्श कर श्री गोपीचंद गर्ग, विधि सलाहकार की सेवा अवधि तात्कालिक रूप से दिनांक 1.8.81 से एक वर्ष के लिए पूर्व शर्तों के अनुसार बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया ।

स्व.म, जोधपुर के

92.15 श्री जी०के०राणा, विधि सलाहकार [श्रम] की सेवा अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

विधि बोर्ड की

विचार विमर्श कर श्री जी०के०राणा, विधि सलाहकार [श्रम] की सेवा अवधि तात्कालिक रूप से दिनांक 1.7.81 से एक वर्ष के लिए पूर्व शर्तों के अनुसार बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।

वाडा के नियमीक

षय बोर्ड की आगा

92.16 मध्यम आय वर्ग का मध्यम आय वर्ग-अ एवं मध्यम आय वर्ग-ब में विभक्तिकरण - आरक्षण लाटरी।

नियमीकरण हेतु।

सन् 1973 में मध्यम आय वर्ग में 7201 से 18000/- की आय वाले व्यक्तियों का एक ही मध्यम आय वर्ग था। और उनसे 5000/- रुपये पंजीकरण राशि के जमा कराये गये थे। सन् 1978 में इस श्रेणी को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 7201/- से 10800/- थी उनको मध्यम आय वर्ग-अ में रखा गया व जिन व्यक्तियों की आय 10801/- से 18000/- थी उनको मध्यम आय वर्ग-ब में रखा गया।

य बोर्ड की आगा

कालान्तर में कुछ व्यक्तियों की आय 7201/- से 10800/- की श्रेणी में न रह कर 10801/- से ऊपर की श्रेणी में आ गयी, तो उन्हें भी उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार मध्यम आय वर्ग-ब में शामिल कर लिया गया तथा उन्हें सवसिक्वेन्ट ग्रुप के रूप में मान्यता दी गई।

र एलिका एवं

व दी थी और उ

नियम 28 में दी

कट स्वीकृति

नी निर्णय लिया

उनको पंजीकरण

मार्गक, नगर प

ई कि बाकी की

चार यदि वां

इ योजना के

को नियमानुसार

दिनांक 7-9-81 को जब जोधपुर शहर के लिए आरक्षण किया जा रहा था तो इस श्रेणी के 73 में 5000/- रुपये जमा करवाने वाले "सवसिक्वेन्ट" आवेदकों ने प्रश्न उत्पन्न किया कि उन्होंने भी 5000/- रुपये 73 में जमा करवाये थे और अब वे मध्यम आय वर्ग-ब के लिए योग्यता रखते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें सवसिक्वेन्ट न माना जाय व उनको भी 10801/- से 18000/- रुपये की आय की श्रेणी में शामिल किया जाय। उस तिथि को लाटरी स्थगित कर दी गई व गांगला बोर्ड के विचारार्थ रखा गया।

ता अवधि बढ़ाये

र की सेवा

5 लिए पूर्व

बोर्ड ने विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया कि सन् 1973 में जिन आवेदकों ने 5000/- रुपये जमा करवाये थे व उनकी आय 10800/-

से कम थी व बाद में 10800/- रुपये से अधिक हो गई तो ऐसे व्यक्तियों का दर्जा उन्हीं पंजीकृत आवेदकों के बराबर होगा जि 5000/- जमा करवाये व आय 10801/- रुपये से ऊपर थी ।

इस प्रकार के मामलों में "ओरीजनल" व "सवसिक्वेन्ट" आवेदकों एक ही माना जायेगा तथा इस माप दण्ड को ध्यान में रखते हुए आरक्षण किया जावे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार आरक्षण के बाद मध्यम आयवर्ग-व के आवेदक "ओरीजनल" "सवसिक्वेन्ट" में गच जाते हैं तो उसको जवाहर नगर के फ्लैट्स के लिए सहमति अथवा असहमति लिखित में भिजवाने को कहा जाये। बाद में उनका सहमति या असहमति प्राप्त न हो तो वर्ष 79 के आ को नियमानुसार जवाहर नगर के फ्लैट्स आवंटित कर दिये जायेंगे।

#### 92.17 30 जून, 1981 तक की भौतिक प्रगति का विवरण ।

अवलोकन किया गया ।

आन्त विभाग अध्याक्ष महो. की अनुमति से।

#### 92.18 विभिन्न वाणिज्यिक बैंको से षोई द्वारा 4.52 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रावधान ।

मुख्य-  
लेखाधिकारी.

राजस्थान आवासन गण्डल द्वारा 4.52 करोड़ रुपये का ऋण वर्ष 1981-82 में विभिन्न बैंको से लेने का प्रावधान रखा गया। कई बैंको से निवेदन करने पर भी कितनी भी बैंक ने आवासीय ऋण देने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की सिवाय राजस्थान बैंक के जिसने 25.00 लाख रुपये का ऋण 15 प्रतिशत ब्याज की दर से स्वीकृत करने की स्वीकृति दी। आवासन आसुक्त ने इस संबंध में सचिव, कृषि विभाग श्री राजेन्द्र जैन से प्रार्थना की जिन्होंने राजस्थान आवासन गण्डल को 1.50 करोड़ रुपये का ऋण उचित ब्याज दर पर दिलाने की सहमति दी तथा 1.50 करोड़ रुपये के ऋण की प्राप्ति के लिए बैंक से सिफारिश की जा रही है। स्टेट बैंक से भी 1.50 करोड़ का ऋण लेने की प्रक्रिया चल रही है व यह ऋण शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

षोई ने उक्त सूचना का अवलोकन किया ।

-: 7 :-

ने गई तो ऐसे  
सादर होगा जिन  
उपस्थिति।

92.19. मंडल द्वारा निर्मित दुकानों की नीलामी के संबंध में।

मन्ट आवेदकों क  
मान में रखते हुए  
गया कि इस  
"रेरीजनल" व  
पर के फ्लैट्स के  
को कहा जाये  
तो नई 79 के अ  
कर दिये जायेंगे

श्री वी० कैम्बो, मुख्य नगर नियोजक से जगह नगर में मन्टल द्वारा  
निर्मित दुकानों के संबंध में सूचित किया कि ये दुकानें करीब 4  
वर्षों से तैयार पड़ी हैं लेकिन अभी तक इसकी नीलामी नहीं की  
गई है, जिससे मंडल को काफी वित्तीय हानि हो रही है। इस  
पर आवासन अधिकारी ने बैठक में अवगत कराया कि अन्य शहरों  
में भी मंडल द्वारा निर्मित दुकानें खाली पड़ी हैं, जिन्हें अभी तक  
नीलाम नहीं किया जा सका है। इस पर निर्णय लिया गया कि  
दुकानों की नीलामी के संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड की  
कंसल्टेशन हेतु अगली मीटिंग में प्रस्तुत किया जावे।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही  
समाप्त किये जाने की घोषणा की गई।

21.11.2017  
राजस्थान सिंघ  
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल,  
जयपुर

से  
द्वारा का  
=====

का अग वर्ष  
गई। कई  
नीय अंश देने  
कि के जितने  
से अंकित  
में सचिव,  
राजस्थान  
ब्याज दर पर  
की प्राप्ति  
भी 1.50  
प्राप्त

(204)

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 12-10-81  
को सम्पन्न हुई 93वीं बैठक के निर्णय ।  
=====

बोर्ड की 93वीं बैठक दिनांक 12-10-81 को प्रातः 11.00 बजे  
अध्यक्ष महोदय के कक्ष में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित  
उपस्थित हुए :-

- 1- श्री सतीश कुमार अध्यक्ष  
अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल एवं  
सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
- 2- श्री एल० एन० गुप्ता सदस्य  
वित्त सचिव
- 3- श्री अखयराज सदस्य  
आवासन आयुक्त

श्री बी० कैम्बो मुख्य नगर नियोजक की अनुपस्थिति की स्वीकृति  
प्रदान की गई । श्री रामकुमार सिंह, सचिव व श्री डी० के० जैन  
मुख्यलेखाधिकारी भी बैठक में उपस्थित हुए ।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

93.1 बोर्ड की 92वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।  
=====

विचार विमर्श कर पिछली बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

93.2 बोर्ड की 92वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।  
=====

बोर्ड की 92वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का  
अवलोकन करते समय विचार विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय  
लिये गये :-

90.5 आवंटियों से सीडगनी लिये जाने संबंधी निर्णय के प्रावधान  
एवं नकद भुगतान के कोटा के अग्रगण्य केरीफोरवर्ड हेतु ।  
=====

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि व्यक्तिगत  
खातों में इन्द्राज का कार्य 30-11-81 तक पूरा करके  
आगामी बैठक में बोर्ड की सूचनार्थ रखा जावे ।



205

-:- 2 -:-

आवासन  
अधिकारी

90.6 आवासन आयुक्त के लिए एक मकान सुरक्षित रखने  
=====

बोर्ड ने सरप्लस हाउस संबंधी सूचना का अवलोकन  
निर्णय लिया कि सरप्लस मकान को आवंटन हेतु  
आवंटन समिति की आगामी बैठक में रखा जाये

92.3 Mobilisation of funds for the year 19

बोर्ड द्वारा उक्त सूचना का अवलोकन किया गया

अधीक्षण अभि०  
मु०

92.19 मण्डल द्वारा निर्मित दुकानों की निलागी के संबंध  
=====

मण्डल की विभिन्न आवासीय कालोनियों में मण्डल  
निर्मित दुकानों की निलागी का मामला आगामी  
आवंटन समिति की बैठक में तय करने का निर्णय लि  
गया । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आ  
निलाम की गई दुकानों के विक्रय मूल्य आदि के बा  
विस्तृत सूचना भी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

प्रशासन  
प्रकोष्ठ

93.3

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 54  
मण्डल के "बाई-लॉज" । *Bye-laws* । का निर्माण ।  
=====

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि एजेन्डा आईटम में प्रस्तुत  
"बाई लॉज । *Bye-laws* । के बाबत पहले राज्य सरकार से परामर्श ले लिया जाये कि क्या आवासन मण्डल "बाई-ल  
द्वारा निर्मित निवासों को लागू कर सकता है, या नहीं ?

अधीक्षण अभि० 93.4  
मु०

Estimation for flood damage repairs to RHB  
houses in Sector-III at Vaishali Nagar, Ajmer

वैशाली नगर अजमेर के बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत  
हेतु अनुमानित खर्चा 4, 92, 000/- बताया गया। प्रस्तुत  
सूचना के क्रमांक 1 से 58 तक के मकानों की मरम्मत का 500  
से 8000/- रुपये और क्रमांक 59 से 94 तक के मकानों का  
2000/- रु० से 2800/- रु० प्रति मकान अनुमानित बताया  
गया है ।

403

.....3.

(206)

-- 3 --

विचार विमर्श के दौरान यह बतलाया गया कि ये मकान बहुत समय से बिना आवंटित पड़े हैं और यदि इनकी अनुमानित लागत के अनुसार मरम्मत करायी जाती है तो और अधिक समय लगने की संभावना है, तथा जो मरम्मत का कार्य बोर्ड द्वारा कराया जावेगा उससे आवंटियों को भी पूर्ण संतोष होना कठिन प्रतीत होता है। यह भी संभावना है कि मरम्मत के पश्चात भी आवंटी यह मकान लेने से इन्कार करे व बोर्ड को अनावश्यक व्यय वहन करना पड़ेगा।

अतः विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत सूचि में मकान नं० 1 से 58 तक प्रत्येक मकान की मरम्मत की लागत 5000/- एवं 59 से 94 तक के मकानों की लागत 2500/- कम करते हुए आवंटन पत्र जारी कर दिये जायें तथा किराया क्रय पद्धति के आवंटियों से राशि। माह में व नकद भुगतान के आवंटियों से मकान की 10% राशि एक माह में ली जाय व शेष कीमत 3 माह की अवधि में वसूल की जाये। यदि किराया क्रय पद्धति के आवंटी 1 माह में व नकद भुगतान के आवंटी 10% राशि 1 माह में निश्चित भुगतान नहीं करता है तो इस प्रकार के आवंटन निरस्त कर दिये जावे व निरस्त किये हुए मकानों को खुली निलामी द्वारा अधिकतम बोली लगाने वाले। Highest bidders को विक्रय कर दिया जाय।

93.5 Registration of applicants for allotment of houses - guidelines for income to be computed for being shown in form.

उक्त विचार विमर्श पर यह निर्णय लिया गया कि मकान किराया भत्ता एवं वाहन भत्ता को वेतन में सम्मिलित न किया जावे। उक्त निर्णय पूर्व में निर्णित मामलों पर प्रभावी नहीं होंगे।

93.6 आवारान आयुक्त गहोदप के ड्राईवर को हार्ड ड्यूटी अलाउंस 1 कठिन परिश्रम भत्ता 1 दिये जाने के के सम्बन्ध में।

उक्त विषय बैठक की कार्यवाही से वापस लिया गया।

(20)

आवासन  
अधिकारी

93.7

Regularisation of allotment due to non-deposit of disposal price and non-furnishing of docum in time - level for decision and amount of per interest.

आवृत्ति द्वारा निर्धारित अवधि में रकम एवं दस्तावेज आदि नहीं किये जाने पर आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया एवं करने की शुरुआत में जमा करवायी जाने वाली राशि पर लिये वाले ब्याज आदि पर विस्तृत रूप से विचार किया गया। विचार किया कि यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में जब आरक्षित/आवंटित कर दिये जायेंगे तो मकानों से संबंधित भु आदि निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर ब्याज की 15% से बढ़ा कर 18% ली जाती है। यह 18% के वनिस्पत ही ली जाती रहेगी। लेकिन चूंकि दंडनीय ब्याज की दर टिप्पणियों से शीघ्र रकम वसूल करने में प्रभावशाली कदम साबित हुई है अतः दंडनीय ब्याज की स्वयं में निम्न प्रकार से जुम वसूल किया जावेगा :-

अ। किराया कृप पद्धति के आवंटियों के लिए

| वर्ग               | ब्याज दर | प्रारंभिक 1 माह के बाद प्रथम तीन माह तक | ब्याज दर | चार माह के बाद प्रथम तीन माह तक |
|--------------------|----------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------|
| आ.द. से कमजोर वर्ग | 15%      | 250/-                                   | 15%      | 250                             |
| अल्प आयवर्ग        | 15%      | 500/-                                   | 15%      | 500                             |
| मध्यम आयवर्ग       | 15%      | 750/-                                   | 15%      | 750                             |
| उच्च आयवर्ग        | 15%      | 1000/-                                  | 15%      | 1000                            |

ब। नकद भुगतान के आवंटियों के लिए

| वर्ग               | ब्याज दर | 4 माह की प्रारंभिक अवधि के बाद प्रथम तीन माह तक | ब्याज दर | प्रारंभिक 7 प्रत्येक माह |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|                    |          | 2                                               |          | 3                        |
| आ.द. से कमजोर वर्ग | 15%      | 500/-                                           | 15%      | 500/-                    |

21/7

..... 5.

(900)

-:- 5 -:-

o non-depos  
in of docu  
mount of pe

| 1            | 2   | 3      | 4   | 5      |
|--------------|-----|--------|-----|--------|
| अल्प आयवर्ग  | 15% | 1000/- | 15% | 1000/- |
| मध्यम आयवर्ग | 15% | 1500/- | 15% | 1500/- |
| उच्च आयवर्ग  | 15% | 2000/- | 15% | 2000/- |

स सीड मनी पर

| वर्ग | कुल सीड-<br>मनी | सीडमनी की<br>प्रथम किश्त | आरक्षण पत्र जारी<br>करने के 1 माह की<br>अवधि में वांछित<br>राशि जमा न कर-<br>वाने पर दंड राशि |
|------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |        |        |                    |
|-----------------------|--------|--------|--------------------|
| आ.द. से<br>कमजोर वर्ग | 600/-  | 300/-  | 10/- रु० प्रतिमाह  |
| अल्प आय वर्ग          | 2300/- | 1150/- | 40/- रु० प्रतिमाह  |
| मध्यम आयवर्ग-अ3600/-  |        | 1800/- | 60/- रु० प्रतिमाह  |
| मध्यम आयवर्ग-अ8800/-  |        | 4400/- | 150/- रु० प्रतिमाह |
| उच्च आय वर्ग 18000/-  |        | 9000/- | 300/- रु० प्रतिमाह |

लिपि  
=====

ब्यंज चार  
दर वाट  
आभा-  
के लिए

|     |      |
|-----|------|
| 15% | 250  |
| 15% | 500  |
| 15% | 750  |
| 15% | 1000 |

गज प्रारंभिक  
प्रत्येक माह

500/

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में सचिव को आवंटन गृहा गकानों के नियामन हेतु 3 माह की अवधि के लिए अधिकृत किया है । अब 9 माह तक दस्तावेज आदि जमा किये जाने की शूरत में जबकि देस राशि समय पर जमाकरा दी हो भी सचिव गकानों का नियामन कर सकेंगे । साथ ही अध्याक्ष महोदय 9 माह की वजाय 15 माह की अवधि तक या नियमित किया जाने वाला गकान किसी लाटरी में आवंटित न कर दिया जाय तब तक नियामन के लिए अधिकृत होंगे । इस निर्णय का क्रियान्वयन तुरन्त प्रभाव से किया जायेगा तथा पूर्व में जो निरस्तीकरण कर दिया गया है इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा ।

१३

\*\*\*\*\*66

.....5

2041

आवासन  
अधिकारी

93.8

जोधपुर से पंजीकरण का हस्तान्तरण अन्य शहरों में किये जाने

कारी 93.  
पिठ

जोधपुर से पंजीकरण अन्य शहरों में हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव  
सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन उक्त संबंध में  
हस्तान्तरण की सीमाएं/नियम निर्धारित करने हेतु मांगला  
संपत्ति आवंटन सशक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। साथ में  
यह भी प्रस्ताव पेश किया जावे कि किन शहरों से किन शहर  
में यह हस्तान्तरण स्वीकृत *in permit* किया जावेगा

सूक्त/95.1  
सिजन

आवासन  
अधिकारी

93.9

मकान संख्या 2-अ-28 120x50 चौपासनी स्कीम, जोधपुर के  
नियमीकरण हेतु।

इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया तथा  
विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि आवंटनी ने। माह  
अवधि में रकम जमा करादी थी। ऐसी सूरत में आवंटनी के ह  
वर्तमान में प्रचलित दंडनीय ब्याज वसूल करते हुए नियमित किये  
जाने का निर्णय लिया गया।

आवासन  
अधिकारी

93.10

मकान संख्या 1-ग-9 13x38 वापू नगर, भीलवाड़ा के  
नियमीकरण हेतु।

93.14

श्री चन्द्रा सिंह के मकान नं० 1-ग-9 13x38 वापू नगर  
भीलवाड़ा के निरस्तीकरण के संबंध में विचार विमर्श कर  
निर्णय लिया गया कि चूंकि भीलवाड़ा में मकानों की गाँव का  
ऐसी सूरत में मकानों की गाँव को देखते हुए प्रचलित नियमों के  
अनुसार मय दण्डनीय ब्याज नियमन करने का निर्णय लिया गया

आवासन  
अधिकारी

93.11

मकान संख्या 1-व-76 जोधपुर रोड, पाली का नियमन हेतु।

श्री प्रकाश मल के मकान सं० 1-व-76 18x35 जोधपुर रोड  
पाली के निरस्तीकरण के संबंध में विचार विमर्श कर यह  
निर्णय लिया गया कि, चूंकि पाली में मकानों की गाँव का  
है, ऐसी सूरत में मकानों की गाँव को देखते हुए प्रचलित नियमों  
के अनुसार मय दण्डनीय ब्याज नियमन करने का निर्णय लिया गया

217

210

-:- 7 -:-

93.12 Installation of two new telephone connections under 'OYT' Scheme.

में किये जाने

संबंधी प्रस्ताव

उक्त संबंध में

हेतु मामला

वे साथ में

से किन शहर

किया जावेगा

ग, जोधपुर

किया गया तथा

में आवंटनी के

ए नियमित कि

लवाया के

वा नगर

विमर्श कर

नों को गाँव क

चलित नियमों

निर्णय लिया ग

निर्माण हेतु

जोधपुर रोड

की माँग कम

ए प्रचलित नियम

निर्णय लिया

अधीक्षण अभियन्ता जोधपुर के कार्यालय एवं निवास हेतु दो टेलीफोन कनेक्शनों की स्वीकृति प्रदान की गई।

93.13(i) Visit of Chairman to HUECC, New Delhi.

उक्त विषय पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय द्वारा हुडको, नई दिल्ली के आवास पर प्रस्तुत टिप्पणी को बोर्ड सदस्यों को प्रेषित कर उक्त संबंध में की गई क्रिया प्रवृत्ति रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

- (ii) संपत्ति आवंटन समिति की दिनांक 7-2-81 को आयोजित बैठक के निर्णयों का अवलोकन पर अनुमोदन किया गया।
- (iii) दिनांक 4-6-81 को आयोजित भूमि अधिग्रहण समिति की बैठक के निर्णयों का अवलोकन पर अनुमोदन किया गया।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

93.14

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राथमिकता के आधार आवासन मण्डल के मकान आवंटित करने हेतु।

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राथमिकता के साथ आवासन मण्डल के मकान आवंटित करने संबंधी प्रस्ताव पर बोर्ड की टिप्पणी चाड़ी जाने पर यह प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचार विमर्श कर बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में आरक्षण/आवंटन केवल पंजीकृत आवेदकों को ही नियमानुसार किया जाता है। यदि राजा सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी जाती है तो बोर्ड अलग से विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए "डिपोजिट बैंक" के रूप में मकान बनाने के संबंध में विचार कर सकता है। यदि राजा सरकार "डिपोजिट बैंक" के रूप में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध करा कर मकान बनवाना चाहे तो बोर्ड इस पर विचार कर सकता है।

237

..... 24

(211)  
~~Page No. 93-15~~

-: 9 :-

93.15  
The procedure regarding inviting applications for allotment of houses has proved quite cumbersome and time-consuming. In view of the fact that the property is being allotted on year-wise priority of the registered applicants, Rule 27 is amended as under :-

27. Allotment of houses.

i) The Board shall reserve/allot a house to a registered applicant on the basis of availability of tenements/houses.

ii) Where the number of tenements/houses is more than the number of applicants, all persons will be reserved a house without any draw.

iii) Where the number of applicants is more and the number of tenements/houses is less, reservation will be made by draw of lots. For this the Board shall reserve tenements/houses according to the year-wise priority.

iv) Allotment of tenement/house number to a successful registered applicant shall be given by draw of lots.

v) Mode of payment as indicated in the registration form shall be treated as final.

The Board may frame guidelines for the above purpose.

साथ ही विचार विमर्श कर यह भी निर्णय लिया गया कि सिगमों में आवश्यक संशोधन के बाद आवंटन संबंधी प्रक्रिया निम्न प्रकार से अपनायी जाये :-

- 1- जिस शहर में पंजीकृत आवेदकों की संख्या उपलब्ध मकानों की संख्या से कम होगी वहाँ पर आरक्षण बिना लाटरी व विकल्प पत्र के कर दिया जायेगा लेकिन मकानों के नम्बर उपलब्ध योग्य पंजीकृत आवेदकों को लाटरी द्वारा दिये जायेंगे ।

212

-: 10 :-

- 2- जिस शहर में पंजीकृत आवेदकों की संख्या उपलब्ध मसालों की संख्या से अधिक होगी वहाँ पर ऑनरर/आउट के माटेरी से ही किया जाएगा तथा उस कार्यवाही के माटेरी विकल्प पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अभिस्त करते इस बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

समिति  
राज्य सरकार  
तारीख



(125)

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 10-11-81  
को सम्पन्न हुई 94 वीं बैठक के निर्णय ।

की 94वीं बैठक दिनांक 10-11-81 को मध्याह्न: 12.00 बजे अध्यक्ष, राजस्थान  
आवासन मण्डल के कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :-

श्री सतीश कुमार

अध्यक्ष

अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं

सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

श्री एल० एन० गुप्ता

सदस्य

वित्त सचिव

श्री बी० कैम्बो,

सदस्य

मुख्य नगर नियोजक

श्री अख्य राज

सदस्य

आवासन आयुक्त,

श्री राम कुमार सिंह, सचिव व श्री डी० के० जैन, मुख्यलेखाधिकारी राजस्थान आवासन  
मण्डल भी बैठक में उपस्थित हुए ।

4.1. बोर्ड की 93वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

विचार विमर्श कर पिछली बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

4.2. बोर्ड की 93वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।

बोर्ड द्वारा क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन करते समय निम्नलिखित  
बिन्दुओं पर निम्न प्रकार से निर्णय लिया :-

कार्यकारी/ 93.2।90.5। आवंटियों से सीडमानी लिये जाने संबंधी निर्णय के प्रावधान  
एवं नकद भुगतान के कोटे के अमूदन केरी फोरवर्ड हेतु ।

बोर्ड द्वारा वसूली के बारे में रखी गई सूचना का अवलोकन  
कर संतोष व्यक्त किया गया व निर्णय लिया गया कि  
भविष्य में वसूली के लिए जिन बाकीदारों को नोटिस  
दिया जाता है उनसे जितनी राशि वसूल करनी है वह राशि  
जितनी राशि वसूल हो गई है उसका विवरण देते हुए बोर्ड की

प्रत्येक बैठक में अवलोकनार्थ रखा जावे।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आवंटी को मकान का कब्जा दिये जाने के 15 दिवस के अन्दर अन्दर वसूली शर्त में पत्रावली खुल जानी चाहिए तथा जो आवंटी निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेता उससे दंडात्मक राशि वसूल की जा चाहिए व इस संबंध में एक वृद्ध प्रस्ताव बोर्ड की अगली बैठक में रखा जावे।

अधी० अभि०  
जोधपुर वृत्त।

93.4

सचिव/आवासन-  
अधिकारी/आवा०  
अभियन्ता, अजमेर

वैशाली नगर अजमेर सेक्टर III के क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के बारे में।

वैशाली नगर अजमेर, सेक्टर III के मकानों की मरम्मत के बारे में अब तक की गई प्रगति के प्रति संतोष व्यक्त किया गया तथा निर्णय लिया गया कि जिन 8 व्यक्तियों द्वारा राशि वापिस लेने से जो 8 मकान सरप्लास हो गये हैं उनको तथा जो 9 मकान आवंटन के लिए शेष पड़े हैं उनको अर्थात् 17 मकानों को खुली बोली द्वारा निलाम कर दिये जावे एवं 5 मकान जो किन्ही कारणों से आवंटन होने से रह गये उसके बारे में आवंटियों को एक माह का समय देते हुए सूचना दी जावे कि वे वही गई सूचना उपलब्ध करावे अन्यथा उनका पंजीकरण निरस्त किया जाकर मकान खुली बोली में निलाम किये जायेंगे।

आवासन आयुक्त

93.8

जोधपुर से पंजीकरण का हस्तान्तरण अन्य शहरों में किये जाने हेतु।

इस संबंध में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि पूर्ण सोच विचार कर प्रस्ताव तैयार किया जावे व आवासन आयुक्त के यहाँ सभी प्रकोष्ठों के अधिकारियों की बैठक कर प्रस्ताव संपत्ति आवंटन समिति के समक्ष रखा जावे।

अधी० अभि० 94.3

जोधपुर वृत्त।

आवा० अभि०

जोधपुर/सचिव

आवासन अधिकारी

कडाना गाँव, बासंवाड़ा के विस्थापितों को मकानों का आवंटन हेतु

उक्त बिन्दु पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि कडाना बासंवाड़ा के विस्थापितों हेतु निर्मित मकानों का कब्जा शेष 306 आवंटियों द्वारा नोटिस के उपरान्त भी नहीं लिया गया है।

3 -

उक्त 306 मकानों को खुली निलासी द्वारा बेच दिया जाये।

आवासन मण्डल के कार्यालय भवन का निर्माण राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा करवाने बाबत।

उक्त बिन्दु पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में वित्त तय्यब ने बताया कि ब्रिज कारपोरेशन को राज्य सरकार ने जयपुर में बाढ़ राहत कार्य के अन्तर्गत 4 से 5 करोड़ का कार्य जल्दी पूर्ण करने को दे दिया है। फलस्वरूप उनको भी सीमेंट के लिये दिक्कत आयेगी। विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि यह बोर्ड भवन निर्माण का कार्य बोर्ड स्वयं करें और राज्य सरकार को निवेदन किया जावे कि वह इसके लिये विशेष तौर से सीमेंट का आवंटन करें। आरकीटेक्ट द्वारा नक्शे व डिजाईन आदि देने में देरी करने के फलस्वरूप कार्यालय भवन निर्माण में देरी होने पर असंतोष व्यक्त किया गया व निर्णय लिया गया कि विलम्ब के कारणों से बोर्ड को अगली बैठक में अवगत कराया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि आवासन आयुक्त निजी स्तर पर आरकीटेक्ट द्वारा विस्तृत नक्शे *Detailed Drawings* शीघ्र प्राप्त करने की व्यवस्था करें। इस भवन निर्माण के वित्तीय प्रबन्ध हेतु भी एक योजना विचार कर क्रियान्वन कराने हेतु टिप्पणी अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जावे क्योंकि बैंको से निर्माण के हेतु वित्तीय साधन उपलब्ध होने में कठिनाई आ सकती है।

मकान नं० 2-क-11 40x60 चौपासनी स्कीम जोधपुर के नियमीकरण हेतु।

विचार विमर्श के बाद उक्त मकान का नियमीकरण इस शर्त के साथ किया गया कि आंचंडी से वर्तमान नियमानुसार ब्याज एवं पैनेल्टी वसूल की जावे।

बोर्ड द्वारा निर्मित मकानों में से 10% मकान खुली बोली द्वारा बेचे जाने के संबंध में।

विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव स्वीकृत किया गया व निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा मध्यम आय वर्ग - "अ", मध्यम आय वर्ग - "ब" व उच्च आय वर्ग के लिए निर्मित मकानों में से 10% मकान खुली बोली द्वारा बेचे जावें।

.....4.

-: 4 :-

94.7 Simplification of procedure regarding registration and allotment.

The suggested procedure regarding registration and upgradation of existing income categories, computation of income, allotment system, house sizes and extra costs as proposed in the agenda was discussed and the following decisions were taken :-

i) Registration and upgradation of existing income categories:

The system suggested for allowing new applicants either of the two type of options while registering as indicated in the agenda note for each income category and thereafter not to allow change of house/income category at any time in future was approved. Also approved was the suggestion for advertising so as to allow the applications of the old applicants three months to apply so as to be brought in line with the new system.

ii) Computation of income:

The computation of income was decided to be as already decided vide item No.93.5 of the Board meeting. It was decided that no cancellation be made regarding registration/allotment cases for presently pending and of past due to income disparity / concealment, if covered by these provisions.

iii) For making allotment:

The newly proposed system i.e. Making out a preference list of registered applicants year wise divided into the various categorisation

.....5

(129)

-- 5 :-

the Board such as (i) outright and Hire Purchase (ii) salaried & un-salaried (iii) reserved categories of SC/ST etc. without giving any preference for corner house, flats/single storey, different house sizes in one income category, various colonies in one city and 'Original' and 'Subsequent' was approved. Drawing of the preference list is to be based on the data given by the applicants in the registration forms. For reservation and allotment of houses thereafter from this list the new system of doing away with option forms was approved as suggested.

iv) House sizes:

In light of (iii) above, no necessity being felt for any differentiations of houses sizes in one income category to be maintained, doing away with the present system as proposed was approved.

v) Extra costs:

The suggestion of recovering the extra cost over and above the ceiling cost of a particular income category of house in instalments for hire purchase allottees was approved with the following amendment:-

- a) The recovery may be made in quarterly instalments.
- b) The instalments for the various income categories for the extra costs should be as under :-

| category/<br>no. of in-<br>stalments. | Upto<br>Rs. 2000/- | Rs. 2001/- to<br>Rs. 5000/- | Rs. 5001/- to<br>Rs. 10000/- | Rs. 10001/-<br>& above. |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| HIG                                   | One                | One                         | Two                          | Three                   |
| MIG-2                                 | One                | Two                         | Three                        | Four                    |
| MIG-1                                 | Two                | Three                       | Four                         | Four                    |
| LIG                                   | Two                | Three                       | Four                         | -                       |
| EWS                                   | Three              | Four                        | Four                         | -                       |

....6

113

registratio  
is ration a  
ries, compu  
izes and ext  
is used and  
existing inc  
ig new applic  
is while reg  
note for each  
not to allow  
at any time  
ved was the  
s to allow th  
nt three mory/  
line with t  
decided to be  
0.93.5 of the  
that no cancell  
/allotment ca  
past due to in  
covered by the  
aking out a  
applicants ye  
Categorisatio  
.....5

It was also decided that detailed procedural booklet the new system approved for registration and allotment made and published for general information.

सचिव 94.8

अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित वर्ग का कोटा भरने हेतु नवीन पंजी खोले जाने कायम ।

चूँकि निदेशक सोशल वेलफेयर बैठक में उपस्थित नहीं हो सके अतः उक्त निर्णय को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पर विचार किया गया ।

मोले/94.9

आवाज

अभि

सुभाषिणी

बोर्ड के 4 शहरों में 11 आवासीय योजनाओं हेतु हुडको से ऋण

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि 4 शहरों की 11 योजनाओं के हुडको से 239.61 लाख रुपये का ऋण हुडको की शर्तों के अनुसार लिये जा हेतु अध्यक्ष महोदय को अनुबन्ध प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया

सचिव 94.10

सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :-

- 1- सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनांक 28-9-81 की बैठक के निर्णय का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

सादरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त

राम कुमार सिंह

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 15.12.81  
को सम्पन्न हुई 95 वीं बैठक के निर्णय ।  
=====

बोर्ड की 95वीं बैठक दिनांक 15.12.81 को तारीख 3 को अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :-

- |                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1- श्री सतीश कुमार,<br>अध्यक्ष, राज0आवा0मंडल एवं तारिख<br>नगरीय विकास एवं आवासन विभाग | अध्यक्ष |
| 2- श्री एल0रन0गुप्ता,<br>वित्त सचिव                                                   | सदस्य   |
| 3- श्री अखयराज,<br>आवासन आयुक्त                                                       | सदस्य   |

श्री वी0केम्पे, मुख्य नगर नियोजक की अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई ।  
श्री रामकुमार सिंह, सचिव व श्री डी0के0 जैन, मुख्यलेखाधिकारी भी बैठक में  
उपस्थित हुए। श्री गजेन्द्र हल्लिधा, निदेशक, समाज कल्याण विभाग जिन्हें विशेष  
सम से आमंत्रित किया गया था, ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में निम्नलिखित  
निर्णय लिये गये :-

95.1 बोर्ड की 94वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।  
=====

विचार विमर्श कर पिछली बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

95.2 बोर्ड की 94वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।  
=====

बोर्ड द्वारा क्रियान्विति रिपोर्ट का अपलोफन करते समय निम्नलिखित  
दिन्दुओं पर निम्न प्रकार से निर्णय लिया गया :-

93.8 जयपुर से पंजीकरण का हस्तान्तरण अन्य शहरों में किये जाने हेतु ।  
=====

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि हस्तान्तरण के लिये निम्न  
सिद्धांत मद्दे नजर रखे जाये :-

111. केवल उन्हीं शहरों में हस्तान्तरण किया जाये जहाँ वर्तमान पंजीकृत आवेदकों को आवंटन जारी है या प्रस्तावित सूची एक आधे साल से अधिक नहीं है।
- 121 हस्तांतरित नगर में उक्त वर्ष के 10 प्रतिशत से अधिक आवेदकों को हस्तांतरित न किया जायेगा।
- 131 ऐसे हस्तांतरित व्यक्ति हस्तांतरित नगर में जिस वर्ष के पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों के लिए आवंटन जारी हैं, उस वर्ष से अपने वर्ष के पंजीकृत व्यक्तियों के साथ हस्तांतरण करते नोचे रखे जायेंगे।

उक्त आधार पर जयपुर से पंजीकरण का हस्तान्तरण को जयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर व तूरतगढ़ किया जा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि भविष्य में अन्य शहरों की स्थिति में परिवर्तन होने पर उन शहरों में भी जयपुर से दूसरे शहरों में पंजीकरण हस्तान्तरण हेतु आवश्यक महोत्प को आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिष्ठित किया जाये।

### 95.3 Simplification of Procedure regarding registration and allotment for Board Houses.

श्री. अ. भि.  
मु. अ. भि.  
अधिकारी,  
जनसम्पर्क  
अधिकारी,

In compliance to item No. 94.7 of the 94<sup>th</sup> meeting of Board, detailed booklet for simplification of registration and allotment as prepared was considered and approved in toto alongwith the following articles relating to:-

1.15.4 Deductions adopted on refund.

1.16.2 Fee/penalty payable for regularization of short registration deposit cases.

1.25 Charges for regularizing late house possession cases.

1.25.1 Schedule for fixing fixtures.

2.10 to)

2.10.3) Procedures for opening Self Financing Scheme.

2.10.4 Procedures for opening Self Financing Scheme approved as such with the amendment that a penalty of Rs 500/- p.m. for MIG-B and Rs 1000/- p.m. for MIG applicants shall be charged on default in scheduled payments instead of the 18%, 24%, and 36% interest payment proposed.



-: 3 :-

Further, the booklet incorporating the above proposals/ amendments and enclosed herewith was decided to be approved. Follow up action on this item was also directed to be taken.

95.4

जवाहर नगर, जयपुर में विभिन्न स्थानों पर पैसे हुए प्लाटों की नीलामी के संबंध में ।

अधी.अभि.  
जयपुर नगर,  
आवा.अभि.  
कण्ड प्रथम  
जयपुर, आवा.  
टेकटा हाऊस  
प्लानर,

जवाहर नगर, जयपुर योजना में नियोजित प्लान के आधार पर प्रायः निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मगर कुछ भूखण्ड ऐसे गहरे खड्डों में हैं जहाँ पर निर्माण कार्य हुडको द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत करना सम्भव नहीं होगा। अतः निर्णय लिया गया कि निम्नांकित भूखण्डों को छुटी नीलामी द्वारा देव दिया जाये:

| S.No. | Sector                            | Size in meters | Nos. |
|-------|-----------------------------------|----------------|------|
| 1.    | 3                                 | 12x27.50       | 4    |
| 2.    | 3                                 | 16.65x27.50    | 4    |
| 3.    | Between 3 & 4<br>(a) narrow strip | 12x20.60       | 10   |
| 4.    | -do-                              | 14.3x20.60     | 2    |
| 5.    | -do-                              | 18x20.60       | 2    |
| 6.    | Sector 4                          | 12x25.80       | 4    |
| 7.    | -do-                              | 18.50x25.80    | 1    |
| 8.    | -do-                              | 12x24.20       | 4    |
| 9.    | -do-                              | 17.75x24.20    | 2    |
| 10.   | -do-                              | 12x24.40       | 2    |
| 11.   | -do-                              | 16.70x24.40    | 1    |
| 12.   | -do-                              | 12x27.00       | 4    |
| 13.   | -do-                              | 15.90x27.00    | 4    |
| 14.   | -do-                              | 12x22.50       | 2    |
| 15.   | -do-                              | 15.90x22.50    | 2    |
|       |                                   |                | 48   |

*[Handwritten signature]*

.....

95.5 जवाहर नगर, जयपुर में पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित भूमि पर बहुमंजिले एवं उच्च आय वर्ग के मकानों के निर्माण के संबंध में ।

Supdt. Eng. Jaiipur Circle  
R.E. (H.Q.) II  
A.T.P.

जवाहर नगर सेक्टर 'नं० 02' में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप करीब तीन एकड़ भूमि पुनर्वास विभाग हेतु सुरक्षित रखी गई थी, लेकिन अब उक्त भूमि मण्डल को आवंटित कर दी गई है। उक्त भूमि के चारों ओर बहुमंजिले मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण में हो चला जा चुका है। अतः निर्णय लिया गया कि पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित भूमि पर निम्नांकित वर्ग के तीन मंजिले मकानों का निर्माण किया जाये :-

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| अ। उच्च आय वर्ग के फ्लैट्स :-  | 126        |
| ब। मध्यम आय वर्ग के फ्लैट्स :- | 30         |
|                                | <u>156</u> |

इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 40' x 60' के एक मंजिले मकानों के ता उपलब्ध रिक्त भूखण्ड पर तीन एकड़ मंजिले मकानों के निर्माण को भी स्वी प्रदान की गई ।

उक्त बहुमंजिले मकानों का निर्माण कार्य सैल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम के अन्तर्गत निर्माण कार्य को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में सम्पत्ति आचूटन समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

95.6 Self financing Scheme at Kota.

Supdt. Eng.  
H.Q. / Kota  
Circle

कोटा में उच्च आय वर्ग के मकानों का निर्माण सैल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम के अन्तर्गत किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि उक्त विषय पर प्रस्ताव सम्पत्ति आचूटन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

95.7 Revision of ancilliary service charges.

Supdt. Eng.  
Kota Circle  
95.8

उक्त प्रस्ताव बैठक की कार्यवाही से वापस लिया गया ।

Housing Office  
R.E. (H.Q. II)

श्रीमाधोपुर, तीकरा एवं तरदारशहर बस में पंजीकरण प्रारम्भ किये जायेंगे ।

95.9 शक्तियों का प्रत्याधिकरण डेलीगेशन आफ पावर्ती के मद संख्या 41  
 To incur entertainment expenditure में संशोधन ।

C.A.O. 7 शक्तियों का प्रत्याधिकरण के मद संख्या 41 में आर्कासिक खर्च Contingent  
 expenses के संबंध में निम्न प्रकार से संशोधन स्वीकार किया  
 गया :-

| क्रमांक | विषय                                                                                                                                            | अवधि                                    | राशि                                     | सूचित व सुलेखित<br>संयुक्त रूप से । |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 41      | अल्पाहार। Enter- पूर्ण अधिकार<br>entertainment बोर्ड की बैठक में प्र-<br>उपस्थितियों को ले- बताने होने<br>हैक एवं सारोह पर ।<br>आदि पर अल्पाहार | 500/- ₹0<br>तक प्रत्येक<br>सप्ताह में । | 2000/- ₹0 तक<br>प्रत्येक सप्ताह<br>में । |                                     |

इसके अतिरिक्त निम्न अधिकारियों को जलपान आदि पर व्यय करने  
 को निम्न प्रकार से शक्तियों प्रदान करने का भी विषय लिया गया :-

|                        |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| आयुक्त आशुभ            | - | 100/- ₹0 प्रतिमाह |
| अधीक्षक अभि. 1 व 2 एवं |   |                   |
| फील्ड                  | - | 75/- ₹0 प्रतिमाह  |
| राशि                   | - | 75/- ₹0 प्रतिमाह  |
| मुख्याधिकारी           | - | 75/- ₹0 प्रतिमाह  |

95.10 श्री औस प्रकाश अग्रवाल, बालान नम्बर 20785 श्री बालवीर नगर बोकसा  
 में 11x18 माप में एवं श्री दिनेश चन्द, बालान नम्बर 10798 श्री बालवीर नगर  
 में 10.5x18 माप में आरक्षण करने हेतु ।

श्री औस प्रकाश, बालान नम्बर 20785 श्री बालवीर नगर, बलपुर में  
 11x18 माप का बालान नम्बर भुगतान पर एं श्री दिनेश चन्द,  
 बालान नम्बर 10798 श्री बालवीर नगर, बलपुर में 10.5x18 को  
 बालान किराया का मदति पर आरक्षण किया जाने का निर्णय लिया गया ।

- 95.11 अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित वर्ग का कोटा भरने हेतु नवीन पंजीकरण खोलने का त्त ।

Housing  
Officer

अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित वर्ग का कोटा भर जाने हेतु नवीन पंजीकरण प्रारम्भ किया जाने संबंधी प्रस्ताव पर विस्तृत विचार किया गया । उक्त संबंध में निदेश, समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भी विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि उक्त मामले को पूर्ण विवरण सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

Housing  
Officer

- 95.12 सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनांक 1.12.81 को आयोजित बैठक के निर्णय ।

सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनांक 1-12-81 को आयोजित बैठक के निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

Housing  
Officer

- 95.13 जैन मन्दिर को अतिरिक्त भूमि के आवंटन के संबंध में ।

उक्त संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त मामले को आगामी सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

Housing  
Officer

- 95.14 श्रीमती शकुंतला माथुर पत्नि स्वर्गीय श्री एस0के0माथुर को जवाहर नगर, जयपुर योजना में निवेश स्म से मकान आवंटन करने के संबंध में ।

श्रीमती शकुंतला माथुर पत्नि स्वर्गीय श्री एस0के0माथुर को जवाहर नगर योजना में निवेश स्म से 'out of turn' मकान आवंटन करने संबंधी प्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती शकुंतला माथुर के पति का स्वर्गीय पंचायत चुनावों के दौरान हो जाने के कारण उन्हें एक मकान जवाहर नगर में आवंटित कर दिया जाये ।

तदुपरान्त अधिका महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक को कार्यवाही समाप्त की गई ।

श्रीरनाथ  
तस्व

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 25 एवं 27  
जनवरी 1982 को सम्पन्न हुई 96वीं बैठक के निष्पत्ति

बोर्ड की 96वीं बैठक दिनांक 25 एवं 27 जनवरी 1982 को कक्षा संख्या 3.30 बजे  
प्रारंभ प्रातः 9.30 बजे सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :-

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| श्री सतीश कुमार,                                                       | अध्यक्ष |
| अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं<br>सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग |         |
| श्री एल० एन० गुप्ता,                                                   | सदस्य   |
| वित्त सचिव                                                             |         |
| केवल दिनांक 27-1-82 की बैठक में<br>उपस्थित रहे ।                       |         |
| श्री पी० कैम्बो,                                                       | सदस्य   |
| मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुशिल्प सलाहकार,                              |         |
| श्री अश्व राज,                                                         | सदस्य   |
| आवासन आयुक्त                                                           |         |

श्री एल० एन० गुप्ता, वित्त सचिव को दिनांक 25-1-82 की अनुपस्थिति की स्वीकृति  
दान की गई । श्री शेरनाथ सचिव, राज० आवा० बोर्ड व श्री डी० के० जैन, मुख्य-  
कार्यकारी भी उपस्थित थे ।

बोर्ड की 95वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

विचार विमर्श कर पिछली बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

बोर्ड की 95वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।

बोर्ड द्वारा 95वीं बैठक के निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई क्रियान्विति  
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया ।

आवा0अधि: / 96.3  
विधि सलाह-  
कार/जन. संपर्क  
अधिकार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व विकलांग आवेदकों का कोटा भरे जाने हेतु आवंटन ।

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग वर्ग के लिए विभिन्न वर्गों के आरक्षित कुल 14 1/2 एवं 15 1/2 कोटे की पूर्ति करने विस्तृत विचार विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिए गये :-

- 1- वार्षिक परिवर्धता के उपरान्त भी वाट के वर्धों के अनुसूचित/जनजाति के पंजीकृत आवेदकों को भविष्य में प्रत्येक आरक्षण में निर्धारित 14 प्रतिशत सीमा तक आरक्षित क्षमता-निम्मानुसार आवंटन किया जाय ।
- 2- कुल पंजीकृत आवेदकों में से लगभग 4 प्रतिशत आवेदक जाति/जनजाति के है इसलिये सुरक्षित कोटे को 14 प्रतिशत बढ़ाकर 16 प्रतिशत भी कर दिया जाय तो भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिक मजान देने का उद्देश्य नहीं होता । अतः आरक्षित कोटा क्लिबहाल 14 प्रतिशत रखा जाय ।
- 3- विकलांगों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति के अनुसार 1 1/2 प्रतिशत आरक्षित कोटा पूरा करने हेतु वार्षिक वर्धों के उपरान्त भी वाट के वर्धों के पंजीकृत आवेदकों को आरक्षित किये जाय एवं निम्मानुसार आवंटन किया जाय ।

उपरोक्त वि.द संख्या 111 व 121 की प्रक्रिया केवल आर्थिक से कमजोर आ. वर्ग एवं शल्य आयवर्ग एवं मध्यम आय वर्ग आवेदकों पर ही लागू की जाये ।

भविष्य में सामान्य पंजीकरण योजना खोली जाये तब अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष पंजीकरण खोला जाये व अन्य ऐसे क्षेत्र प्रयत्न किये जाये ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों अधिकाधिक पंजीकृत किया जा सके ।

आवा0 अधि0 96.4

हाउसिंग बोर्ड द्वारा विधायकों को जो अनुसूचित जाति के दिये जाने वाले मकानों में भी लागत नीति में जाने के सम्बन्ध में ।

मण्डल द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि जाति व जनजाति के विधायकों को दिये जाने वाले मकानों

कातार

-::: 3 -:::-

लागत कीमत में छूट देना अथवा किरतों की अवधि 10 वर्ष की अपेक्षा 20 वर्ष तक बढ़ाना "हुडको" द्वारा निर्धारित नोईस के अनुसार संभव नहीं है एवं न ही जीडी के निष्पत्तिनुसार किसी प्रकार की सब-सीडी दिया जाना संभव है।

अतः श्री राम कंवर वैरवा, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को उनके पत्र के संदर्भ में तदनुसार सूचित किया जावे।

गोपालपुरा रोड जयपुर पर परस्परिक समझौता कर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में।

विचार विचार स्थगित किया गया।

निगमिति पदों के विरुद्ध कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियुक्त हेतु।

विचार विमर्श कर बोर्ड में निगमिति पदों के विरुद्ध कार्यरत दैनिक वेतन भोगी 28 कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि एक बार पुनः विचार मांगे जाकर स्ट्रिकिंग किया जाए और वे जिस पद के लिये योग्य पाये जायें, उस पद पर उन्हें नियुक्त देने हेतु कार्यवाही की जावे, किन्तु योग्यता में छूट देना वांछनीय नहीं है। स्ट्रिकिंग हेतु आवश्यक आधुनिक, सचिव एवं मुख्य-लेखाधिकारी की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यह कार्य 31-3-82 तक पूरा कर बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।

राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 में संशोधन-द्वेसर व कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर भर्ती हेतु बोर्ड के विनियमों में संशोधन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि द्वेसर व कनिष्ठ-प्रारूपकार के पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड के संबंधित विनियमों में

लगातार -----4.

अभि. अभि. मु० १/ १६.८  
जयपुर/जोधपुर वृत्त/  
कोटा वृत्त/आवा०  
अधिकारी/ जन. संपर्क अधि.

संशोधन किया जाना वांछनीय नहीं है, अतः यदि कोई व्यक्ति को भी अपरिपक्व गठित स्ट्रनिंग कमेटी द्वारा जमाना कर बोर्ड के समक्ष निर्णय हेतु रखा जावे ।

विदेशी मुद्रा में भुगतान करने वाले आवेदकों को आवंटित प्राथमिकता के सम्बन्ध में ।

भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर द्वारा यह निषेधन किया गया कि विदेशी मुद्रा देने वाले प्रवासी भारतीयों को नकाने के प्राथमिकता से दिया जाय । इस विचार पर विचार कि कण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कण्डल द्वारा नि १० प्रतिशत जमाने को निलाभा द्वारा लिये जाते हैं उनके अधिकारी/ विदेशी मुद्रा में नकद भुगतान करने वालों के लिए निर्धारित आर्थिक मूल्य इकोनोमिक प्राईज तथा आवंटित किये जावे । इससे बोर्ड को विदेशी मुद्रा अर्जित साथ साथ सीमेन्ट उद्योगों में भी सुविधा मिलेगी ।

आ. व. ० अधि०/ १६.९  
जन-संपर्क अधि०

डोंडवासा में सामान्य पंजीकरण योजना खोले जाने के संबंध में ।

आवा. अधि. / १६.१०  
जन संपर्क अधि.

विचार विमर्श कर कण्डल ने प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान सांगोद जिला कोटा में पंजीकरण योजना शुरू किये जाने में ।

विचार विमर्श कर बोर्ड ने सांगोद में सामान्य पंजीकरण योजना की स्वीकृति प्रदान की ।

आवा. अभि. द्वितीय १६.११  
मु० १/मु. ले.

४ शहरों को ६ आवासीय योजनाओं के लिए हुडको से स्वीकृति

विचार विमर्श कर बोर्ड द्वारा परामर्शित "क" में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार हुडको से ४७३.३२ लाख रुपये के ऋण लेने स्वीकृति प्रदान की गई । उपरोक्त ऋण लेने के लिए अध्यापक लगातार



-:- 5 -:-

तः यदि को  
कमेटी द्वारा  
वे ।

को. षण हेतु एग्जीक्यूटिव पर राजस्थान आवासन मण्डल की मुद्रा से  
आवासन आयुक्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत  
किया गया ।

को आवंटन मु01/ 96.12  
मि. दितीय मु01/  
धिकारी--

हिरन मगरी केज-5 उदयपुर उच्च आ. वर्ग स्कीम की प्रारंभ एवं  
पूर्ण करने की तिथि बदलने के क्रम में ।

न किया गया  
को. मकानों  
विचार  
डल द्वारा

विचार विमर्श कर बोर्ड द्वारा प्रस्तावानुसार उपरोक्त योजना के  
प्रारंभ करने एवं पूर्ण करने की तिथि क्रमां : 1-1-81 व 31-12-  
81 के रयान पर 1-1-82 व 31-12-82 निश्चित करने की  
स्वीकृति प्रदान की गई ।

जाते हैं उन अधिकारी/ 96.13  
निराश्रित

मण्डल का अनुमानित वजट वर्ष 1982-83 एवं संशोधित वजट  
अनुमान 1981-82 की स्वीकृति ।

ईज. तम  
दु. प. कर्मि  
गले-  
जो के स

निम्न संशोधनों के साथ वजट स्वीकृत किया गया :-

स्वीकृति प्रदा

1- वर्ष 1981-82 के संशोधित वजट में महंगाई भत्ते की 3 और  
किश्तों का अर्थात् कुल 5 किश्तों का अनुमानित व्यय जोड़ा  
जाय ।

2- वर्ष 1982-83 के अनुमानित वजट में महंगाई भत्ते की एक  
और किश्त कुल 5 किश्तों का अनुमान जोड़ा जाय ।

किये जाने मु01/ 96.14  
कारी

"शिड्यूल आफ पावर्स" में संशोधन हेतु ।

मजदूर

विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार शिड्यूल आफ पावर्स में संशोधनों  
की स्वीकृति प्रदान की गई । वर्षी कमेटी के गठन की स्वीकृति  
प्रदान की गई ।

हुडको से

96.15

मण्डल की सूचनार्थ विज्ञा :-

में निर्दिष्ट  
के भगले

1- दिनांक 15-1-82 को संपन्न हुई संपत्ति आवंटन समिति  
के निर्णय ।

2- दिनांक 15-1-82 को संपन्न हुई "लेण्ड निगोशियेशन कमेटी"  
के निर्णय ।

क. विमान तीन मलों में विभाजित है। तब ही प्रगति का विवरण।

उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं के अन्तर्गत बोर्ड की सुचनाओं बिन्दु 1 व 3 का भिन्न-भिन्न मो. विवरण का मण्डल द्वारा अवलोकन अनुमानित किया गया है।

अन्य विमान उड़ान नीचे की अनुमति से

सु. विमान अधिकारी 96.16  
लेखाधिकारी वित्त

अधिकारी "वृद्ध प्रेस" योजना 1976 में अधीन।

पा.

विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह में जो वित्तीय भार मण्डल पर पड़ेगा उसे ज्ञात कर देते अगली बैठक में रखा जाये।

आ. विमान अधिकारी 96.17  
लेखाधिकारी वित्त

विमान उड़ान नीचे की अनुमति से

पा.

भुक्तान में रीको द्वारा भिमाड़ी में लगभग 318 आवेदनों को पंजीकरण हो चुका है उनको रीको की प्रार्थना के अनुसार पंजीकरण का हस्तान्तरण एवं धनराशि के आवातन मण्डल पर हस्तान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अधि.

भुक्तान रीको के हस्तान्तरण को स्वीकृति करते हुए रीको को सूचित, जो अधिकृत विमानों के लिए का पूर्ण निरीक्षण करने उचित समान उचित रेट पर लेने की कार्यवाही करें।

आ. विमान अधिकारी/ 96.18  
उपनिर्देश प्रमुख

बोर्ड के कार्यार्थ कार्यवाहियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत प्रस्ताव श्रृंखला दिये जाने के संबंध में।

विचार विमर्श कर यह निष्कर्ष निकला कि केरी आयोग की कार्यवाहियों पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद का निर्णय विचार किया जाना चाहिए होगा। अवगत आ

हर्ष प्रगति

को अधिकृत किया गया कि वे स्वयं पदाधिकारियों के साथ सन्दर्भ में बातचीत करें।

सु. 3 का म. ति. 96.19  
प्रतिभाषिका अधिकारी

महावीर नगर विस्तार आवासीय योजना के मातहत कोटा।

धन।

मण्डल द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

96.20

हुड को द्वारा आयोजित एक सत्र के आयोजकों की डिजाइन प्रतिलिपि - 1982।

नया गति

विचार विमर्श कर बोर्ड द्वारा प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

जन. के लिए / 96.21  
प्रतिभाषिका अधिकारी

वीकानेर में दिनांक 30-1-82 से 4 फरवरी तक आयोजित राजस्थान विगत प्रदर्शनी 1982 के मातहत स्वीकृति।

18 आवेदकों

विचार विमर्श कर बोर्ड द्वारा प्रस्तावानुसार कुल 17,000/- रुपये के अनुमानित काम की नीलामी स्वीकृति प्रदान की गई।

पथ. के अनुसार

96.22

श्री हीरेन मुखर्जी आवंटन नं० 2-ज-25 140"x60" का जवाहर नगर जयपुर का पंजीयन उत्तराधिकार के मातहत संप्रदाय रूप से किये जाने हेतु।

हु. बोर्ड ने

निरीक्षण कर

ने करें।

निर्माण विभाग

उपरोक्त प्रस्ताव पर विरुद्ध प्रस्ताव बोर्ड द्वारा निर्णय किया गया कि यदि श्री हीरेन मुखर्जी को आवंटन नं० 2-ज-25

140"x60" का आवंटन राजस्थान आवासीय मण्डल अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किया गया है

ततः राज्य सरकार श्री हीरेन मुखर्जी द्वारा अपनी पत्नि को

Co-parcener बनाने की प्रार्थना का अनुमोदन प्रदान

कर दिया जाये। यदि सरकार समझे उक्त प्रार्थना को अनुमोदित

री उपयोग

लेने के बाद

आवासीय उ

पर.

दिल जहाँ की नींव को रीति प्रदान कर दी जाये । उ  
भी निर्णय लिया गया कि इस प्रक्रिया को अपनाये से पहले  
कोई/को पूर्वार्थ ले कर अन्तर देकिंग under taking  
ले ले कि ऐसा हो जाने पर यह एक निर्धारित अवधि में  
को पता दे दिया जायेगी जो भी है परा मुपलब्ध या वैना  
या निर्णय ।

तदुपरान्त अध्यापक महोदय, जो एक निरन्तर अर्द्धित करत हुए हैं को कार्यवाही  
समाप्त की गई ।

प्रमाणित  
दिनांक

163/

राजस्थान आवागमन बोर्ड की दिनांक 12 अप्रैल  
1982 की सम्पन्न हुई 97 वीं बैठक के निर्णय :-  
=====

की 97 वीं बैठक दिनांक 12 अप्रैल, 1982 को सांयकाय 4.00 बजे बोर्ड  
कालय में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :-

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| श्री सतीश कुमार                    | अध्यक्ष   |
| अध्यक्ष, राजस्थान आवागमन बोर्ड एवं |           |
| सचिव, नगरपालिका एवं आवागमन विभाग   |           |
| एन. एन. गुप्ता,                    |           |
| वित्त सचिव, राजस्थान               | सदस्य     |
| जी. कैमरो,                         | सदस्य     |
| मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविद्    |           |
| सलाहकार, राजस्थान                  |           |
| अख्यराज,                           | नगरपालिका |
| आवागमन अधिकारी                     |           |

राजस्थान  
सम्पन्न  
नगरपालिका  
की 97  
वैठक  
में  
निम्नलिखित  
उपस्थित  
हुए :-

साथ, सचिव, श्री जी. पी. माथुर, मुख्य योजनाधिकारी, एवं श्री माधुली ठापा,  
अभियन्ता मुख्यालय एवं श्री गोपीचन्द्र गर्ग, निधि सलाहकार भी बैठक  
में उपस्थित थे । बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

बोर्ड की 96 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

विचार विमर्श कर 96 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन का संशोधन  
के साथ किया गया कि श्री जी. पी. कैमरो, अध्यक्ष ऊपर बैठक में प्रयुक्त  
12 विचार बिन्दुओं के विचार विमर्श तक ही उपस्थित रहे ।

बोर्ड की 96 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।

96 वीं बैठक के निर्णयों के संबंध में प्रस्तुत की गई क्रियान्विति रिपोर्ट  
का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया गया कि भविष्य में वर्तमान आवागमन  
नियमों द्वारा निर्धारित के ऊपर राजस्थान विधानी बैठकों के ऐसे  
निर्णयों पर जो कि पर क्रियान्विति रिपोर्ट भेज दो का प्रगती रिपोर्ट  
भी प्रस्तुत की जाये ।

## 97. 0

$$\text{SE(HQ) / CAO/ATP}$$

विचारों के अनुसार मैं वास्तविक संस्था का निर्माण नहीं कर सका।  
इसके अलावा मैं प्रस्तावित संस्था के लिए आवश्यक धन नहीं  
ले सका। पूर्ण संस्था के लिए मैं व्यक्तिगत धूमिल से काम आया। (पृष्ठ 100)।  
निर्णय किया गया कि संस्था को वर्तमान में अस्तित्व पर से केवल  
आजीवन की संस्था को बना दिया गया है। आजीवन संस्था के लिए  
कार्य प्रारम्भ हो जाये तब ही इसे वास्तविक संस्था के रूप में  
ले ले। संस्था के लिए धन नहीं है। पूर्ण संस्था के लिए धन 7.7  
को संस्था के लिए आ जाये। धन का बहुत बड़ा अभाव है।  
धन में विभिन्न के संस्था के लिए आ जाये।

97.4

भारत वाणिज्यी वि. सर्व प्रो. लिमिटेड को अन्तर्गत राज्य, जयपुर  
निवेदन निर्धारण हेतु प्राप्ति भविष्य से डाई टेक्नालॉजी के तारों (1),  
प्राप्ति केन्द्रों को अन्तर्गत के संबंध में ।  
er.

SE(J/C)/  
CAO/  
RE-I

विचार किया कि वह उस महिला से कुछ आर्थिक भूमि पर हमले का कोई योजना बनाई कि जोर्ट के बीच पर उठाये जाने का।  
यह भी प्रमाणित किया कि 10,000/- की रकम प्रदान की  
गयी थी। यह भी निर्णय लिया गया कि नाले को उठाये जाने का  
प्रस्ताव आगामी बैठक में हाईट प्लान, मिलिंग प्लान, नाले को  
का अनुमति देना या नाले को अलग मोटी का अद्वितीय एवं  
एक साल की योजनाओं सहित पुनः प्रस्तुत किया जाये।

7.

North Apartment of Ashirwad Building, Jaipur.

HC /  
C. J.[illegible]

165

लेने हेतु अधिकृत किये जाने का निर्णय भी लिया गया ।

संयोजनरी संबंधित चार्जेज से निर्मित विधायक भवनों का शिक्षा विभाग को हस्तान्तरण संबंधी विषयों के प्रावधान के संबंध में ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संयोजनरी संबंधित चार्जेज से निर्मित विधायक भवन शिक्षा विभाग को एम. डब्ल्यू. डी. द्वारा निर्धारित दरों पर भवन भाड के किराये पर दे दिया जाये । एवं इसी आधार का प्रारूप बनाया जावे ।

Redres of grievances of allottee of house No. - क-16, Dhola Bhatta Housing Board colony, Ajmer.

निस्तृत विचार विमर्श कर धोला भाटा कोल्नी, अजमेर में स्थित संख्या 1-क-9 से 1-क-16 तक के 8 प्लॉटों के बीच में बारं लोकापिड कराये जाने का निर्णय लिया गया जिसका अनुमानित व्यय रु 6, 000/- है । साथ ही इस राशि को अजमेर की अन्य किसी योजना से समायोजित करने का निर्णय भी लिया गया । उनकी वांछी समस्या के बारे में बोर्ड अधिकारी निरीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें, यह भी निर्णय लिया गया ।

Rental Housing facilities for Board employees at Jaipur and Kota.

निस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इस विषय को मंडल के स्तर के वित्तीय श्रोत्र से प्रस्तावित 18 भवन कोटा में एवं 18 भवन जयपुर में 5.00 लाख रु प्रति प्लॉट की सीमा तक विभाजित करने की स्वीकृति दी गई । इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि भवन बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों के आसर्क के अनुसार ही किराये दिये जायें और भवन का नक्शा बंदी रखा जाये जो मंडल के इस प्रकार के अन्य भवनों का है ।

97.9

Creation of the post of telephone operator.

P.M.

प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर 3 टेलीफोन आपरेटर के पद के नवसृजनका वेतन श्रेणी 355-570 में रु 20/- विशेष वेतन के साथ करने का निर्णय लिया गया जिनमें से दो अभी भरे जायें। टेलीफोन आपरेटर के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करते समय निर्णय लिया गया कि प्राथमिक हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण हो एवं उसे टेलीफोन आपरेटर के पद पर तत्कालपूर्वक कार्य करने का अनुभव हो।

97.10

श्री लक्ष्मणदास पुत्र श्री टहलराम, आवंटी मकानसंख्या 6-घ-7, जवाहर नगर, जयपुर के निरासीकरण के संबंध में।

CAO/  
PS to CH.

उक्त विषय पर मासिकीय दृष्टिकोण से विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय यदि मकान में आवंटी स्वयं रह रहा है एवं किराये पर नहीं दे रहा है तो आवंटी से अधिकतम बोली लगाने वाली व्यक्ति को देय व्याज एवं अन्य वकाया राशि, व्याज, पैन्लटी आदि राशि वसूल करते हुए मकान का निवसन कर दें। एवं अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को जमा राशि व्याज सहित वापस कर दी जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आवंटी द्वारा स्वयं नहीं रहने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जाये। एवं अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को मकान आवंटित कर दिया जाये।

97.11

"रीडर्स डाइजैस्ट" के हिन्दी संस्करण "सर्वोत्तम" मासिक पत्रिका के राजस्थान विशेषांक में विज्ञापन दिये जाने हेतु।

PRO.

"सर्वोत्तम" पत्रिका के राजस्थान विशेषांक में आधे पेज का विज्ञापन दिये जाने का निर्णय लिया गया कि यदि रीको, राज.सी.जी. आर.एफ.सी. आदि अन्य कोई दो संस्थान भी विज्ञापन देते हैं तो अध्यक्ष महोदय आधे पृष्ठ के विज्ञापन की स्वीकृति दे दें।



(167)

tor.

आपरेटर के  
शेष वेतन के सा  
ज. 4.1 टेलीफो  
रते समय निर्णय  
जुं उसे टेलीफोन  
है।

6-घ-7,

=====

की कर निर्णय  
र रहा है स  
बपेली लगाने  
ज, पेनल्टी आ  
व अधिकतम दो  
पत्र कर दी जा  
रा स्वयं नहीं  
एव अधिकतम  
दि जावे।

पत्रिका

=====

पेज का विवरण  
ज. सी को  
भी विवरण  
ज्ञापन को

7.12

Benefit of Rs.30/- to a non-graduate Jr. Assistant after his qualifying graduation Exam.

विचार विधी कर स्त्रि जानकारी वाही गई कि जो रु 30/- का लाभ कनिष्ठ द्वारा देवाये जाने के उपरान्त स्नातक पत्रों के परीणापरिवर्ण दिष्ट जाने का निर्णय लिया जाना है, क्या इसी प्रकार की परिस्थिति/संभावना किसी और ग्रेणी के कर्मचारियों में भी उत्पन्न हो सकती है। इस विषय में प्रतिवेदन आने पर ही इस विन्दू पर विचार किया जायेगा।

7.13

मंडल द्वारा निर्मित 10 प्रतिशत मकानों का खुली नीलामी द्वारा आवंटन।

विचार विधी कर निर्णय लिया गया कि प्रत्येक योजना में 10 प्रतिशत की सीमा तक भूखण्डों/मकानों/खोदत आदि को खुली नीलामी द्वारा विक्रय/निपादन/डिस्पोजल के संबंध में संबंधन करने की स्वीकृति दी गई। इसका प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करली जावे।

7.14

10 नगरों में आवास आरक्षण योजना 81-82 लॉटरों नं-1

10 शहरों में आरक्षण से भेजा रहे 1215 मकानों को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के हैं को उक्त वर्ग में पंजीकृत आवेदकों को सीधे ही उसको विचार पंजीकरण परीक्षा के अनुसार बिना विकल्पा पत्र लिए ही आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। निश्चित अवधि में यदि इस प्रकार आवंटित किये व्यक्ति पूर्ण ग्रहण राशि जमा नहीं कराये तो उनका पंजीकरण रद्द करने हेतु विचार किया जावे।

नोट्स के अनुसार

97.15111 Agenda by circulation No.39 regarding amendment in revised procedure for registration and allotment.

SE(HQ)/  
PRO/

नोट्स के अंश का निम्नलिखित/आवृत्ति नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर अनुक्रमानुसार अनुमोदित दिप्पणी संख्या-39 एजेन्डा नोट गे सर स्वीकृत तारा प्राप्त स्वीकृति का अनुमोदन किया। श्री वि. के. ए. ने का निम्नलिखित विन्दु के अन्तर्गत 2.5.1 के विषय में जहाँ उच्च आयोग के आदेश से उच्च आयोग के आदेश के लिए वि प्रस्तुत करने पर उच्च आयोग द्वारा देय स्थान दर मांगी गई है उसे अपनी असहमति प्रकट की व नाकी सदस्यों ने यथा प्रस्तावित प्रावधान प्रोवीजन का अनुमोदन किया।

97.15121 Agenda by circulation No.38 regarding loan from HUDCO for Mahaveer Nagar Ext. Ph.II, Gr.-I Scheme, Kota.

CAO/  
RE HQ-II

हुडको से महावीर नगर विस्तार योजना फेज-II, ग्रुप-I, कोटा हेतु रु 53.44 लाख का लेने संबंधी प्रस्ताव जो अनुक्रमानुसार अनुमोदित दिप्पणी संख्या-38 पर स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकृत माना गया, का अनुमोदन किया गया।

97.15131 Agenda by circulation No.40 regarding loan from HUDCO for Mahaveer Nagar, Ext. Ph.I Group-1 Scheme, Kota.

CAO/  
RE HQ-II

हुडको से महावीर नगर विस्तार योजना फेज-I, ग्रुप-I, कोटा हेतु रु 29.04 लाख का लेने संबंधी प्रस्ताव जो अनुक्रमानुसार अनुमोदित दिप्पणी संख्या -40 पर स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकृत माना गया, का अनुमोदन किया गया।

.....7

97.15141 Payment of Dearness allowance to the Board Employees.

बोर्ड कर्मचारियों को दिनांक 1.6.81 से बढ़ी हुई दरों पर पेंशनार्ड भत्ते के भुगतान का अनुमोदन किया गया।

97.15151 सम्पति आवंटन समिति को दिनांक 18.2.82 को आयोजित बैठक के निर्णय।

सम्पति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 18.2.82 के निर्णयों का अवलोकन किया।

97.15161 Physical progress upto March, 82.

मार्च 31, 1982 तक की भौतिक प्रगति का अवलोकन करते समय राय व्यक्त की गई कि आगामी बैठक में सभी योजनाओं की धीरे-धीरे प्रगति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

योजनाओं की समीक्षा राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र (Area economy) के अनुसार भी की जाएगी।

97.15171 योजनाओं के निम्न आगामी योजनाओं में समीक्षकों के कार्यों की नीलासी के संबंध में।

अजमेर, जयपुर व उदयपुर में आवंटित मकानों का आवंटन रद्द कर नीलासी किये जाने के अवलोकन किया गया।

97.16 आयोजन बोर्ड के भवन संस्थाओं को वेधे के बारे में।

जीवन योग्य निगम एवं अन्य संस्थाओं को बोर्ड के निर्मित मकानों को विक्रय करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार विमर्श स्थापित किया गया।

.....8

M. H. C. Has this been seen by the 27/1/82 B. C. 1982-83  
(C/H) included in the

(170)

181

अध्यक्ष एगोटोप में अनुमति के

97.17

कुल में कुली योजना, जयपुर के मातः परिवर्तन के संबंध में।

PS to CM

प्रस्तावित नारों में से मात्र निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष एगोटोप को अधिभूत किया गया।

97.18

हुडको से ऋण के मातः।

CAO/  
RE HQ-II

विचार विमर्श कर बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कुली के योजनाओं के विस्तार योजना फेज-3, बीआर-1, ईडब्ल्यूएल एंड एलआरजी स्कीम, जोधपुर हेतु 32.42 लाख, जोधपुर रोड विस्तार फेज-2, एचआईवी योजना, जोधपुर हेतु 10.30 लाख एवं गडवाली नगर विस्तार योजना फेज-3 सम्मोचित बीआर-1, कोटा हेतु 68.55 लाख का ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की गई। उपरोक्त ऋण लेने के लिए अध्यक्ष को ऋण अनुबंध प्रमाण पर सन्तुष्टता प्राप्त न होई की वजह से ऋण को अस्थिरता में दर्शाकर करने हेतु अधिभूत किया।

97.19

किराया ऋण प्रकृति के आवंटियों को लक्ष्य राशि बरतू न होने पर खली बोली द्वारा नीलायी।

LA

प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निम्न संशोधन को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव बोर्ड तरफ से अनुमोदित कराया जाये। "किराया भी आवंटियों द्वारा कर्मों/फ्लेटों को लक्ष्य राशि/अन्वय लिये या लेकस्टी अथवा अन्य बोर्ड धनराशि मांग पर अदा नहीं कर अन्वय कारीगरी के अतिरिक्त उन्हें आ पंकेत प्रमाण/फ्लेट को नीलायी द्वारा निष्पादन/डिस्पोजल करने हेतु बोर्ड स्वतन्त्र होगा आवंटन स्वतः निरस्त दर्शा जायेगा।

तदुपरान्त अध्यक्ष एगोटोप को धन मांग अर्पित करते हुए पैसा की मांगवाही का

शेरनाथ

सचिव

220

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 15 मई  
1982 को सम्पन्न हुई 99वीं बैठक के निर्णय ।  
=====

बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 15 मई 1982 को प्रातः 9.30 बजे मण्डल के  
मुख्यालय में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :-

- 1- श्री सतीश कुमार  
अध्यक्ष, राज0आवा0 मंडल एवं  
सचिव, नग0विकास एवं आवा0विभाग अध्यक्ष
- 2- श्री सल0हन0 गुप्ता,  
वित्त सचिव, राजस्थान सदस्य
- 3- श्री अखय राज  
आवासन आयुक्त सदस्य

श्री वी0 कैम्बो, मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तु विद सलाहकार, राजस्थान,  
की अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई ।

श्री शेरनाथ, सचिव, श्री वी0जी0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता मु0 एवं  
श्री वी0वी0 माथुर, मुख्य लेखाधिकारी भी उपस्थित थे ।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

99.1 बोर्ड की 98वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।  
=====

विचार विमर्श कर मण्डल की 98वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन  
किया गया ।

99.2 मण्डल की 92वीं बैठक से 98वीं बैठक तक लिये गये निर्णयों की  
क्रियान्विति रिपोर्ट/प्रगति रिपोर्ट ।  
=====

मण्डल ने 92वीं बैठक से 98वीं बैठक तक लिये गये निर्णयों की  
क्रियान्विति/प्रगति रिपोर्ट का अनुमोदन करते हुए निम्नलिखित  
निर्देश दिये :-

92.3 वर्ष 1981-82 में वित्त व्यवस्था मोवीलाईशन आफ फंड  
कर दी है 1981-82 ।

मूलेखाधिकारी  
आवा 0अभि-  
दि 01 मु 01

उक्त विन्दु के तहत प्रस्तुत सूचना का अवलोकन किया गया । वा  
व्यय विवरण का अवलोकन कर यह निर्देश दिया गया कि आवा  
अभियन्ता द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति/उपलब्धि का प्रत्येक  
विमाही में लक्ष्यों के अनुसार तमीक्षात्मक मूल्यांकन किया जाय ।

99.3 भूमि अवाप्ति हेतु सृजित पदों की स्वीकृति ।

का 136  
प्रबंधक

भूमि अवाप्ति हेतु उपाय व्यवस्था, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग  
के तहत प्रमाणिक 15-8161 दिनांक 27-2-82 द्वारा स्थानांतरित  
विभागाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग भूमि अवाप्ति  
पद एवं उनके कार्यालय स्टाफ के सृजन की बोर्ड ने निम्न प्रकार स्वीकृति  
प्रदान की :-

विशेषाधिकारी  
वरिष्ठ लिपिक

1 पद

1150-1650

2 पद

385-650

एक पद रिक्त

1 पद

355-570

एक पद रिक्त

2 पद

240-290

चतुर्थ श्रेणी कार्यकारी

1 पद सार्दकिल सवार का है, जिसे सार्दकिल भत्ता देय होगा ।

99.4 राजस्थान आवासन मण्डल कार्यकारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम  
1976 में निजी सचिव-उपसचिव के पदों पर श्रृंखला निर्धारण करने एवं  
भर्ती के आदेश के प्रावधान हेतु ।

का 136  
प्रबंधक

विचार विमर्श कर बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त विनियमों  
में क्या योग्य स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान रहे जाने की स्वीकृति  
प्रदान की :-

IF r  
is g  
regu  
qual  
i.e.  
as S  
eval  
beco  
IF r  
is g  
typi

222

-: 3 :-

| S.No. | Description of the post     | Source of recruitment | Qualification for direct recruitment | Post from which appointment by promotion is to be made | Minimum experience & qualifications required for promotion |
|-------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.    | Private Secretary Promotion | 100%                  | -                                    | Personal Asstt. (Selection Grade)                      | 3 years experience as Personal Asstt. (Selection Grade)    |

न विभा इस पद का वेतनमान 930-1500 शानि राज्य सरकार के समक्ष होगा ।  
 नातिरि 99.5 बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित टिप्पणी संख्या 4। एजेण्डा नोट  
 चि 10 वाई तरकूलेशन। हुडको से तीन कम्पीटिशन हाउसिंग योजनाओं हेतु  
 वीकृति प्रण लेना ।

विचार विमर्श कर बोर्ड ने उक्त विचार विन्त पर स्वीकृति प्रदान की।  
 99.6 मण्डल कार्यवाहियों को मँहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में ।

विचार विमर्श कर बोर्ड ने प्रस्तावानुसार मण्डल कार्यवाहियों को मँहगाई  
 भत्ते की 1.8.81, 1.10.81, 1.11.81 एवं 1.1.82 से चार किस्तों  
 का भुगतान नियमानुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की ।

99.7 गैररी आदिनी भिकर्त फा0लि0 को जवाहर नगर में सिनेमा निर्माण  
 हेतु आलंठित भूमि से हाई-टेन्शन विजली के तारों एवं पानी के  
 नाले को हटाने के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जवाहर नगर में दोनों  
 सिनेमा भूखण्डों के अन्तर्गत आने वाले नाले को 40,000/- रुपये  
 का व्यय कर उसे "कवर" कर दिया जाय ।

99.8 मण्डल के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

99.8.1 भौतिक प्रगति का विवरण ।

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत भौतिक प्रगति विवरण का बोर्ड द्वारा  
 अवलोकन किया गया ।

निर्णयों का अपलोड कर अनुमोदन किया गया।

साम्प्रति आगहन समिति की दिनांक 3-5-82 को हुई बैठक के निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया है।

उक्त विचार विन्तु पर विचार विधायी कर मण्डल में विधि  
दिए कि दैनिक वेतन भीगी इन 18 कर्मचारियों में से 5  
निर्माण कार्य हे निम्न कार्य में

1- प्रत्येक दैनिक चेतन भोगी कर्मचारी को ही निर्धारित सभी योग्यताएं पूरी होना, परन्तु विशेष परिस्थिति को देखते हुए एस०एस०एस०सी० उत्तीर्ण को भी हायर लेवेलरी के समकक्ष योग्य मान लिया जावे।

2- इन वर्गीयारिओं में से जो कनि० लिपिक के पद पर नियुक्त होंगे, को 6 माह के भीतर 20 शब्द प्रति मिनट से ताईय की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा उन्हें 3 माह का वेतन देकर कार्य-मुक्त कर दिया जायेगा ।

...5

कार्मिक  
प्रबंधक

Sh.

It is a  
condition  
of the

```

If req is given
is given a
qualified
i.o.m.s.
as SSI
invalid
second
If req
is given
typical

```



(224)

-: 5 :-

3- अन्य पदों पर नियुक्ति चाहने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की योग्यता पद के अनुसार जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट है, बरततूर रहेगी ।

उपरोक्त विशेष छूट केवल इन्हीं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को देय होगी अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नहीं । इनके अतिरिक्त अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनकी सूची संकलित कर ली जाय व उनका भी निपटारा शीघ्र कर लिया जाय । भविष्य में नई तदर्थ नियुक्तियाँ करने हेतु केवल अध्यक्ष महोदय ही सक्षम होंगे । इस मांगत आदेश तुरंत जारी किये जायेंगे ।

99.8 (u)  
99.8.5 गण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में बाकीदारों के मकानों की नीलागि के सम्बन्ध में ।

उक्त विचार विन्दु के अन्तर्गत रखी गई सूचना का बोर्ड ने अवलोकन कर अनुमोदन किया ।

99.8.6 किराया क्रय पद्धति पर आभंडित बाकीदारों के निस्सर की गई/ की जा रही कार्यवाही का विवरण ।

बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में सूचनार्थ रखी गई जानकारी का अवलोकन किया ।

9.9 चयनित वेतन श्रृंखला में निजी सहायकों के पदों का सुजन ।

विचार विमर्श कर बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावित 2 पदों पर प्रस्तावित-नुसार चयन वेतन श्रृंखला 1620-1100 वेतन श्रृंखला में परिणित कर दिये जाय । 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले निजी सहायकों को वरिष्ठता के आधार पर चयनित वेतन श्रृंखला दे दी जाय ।

10 कर्मचारी ग्रुप ग्रेजुटी योजना 1976 में संशोधन ।

विचार विमर्श कर बोर्ड ने प्रस्तावानुसार रु 2,29,888.03 पैसे की स्वीकृति प्रदान की ।

99.11 भिवाड़ी में भूमि का क्रय ।  
=====

अधी. अभि. -  
जयपुर वृत्त/  
ए. टी. पी./  
भू०अ०अधि०/  
मु०लेखा०

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि भिवाड़ी में आवासीय योजना हेतु भूमि की दर उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग हेतु 5/- रु० प्रति वर्गगज के स्थान पर 8/- रुपये प्रति वर्गगज रखी जाय व अल्प आय वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए भूमि की दर 5/- रु० प्रति वर्गगज ही रहेगी ।

99.12 नगर सुधार न्याय गंगानगर से क्रय की गई भूमि की अतिरिक्त का भुगतान ।  
=====

अधी. अभि. -  
जोधपुर वृत्त/  
आवा०अभि०-  
हनुमानगढ़/  
मु०लेखा०/  
ए. टी. पी./  
भू०अ०अधि०

गंगानगर में वर्ष 1977 में नगर सुधार न्याय गंगानगर से 2,59,927 रुपये का भुगतान कर भूमि अवाप्ति की गई थी । भूमि आवाप्त मण्डल को हस्तान्तरित कर दी गई थी । परन्तु उपरोक्त भूमि खोददारों ने न्यायालय में पेश कर भूमि की कीमत 4575/- रुपये प्रति बीघा की अपेक्षा 9500/- रु० प्रति बीघा की दर से निश्चित करवा ली । अतः न्यायालय के निर्णयानुसार नगर सुधार न्याय गंगानगर को 1,90,465.76 रु० दे दी जाय जिसमें जुलाई 81 तक का ब्याज भी सम्मिलित है । पहले भूमि का भुगतान प्रोवीजनल किया गया था ।

99.13 सीमेंट कारखानों से सीधे ही सीमेंट खरीदने के क्रय में ।  
=====

अधी. अभि. -  
जयपुर वृत्त/  
कोटा वृत्त/  
जोधपुर वृत्त/  
मु०लेखा०

विचार विमर्श कर जोड़ी ने निर्णय लिया कि अधिक निर्माण कार्य साथ में लिया गया है और आवश्यकतानुसार सीमेंट उपलब्ध नहीं हो रही है । अतः सीमेंट कन्ट्रोलर द्वारा दी गई सीमेंट के ड्राफ्ट कोटा से जो कम पड़ती है उतनी सीमेंट भविष्य में फ्री-सेल से खरीदने की स्वीकृति भी दी गई ।

99.14 खण्ड कार्यालयों की कुशलता के साथ कार्य करने हेतु पुनः संरचना ।  
=====

खण्ड कार्यालयों में कार्य कुशलता लाने के दृष्टिकोण से कमिश्नर स्कूल अभियन्ताओं को सीधे ही आवासन अभियन्ता के अधीन रखा जाने का निर्णय लिया गया । अब वे स्थल अभियन्ता के अपेक्षा सीधे आवासन अभियन्ता के प्रति उत्तरदायी होंगे । आवासन अभियन्ता उनकी क्षमता के अनुसार कार्य वितरित करेंगे । स्थल अभियन्ता भी स्थल अभियन्ता की तरह सीधे कार्य करावेंगे ।

If relax  
is given  
required  
qualifica  
i.e. Hr. 3e  
as SSIC it  
ivalent to  
secondry c  
in relaxat  
is given i  
typing tes

If relax  
is given  
required  
qualifica  
i.e. Hr. 3e  
as SSIC it  
ivalent to  
secondry c  
in relaxat  
is given i  
typing tes

(236)

-: 7 :-

विभिन्न अभियन्ताओं के पदों के नामों में भी निम्न प्रकार से परिवर्तन किया गया :-

- |                          |                     |          |
|--------------------------|---------------------|----------|
| 1- कनिष्ठ स्थल अभियन्ता  | परियोजना अभियन्ता   | कनिष्ठ   |
| जूनियर साईट इंजिनियर     | प्रोजेक्ट इंजिनियर  | जूनियर   |
| 2- स्थल अभियन्ता         | परियोजना अभियन्ता   | वरिष्ठ   |
| साईट इंजिनियर            | प्रोजेक्ट इंजिनियर  | सी. नियर |
| 3- आवासन अभियन्ता        | आवासन अभियन्ता      |          |
| 4- अधीक्षण अभियन्ता      | उप-आवासन आयुक्त     |          |
| सुप्रिन्टेंडिंग इंजिनियर | इंटी हाउसिंग कमिशनर | ३        |

प्रस्तावानुसार प्रत्येक परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ या जूनियर के पास 10 से 12 लाख का कार्यभार रहेगा। एक खण्ड में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ परियोजना अभियन्ता का अनुपात 4:7 रहेगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित सेवा नियमों व अन्य विनियमों, अभिलेखों में इस आशय का संशोधन कर दिया जाय एवं राज्य सरकार की भी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

29.15 स्थापना के श्रोतों से आवास प्राप्त की योजना।

स्थापना के श्रोतों से आवास प्राप्त करने की योजना के अन्तर्गत बोर्ड के पंजीकृत आवेदकों से पुस्तक का मूल्य 10/- स्वये लिया जाय। पंजीकृत आवेदकों से आवेदन मात्र के साथ निम्न धन राशि ली जाय :-

उच्च आय वर्ग  
मध्यम आय वर्ग-व

5000/- स्वये  
2500/- स्वये

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

शेरनाथ  
सचिव

(81)

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक २ जुलाई,  
1982 को सम्पन्न हुई 101 वीं बैठक के निर्णय ।

=====

राजस्थान आवासन मण्डल की 101 वीं बैठक दिनांक ३ जुलाई, 1982 को ५.30 बजे अपरान्ह, अध्यक्ष महोदय के शासन सचिवालय में स्थित कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित उपस्थित हुए :

- |    |                                    |         |
|----|------------------------------------|---------|
| 1- | श्री सतीश कुमार                    | अध्यक्ष |
|    | अध्यक्ष, राज० आवा० बोर्ड एवं       |         |
|    | सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, |         |
| 2- | श्रीमती ओतिया बोडिया               | सदस्य   |
|    | वित्त सचिव,                        |         |
|    | राजस्थान सरकार.                    |         |

श्री वी० कैम्बो, मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविद् सलाहकार, श्री अखिराज आवासन आयुक्त की बैठक में अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई ।

श्री लक्ष्मी चन्द गुप्ता, जिलाधीश जयपुर । विशेष रूप से आमंत्रित भी उपस्थित थे ।  
श्री धेरनाथ - सचिव, श्री वी० बी० माथुर - मुख्यालय निवारी, श्री वी० जी० शर्मा - उप आवासन आयुक्त धु० एवं तानीकी सहायक अध्यक्ष, श्री अब्दुल मतीन - उप - आवासन आयुक्त जयपुर वृत्त । एवं श्री ए० के० गुप्ता आर्कीटेक्ट टाउन प्लानर भी बैठक में उपस्थित थे ।

श्री एल० एन० गुप्ता, भूतपूर्व वित्त सचिव एवं सदस्य का स्थानान्तरण होने के अवसर पर उनके कार्यकाल में राजस्थान आवासन मण्डल की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने, मानदंड प्रक्रिया के सरलीकरण, भूमि अधिग्रहण, कमीन योजनाओं के प्रारंभ तथा आवासन सुधार में महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की गई ।

नये वित्त सचिव एवं बोर्ड सदस्य श्रीमती ओतिया बोडिया का मण्डल की बैठक प्रथम आगमन के अवसर पर स्वागत किया गया ।

मण्डल की 100 वीं बैठक दिनांक 26-6-82 एवं संपत्ति आवंटन समिति की दिनांक 26-6-82 की कार्यवाही रिपोर्ट का अनुमोदन अगली बैठक में किया गया। 101.3 बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :-

101.1 वर्ष 1982-83 हेतु 2 करोड़ रु० के सुरक्षित ऋण प्र जारी कर

CAO

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा रु० 2.00 करोड़ के ऋण प्र, योजना में प्राप्तावन अनुसार जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित

। अध्यक्ष समिति की अनुमति से ।

101.2 मकानों के पंजीकरण/आवंटन की संशोधित प्रक्रिया 1981

CAO/RE-HQ-II  
LA/HO/PRO.

हुडको द्वारा विभिन्न आय वर्गों के आवंटन योग्य आवसस की अधिकतम लागत एवं स्थान दर में संशोधन किया गया है। इसे स्वरूप मण्डल द्वारा भी अनुसार अधिकतम लागत, का प्र में संशोधन किया गया :-

आय वर्ग

कलाज 1.9.1

विक्रय मूल्य

पूर्व ग्रहण  
राशि

1.9.2

मैनल्टी  
प्रतिमाह  
राशि

101.4

ब्य  
दर

आर्थिक दृष्टि से कमजोर

12000

1800

30

9

अल्प आय वर्ग

20000

2900

50

10

गहरा आय वर्ग "अ"

30000

5600

90

13

मध्यम आय वर्ग "ब"

50000

12000

200

14

उच्च आय वर्ग

100000

32000

500

15

(83)

सं. समिति  
उक्त में क्रि. 01.3

Compensation of land acquired at Sodala - Sanganer Road, Jaipur.

जारी कर  
के शेष पत्र  
प्रदान

1981

आवास भ  
आवे  
दर

जयपुर में सोडाला-सांगानेर रोड के निकट तुलजापुरा, देवरी, झांझावा चौड आदि ग्रामों में लगभग 2500 बीघा कृषि भूमि अधिग्रहण कर उत्तम कस्बा विधिपूर्वक राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा लिया जा चुका है, सातेदारों ने विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के कार्यालय में उक्त भूमि के मुआवजे हेतु अपने क्लेम प्रस्तुत किये हैं। मण्डल को भी उक्त भूमि का उचित मुआवजा देने हेतु अपना जवाब/पक्ष प्रस्तुत करना है। जिलाधीश महोदय ने इस क्षेत्र में कृषि भूमि की अनुमानित दर के संबंध में अवगत कराया। विचार विमर्श के उपरान्त मण्डल द्वारा देय मुआवजे की उचित दर के संबंध में निर्णय लिया गया जो अध्यक्ष महोदय की आज्ञा तक क्लिप्तान गोपनीय रखा गया। यह निर्णय आवश्यकता पड़ने पर विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को गोपनीयता से अवगत करा दिया जावे ताकि वे उक्त भूमि के सातेदारों को मुआवजा देते समय मण्डल की इस सहमति पर भी विचार कर सकें। उक्त निर्णय सील्ड कवर 'Sealed cover' में संलग्न हैं।

1.2.2  
केन्द्रीय  
प्रमाण  
श्री  
अध्यक्ष

01.4 ii

Statement showing details of works expenditure since inception to 31.3.82.

मण्डल द्वारा प्रारम्भ से 31.3.82 तक विभागीय कार्यों पर किये गये व्यय का अवलोकन किया गया।

30  
50  
90  
200  
500

iii

Statement of amount received in case of publication of auction notices in the newspapers and subsequent auction.

मण्डल द्वारा मकानों की नीलामी से प्राप्त राशि के वितरण का अवलोकन किया गया।

उपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।



शेखर  
स. म. म.

(134)

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 4 सितम्बर,  
1982 को सम्पन्न हुई 102 वीं बैठक के निर्णय

बोर्ड की 102 वीं बैठक दिनांक 4 सितम्बर, 1982 को सांयं 3.00 बजे मण्डल के मुख्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

- |    |                                                                                |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1- | श्री रामनारायण चौधरी<br>अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल,                         | अध्यक्ष |
| 2- | श्री आनन्दीलाल रूंगटा,<br>सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग<br>राजस्थान सरकार, | सदस्य   |
| 3- | श्रीमती ओतिमा बोर्डिया,<br>वित्त सचिव, राज० सरकार                              | सदस्या  |
| 4- | श्री बी० कैम्बो,<br>मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तु शिल्प सलाहकार<br>राज० सरकार    | सदस्य   |
| 5- | श्री अचयराज<br>आवासन आयुक्त.                                                   | सदस्य   |

श्री शेरनाथ, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल एवं श्री बी० बी० माथुर, मुख्यलेखा-धिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल भी बैठक में उपस्थित थे।

सर्वप्रथम मण्डल के निवर्तमान अध्यक्ष श्री सतीश कुमार की अध्यक्षता में मण्डल में हुई प्रगति, क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों की प्रशंसा की गई। तत्पश्चात् मण्डल के नवीन मनोनीत अध्यक्ष श्री रामनारायण चौधरी एवं मण्डल के नये सदस्य श्री आनन्दीलाल रूंगटा, सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार का स्वागत किया गया।

तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ कर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

..... 2.

135

102.1

मण्डल की 100 वीं एवं 101 वीं बैठक के निर्णयों का

मण्डल की 100 वीं एवं 101 वीं बैठक के निर्णयों का  
100 वीं बैठक के निर्णयों में प्रस्तावित संशोधनों का  
गया ।

102.2

मण्डल की 100 वीं एवं 101 वीं बैठक के निर्णयों

मण्डल की 100 वीं एवं 101 वीं बैठक के निर्णयों की क्रिया  
का अवलोकन करते हुए 100 वीं बैठक के विन्दु संख्या 100  
के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

100.3 बोर्ड की विभिन्न कालोनियों में पार्क आदि के  
प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे रोटरी क्लब आदि को  
हस्तान्तरण बाबत ।

DY.HC(J/C)  
RE-I(J/C)  
Secy/LTP

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड  
कालोनियों में पार्कों आदि की जमीन किसी भी  
विकास हेतु हस्तान्तरित नहीं की जावे व कोई भी  
व्यवस्था हेतु प्रस्ताव मण्डल की आगामी बैठक में  
जाय । इसी दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण  
से भी रुझाव आमंत्रित कर लिये जाय ।

100.4

बोर्ड के आचंटियों द्वारा मकानों/फ्लेटों के विचार/

HO/PRO  
CAO/LA

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा  
एवं आचंटित मकानों को आचंटन के 3 वर्ष बाद  
वेचान/हस्तान्तरण की स्वीकृति के निर्णय के साथ यह  
ओर जोड़ दी जाय कि बोर्ड द्वारा आचंटित मकान  
करने वाला आचंटनी पुनः मण्डल द्वारा निर्णित  
कराने का अधिकारी नहीं होगा अर्थात् वह भविष्य  
बोर्ड में पंजीकरण कराने का पात्र नहीं समझा जायेगा ।

100.19

मण्डल द्वारा निर्मित कालोनियों में अनाधिकृत निर्माण  
निषेधित करने के संबंध में ।

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यदि



-:: 3 -::

किये गये अनाधिकृत निर्माण को शुल्क देकर नियमित नहीं कराने पर एवं इसके उपरान्त अनाधिकृत निर्माण करने वाले आवंटी के मामले जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित किये जाये, चूंकि मण्डल को इस प्रकार के निर्माण को रोकने की कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है।

एक वृत्त एवं तीन छण्ड कार्यालय अलवर, कोटा एवं जोधपुर में खोलने बाबत।

इस मामले पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव योजनाओं की पूर्णरूपरेखा, विस्तीर्ण भाग एवं पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाए।

विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा सांगानेर-सोडाला रोड जयपुर में मण्डल द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु घोषित अवार्ड।

जयपुर में सोडा-सांगानेर रोड पर मण्डल को भूमि अधिग्रहण हेतु विशेषाधिकारी द्वारा जारी अवार्ड का अवलोकन कर प्रत्येदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि आवेदकों को 15 दिनों के अन्दर अन्दर अवार्ड का अग्रस्तन कर दिया जाए।

बोर्ड द्वारा नागनेचीजी योजना वीकानेर में नगर विकास न्यास वीकानेर से भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि नागनेचीजी योजना वीकानेर में मण्डल के लिए भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में पहले उप नगर निगम वीकानेर से इसकी उपयुक्तता के संबंध में राय प्राप्त की जाये तथा आवासन आयुक्त नखोदरा खुद भी मौका देखकर प्रतिवेदन दें।

102.6

गोवर्धन विकास एवं सेवीना शेडा : उदयपुर : की भूमि वि

RE-Udaipur  
CAO/ATP

मण्डल द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उ  
तुरन्त पत्रेक्षण ले लिखा जाये और उक्त भूमि की दरे अधिक  
है जिसका प्रतिफल प्रभाव अन्य शहरों पर भी पड़ेगा । अतः  
को पत्र लिखा जाकर दरों में कमी करने हेतु निवेदन किया जा

10 2.7

राज्य कार्यचारियों/अधिकारियों को आवासन मण्डल द्वारा भव  
आवासन में प्राथमिकता ।

HO/

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार प्र  
के साथ राज्य कार्यचारियों/अधिकारियों को भकाना का आव  
उचित नहीं होने से प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया ।

102.8

श्री महेश वर्मा द्वारा जमा कराई गई पंजीकरण की अधिक राशि  
देने के संबंध में ।

CAO/HO

श्री महेश वर्मा द्वारा निर्धारित पंजीकरण राशि से अधिक जमा क  
63,000/- रुपये की राशि पर जो कि मण्डल में जमा रही उस  
6 प्रतिशत की दर से ब्याज दे दिया जाय । इसी प्रकार के अ  
भी उक्त निर्णय के अनुसार सुलझाये जाये।

102.9

मण्डल के कार्यचारियों को विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा  
डिग्रिया प्राप्त करने पर कैश अवार्ड देने के संबंध में ।

CAO

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि नि  
एक रूपता लाने के दृष्टिकोण से प्रशासनिक, तकनीकी, एवं डाई  
सभी : श्रेणियों में प्राप्त विशेष डिप्लोमा/डिग्रिया जिनको कि अवा  
होता है, आदि के विवरण सहित मामला मण्डल की  
विकारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

02.10 अप्रेन्टिसों के स्टार्डिफण्ड की राशि में वृद्धि के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि स्टार्डिफण्ड राशि में वृद्धि सम्बन्धी मामले का पूर्ण परीक्षण कर मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय । अप्रेन्टिसिप एक्ट राजस्थान आवासन मण्डल पर लागू होता है इसे देखा जाने तथा भारत सरकार भी इस योजना में सहयोग करती है वह कैसे प्राप्त होगा तथा अप्रेन्टिस किसको समझा जाये आदि बातें स्पष्ट नहीं है अतः इसका अध्ययन कर फिर रखा जाये ।

02.11 तीन आवासीय योजनाओं के लिए "हुडको" से ऋण प्राप्त करने हेतु बोर्ड का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव सं० 43 का अनुमोदन ।

प्रस्तावानुसार संलग्न परिशिष्ट "क" में निर्दिष्टानुसार तीन आवासीय योजनाओं हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी अनुक्रमानुसार बोर्ड बाई सरकूलेशन से अनुमोदित मान कर अवलोकन किया गया ।

02.12 मण्डल का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव संख्या 44 :  
विभिन्न आवासीय कालोनियों हेतु हुडको से ऋण लेने के संबंध में ।

प्रस्ताव के अनुसार परिशिष्ट "ख" में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार विभिन्न आवासीय योजनाओं के लिए हुडको से ऋण प्राप्त करने हेतु अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव का मण्डल द्वारा अवलोकन किया गया ।

02.13 मण्डल का अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव संख्या 45 :  
कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम, चोपासनी रोड, एक्सटेन्शन फेज-3 ग्रुप-2 जोधपुर हेतु हुडको से ऋण लेने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तावानुसार परिशिष्ट - "ग" में दिये गये विवरण के अनुसार उक्त आवासीय योजनाओं के लिए हुडको से ऋण प्राप्त करने संबंधी अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव का मण्डल द्वारा अवलोकन किया गया ।

139

-:: 6 ::-

102.14

मण्डल के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय :-

- 1- संपत्ति आवंटन समिति की दिनांक 26-6-82 को अगले में लिये गये निर्णयों का बोर्ड द्वारा अनुमोदन कर अनुमोदित किया ।
- 2- जून 82 तक की औसत प्रगति के प्रमाणों का परीक्षण का अनुमोदन किया गया ।
- 3- चार नये टेलीफोन कनेक्शनों के सम्बन्ध में रखी गई सूचना ने अनुमोदन कर अनुमोदित किया ।

तदुपरांत अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

शेरनाथ  
सचिव

Grant of c  
post gradua  
tion fr  
Indian Inst  
of Indi

Government of  
73 dated Jun  
award to suc  
ma/membe sh  
ma in Busin  
y of this c

the 100th mee  
100.9, 10 wa  
graduat, di  
ership of th  
utta may be  
ectively, D

employees  
ired th Di  
ice period  
may also l  
s/practice  
er Corporat

matter as  
approval f  
aining degr  
t. circular  
acquire suc  
the interes

(175)

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 26-11-82  
को सम्पन्न हुई 103 वी बैठक के निर्णय ।

मण्डल की 103 वी बैठक दिनांक 26 नवंबर 1982 को अपरान्ह 2.00 बजे मण्डल के मुख्यालय में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

- |    |                                                              |         |
|----|--------------------------------------------------------------|---------|
| 1- | श्री रामनारायण चौधरी<br>अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल        | अध्यक्ष |
| 2- | श्री बी० कैम्बो,<br>मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुशिल्प सलाहकार | सदस्य   |
| 3- | श्री अख्य राज,<br>आवासन आयुक्त                               | सदस्य   |

4- श्री आनन्दीलाल रूंगटा, सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा श्रीमति ओतिमा बोर्डिया, वित्त सचिव राजस्थान सरकार की अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई ।

श्री एम० पी० सिंह, सचिव राजस्थान आवासन मण्डल एवं श्री बी० बी० माथुर मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल भी बैठक में उपस्थित थे ।

विचार विमर्श कर बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

103.1 बोर्ड की 102 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

बोर्ड की 102 वी बैठक के निर्णयों का अवलोकन कर बोर्ड ने अनुमोदन किया ।

103.2

Dy.H.C.(HQ)/

C.A.O.

103.2 एक फिन्ड कार्यालय । सर्किल आफिस । तीन खण्ड कार्यालयों का राजन ।

विचार विमर्श कर 2 खण्ड कार्यालय, एक अलवर में एवं एक जोधपुर में खोलने की मण्डल ने स्वीकृति दी । तथा एक खण्ड सोडावा साँगानेर योजना जयपुर के लिए, उसे गति देने के लिए खोला जाना तय हुआ । अन्य वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों हेतु मा. आगामी बैठक में रसे जाने का निर्णय लिया गया ।

R.E.(HQ)II/

H.O./L.A.O.

103.3

विधायकों एवं सांसदों के लिए आवास निर्माण हेतु विशेष योजना

वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायकों तथा सांसदों एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों को आवास आवंटन हेतु विशेष कालोनी के निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण अथवा अन्य जरिये से विधाधर नगर लगभग 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जाय । साथ ही राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत राज्य सरकार को निर्देश जारी करने का निवेदन किया जाय कि उक्त कालोनी उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को ही विशेष प्राथमिकता के साथ भवन निर्मित कर आवंटित किये जावें ।

H.O.

103.4

श्री मौलाना सैयद असरुल हक, संसद सदस्य । राज्य सभा का पंजीकरण कोटा शहर से जयपुर में हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में



विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि चूंकि वर्तमान में विधायकों एवं सांसदों तथा अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए पंजीकरण योजना चालू है, अतः श्री मौलाना सैयद असरुल हक, सदस्य । राज्य सभा को इस विशिष्ट पंजीकरण योजना के अन्तर्गत् पंजीकरण करवाने का निवेदन कर दिया जाय ।

(177)

103.5 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमान के सम्बन्ध में ।

गण्डल की 99 वीं बैठक : 15-5-82 : के बिन्दु संख्या 99.8 के अन्तर्गत 18 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमान हेतु स्किनिंग कमेटी की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि मुख्याधिकाधिकारी यह तसल्ली करलें कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जो नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत है, और यदि वे प्रस्तावित शर्तें पूर्ण करते हों तो उन्हें नियमित कर दिया जाय ।

मुख्याधिकाधिकारी ने इस सम्बन्ध में जांच की है । यद्यपि समस्त कर्मचारी सर्वप्रथम दैनिक वेतन पर नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्त किये गये थे । लेकिन तत्पश्चात् समय समय पर इनको कभी वर्कचार्ज पर और कभी नियमित पदों के विरुद्ध कार्य पर लगाया गया था । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इन नियुक्तियों की मूल प्रकृति दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की रही है और वर्कचार्ज कर्मचारियों से भिन्न ही है । अन्य वर्कचार्ज कर्मचारियों की तरह ये वार्षिक स्किनिंग में भी सम्मिलित नहीं हुए हैं और अभी तक इनको 10-12 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलता है । अतः इन कर्मचारियों का मासला वर्कचार्ज से भिन्न है । अतः निर्णय लिया गया कि संलग्न परिशिष्ट में बतलाये गये 16 व्यक्तियों में से क्र.सं. 13 पर श्री के0 ती0 विश्वनाथन पिल्लार्ड तथा क्र.सं. 15 पर कु0 अनम्मा पी. एम. जो कि एस. एस. सी. पास है को छोड़कर समस्त शेष 14 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उक्त सूची के अनुरूप नियमित कर दिया जाये ।

श्री के0 विश्वनाथन पिल्लार्ड व कु0 अनम्मा पी. एम. बोर्ड द्वारा निर्धारित निम्नतम शैक्षणिक योग्यता जो कि हायर सैकण्डरी है नहीं रखते अतः इनके मासले बोर्ड की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव के साथ रखे जावे कि कनिष्ठ सहायकों की बोर्ड में नियुक्ति हेतु निम्नतम शैक्षणिक योग्यता सैकण्डरी अथवा उसके समकक्ष स्वीकार की जानी चाहिए जिससे कि सैकण्डरी बोर्ड के पास करने वाले या उसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

178

/ 34 /

P.M. 103.6

परियोजना अभियन्ता ॥ विद्युत ॥ कनिष्ठ एवं वरिष्ठ के पद हेतु राजस्थान आवासन बोर्ड के विनियम में संशोधन ।

इस प्रकरण को मण्डल की अगली बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

C.A.O./ 103.7  
R.E.(HQ)II

हडको की संशोधित वित्तीय प्रक्रिया ॥ अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव सं० 46 ॥

विचार विमर्श कर पूर्व में अनुक्रमानुसार अनुमोदनार्थ प्रेषित किये गए "हडको" की संशोधित वित्तीय प्रक्रिया का अवलोकन कर मण्डल अनुमोदन किया ।

C.A.O./ 103.8  
R.E.(HQ)II

12 आवासीय योजनाओं के लिए हडको से ऋण ॥ अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव सं० 47 ॥

विचार विमर्श कर पूर्व में अनुक्रमानुसार अनुमोदनार्थ प्रेषित किये गए "हडको" से 12 आवासीय योजनाओं हेतु ऋण लेने के प्रस्ताव का मण्डल ने अवलोकन कर अनुमोदन किया ।

इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल की बैठक सं० 82 में विनियुक्त संख्या 7 के अन्तर्गत लिये निर्णयानुसार हडको से ऋण लेने सम्बन्धी मांगलों को पहले मण्डल प्रोजेक्ट कमेटी में स्वीकृत कराये जाय, तदुपरान्त मण्डल की स्वीकृति हेतु रखे जाय ।

103.9  
C.A.O.  
*[Signature]*

बोर्ड कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान ॥ अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव सं० 49 ॥

मण्डल ने विचार विमर्श कर उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की ।



103.10 अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव सं० 50 । पुलित रेन्टल हाउसिंग स्कीम । स्कीम नं० 2079 । कोटा एवं पुलित रेन्टल हाउसिंग स्कीम । बस्तीसीतारामपुरा, नेहरूनगर, जयपुर स्कीम नं० 2080 ।

विचार विमर्श कर मण्डल ने प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की ।

103.11

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

103.11 बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर से 100.00 लाख रुपये का सावधि ऋण । टर्म लोन ।

विचार विमर्श कर मण्डल ने प्रस्तावानुसार ऋण की स्वीकृति प्रदान की ।

103.12

पुलित रेन्टल स्कीम जयपुर । स्कीम नं० 2080 । एवं पुलित रेन्टल स्कीम, कोटा । स्कीम नं० 2079 ।

विचार विमर्श कर मण्डल ने प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की ।

103.13

31 अक्टूबर 82 तक के प्रशासनिक व्यय विवरण एवं उसके प्रतिशत के सम्बन्ध में ।

उक्त विन्दु के तहत मण्डल के समक्ष सूचनार्थ रखे विवरण का मण्डल ने अवलोकन किया ।

103.14

विकास मेला प्रदर्शनी 1982 में भाग लेने हेतु व्यय की स्वीकृति ।

मण्डल द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई ।

103.15

नाहरो का नांका, ज्योतिनगर एवं मालवीय नगर एवं जवाहर नगर जयपुर के बाकीदारों के मकानों की निलामी की स्वीकृति ।

मण्डल ने विचार विमर्श कर उक्त कालोनियों के बाकीदारों के आवातों की निलामी की स्वीकृति प्रदान की ।

180

x इस 103.16  
योजना की भूमि  
के संबंध में

L.A.O.

103.17

H.C./C.A.O./

Secy.

सोडाला सांगानेर रोड पर आवासीय योजना की प्रगति के सम्ब

इस योजना की प्रगति का जायजा लिया गया तथा बोर्ड को सम् H.C./C.A.O./  
जानकारी दी गई। माननीय उच्च न्यायालय व सिविल न्यायालय H.C./C.A.O./  
जो मामले चल रहे हैं उनके सम्बन्ध में कानूनी सलाहकारों की सलाह  
मुताबिक कार्यवाही को जाये।

आवासन मण्डल के निर्माणाधीन कार्यालय भवन

अध्यक्ष महोदय द्वारा ध्यान में लाया गया कि निर्माणाधीन कार्य  
भवन के निर्माण की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति  
जारी नहीं हुई है। अतः निर्णय लिया गया कि आवासन आयुक्त  
इसकी तकनीकी स्वीकृति जारी कर मुख्य लेखाधिकारी के पास  
प्रेषित करें ताकि इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके।  
स्वीकृति जारी करके मुख्यलेखा अधिकारी द्वारा प्रकरण सचिव को दे  
किया जाये। क्योंकि इतने बड़े व्यय की स्वीकृति का सिर्फ  
को ही अधिकार है अतः सचिव प्रस्ताव बनाकर प्रशासनिक स्वीकृति  
हेतु मामला बोर्ड के सम्मुख रखें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी ध्यान में लाया गया कि उक्त कार्य  
भवन के लिए 40.00 लाख रुपये की लागत से वातानुकूलित करने  
प्रावधान रखा गया जो न केवल अध्यक्ष महोदय के ध्यान में नहीं  
गया बल्कि इस प्रकार के व्यय का प्रावधान उस आवासन आयुक्त  
की क्षमता के बाहर भी है। वातानुकूलित कराने का निर्णय भी  
बोर्ड ही कर सकता है। यह नीति एवं बड़े खर्च का प्रश्न है जि  
बोर्ड ही तय कर सकता है।

अतः इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी अधिकारी  
स्वीकृति के कोई खर्च करने का व्यक्तिगत रूप से निर्णय न लेवे ब  
स्कीम पहले पूर्णरूप से तैयार कर अध्यक्ष महोदय के ध्यान में ला  
तथा बोर्ड से स्वीकृति कराई जावे तथा तदनुसार ही उस पर  
किया जाये।

.....7

*Signature*

(181)

- 7 -

103.18 उप आवासन आयुक्त द्वारा निविदा आमंत्रित करने की सीमा को पट्टो बाबत ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि आवासीय अभियन्ता तथा उप आवासन आयुक्त उतनी ही राशि के लिए निविदाएं आमंत्रित करें जितने की उनको वित्तीय व्यय का अधिकार है । यह भी निर्णय लिया गया कि अब उप आवासन आयुक्त केवल 5 लाख तक ही निविदाएं आमंत्रित कर सकते हैं जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी इतनी ही शक्ति के अधिकार है उससे अधिक की निविदाएं संबंधित अधिकारी ही करने को सक्षम होंगे । इससे अधिक राशि को निविदाओं का मण्डल की ओर से आवासन आयुक्त ही आमंत्रित करेंगे ।

103.19 मण्डल ने विचार विमर्श कर यह भी हिदायत दी कि भविष्य में आवासन-आयुक्त को अनुमति के बिना उप-आवासन आयुक्त अपने मुख्यालय कार्यक्षेत्र से बाहर न जावें ।

103.20 जवाहर नगर जयपुर व प्रताप नगर जोधपुर की दुकानों की पूर्ण में निलामों की गई थी लेकिन दुकानें नहीं बिक सकी । इसलिए निर्णय लिया गया कि अब आवासन आयुक्त शीघ्र ही कार्यवाही कर उक्त दोनों स्थानों की दुकानें शीघ्र निलाय करवायें जिससे बोर्ड को ब्याज का नुकसान न हो तथा लोगों को रोजगार मिले एवं उगभोक्ताओं को बाजार की सुविधा मिले ।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

*[Signature]*

॥ सचिव पी.० सिंह ॥  
सचिव

संलग्न - परिशिष्ट - १

W/C.

2

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 26-3-83  
एवं दिनांक 30-3-83 को सम्पन्न हुई 105 वीं  
बैठक के निर्णय

मण्डल की 105 वीं बैठक अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल के कक्ष में दिनांक 26-3-83 को 3 बजे दोपहर बाद एवं दिनांक 30-3-83 को 4.00 बजे दोपहर बाद सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

- |    |                                   |         |
|----|-----------------------------------|---------|
| 1- | श्री रामनारायण चौधरी              | अध्यक्ष |
|    | अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल     |         |
| 2- | श्री आनन्दी लाल रूंगटा            | सदस्य   |
|    | सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग |         |
| 3- | श्री अखय राज,                     | सदस्य   |
|    | आवासन आयुक्त                      |         |

श्री बी० कैम्पे, मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविद सलाहकार, तथा श्रीमती ओतिमा बोर्डिया, वित्त सचिव, राजस्थान सरकार की अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री एम० पी० सिंह, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, श्री वी० बी० माथु, मुख्य-लेखाधिकारी एवं श्री अब्दुल मतीन, अध्यक्ष महोदय के तकनीकी सहायक भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

साही

105.1 मण्डल की 104वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन।

garh

/L.A.O.

मण्डल की 104 वीं बैठक के निर्णयों का निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदन किया गया :-

104.14 झुझुं में 50 एकड़ जमीन की अवाप्ति करने के संबंध में।

उक्त संबंध में, वृटिवश जो 4000/- रुपये प्रति एकड़ की दर टंकित हो गई थी उसके स्थान पर 8000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से बढ़ा जाकर भूमि की कीमत का भुगतान करने के संशोधन को पारित किया गया।

.....2

Employees after seven years of service as against the provision of 10 years in the P.W.D.

.....2

(3)

11 2 11

Dy.H.C.(JP) 104. 15  
R.E. Alwar/  
A.T.P./L.A.O.

अलवर में भूमि अधाप्ति के संबंध में ।

सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, आवासन आ  
आवासन मण्डल, तथा मुख्य नगर नियोजक स  
विकास एवं आवासन विभाग की अध्यक्षता में एक  
कर, इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेंगे

105.2 मण्डल की 104 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति ।

मण्डल की 104 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति के संबंध  
कार्यवाही का मण्डल ने अवलोकन किया ।

105.3

H.O.

सचिवालय कर्मचारियों को मण्डल द्वारा प्रसारित वर्तमान एवं  
विधायकों एवं मण्डल कर्मचारियों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना  
किये जाने हेतु ।

मण्डल ने विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार सचिवालय कर्मचारि  
विशिष्ट पंजीकरण योजना में सम्मिलित किये जाने संबंधी प्रस्ता  
स्वीकार नहीं किया ।

105.4

P.M.

राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी नियुक्ति एवं पदोन्नति वि  
कनिष्ठ एवं वरिष्ठ परिधोजना अभियन्ता । विद्युत के प्रादोष  
में संगोर्धन ।

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि कनिष्ठ एवं वरिष्ठ  
अभियन्ता । विद्युत के पदों को प्रतिनियुक्ति से ही भरा जावे  
में विनियमों में संगोर्धन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई ।

105.5

P.M.

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम  
कनिष्ठ सहायक की पदोन्नति हेतु निर्धारित टंकण परीक्षा में छूट

विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया ।

....3.

105.6

P.M.

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमन के संबंध में ।

इस सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार विनियमों में संशोधन कर कनिष्ठ सहायक के लिए हायर सैक्रेण्डरी के स्थान पर सैक्रेण्डरी शैक्षणिक योग्यता रखे जाने के संशोधन को अस्वीकृत किया गया । किन्तु नियमन हेतु शेष बचे दो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिनकी शैक्षणिक योग्यता एस0 एस0 स्ल0 ती० है, उन्हें विशेष छूट देते हुए नियमित करने का निर्णय लिया गया । ऐसे दो कर्मचारी निम्नलिखित हैं :-

111 श्रीमती अनम्मा

121 श्री के० वी० पिल्लई

105.7

P.M.

श्री सुमेर चन्द शर्मा की ट्रेस्टर के पद पर एवं श्री मुरलीराम की कैरोमेन के पद पर पदोन्नति बाबत ।

विचार विमर्श कर स्ट्रनिंग कमेटी के सुझावानुसार उक्त दोनों कर्मचारियों की तदर्थ पदोन्नति को नियमित किये जाने के संबंध में मण्डल ने स्वीकृति प्रदान की ।

105.8

C.A.O./

H.O./P.R.O.

स्थल, वायु एवं नौ-सेना कर्मियों को रियायत बाबत ।

मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद स्थल, वायु एवं नौ-सेना कर्मियों को रियायत देने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

- 1- मण्डल में पंजीकरण हेतु ऐसे व्यक्तियों को सभी वर्गों लिए निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भागवही जमा कराना आवश्यक होगा ।
- 2- ऐसे पंजीकृत सभी वर्गों के स्थल, जल एवं वायु सेना के सैनिकों जिनको गैलेंटरी एवार्ड मिला है, को मण्डल द्वारा मकान का आवंटन करने पर उनसे भूमि की कीमत एवं प्रशासनिक व्यय नहीं लिया जायेगा, ऐसा व्यय मण्डल द्वारा वहन किया जायेगा ।
- 3- ऐसे सैनिकों से आरक्षण के पश्चात पूर्व-ग्रहण राशि न ली जाकर उसका समायोजन मकान की कीमत में किया जाकर मासिक

...4.

Employees after seven years of service as against the provision of 10 years in the P.M.D.

.....2

किश्तों में ही सम्मिलित कर वसूल किया जावे ।  
इसी क्रम में प्रस्तावानुसार मेजर आर० एम० शर्मा जिन्हें की गई व  
विभूषित किया गया को उपरोक्तानुसार रियायतों का भी लाभ  
होगा किन्तु उन्हें विशेष प्राथमिकता के आधार पर मकान आवंटन  
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया ।

105.9 जयपुर विकास प्राधिकरण को जयपुर रीजन की लीज-मनी ।  
Dy.H.C.(H.Q.) शांति का मण्डल द्वारा भुगतान करने के संबंध में ।  
C.A.O./L.A./

R.E.(H.Q.) विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को यह कि  
कि लीज-मनी किसे देय है, राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये  
साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल  
1970 की धारा 37 के तहत मण्डल द्वारा निर्मित कालोनियों की  
सड़कों की रोशनियों एवं नालियों आदि के रखरखाव का उत्तरदायित्व  
संबंधित स्थानीय निकायों को सौंपने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये

105.10 राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जल वितरण की योजना तैयार कर  
क्रियान्विति के संबंध में नीति निर्धारण ।

ALL Dy.H.C./  
R.E. Elect./  
REPHE

इस संबंध में प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाकर निर्णय  
गया कि मण्डल स्वयं अपनी कालोनियों में आवश्यकतानुसार बिजली  
पानी को लाईने स्थापित करावे । इस हेतु अतिरिक्त तकनीकी-अधि-  
/कर्मचारियों की भी आवश्यकता हो तो वृद्धि की जाये ।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जिस कार्य के लिए  
मण्डल एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को क्रमशः विद्युत व  
वितरण के लिए भुगतान कर दिया गया है, और उनके द्वारा अभी तक  
कार्य नहीं किया गया है, ऐसे कार्यों को भी यदि मण्डल चाहे तो अ-  
स्तर पर पूर्ण करवाने की कार्यवाही कर सकता है ।

(6)

05.11  
C.A.O.

श्री वी० के० सोरल आर्कीटेक्ट टाउन प्लानर के निजी दूरभाष नं० 75671 के बिल भुगतान हेतु ।

उक्त विषय में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जब तक मण्डल द्वारा श्री वी० के० सोरल के निवास स्थान पर दूरभाष उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है, उसके निजी टेलीफोन के उपयोग की स्वीकृति दे दी जाये, तथा मण्डल में कार्यभार संभालने की तिथि से उनके बिल के भुगतान की भी स्वीकृति दी गई ।

इस निर्णय 05.12  
1 Dy.H.C./  
जाटे 1 R.E.s/  
मण्डल आ 0/P.M.

राजस्थान आवासन मण्डल वर्कचार्ज कर्मचारी सेवा विनियम में संशोधन हेतु ।

विस्तृत विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिए गये :-  
1- स्थायीकरण :- ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारी जो दो वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् 8 वर्ष तक मण्डल में कार्य करने का अनुभव रखते हों- को स्थायी किया जाये।

2- भवन निर्माण ऋण :- स्थायी घोषित वर्कचार्ज कर्मचारियों को अन्य स्थाई कर्मचारियों हेतु बने नियमों के अनुसार ही भवन निर्माण ऋण स्वीकृत किया जाये ।

3- कन्वेनस लोन :- स्थाई वर्कचार्ज कर्मचारियों को अन्य स्थाई कर्मचारियों हेतु बने नियमों के अनुसार कन्वेनस लोन स्वीकृत किया जाये ।

4- गार्डनर के पद हेतु वेतनमान : विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि गार्डनर का वेतनमान सा० नि० विभाग से मण्डल में पहले ही अधिक है, अतः इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

5- मुंशी को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापन :-

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि मुंशी का वेतन मान 355-570 का कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापन वांछित परीक्षाओं के पश्चात् किया जा सकता है । किन्तु इस प्रकार का पदस्थापन कनिष्ठ सहायकों की किसी समय उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा



6- अन्य सुविधाएँ : प्रस्तावानुसार श्रम कल्याण केन्द्र हेतु भवन, विजली, पानी एवं इन्डोरगैम्स की सुविधा प्रदान करने की प्रदान नहीं की गई पर यह तय हुआ कि आवासन मण्डल के सभी कर्मचारियों, जिनमें वर्कचार्ज कर्मचारी भी शामिल है, के लिए खेल - प्रतियोगिताएँ रखी जावे जिनमें सभी कर्मचारियों को भाग लेने की छूट होगी ।

7- विचार विमर्श के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान वर्कचार्ज कर्मचारियों की जो संख्या मण्डल में है उसी से आइन्स भी काम चलाया जावे तथा आइन्स वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या घट कर दी जावे ।

इसके अतिरिक्त प्रस्ताव का परिशिष्ट - "डी", राजस्थान आवासन वर्कचार्ज कर्मचारी सेवा नियम 1983 को दिनांक 1-4-1983 से लागू जाने का निर्णय लिया गया ।

105.13  
H.C.

पुलिस विभाग की रेन्टल स्कीम के मकानों का निर्माण ।

निर्णय हुआ कि मण्डल के लिए अपने पंजीकृत आवेदकों से प्राप्त राशि अन्य स्थान पर लगाना उचित नहीं होगा । अतः ऐसे मामलों के लिए तिहाई धन राशि जुटाने के लिए उनके अलावा अन्य स्रोत तलाश किए इस हेतु सचिव आवासन विभाग के कक्ष में सचिव आवासन विभाग, आयुक्त तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई जाकर उसमें विचार विमर्श किया जावे ।

105.14

R.E.(H.O.)

C.A.O.

" आल इण्डिया हाऊसिंग डवलपमेन्ट एसोसियेशन नई दिल्ली की सदस्यता प्रदान ।

प्रस्तावानुसार " कारपोरेट मेम्बरशिप " के लिए एवं प्रवेश शुल्क सहित 7500/- रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए " आल इण्डिया हाऊसिंग डवलपमेन्ट एसोसियेशन " की सदस्यता ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

(8)

105.15  
C.A.O./  
R.E.(HQII)

11 आवासीय योजनाओं हेतु हडको से ऋण वाचत ।  
प्रस्तावानुसार 11 आवासीय योजनाओं हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त ऋण को हडको की शर्तों पर लेने हेतु आवासन आयुक्त/सचिव/मुख्य लेखाधिकारी की उपस्थिति में मण्डल की मुद्रा से हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया ।

105.16  
R.E?Jodhpur/  
T.P./L.A.O.

चौपासनी स्कीम के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि के भुगतान वाचत ।  
प्रस्तावानुसार चौपासनी स्कीम ग्राम सूथला की भूमि के लिये कुल 72,255/- रुपये के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई ।

105.17  
C.A.O./  
R.E.(HQII)

अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव संख्या 47 में संशोधन ।  
विचार विमर्श कर अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव संख्या 47 में प्रस्तावानुसार संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई ।

105.18  
R.E.(HQII)

राज्य सरकार की योजना के तहत गांधीनगर जयपुर में टाईप 11/111 क्वार्टर्स का निर्माण ।  
विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान नहीं की गई ।

105.19  
Dy.H.C.(HQ)

विभिन्न कैम्प्ट्रों द्वारा मण्डल की " नॉन लेवी " सीमेन्ट की सप्लाई वाचत ।  
विचार विमर्श कर निर्णय हुआ कि आवश्यकता होने पर यदि लेवी सीमेन्ट प्राप्त न हो तो बाजार से निवमानुसार सीमेन्ट प्राप्त की जावे ।  
सीमेन्ट का कोटा निरस्त न होने दिया जावे ।

105.20  
28/3/83  
30/3/83

11  
बोर्ड कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार के किसी सदस्य को नियुक्ति वाचत ।

प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी सेवा नियम 1970 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही उक्त संशोधन के क्रम में .....8.

वर्तमान में  
आवासन  
'983' से लागू  
प्राप्त राशि  
गणितों के लिए  
तलाश कि  
सर्व विभाग, आ  
वैठक सुलाई जा  
दिल्ली की सदस्य  
प्रवेश शुल्क सहित  
आल इण्डिया  
करने की स्वीकृति  
.....7.

भूतपूर्व कनिष्ठ सहायक स्व० श्री कैलाश नाग के निधन के कारण उसकी वधन कुमारी मालती नाग को मण्डल में नियमित नियुक्ति देने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया ।

105.21

श्री आन्नदी लाल रूग्ठा, सदस्य आवासन मण्डल के मुख्यालय ।

All Dy.H.C./H.O.:- विधायकों को 2 साल के अन्दर अन्दर आवास उपलब्ध आरक्षित कोटा के अनुसार कराने हेतु शीघ्र योजना बनाई जाये । इसे स्वीकार किया गया ।

All Dy.H.C./C.A.O./H.O.:- दिसम्बर 1983 तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग पंजीकृत आवेदकों को 10,000 मकान निर्मित कर कब्जा दिया जाये । इसे स्वीकार किया गया ।

P.R.O.

3- पंजीकृत व्यक्ति यदि अपनी सहकारी समिति बनाकर मकान के जरिये बनाना चाहे तो बना सकते हैं, मण्डल द्वारा इस आशय विज्ञापित जारी की जाये । ऐसी सोसाइटी द्वारा निर्माण कार्य की लागत से किया जायेगा किन्तु तकनीकी निर्देशन मण्डल द्वारा किया जायेगा । इस प्रकार 30 जून 83 तक 50 पंजीकृत व्यक्ति की सहकारी समिति बनाई जाने का प्रयत्न किया जावे । ऐसी 6 सोसाइटी बनायी जावे । इस प्रकार की सोसाइटी द्वारा निर्माण कार्य मण्डल की लीडला- सांगानेर योजना से शुरू किया जावे साथ ही यह भी शर्त जोड़ी जाये की सोसाइटी द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए कुल निर्मित श्रेष्ठफल 20 प्रतिशत क्षेत्र में आवास निर्माण किया जायेगा । शेष मकान अन्य आय वर्गों के लिए बसाये जायेंगे । इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार की जावे ।

H.O./L.A.

4- आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र अलग अलग न होकर एक ही रखा जाये एवं इस हेतु अलग अलग एक महिनेका समय नहीं दिया जाये । इसके लिए एक माह का समय दिया जाये ।

C.A.O./H.O.

5- अगर आवंटनी समय पर पैसा नहीं देता है तो उस आवेदक को आवेदक को आवंटित कर दिया जाये । इसे स्वीकार किया गया ।

6- आवेदकों को पंजीकृत होने के बाद 3 वर्ष की अवधि के अन्दर अन्दर आवास आवंटित किया जावे । इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया गया ।

.....9.

किया गया ।

A.T.P./ 7-  
L.A.O./L.A.

भूमि के सुआयजे के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि जिस भूमि पर न्यायालय का स्थान न हो उसके सुआयजे का भुगतान कर दिया जाये । इसे स्वीकार किया गया ।

P.M.

8-

मण्डल के अध्यक्ष की ओर से मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा जाये कि आवासन मण्डल के लिए भूमि अवाप्ति हेतु अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण मण्डल को हानि हो रही है, अतः अविलम्ब विशेषाधिकारी । भूमि अवाप्ति । के पद पर किसी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पदस्थापन किया जाये । इसे स्वीकार किया गया ।

9

A.T.P./L.A.O.

भूमि अवाप्ति हेतु :-

तीस से पचास एकड़ तक के खण्डों में मण्डल में पंजीकृत दलालों द्वारा मण्डल को भूकान निर्माण करने हेतु राजस्थानभर में भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी । भूमि की कीमत के टेण्डर प्रति सौगवार को प्रातः 9.30 बजे एक सप्तिता द्वारा लिये जावेंगे । मण्डल के अध्यक्ष, सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, वित्त सचिव राजस्थान सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि तथा आवासन आयुक्त इस सप्तिता के सदस्य होंगे । यह सप्तिता प्राप्त निविदाओं के आधार पर तय करेगी कि अगुक्त भूमि मण्डल हेतु ली जानी है अथवा नहीं । इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्ति की जाने वाली भूमि के अलावा भूमि अवाप्ति का एक और जरिया मण्डल को उपलब्ध होगा । उसके अलावा मण्डल द्वारा भूमि अवाप्ति किये जाने में सुविधा होगी । इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

P.M.

10

लिपिकों की नियुक्ति हेतु :-

मण्डल में लिपिकों के रिक्त पदों पर नियमित रूप से देय ग्रेड में लिपिक वर्ग की भर्ती न की जावे । वल्कि आवश्यकतानुसार प्राति घंटे की दर से देय वेतन पर लिपिकों को रखा जावे । ये लिपिक ऐसे हों जो विभवविद्यालयों से उच्च श्रेणी में बी.ए., एम. ए. अथवा इनकी समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हों । ऐसे लिपिकों को प्राति घंटा 3 रुपये वेतन देय होगा । पर यह वेतन एक दिन में दस रुपये से अधिक नहीं होगा व एक महीने में 250 रुपये से अधिक नहीं होगा । सचिव तथा मुख्याधिकारी इस प्रकार लिपिकों की नियुक्ति करने

हेतु अधिकृत होंगे। ऐसे लिपिकों को विज्ञापित निकाल कर पदों के विरुद्ध लिया जा सकेगा।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि राज्य सरकार द्वारा लिपिक वर्ग के लिये सैकेण्डरी तक की शिक्षा की योग्यता रखी है - ऐसी स्थिति में गण्डल द्वारा लिपिकों हेतु बी.ए. तथा की योग्यता अथवा इसके समकक्ष योग्यता स्वीकार करना उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में सचिव तथा मुख्य अधिकारी से भी आगे विचार व्यक्त करने को कहा।

सचिव ने बतलाया कि गण्डल में गकान की पंजीकरण, आरक्षण, आवंटन आदि की जो कार्यवाही होती है वह विशेष निकायों से संवालिता है। जो लिपिक लगातार गण्डल में इस कार्य को करते हैं वे ही इस कार्य को उचित प्रकार से कर सकते हैं। प्रति वेतन के आधार पर जो लिपिक आश्में वे क्योंकि गण्डल में पूर्ण रूप से नियुक्त नहीं होंगे इसलिये पंजीकरण, आरक्षण, आवंटन आदि के नियमों को सीखने में रुचि नहीं लेंगे। दूसरे ऐसे व्यक्तियों को पंजीकरण आरक्षण/आवंटन आदि से संबंधित परमानेंट पत्रावलियां नहीं सौंपी जा सकेंगी क्योंकि उनकी नियुक्ति ही प्रति दिन कुछ घंटों के लिये होगी और पत्रावलियों पर दिन के किसी भी समय कार्यवाही की जागी जा सकती है। दूसरे ऐसे प्रतिष्ठित विद्वानों से वेतन पर रखे गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। अतः ऐसे व्यक्तियों को जिम्मेदार पूर्वक पत्रावलियां अपने पास रखने को बाधित नहीं किया जा सके। दूसरे बिना निर्वाचन समिति के केवल सचिव अथवा मुख्यलेखाधिका द्वारा नियुक्तियां करने पर उनके विरुद्ध भाई भतीजा बाद का आ भी लगाये जाने की संभावना रहेगी। मुख्यलेखाधिकारी ने भी बतलाया कि गण्डल में अधिकांश कार्य स्थाई क्लिंक का है जो कि स्थाई क्लिंक के लिपिकों को ही सौंपा जा सकता है। जैसे क्लिंक तथा स्टोर का कार्य प्रति घंटे की दर से वेतन पाने वाले लिपिकों को नहीं सौंपा जा सकता। इस प्रकार का कार्य जो महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें अनुभव तथा कुशलता की आवश्यकता नहीं है तथा जो बहुत ही साधारण स्तर का है वही कार्य इस प्रकार के कर्मचारियों से कराना संभव हो सकेगा। अन्य महत्वपूर्ण कार्य जिसमें थोड़ी सी भी जिम्मेदारी शामिल है, वह उनसे कराया जाना उचित नहीं होगा। निम्नलिखित के बाद प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया ...।।.

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 6-9-83 को  
सम्पन्न हुई 106 वीं बैठक में लिये गये निर्णय ।  
=====

मण्डल की 106 वीं बैठक अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के कक्षा में  
दिनांक 6.9.83 को प्रातः 11 बजे सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित  
उपस्थित थे :-

- |    |                                                      |         |
|----|------------------------------------------------------|---------|
| 1. | श्री रामनारायण चौधारी                                | अध्यक्ष |
|    | अध्यक्ष, राज० आवासन मण्डल                            |         |
| 2. | श्री आनन्दी लाल लूंगा                                | सदस्य   |
|    | सचिव, नगरीय विकास एवं<br>आवासन विभाग, राजस्थान सरकार |         |
| 3. | श्रीमति ओतिमा बोर्डिया,                              | सदस्य   |
|    | वित्त सचिव, राजस्थान सरकार                           |         |
| 4. | श्री पी० के० लौरिया,                                 | सदस्य   |
|    | आवासन आयुक्त, राज० आवासन मण्डल                       |         |

श्री एच० एस० माथुर, मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविद सलाहकार  
राजस्थान सरकार की अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई ।

श्री वी० बी० माथुर, सचिव एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान  
आवासन मण्डल भी उपस्थित थे ।

ही द्वारा बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:-

106.1. मण्डल की 105 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

मण्डल की 105 वीं बैठक के निर्णयों में संशुद्धि संख्या 105.12 में  
प्रस्तावित संशोधनों सहित अनुमोदन किया गया । साथ ही  
निम्न प्रकार सुझाव दिये गये:-

लगातार..2...

219

-: 2 :-

P. M.

1. विन्दु संख्या 105.12 के अन्तर्गत पारित वर्कचाज कर्मचारी सेवा नियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया जाये।

P.M.

2. विन्दु संख्या 105.21 101 के अन्तर्गत श्री ए0 एल0 संगटा दादिये गये सुझाव पर पुनः विचार किया जाये।

105.2

मण्डल की 105 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।

मण्डल द्वारा 105 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का प्रलोकन किया गया।

ALL DY.H.C./  
H.D./ L.A.

106.3

माननीय आवासन मंत्री महोदय के कक्षा एवं अध्यक्षता में सम्पन्न हुई दिनांक 75.83 की बैठक के निर्णय।

दिनांक 7.5.83 को माननीय आवासन मंत्री महोदय के कक्षा में बैठक में लिये गये निर्णयों के विन्दु सं0 1 व 2 पर विचार के पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1. आवास पंजीकरण एवं आवंटन हेतु संशोधित प्रक्रिया 1981-82 के अनुसार आवासों का निर्माण लिटल स्तर पर ही उनका आरक्षण/आवंटन किया जाता है। आवास का आवंटन निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने पर किया जायेगा। यदि इस स्तर पर आवासों का आरक्षण/आवंटन किया जायेगा पूर्ण ग्रहण राशि पहले प्राप्त नहीं हो सकेगी। और इस अच्छी राशि को मण्डल को प्रदान पूर्ण होने के पहले मिलेगी। यदि आरक्षण आवास संख्या आवंटन निर्माण के लिटल स्तर पर किया जायेगा आवंटनों द्वारा निर्माण सामग्री आदि में पक्षापात करने दोषारोपण को जाने की आशंका से वंचित नहीं रहा।

लगातार..

अतः विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि आवासों का आरक्षण/आवंटन वर्तमान नियमानुसार ही किया जावे लेकिन आवास आरक्षण के पश्चात् आवंटियों में से कुछ व्यक्तियों को निर्माणरहाधीन आवासों का निरीक्षण करा दिया जावे और जो भी कमियों उनके द्वारा ध्यान में लाई जावे उन्हें ठीक कराया जावे ।

2. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सामान्य आवेदकों की अपेक्षा आवंटन में प्राथमिकता देने की क्रियान्विति हेतु, सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी । अतः इस सम्बन्ध में विधि सलाहकार की राय लेकर इस आशय का "कि पूर्व वर्षों के सामान्य आवेदकों की परिष्कृतता के बावजूद भी बाद के वर्षों के अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को पहले मकान दिया जावे" वांछित संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे ।

उक्त बैठक दिनांक 7-5-83 के निर्णय बिन्दु संख्या 3 का अनुमोदन किया गया ।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गिकपंजीकृत आवेदकों में जिनमें लोकसभा/विधान सभा के सदस्य भी सम्मिलित हैं, उनको आगे आय वर्गानुसार पहले मकान आवंटन हेतु ।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक पीएस/एस/बूडीएस/83/117 दिनांक 30.3.83 तथा पत्र क्रमांक एस-7812 नविआ/83 दिनांक 11.5.83 पर विस्तृत विचार विमर्श करने के पश्चात् निम्न प्रकार निर्णय लिए गये:-

आवासों के पंजीकरण एवं आवंटन की संशोधित प्रक्रिया 1981 के अनुच्छेद सं० 1.5.2 के अनुसार यदि आरक्षित कोटा के आवेदकों के सीधे पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो इन्हें अनारक्षित वर्गों में निर्धारित लगातार...



(221)

अन्तरित कर दिया जावेगा । इस प्रावधान के अनुसार आरक्षित की पूर्ति, न होने पर आगामी वर्षों में कमी की पूर्ति के लिए कमी को अग्रणीत करी फार्मिड नही किया जा सकता ।

अतः निम्नो में संशोधन हेतु प्रस्ताव विधि सलाहकार की राय लेकर मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

H.C./DY.H.006.5  
C.A.O./A.T.P./  
I.A.O./

गोवर्धन जिला एवं सैवीना छोड़ा । उदयपुर की भूमि क्रय करने

गोवर्धन जिला एवं सैवीना छोड़ा । उदयपुर की भूमि क्रय करने विवरण निम्न प्रकार से है तथा देवस्थान विभाग से सम्बंधित

है, को 12.50 रु प्रति वर्गज की दर से मण्डल हेतु क्रय करने का निर्णय किया गया :-

1. गोवर्धन जिला की भूमि से नेशनल हाईवे तक ग्रीनोल्ड की भूमि को छोड़ते हुए

141 बीघा 10 बिस्  
118 बीघा 11 बिस्

2. सैवीना छोड़ा

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि की आ योजना के निर्माण हेतु आवश्यकता की जाँच करने हेतु जीवातन आ मुख लेखाधिकारी एवं सम्बंधित आ आवातन आ आवातन निरीक्षण करें ।

106.6  
C.A.O./P.M.

आवासीय अभियन्ता/ परियोजना अभियन्ता विधुत को भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विधुत मण्डल से निशुचित पर आये अभियन्ताओं को प्रस्तावानुसार निम्नप्रकार भत्ता एवं अर्दली भत्ता दिये जाये:-

लगातार.. 5..

222

| क्र. सं. | पद                                 | यात्रा भात्ता<br>प्रति माह | अर्द्धली भात्ता<br>प्रति माह |
|----------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1.       | आवासन अभियंता विद्युत              | 350/-                      | 240/-                        |
| 2.       | परियोजना अभियंता<br>वरिष्ठ विद्युत | 80/-                       | 240/-                        |

106:7  
10.0./P.M.  
जिला  
स्वायं  
रंग  
के  
0 पि  
11 नि  
की 3  
सन अ  
106:9  
को नि  
डल से /P.M. 106:10  
5.

मण्डल के अधिकारियों को 1 गिजी वाहन प्रयोग करने पर 1 दे.  
स्थानीय यात्रा भात्ता में वृद्धि।

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि चूंकि नवीन वेतनमान  
सम्वन्धी प्रकरण अभी विचाराधीन है, अतः नवीन वेतनमान के  
सम्वन्धा में निर्णय हो जाने के बाद यह प्रस्ताव पुनः मण्डल के  
समक्ष विचारार्थ रखा जाय।

साईकिल सवार को साईकिल सवारी भात्ते में वृद्धि

विचार विमर्श कर साईकिल सवारी भात्ता 15/- रुपये प्रतिमाह  
की दर से 1.4.82 से दिये जाने का निर्णय लिया गया।

मण्डल की सूचनाएं एवं अनुमोदनार्थ- दिनांक 18.4.83 को  
सम्बन्धन हुई संप्रति आवंटन समितिके निर्णयों का अनुमोदन।

उक्त समितिके निर्णयों का मण्डल द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन  
किया गया।

राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यवाहियों के वेतनमानों के पुनर्नि-  
र्धारण के सम्वन्धा में।

इस प्रकरण पर मण्डल द्वारा विस्तृत विचार विमर्श कर एक उच्च  
समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित बोर्ड सदस्यों को  
समाचार... 6...

सम्मिलित किया गया। यह समिति शीघ्र ही इस सम्बन्ध में परीक्षा कर अपनी रिपोर्ट मण्डल को देगी। इस समिति के अध्यक्ष श्री ए० सु० लुंगटा होंगे, बैठक बुलाने की व्यवस्था आवासन आयुक्त करेंगे। समिति की रिपोर्ट के बाद मण्डल द्वारा पुनः इस पर विचार किया जायेगा:-

1. श्री आनन्दी लाल लुंगटा, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
2. श्रीमति ओतिमा खोड्डिया, वित्त सचिव, राजस्थान सरकार,
3. श्री पी० के० लौरिया, आवासन आयुक्त, राज० आवासन बोर्ड

C.A.O. 106. 11. महंगाई भत्ते की 50% राशि को जमा न रखा कर कर्मचारियों भुगतान करने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में वित्त सचिव महोदय ने बताया कि किसी भी मण्डल के नियम में महंगाई भत्ते की पूरी राशि के भुगतान करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा नहीं किये गये हैं। जिन संस्थाओं में ऐसे आदेश प्रसारित किये गये हैं तो उनको अपने आदेश रद्द करने के बारे में तुरन्त प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा विचार जा रखा है।

अतः इस बारे में पुनः विस्तृत जानकारी प्राप्त कर बोर्ड बैठक में सामला पुनः प्रस्तुत किया जाने।

SECY.

106. 12 एजेन्डा नोट बार्ड- सरकूलेशन -राजस्थान आवासन मण्डल के आवांटेन के विकेन्द्रीकरण वावत।

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि चूँकि यह प्रस्ताव सरकूलेशन द्वारा अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है, अतः सदस्यों का अनुमोदन आना शोभाई उनके अनुमोदन की प्रतीक्षा जाये। लगातार... 7...

324

ए. में  
के अध्यक्ष P./L.A. 106. 13

श्री गंगानगर में भूमि क्रय करने वाकत ।  
=====

सन आयु  
पर पिछा  
M. 106. 14

समयाभाव के कारण इस विन्दु पर विचार विमर्श नहीं किया गया,  
अतः मण्डल की अगली बैठक में रखा जाये ।  
गोडें में विभिन्न रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में ।  
=====

सर  
सं. P./L.A. 106. 15

समयाभाव के कारण इस विन्दु पर विचार विमर्श नहीं किया गया  
अतः मण्डल की अगली बैठक में रखा जायेगा।  
सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर के कक्षा में  
दिनांक 20.7.83 को भूमि क्रय समिति की बैठक के निर्णय  
=====

गठनों

समयाभाव के कारण इस विन्दु पर विचार विमर्श नहीं किया गया,  
अतः मण्डल की अगली बैठक में रखा जाये ।

भा. अ.  
106. 16  
/R.E. (H.Q.) II

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-

मण्डल की वर्षा 82-83 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ ।  
=====

अध्यक्ष  
गठनों

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मण्डल के समक्ष वर्षा 1982-83 के  
वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया ।  
सदस्यों ने इस बात पर बहुत अधिक प्रसन्नता प्रकट की कि राजो  
आवासन मण्डल हुडको से कृपा प्राप्त में भारत वर्ष में वर्ष 82-83  
में सर्व प्रथम रहा है । इस वर्ष में प्राप्त 12.19 करोड़ का कृपा  
विगत वर्ष प्राप्त 3.69 करोड़ की तुलना में तिगुनी से भी अधिक है ,  
और मण्डल के गठन से आज तक के किसी भी वर्ष में प्राप्त  
कृपा राशि की अपेक्षा कहीं बहुत अधिक है ।  
सदस्यों ने निर्माण व्यय के आंकड़ों का अवलोकन करते हुए भी इस  
बात पर बहुत सन्तोष व्यक्त किया कि वर्ष 82-83 में किया गया  
निर्माण व्यय है 2272.89 लाख मण्डल के गठन के बाद अब तक किये  
गये किसी भी वर्ष के व्यय की तुलना में बहुत अधिक है ।

लगातार.. 8:....

295

8

वर्ष 02-03 में मकानों के निर्माण की प्रगति का अवलोकनोपर  
मॉडल द्वारा प्रारम्भता प्रकट की गई कि इस वर्ष 12604 मकान  
पूर्ण किये गये जो विगत वर्षों में निर्मित किये गये मकानों  
की तुलना में काफी अधिक है।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक  
की कार्यवाही समाप्त की गई।

वी० वी० माधुरा

सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी

11/11

207

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल को दिनांक 31-1-84  
को सम्पन्न हुई 108 वीं बैठक में किये गये निर्णय  
=====

मण्डल की 108 वीं बैठक अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के कक्ष में दिनांक  
31-1-84 को प्रातः 11.00 बजे सम्पन्न हुई ।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे । :-

- |    |                                                                                                               |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | श्री के० के० सकसैना<br>अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल,<br>एवं सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,<br>राज. सरकार | अध्यक्ष |
| 2. | श्री एच० एस० माथुर<br>मुख्य नगर निरीक्षक एवं मास्तुविद सलाहकार<br>राजस्थान सरकार                              | सदस्य   |
| 3. | श्री पी० के० लौरिशा,<br>आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल                                                    | सदस्य   |
| 4. | श्री शंकर लाल                                                                                                 | सदस्य   |
| 5. | डॉ० श्री हाकिम सिंह अंबला                                                                                     | सदस्य   |
| 6. | श्री धर्मनारायण माथुर                                                                                         | सदस्य   |
| 7. | श्री रामचन्द्र त्यागी                                                                                         | सदस्य   |
| 8. | श्री हनीफ                                                                                                     | सदस्य   |

श्री धान सिंह सचिव, एवं श्री विपिन बिहारी माथुर मुख्यलेखाधिकारी,  
राजस्थान आवासन मण्डल भी उपस्थित थे ।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये ।

108. राजस्थान आवासन मण्डल की 107 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

मण्डल की 107 वीं बैठक के निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन  
किया गया ।

*Signature*

....2.

(970)

108.2

मण्डल को 107 वीं बैठक के निर्णयों को क्रियान्विति रिपोर्ट

मण्डल को 107 वीं बैठक के निर्णयों को क्रियान्विति रिपोर्ट उप आवा.  
का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

मुख्य अधिकारी 108.3

राजस्थान आवासन मण्डल का वर्ष 1984-85 का अनुमानित व  
सं वर्ष 83-84 का संशोधित बजट।

अध्यक्ष महोदय द्वारा आवासन मण्डल का वर्ष 1984-85 का  
अनुमानित बजट एवं वर्ष 1983-84 का संशोधित बजट प्रस्तुत  
किया गया, जिस पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया  
कि वर्ष 1984-85 के अनुमानित बजट पर अगली बैठक में चर्चा  
की जाये। साथ ही 1983-84 के संशोधित बजट पर जोड़  
द्वारा स्वीकृति दी गई।

कार्यक प्रबन्धक

108.4

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारियों को भर्ती एवं पदोन्नति  
विनियम 1976 में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु  
निर्धारित टंकण परीक्षा में छूट के सम्बन्ध में।

उक्त विषय में विचार विमर्श किया गया और सर्व सम्मति से  
निर्णय लिया गया चूंकि राज्य सरकार द्वारा हो इस प्रकरण  
में टंकण परीक्षा से मुक्ति प्रदान कर दी गई है, इसलिये जो  
हैलपर सेवा विनियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट 10 प्रतिशत के  
अनुपात में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत हुए हैं, उन्हें  
टंकण परीक्षा को अनिवार्यता से मुक्त किया जाय। तदनुसार  
राज्य सरकार से "राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारियों को  
भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976" के संदर्भ परिशिष्ट में  
अपेक्षित संशोधन करने हेतु निवेदन किया जाये।

.....3.

(201)

का शेष पृष्ठ दो का शेष  
// 3 //

ते रिपोर्ट

ते रिपोर्ट आवा. आयु. 108.5  
108/मु0 ले

Grant of special pay to Dy. Housing Commissioner(HQ)  
& Resident Engineer/Assistant Engineer working in  
Technical Examination Division & quality control.

नुमा नित

चूँकि यह मायला कर्मचारियों द्वारा नये वेतनमान को माँग से  
संबंध है, अतः उक्त माँग से सम्बंधित मामले में निर्णय के पश्चात  
ही इस पर विचार किया जाएगा ।

-85-का

प्रस्तुत

मा गमा

5 में चर्चा

बोर्ड

108.6  
10टी0पी0  
1080ओ0

पूर्व में 8 बीघा 11 बिस्वा भूमि क्रय करने को स्वीकृति  
तथा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि क्रय करने हेतु अनुमोदन ।

दो नति

ति हेतु

प्रस्ताव

अ. अंश. मु0

द्वितीय

ममति

प्रकरण

लेये जो

त के

, उन्हें

तदनुसार

र्या की

ष्ठ

...

...

...

...

...

...

108.7  
प्रस्ताव/अ. अंश. मु0  
द्वितीय

Revised Adm. & Financial sanction for SAs at Jawhar  
Nagar, Jaipur.

इस निषय पर विचार विमर्श किया गया तथा प्रस्तावानुसार  
स्वीकृति प्रदान की गई ।

108.8

आवासन बोर्ड के नियम/अधिनियम का पुरावलोकन ।

इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया  
और यह सहमति व्यक्त की गई कि राजस्थान आवासन बोर्ड  
से संबंधित सभी नियम, उपनियम एवं विनियमों का पुनरावलोकन

.....4.



किया जाकर पुनः निर्मित किया जाए । इसके अतिरिक्त को अधिकृत किया गया कि वे किसी उम्मीदवार विधेयता को कार्य सौंप दे तथा term एवं remuneration के संबंध में भी वे अपने स्तर पर ही निर्णय लें ।

कार्यिक प्रबन्धक 108.9

तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को उपाजित अवकाश देने के संबंध में

चूंकि इस संबंध में तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को उपाजित अवकाश देने का जोड़ के सेवा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । इसलिए उन्हें कोई अवकाश नहीं दिया जा सकता, तथापि वे आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं । अतः सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को उपाजित अवकाश का हक नहीं है, किन्तु अब तक जो मामले तय हो चुके हैं, उन्हें पुनः खोला नहीं जाएगा और वे जो कोई गलती की

पृष्ठ 108

कार्यिक

मु० ले०

108.10

RUDCO Financed Composite Housing Scheme Sector IVth Phase IV Sadola Sonner(Mansarovar)Jaipur.

आवाहन अधिकारी

प्रस्तावानुसार नामसंगोधन करने की स्वीकृति सर्व सम्मति से दी गई ।

मु० ले०

108.11

Change in re-payment period in respect of house allotted on Hire Purchase Basis.

आ० अभि० मु०

दिलोप

बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान प्रक्रिया को चलने दिया जाए

2 ..... 5.

पृष्ठ 108

पृष्ठ 103

(511)

पृष्ठ चार का शेष

// 5 //

और आगामी बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जाये ।  
इसके अतिरिक्त किस वर्ग द्वारा कितनी कितनी किशतें देय  
होती है इसकी भी सूची बनाई जाकर पेश की जाये ।

108. 12

Acquisition of Land at Alwar.

इस विषय में विचार विमर्श किया गया, अलवर में भूमि  
की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है । अतः जित्त दर से  
नगर विकास न्यास द्वारा भूमि देने का प्रस्ताव रखा गया है  
उसी दर से भूमि क्रय करने की स्वीकृति दी जाती है ।

108. 13

मण्डल में कार्यरत एडहॉक कर्मचारियों के सम्बन्ध में ।

कार्यरत तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर गम्भीरता  
पूर्वक विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इन  
तदर्थ कर्मचारियों की सेवा अधि 30 अप्रैल 1984 तक अपना  
चगन समिति द्वारा चयनित कर्मचारियों की भर्ती होने तक  
जो भी पहले हो बढ़ा दी जाये ।

108. 14

तहसील लाडपुरा जिला कोटा की 185 घोघा 01 बिस्वा  
भूमि 5/-रूपये प्रति वर्गज की दर से क्रय करने की स्वीकृति

प्रस्तावानुसार भूमि क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

*Signature*

.....6.

मुख्यलेखाधिकारी

108. 15 Non-impounding of Dearness Allowance.

इस प्रकार पर सम्भीतर पूर्ण विचार किया गया एवं सर्व सम्भीत से निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को गणराशि भरना देना है इसलिए इनको सामान्य भविष्य निधि 1 जी० पी० एफ० अथवा वेफाल सैंविंग सर्टिफिकेट के रूप में न देकर दिनांक 01-11-1971 से नगद में भुगतान कर दिया जावे ।

मुख्यलेखाधिकारी

कार्गिक एवम्

108. 16 Permanent absorption of Shri R.S. Kumawat and Shri L.L.Jain in the service of the Board-allowing them benefits of pension etc. on the basis of absorption certificate of Shri N.W. Mahari & J.C. Purohit.

इस विषय में पूर्व में श्री एन० एन० नरहरी एवं श्री जे० सी० पुरोहित को चूंकि पेंशन का फायदा दिया जा चुका है, अतः इसी के अनुसार श्री लल्लू लाल जैन एवं श्री रामेश्वर कृष्ण को भी पेंशन का लाभ दे दिया जावे ।

ए०टी०पी०  
एल०ए०ओ०

108. 17 वाराणसी में 63 बीघा 18 बिस्वा भूमि रुपये 18/- प्रति वर्ग गज की दर से क्रय करने की स्वीकृति हेतु ।

प्रस्तावित भूमि की दर अधिक है, अतः राज्य सरकार से इसकी दर कम करने हेतु निवेदन किया जावे । आर्थिक दृष्टि से कमतर लोग भूमि की इसकी कीमत अदा नहीं कर सकते ।

2. ....

..... 7.

213

पृष्ठ सं: का शेष

// 7 //

का शेष  
एवं सम अधिकारी  
भत्ता देना अधिकारी  
पी० एफ०  
दिनांक 01-  
श्री  
th-m  
Association  
अधिकारी  
जि० ए०  
जे० सी०  
त है  
म कर्मा  
मि  
स्थायी  
प्रति  
न  
रा  
गार से  
ष्ट से कम

108. 18

मकान आवंटन से पूर्व जमा राशि पर छपाज दिशे जाने के सम्बन्ध में ।

इस संबंध में विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत भी जिन लोगों ने मकान आवंटन से पूर्व राशि जमा करा दी है उन्हें भी बोर्ड की 26वीं बैठक के विन्दु संख्या 26.8 एवं 44वीं बैठक के निर्णय विन्दु संख्या 44.4 के निर्णयानुसार छपाज का लाभ दे दिया जाये ।

108. 19

हुडको द्वारा स्वीकृत स्कीमों को प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु ।

विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

108. 20

Loan from HUDCO for 10 Housing Scheme.

विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

108. 21

पंजीकरण स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ।

उक्त प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

214

108.22 राज्य सरकार द्वारा मण्डल को दिये गये निर्देश :-

कार्मिक प्रबन्धक

111 नियुक्तियों के सम्बन्ध में पाबन्दी ।

चूंकि राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियों के संबंध में पाबन्दी हटा दी गई है, अतः इस संबंध में राज्य सरकार के आदेश स्वतः ही स्थगित हो जाते हैं ।

सचिव

112 परिवार योजना हेतु प्रोत्साहन के लिए आवंटन में 10% आरक्षण ।

उक्त मामले को बोर्ड की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया ।

सचिव/  
मुख्यलेखाधिकारी

113 मण्डल में पद सृजन बाबत ।

नये पदों का समावेश बजट में किया जाता है । अतः बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई पद सृजित नहीं किया

सचिव

114 श्री आई० के० व्यास को जवाहर नगर में मकान आवंटन हेतु

उक्त प्रकरण को मण्डल के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया ।

सचिव

115 नियुक्ति के सम्बन्ध में एक समिति का गठन ।

राज्य सरकार द्वारा वापिस ले लिया गया है ।

सचिव

116 श्री मनमूल राम अनुसूचित जाति के विधायक को मकान आवंटन के बारे में ।

प्रकरण को मण्डल के समक्ष पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत

(215)

पृष्ठ आठ का शेष

// 9 //

किये जाने का निर्णय लिया गया ।

सचिव

17। श्री छुट्टन लाल अनुसूचित जाति के भूतपूर्व सांसद को  
मकान आवंटन के संबंध में ।

प्रकरण को मण्डल के समक्ष पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत  
किये जाने का निर्णय लिया गया ।

सचिव

18। श्री महेश पारोक एवं श्री बी० सी० चिराणिया को  
मकान आवंटन के संबंध में ।

प्रकरण को मण्डल के समक्ष पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत  
किये जाने का निर्णय लिया गया ।

108.23

आवासन अधिकारी  
जनसंपर्क अधिकारी

For information & confirmation of the Board agenda  
note by circulation No.58 to allow SC/ST persons  
of MIG II and HIG category also to deposit only 50%  
of the registration money as has been allowed in W/S,  
LIG & MIG-Ist Category.

प्रस्तावानुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया ।

। अध्याक्ष महोदय की अनुमति से ।

108.24

उप आवा. आयुक्त  
जयपुर नृति

जयपुर नगर में आवासन मण्डल की कालोनियों में मिल्कवूथ  
बनवाने के संबंध में ।

प्रस्तावानुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया ।

....12.

316

पृष्ठ नौ का शेष

// 10 //

सचिव

108.25

"ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिव कमेटी" के गठन के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रशासन तथा संघ के कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाये रखने के उद्देश्य से निम्न प्रकार "ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिव कमेटी" का गठन कर दिया जावे ।

111 आवाजन आयुक्त

121 सचिव

131 मुख्यलेखाधिकारी

141 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष

151 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के महासचिव

161 मान्यता प्राप्त संघ द्वारा मनोनीत एक सदस्य

171 मान्यता प्राप्त तकनीकी अधिकारी एसोसिएशन के मनोनीत सदस्य

माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव । :-

111  
आवाजन अधिकारी  
जनसंपर्क अधिकारी

जिन जिन शहरों में पंजीकरण खोला गया है और आवेदकों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं उनकी सूचना सदस्यों को उपलब्ध करवाई जावे जिससे कि बोर्ड आवासीय योजना क्रियान्वित के लिये प्राथमिकता तय कर सके ।

उप आवा. 121  
आयुक्त 1501

मकानों को क्वालिटी ठीक होनी चाहिए जिससे कि लोगों में बोर्ड के प्रति विश्वास बना रहे, साथ ही निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों पर कन्ट्रोल रखा जाना चाहिए ।

.... 11.

(217)

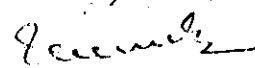
गृष्ठ दस का शेष

// 11 //

कर्मचारियों को माँगों के संबंध में कर्मचारियों द्वारा जो आन्दोलन चलाया जा रहा है उस पर बोर्ड ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सुना और यह निर्णय लिया गया कि उनकी वेतन श्रृंखला संबंधी माँग पर अगली बोर्ड बैठक में विचार एवं निर्णय किया जाये। बोर्ड के इस निर्णय से आश्वस्त होकर कर्मचारियों ने अपना आन्दोलन वागस लेने का आश्वासन दिया।

बोर्ड की अगली बैठक दिनांक 25-2-1984 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित किए जाने का निर्णय किया गया।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक को कार्यवाही समाप्त की गई।



॥ धान सिंह ॥

सचिव

:: गंगलानी ::



(91)

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 25 एवं 27 फरवरी 1984 की सम्पन्न हुई 109 वीं बैठक में लिये गये निर्णय ।

मण्डल की 109 वीं बैठक अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के कक्ष में दिनांक 25 एवं 27 फरवरी 1984 को सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

- |    |                                                                                  |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1- | श्री के० के० सक्सेना                                                             | अध्यक्ष |
|    | अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल,<br>एवं सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन,<br>राज० सरकार |         |
| 2. | श्री पी० के० लौरिया                                                              | सदस्य   |
|    | आवासन आयुक्त                                                                     |         |
| 3. | श्री शंकर लाल                                                                    | सदस्य   |
| 4. | डा० श्री हाकिम सिंह अंबला                                                        | सदस्य   |
| 5. | श्री धीनारायण माथुर                                                              | सदस्य   |
| 6. | श्री रामचन्द्र त्यागी                                                            | सदस्य   |
| 7. | श्री मोहम्मद हनीफ खत्री                                                          | सदस्य   |

श्री धानसिंह सचिव एवं श्री विपिन बिहारी माथुर मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल भी उपस्थित थे ।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

109.1 मण्डल की 108 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

मण्डल की 108 वीं बैठक के निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

(92)

109.2

मण्डल की 108 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।

मण्डल की 108 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

109.3

मुख्यलेखाधिकारी

आवासन बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनः निर्धारण के सम्बन्ध में ।

मण्डल के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में बैठक हुई जिसमें मण्डल द्वारा इस प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया । मण्डल की 106 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 10 में यह निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में एक उप समिति गठित की जाय । इसमें अध्यक्ष आवासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार तथा सदस्य पित्त सचिव राज्य सरकार, एवं आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल होंगे ।

इस समिति ने अपनी बैठकें की तो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बोर्ड कर्मचारियों को सरकार के कर्मचारियों के समान संशोधित

वेतनमान 1983 दिनांक 1-9-81 से दे दिये जायें और कुछ सीमांत ॥ मार्जिनल ॥ मकान किराया भत्ता में लाभ दे दिया जाय । मण्डल ने इस रिपोर्ट पर गौर किया तथा गंभीरतापूर्वक विचार किया । राजस्थान में अन्य निगमों/मण्डलों के वेतनमानों को मध्य नजर रखते हुए यह उचित समझा गया कि कर्मचारियों को राज्य सरकार के संशोधित वेतनमान 1983, 1-9-81 से दे दिये जायें तथा मकान किराया भत्ता में कुछ बढ़तों की जा सकती है । किन्तु आवासन बोर्ड कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने

2000/10

लगातार -----पृष्ठ-----तीन-----पर.

109.

आधिकारी

आवासन आ

(93)

पृष्ठ संख्या " दो " का शेष

11 3

इसे नहीं माना और कार्यवाही में व्यवधान किया जिससे इस प्रकरण में कोई निर्णय नहीं हो सका ।

अंत में निर्णय लिया गया कि मण्डल के कर्मचारियों को नये वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा : पुनरीक्षित वेतनमान : नियम 1983 के अनुसार 1-9-1981 से दिये जावे तथा 1-9-81 से देय सरिस्वर का भुगतान नगद कर दिया जावे ।

मकान किराया भत्ता के प्रकरण पर यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जो राशि मकान किराये भत्ते के रूप में जिस कर्मचारी को मिल रही है उतनी ही राशि आगामी निर्णय तक, मिलती रहेगी ।

109.4

आधिकारी

वासन आयुक्त

राजस्थान आवासन मण्डल का वर्ष 1984-85 का बजट अनुमान ।

मण्डल के बजट अनुमान : Budget Estimates

वर्ष 1984-85 को निम्न संशोधनों/ सुझावों के साथ स्वीकृत किया गया :-

1. बजट के पृष्ठ संख्या 10 पर प्रशासनिक व्यय मद संख्या 1. VI

1 Fees & allowances to members of the Board

के तहत ली गई अनुमानित राशि 0.30 लाख रु से बढ़ाकर 0.50 लाख रु की जावे ।

2. बजट के पृष्ठ संख्या 93/94 पर जयपुर खण्ड कार्यालय द्वितीय के अनुमानित कार्य कलापों के अध्यधीनपरान्त यह पाया गया कि वर्ष 1984-85 में सीकर में नये मकान बनाने हेतु कोई प्रावधान

2.1

लगातार -----पृष्ठ-----चार-----पर.

94

पृष्ठ संख्या "सी.न." का शेष

॥ 4 ॥

नहीं लिया गया है । विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि सीकर के लिये ॥ वर्ष 1984-85 के लिये ॥ गई स्कीमें बनाकर इन अनुमानों में शामिल की जाये ।

सचिव  
समस्त उ  
आयु ॥

॥ 111 ॥

बजट नोट के पृष्ठ संख्या ॥ V ॥ पर मण्डल द्वारा प्रस्तावित नये पदों का सृजन एवं नवीन मदों ॥ New items of

expenditure ॥ को स्वीकृति प्रदान की गई और साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि खण्ड कार्यालयों का कार्यभार ॥ Work

Load

॥ 1.5 करोड़ रु० मापदण्ड ॥ Norms ॥

प्रति वर्षी मानकर नये प्रस्तावित खण्ड कार्यालयों का सृजन इसी आधार पर आगे किया जाय ।

109.5

प आवासन आयुक्त  
यपुर नृत प्रथम

मुख्यलेखाधिकारी

मालवीय नगर योजना, जयपुर में डिस्पेन्सरी के निर्माण हेतु वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

मालवीय नगर योजना में डिस्पेन्सरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावानुसार डिस्पेन्सरी निर्माण के लिये 1,51,000/- की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई ।

109.6

ए०टी०पी०

एल०ए०ओ०

आवासीय अभियन्ता  
बोकानेर

बोकानेर में भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में ।

बोकानेर में आबादी के विस्तार को मध्य नजर रखते हुए चक गबौ की 551 बीघा 18 बिस्वा, भिलवाडी की 64 बीघा भूमि मण्डल द्वारा उपनिवेशन विभाग से खरीदने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया गया । ग्राम बीचवाल की भूमि लिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में कार्यवाही की जायेगी । जहाँ तक सम्भव हो सरकारी जमीन ही ली जाय ।

22/12/82

लगातार-----पृष्ठ-----पाँच-----पर,

(95)

पृष्ठ संख्या " चार " का शेष

11 5 21

109. 7

राधिव

समस्त उप आवासन-  
आयुक्त

दुकानों की निलामी हेतु कमेटी का गठन ।

दुकानों की निलामी हेतु कमेटी के गठन के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। आवासन मण्डल द्वारा कई शहरों में आवासीय योजना में दुकानों का निर्माण किया गया है। उनकी निलामी के लिए निम्न प्रकार से समितियाँ बनाई गई :-

1- जयपुर के लिये

1. श्री मोहम्मद हनीफ खत्री
2. राधिव, आवासन मण्डल
3. उप आवासन आयुक्त : मुख्यालय
4. आवासीय अभियन्ता
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी

2- जोधपुर एवं उदयपुर के लिये :-

- 1- श्री धर्मनारायण माथुर
- 2- उप आवासन आयुक्त : संबंधित वृत्त
- 3- आवासीय अभियन्ता : संबंधित खण्ड के
- 4- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी

3- श्री गंगानगर के लिये

- 1- श्री रामचन्द्र त्योंगी
- 2- उप आवासन आयुक्त : संबंधित वृत्त
- 3- आवासीय अभियन्ता : संबंधित खण्ड के
- 4- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी

लगातार

पृष्ठ-छः-पर-

कार

ग

धेनी

पाँच-पर,

पृष्ठ संख्या---"पाँच"--का ---शेष

16

4-- बीकानेर के लिये

- 1- डा० हाकिम सिंह अचला
- 2- उप आवासन आयुक्त ॥सम्बन्धित वृत्त॥
- 3- आवासीय अभियन्ता ॥सम्बन्धित खण्ड॥
- 4- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी

5- पाली के लिये

- 1- श्री शंकर जाल
- 2- उप आवासन आयुक्त । सम्बन्धित वृत्त ।
- 3- आवारीय अभियन्ता । सम्बन्धित खण्ड ।
- 4- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी

6- अन्य शहरों के लिये

- 1- उप आवाहन आयुक्त सम्बन्धित वृत्त।
- 2- आचार्य अग्निता सम्बन्धित एण्ड।
- 3- लेखाधिकारी
- 4- जिलाधिश द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि।

उक्त प्रकार को गठित कमेटी निर्धारित आरक्षित मूल्य : Reserve Price : से ऊपर प्राप्त किसी भी उच्चतम बोली को स्वीकार

Price : से उपर प्राप्त किसी भी उच्चतम बोली को स्वीकार कर इस बोली को चौथाई राशि जमा कर मौके पर हो दुकान के आवंटन का आदेश कर सकती है । अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के लिये दुकानों के आरक्षण हेतु राज्य सरकार से निर्दिष्ट प्राप्ता होने पर तदनुसार अंतिम निर्णय लिया जायेगा ।

109.8 पंजीकरण स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

## आवासन अधिकारी

यह निर्णय लिया गया कि सिद्धान्ततः शहरों में पंजीकरण कम है उन शहरों में किसी अन्य शहर से पंजीकरण का स्थानान्तरण किया जा सकता है। ऐसे स्थानान्तरण पर सम्बन्धित प्रार्थी का नाम वहाँ को वरिष्ठता सूची के अंतिम क्रम पर रखा जायेगा।

Yes and no.

लगातार-----पृष्ठ-----सारा-----पर,

(97)

पृष्ठ संख्या "छः" का शेष

11 7 11

सर्वसम्मति से निम्नलिखित शहरों में पंजीकरण स्थानान्तरण की स्वीकृति दी गई।

|                   |                |               |            |
|-------------------|----------------|---------------|------------|
| 111: भरतपुर       | 121: हुंझुनू   | 131: सीकर     | 141: बांरा |
| 151: सवाईमाधोपुर  | 161: सीकानेर   | 171: भीलवाड़ा |            |
| 181: श्री गंगानगर | 191: हनुमानगढ़ | 101: धौलपुर   |            |

109.9

राज्य सरकार द्वारा मण्डल को दिये गये निर्देश :-

राज्य सरकार द्वारा मण्डल को दिये गये निर्देशों पर विचार विमर्श किया गया।

1- परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहन के लिए आवंटन में 10% आरक्षण

सचिव

आवासन -  
अधिकारी

परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहन के लिए आवंटन पर 10% आरक्षण के सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया।

सदस्यगण इस बात पर एक मत थे कि परिवार नियोजन का मामला राष्ट्रीय मामला है व प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का एक सूत्र है। परिवार नियोजन को इस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा 10 प्रतिशत मकानों के आवंटन का आदेश दिया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से निवेदन किया जाय कि इस आदेश की पालना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करें।

2- राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश।

श्री आई 0 के 0 व्यास, श्री मनफूल राम, श्री छुट्टन लाल,

*Reminder*

लगतार -----पृष्ठ-----आठ-----पर

कर इस  
देश को  
के आरक्षण  
जो जमीन

उन  
हैं।

तः सम अधिकारी

तः

(40)

-----:8:-----

पृष्ठ "सात का शेष

श्री महेश कुमार पारीक एवं श्री वी०सी०चिरागिया को धारा 60 के अन्तर्गत सरकार द्वारा दिये गये आदेश के तहत मकान आवंटन कर दिये जाय। एवं सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि 25-2-84 तक राज्य सरकार द्वारा जितने भी आदेश राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 को धारा 60 के अन्तर्गत दिये गये हैं, उनकी भी क्रियान्विति कर दी जाय, क्योंकि यह तय किया गया कि "डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी" रेगुलेशन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बनने वाले प्रत्येक श्रेणी के मकान के एक प्रतिशत मकान मौजूदा वित्तीय वर्ष से आरक्षित करने का प्रावधान कर दिया जाय।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 720 एवं अल्प आय वर्ग के 360 फ्लैट सोडाला-सांगानेर योजना सैक्टर-111 जयपुर में निर्मित करने हेतु टेण्डर बाबत।

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि टेण्डर पुनः आमंत्रित किये जाये। विद्यालय भवन के लिये भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

- 1- स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति कोटा के प्रार्थना पत्र पर विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी से सिफारिश माँगे और इसके साथ फिर से मण्डल के विचार के लिये रखें।
- 2- मनोहर बाल मंदिर समिति, श्री गंगानगर द्वारा चाही गई भूमि दिये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई। इसका मूल्य आरक्षित मूल्य का 50 प्रतिशत होगा।
- 3- इमेन्यूअल मिशन स्कूल बून्दी को स्कूल हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि यह संस्था मान्यता एवं राजकीय सहायता प्राप्त है तो जिला शिक्षा अधिकारी से सिफारिश प्राप्त करके पुनः मण्डल के विचार के लिये रखें।

लगातार-----पृष्ठसंख्या-----

109.10  
प्र. आवासन -  
सायुक्त मु०१/  
पुर वृत्त  
तीर्थ

109.11

र०टी०पी०  
र०ए०ओ०

संविन 10  
आवासन अधि

र०टी०पी०  
र०ए०ओ०

मु० ले०  
आवा० अभि  
मु० द्वितीय

मुख्यलेखाधि  
कार्मिक प्रब



(99)

पृष्ठ संख्या-----"आठ" का शेष

॥ 9 ॥

सचिव 109.12

आवासन अधिकारी

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत त्रिपक्षीय समझौते के क्रम में ।

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत त्रिपक्षीय समझौते के लिये आवासन मण्डल को कोई स्तराज नहीं है । अतः सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

गोवर्धन 109.13

गोवर्धन 109.13

गोवर्धन विलास एवं रेविना शेडा ॥ उदयपुर ॥ की भूमि क्रय करने हेतु ।

गोवर्धन विलास एवं रेविना शेडा की 75 बीघा 3 बिस्वा भूमि का भुगतान करने एवं कब्जा लेने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई ।

109.14

जवाहर नगर फेज -10 के लिये हुडको से ऋण लेने हेतु ॥स्कीम नं० 2980 सी॥

10 ले०

प्रवा० अभि०

10 द्वितीय

प्रस्तावानुसार हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण 13.13 लाख प्राप्त करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई ।

109.15

मुख्यलेखाधिकारी

गैर स्नातक कनिष्ठ सहायकों को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मूल वेतन में 30/-रुपये का लाभ भत्ते के रूप में देने हेतु ।

कार्मिक प्रबन्धक

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिस दिन से कोई कनिष्ठ सहायक स्नातक की परीक्षा पास करले उस दिन से उसका वेतन ऐसे कनिष्ठ सहायक के वेतन के समान निर्धारित किया जावेगा, जो उससे कनिष्ठ सहायक होते हुये भी नियुक्ति के समय स्नातक होने के कारण अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है।

Handwritten signature

लगातार-----पृष्ठ-----दस-----पंर,

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

109.16

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार

आवासन अधिकारी

1- माननीय सदस्यों की सूचनार्थ विभिन्न शहरों में पंजीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों की सूची "अ" प्रस्तुत की गई, जिसमें 100 से कम प्रार्थना पत्र जहाँ प्राप्त हुए हैं उनकी पंजीकरण राशि वापिस लौटाई जा रही है।

2- सूची "बी" में उन शहरों का विवरण है जिनमें रजिस्ट्रेशन हुआ है और मकान भी बनाये गये हैं।

3- सूची "सी" में वे शहर हैं जिनमें भूमि उपलब्ध है और योजना बुक को भेजी जाने के लिए तैयार की जा रही है।

4- सूची "डी" में वे शहर हैं जहाँ पर भूमि उपलब्ध नहीं है।

इस पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि 100 से ऊपर जहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जाय भूमि न हो तो ऐसी सूचना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

109.17

उप आवासन आयुक्त  
मु० जयपुर नृत प्रथम

टोंक में आवासन मण्डल की योजना की क्रियान्विति करने के लिए निर्णय लिया गया। वहाँ पर बीड़ों बनाने वाले काफी संख्या में रहते हैं, और उन्हें मकानों की आवश्यकता है साथ ही अन्य लोगों को भी मकानों की जरूरत है।

109.18

कार्मिक प्रबन्धक

मण्डल के सदस्यों के समक्ष कर्मचारियों की दो यूनियनों के पदाधिकारियों ने भेंट की। श्री अरविन्द कुमार ओझा ने अवगत कराया कि उनकी

लगातार -----पृष्ठ-----ग्यारह-----पर

(101)

पृष्ठ संख्या " दस " का शेष

11 11 11

यूनियन रजिस्टर्ड है तथा बहुमत वाली है, बोर्ड ने अभी तक यूनियन को मान्यता नहीं दी है। श्री गिरीन्द्र मिश्र ने अवगत कराया कि उनकी यूनियन बहुमत में है और रजिस्टर्ड है। कर्मचारियों की दोनों यूनियनों को सुनकर बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि श्रम आयुक्त को यह अनुरोध किया जाय कि वे यह जाँच कर बतावें कि कौन सी यूनियन बहुमत में है।

109.19

बोर्ड द्वारा विभिन्न उप समितियों का गठन किया गया जिसमें निम्न प्रकार सदस्य होंगे।

1- वित्त तथा कोस्टिंग कमेटी

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1- श्री मोहम्मद हनीफ खत्री   | अध्यक्ष    |
| 2- श्री गजानन्द डरोलिया      | सदस्य      |
| 3- वित्त सचिव, राज्य सरकार   | सदस्य      |
| 4- आवासन आयुक्त, आवासन मण्डल | सदस्य      |
| 5- मुख्यलेखाधिकारी           | सदस्य-सचिव |

2- लैण्ड निगोसियेशन कमेटी

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1- श्री धर्मनारायण माथुर         | अध्यक्ष    |
| 2- सचिव, न० वि० एवं आवासन विभाग  | सदस्य      |
| 3- डा० हाकिम सिंह अंचला          | सदस्य      |
| 4- मुख्य नगर नियोजक, राज्य सरकार | सदस्य      |
| 5- मुख्यलेखाधिकारी, रा० आ० मण्डल | सदस्य      |
| 6- आवासन आयुक्त, आवासन मण्डल     | सदस्य      |
| 7- सचिव, आवासन मण्डल,            | सदस्य-सचिव |

25/11/64

लगातार ----पृष्ठ----बारह-पर.

102

पृष्ठ संख्या " ग्यारह " का श्रेष्ठ

11 12 11

3- वरिष्ठ चयन समिति

- |                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 1- अध्यक्ष आवासन मण्डल                 | अध्यक्ष    |
| 2- डायरेक्टर हाकिम रिहायश              | सदस्य      |
| 3- श्री गजानन्द डरोलिया                | सदस्य      |
| 4- आवासन आयुक्त                        | सदस्य      |
| 5- 2 विषय विशेषज्ञ ॥ सीधी भर्ती हेतु ॥ | सदस्य      |
| 6- सचिव, आवासन मण्डल                   | सदस्य-सचिव |

4- कनिष्ठ चयन समिति

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1- श्री शंकर लाल                | अध्यक्ष    |
| 2- श्री मोहम्मद हनीफ खत्री      | सदस्य      |
| 3- उप आवासन आयुक्त ॥ मुख्यालय ॥ | सदस्य      |
| 4- मुख्यलेखाधिकारी              | सदस्य      |
| 5- सचिव, आवासन मण्डल            | सदस्य-सचिव |

5- संपत्ति आवंटन समिति ॥ अपीलीय ॥

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1- अध्यक्ष, आवासन मण्डल      | अध्यक्ष    |
| 2- श्री रामचन्द्र त्यागी     | सदस्य      |
| 3- श्री धर्मनारायण माथुर     | सदस्य      |
| 4- आवासन आयुक्त, आवासन मण्डल | सदस्य      |
| 5- सचिव, आवासन मण्डल         | सदस्य-सचिव |

2000-01

लगातार -----पृष्ठ-----तेरह-----पर.

6- प्रोजेक्ट कमेटी

- |    |                                |            |
|----|--------------------------------|------------|
| 1- | श्री रामचन्द्र त्यागी          | अध्यक्ष    |
| 2- | आवासन आयुक्ता, आवासन मण्डल     | सदस्य      |
| 3- | मुख्य नगर नियोजक               | सदस्य      |
| 4- | आर्किटेक्ट प्लानर, आवासन मण्डल | सदस्य-सचिव |

7- वर्क्स कमेटी

- |    |                            |            |
|----|----------------------------|------------|
| 1- | अध्यक्ष, आवासन मण्डल       | अध्यक्ष    |
| 2- | आवासन आयुक्ता, आवासन मण्डल | सदस्य      |
| 3- | श्री शंकर लाल              | सदस्य      |
| 4- | मुख्यलेखाधिकारी            | सदस्य      |
| 5- | उप आवासन आयुक्ता, मुख्यालय | सदस्य-सचिव |

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जिस स्तर के अधिकारियों को वित्तीय अधिकार दिये गये हैं, उतने ही अधिकार आवासन मण्डल के अधिकारियों को दिये जाते हैं। इससे अधिक राशि के मामले वर्क्स कमेटी के समक्ष पेश किये जाय।

धारा 60 हाऊसिंग बोर्ड्स एक्ट के तहत विकेन्द्रीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिये विभिन्न जिलों में जो संपत्ति आवंटन समितियाँ गठित की गई हैं उनमें राज्य सरकार की ओर से एक गैर सरकारी सदस्य का मनोयन किया जा रहा है इस संबंध में सदस्यों द्वारा प्रस्ताव किया गया कि बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य ही अपने अपने जिले की संपत्ति आवंटन समिति के सदस्य भी हो सकते हैं अतः सरकार से निर्दिष्ट किया जाय कि बोर्ड के निम्नांकित गैर सरकारी सदस्यों को उनके

(104)

पृष्ठ संख्या " तेरह " का शेष

11 14 11

सम्मुख अंकित जिलों को तपति आवंटन समिति का सदस्य मनोनीत मान लिया जाय तथा अन्य जिलों के लिये उनके विवेकानुसार सदस्य मनोनीत किये जाय ।

- |    |                         |                   |
|----|-------------------------|-------------------|
| 1- | श्री शंकर लाल           | जिला पाली         |
| 2- | श्री धर्मनारायण माधुर   | जिला जोधपुर       |
| 3- | श्री गजानन्द डरोलिया    | जिला तवाई माधोपुर |
| 4- | डा. हाकिम सिंह अंबला    | गंगानगर - भूरतगढ़ |
| 5- | श्री रामचन्द्र त्यागी   | हनुमानगढ़         |
| 6- | श्री मोहम्मद हनीफ खत्री | जिला सीकर         |

109:20

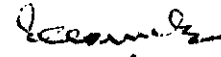
मुख्यलेखाधिकारी

आवासन अधिकारी

जन सम्पर्क अधिकारी

108वीं मीटिंग के आइटम संख्या 108.11 पर लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण पर विस्तृत रण से चर्चा की गयी । विचार निर्णय के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि आइटम संख्या 108.11 के पैरा 2 में उल्लिखित समयावधि को किराया क्रय पद्धति द्वारा भुगतान के लिये 1-4-84 से पुनः लागू कर दिया जावे । उन आवंटियों, जिनको आवंटन पत्र 1-4-82 से 31-3-84 की अवधि में संग्रोहित प्रक्रियानुसार जारी किये गये हैं, से विकल्प मांग लिया जावे कि क्या वे अपनी किराओं का इस निर्णयानुसार पुनर्निर्धारण कराना चाहेंगे । अथवा नहीं ।

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

  
॥ धान सिंह ॥  
सचिव

158

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 25.4.1984 को सम्पन्न हुई 110 वीं बैठक में लिये गये निर्णय

मण्डल की 110 वीं बैठक अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के कक्ष में दिनांक 25.4.1984 को सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

- |                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. श्री के. के. सक्तौना<br>अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं<br>सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन<br>राजस्थान सरकार | अध्यक्ष |
| 2. श्री एच. एस. माथुर<br>मुख्य नगर निर्माण एवं वास्तुविद् सलाहकार<br>राज. सरकार                               | सदस्य   |
| 3. श्री पी. के. लौरिया<br>आवासन आयुक्त,<br>राजस्थान आवासन मण्डल                                               | सदस्य   |
| 4. श्री शंकर ताल                                                                                              | सदस्य   |
| 5. श्री डा. हाथिक सिंह अंगला                                                                                  | सदस्य   |
| 6. श्री धीनारायण माथुर                                                                                        | सदस्य   |
| 7. श्री रामचन्द्र तयागी                                                                                       | सदस्य   |
| 8. श्री मोहम्मद हनीफ खत्री                                                                                    | सदस्य   |
- श्री ध्यान सिंह सचिव, एवं श्री विपिन मिश्रा जी माथुर, मुख्यलेखाधिकारी,  
राजस्थान आवासन मण्डल भी उपस्थित थे।  
बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

110.1 मण्डल की 109 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन।

मण्डल की 109 वीं बैठक के निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

110.2 मण्डल की 109 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्वयी रिपोर्ट।

मण्डल की 109 वीं बैठक की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

2.....

निरन्तर.....2

159

.....2.....

DHC(H.C.) / 110.3  
CAO

मण्डल के नवनिर्मित मुख्यालय भवन में आन्तरिक राज्जा के कार्य की स्वीकृति ।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और 5.26 लाख रुपये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही कांग्रेस हाल में राज्य सभा के लिए 1,40,800/- रुपये व्यय करने की भी स्वीकृति दी गई ।

Secy/HC 110.4

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार जयपुर में आवंटन कमेटी के गठन के सम्बन्ध में संशोधन ।

जयपुर में आवंटन कमेटी के गठन सम्बन्धी सूचना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसका सर्वसम्पत्ति से अनुमोदन किया गया ।

DHC(H.C.) / 110.5  
CAO

मानसरोवर आवासीय योजना में विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति देना ।

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श करने के पश्चात् मानसरोवर आवासीय योजना में विकास कार्यों के लिए प्रणालिक एवं वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्पत्ति से प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

CAO/

110.6

स्टेट बैंक आफ जोकानेर एण्ड जयपुर से 100.00 लाख रुपये का ऋण लेने वावत ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्पत्ति से प्रस्तावानुसार ऋण लेने की तथा सप्लेमेन्ट निष्पादित करने की स्वीकृति दी गई ।

CAO/

110.7

Utilisation of contingency Equalisation Reserve.

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की निधि संवय हो उत्तम से 50% आरक्षित

निरन्तर....



.....3.....

- के कार्य
- लाख रुपये
- कान्फ्रेंस
- ने को भी
- 10 से अन्तर्गत
- करे ही
- संयोज
- या ।
- र ति.त्तीय
- रात् मान-
- प्राप्त
- का निर्णय
- ये हा
- प्रदाना
- की स्वीकृति
- 10.12
- 10.11
- 10.10
- कार्य पर खर्च किये जा सकते हैं तथा 50% फण्ड बोर्ड द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता की कोशिशों में मूल निर्माणों 179 वीं तथा 87 वीं बैठकों में लिखे गए निर्माणों के अनुसार राशि प्रदान करने हेतु खर्च किया जावेगा ।
- जवाहर नगर में डिस्पेन्सरी के निर्माण बाधत ।
- प्रस्ताव पर विचार विमर्श के पश्चात् डिस्पेन्सरी निर्माण हेतु 1.05 लाख रुपये काश करने की स्वीकृति दी गई ।
- दक्षिणी विभागाध्यक्ष श्री गंगाधर जो काशवात हेतु भूमि आवंटन के क्रम में ।
- प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से 810 वर्गमीटर भूमि 50/-रुपये प्रति वर्ग मीटर । 50% सुरक्षित कोमत । से 40, 500/-रुपये पर आवंटन की स्वीकृति दी गई ।
- Grant of Compensatory City Allowance at Jodhpur & Ajmer City .
- जोधपुर एवं अजमेर शहरों में जनशक्ति क्षतिपूर्ति अर्थात् प्रस्तावित दरों पर देना सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया ।
- मण्डल में कार्यरत एडवाँक कर्मचारियों के सम्बन्ध में ।
- चूँकि एडवाँक कर्मचारियों की सेवा अवधि दिनांक 30.4.84 को समाप्त हो रही है। उक्त अवधि तक कर्मचारियों का नियमित धन नहीं किया जा सकता इसलिए यह निर्णय लिया गया कि एडवाँक कर्मचारियों की सेवा अवधि 30.6.84 तक अथवा धन संधि द्वारा निर्धारित धन होने तक जो जो पडले हो बढ़ा दी जावे ।
- हुडको से कृपा प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।
- प्रस्तावानुसार क्रम संख्या । से 8 तक की स्कीमों के लिए हुडको से कृपा प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

निरन्तर.....

2000-01

(161)

....4....

Secy/HO

110.13

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 23 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

एजेण्डा में प्रस्तावानुसार शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति दी गई। डिस्पोजल आफ प्रापर्टी रेगुलेशन के अन्तर्गत दस्तावेजों के निष्पादन के लिए सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल तथा अन्य विशेष मामलों में आवासन आशुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल को दस्तावेजों को निष्पादन करने की शक्ति प्रदान की गई ।

Secy/CAO

110.14

Parview of Finance & Costing Committee.

प्रस्ताव पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

All DHCs/  
HO

110.15

मण्डल द्वारा बनाई जा रही दुकानों में से 14% दुकाने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को आवंटन करने के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 14% दुकानें आरक्षण करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 5.4.84 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

H.O.

110.16

आकाशवाणी दूरदर्शन के कर्मचारियों को आवास आवंटन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार किया गया। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के केवल समाचार अनुभाग से सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों को सांसदों, विधायकों एवं पत्रकारों के साथ  $2\frac{1}{2}$  % आरक्षण में सम्मिलित कर लिया जाये ।

*Secy*

निरन्तर.....5

110.17

110.18

110.19

110.20

DHCs.

162

23 के. 110.17

Agenda note on item No.110.17 change of Security to be furnished to HUDCO towards the security of loan of Rs.71.30 lakhs sanctioned by HUDCO against Composite Housing Scheme at Phase-II, Hanumangarh Distt. Sranganagar (Scheme No.2393).

स्वीकृति दी  
विषय के  
तथा अन्य  
मण्डल को  
गई ।

प्रस्तावानुसार हुडको से ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक गारन्टी लेने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

110.18

एक राजस्थान जूडिशियल सेवा के विधि सलाहकार को प्रतिनियुक्ति पर लेने के सम्बन्ध में ।

से से  
अनुसूचित  
ने के

इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । अध्यक्ष को किसी योग्य अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिये अधिकृत किया गया । प्रस्ताव में वित्तीय भार कम बताया गया है अतः जो भी वित्तीय भार होगा, उसकी स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई। पूर्व में सहायक निदेशक सांख्यिकी की प्रतिनियुक्ति बाबत निर्णय किया गया था । अब उप निदेशक उपलब्ध है । इसलिये उप निदेशक सांख्यिकी को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने की स्वीकृति दी गई ।

ति. के लिए  
5.4.84  
अनुमोदन

110.19

नीलाभी के दौरान जमा कराई गई धरोहर राशि एवं नीलाभी की राशि पर ब्याज देने के सम्बन्ध में ।

आवृत्त के  
से निर्णय  
समाचार

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया । सर्वसम्मति से आवासन बोर्ड में जमा राशि अवधि के लिये 6 % ब्याज दिया जाना स्वीकृत किया गया ।

सांख्यिकी,  
सीमित

110.20

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।  
बोर्ड कर्मचारियों को मकान आवंटन के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श किया गया । मण्डल के सदस्यों की जानकारी में आया है कि बोर्ड कर्मचारियों ने अनाधिकृत रूप से अन्य मकानों में कब्जा कर

163

रखा है । इसलिये निर्णय लिया गया कि जिन कर्मचारियों ने आवांटी के लिये निर्मित मकानों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है वे खाली किये जायें । इसके पश्चात् इनके प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जायेगा । इन कर्मचारियों में यदि अनुरूचित जाति/अनुरूचित जनजाति के कर्मचारी हों तो 1981 तक पंजीकृत आवंटकों को नियमानुसार आवंटन कर दिया जाये ।

110.21

Secy/HO

हुडको कर्मचारियों को जलेश्वर नगर में मकान आवंटन करने हेतु ।

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवासन मण्डल तथा हुडको के बीच हुए ऋण अनुबन्धों के अन्तर्गत आवासन मण्डल हुडको कर्मचारियों को मकान आवंटन करने के लिये बचनबद्ध है अतः हुडको कर्मचारियों को मकान का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाये ।

परन्तु इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही जा सकेगी, क्योंकि मण्डल को बिना पंजीकरण के कितने को मकान आवंटित करने का अधिकार नहीं है ।

हुडको कर्मचारियों को भवन आवंटन हुडको को सिफारिश के प्राप्त होने पर किया जायेगा ।

110.22

DHO-10/HO

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि " साईट एण्ड सर्वेजिंग " स्कीम के अन्तर्गत किये जाने वाले आवंटनों पर निम्नानुसार दरें प्रभावित की जायें :-

|         |              |                  |                         |       |             |
|---------|--------------|------------------|-------------------------|-------|-------------|
| आय वर्ग | विक्रय मूल्य | पूर्व ग्रहण राशि | पेन्ल्टी                | व्याज | अवधि        |
|         | ₹ 0 में      | ₹ 0 में          | प्रति सप्ताह प्रति किशत | दर    | अदायगी वर्ष |

|                     |         |        |        |    |    |
|---------------------|---------|--------|--------|----|----|
| साईट एण्ड सर्वेजिंग | 5000.00 | 200.00 | ₹ 1.00 | 5% | 18 |
|---------------------|---------|--------|--------|----|----|

*Kamla*

....7.

साईंट एण्ड सर्विसेज स्कोर के अन्तर्गत आवंटन पर यह शर्त रहेगा कि आवंटनी कब्जा लेने के 1 वर्ष 6 माह 1 डेढ़ वर्ष 1 में पक्का गकान बना लेगा ।

साईंट एण्ड सर्विसेज के अन्तर्गत किये जाने वाले पंजीकरण के लिये पंजीकरण राशि 100.00 1 रुपया एक सौ 1 होगी ।

110.23

जूनियर सलेक्शन कमेटी की बैठक की कार्यवाही विवरण पर विचार ।

कमेटी की दिनांक 26-3-84 एवं 27-3-84 की बैठक की कार्यवाही पर विचार विमर्श किया गया तथा निम्नांकित निर्णय लिये गये । :-

111 वजत तत्र 1984-85 में जितना प्रावधान किया गया है उसे प्रावधान के अनुसार पदों का सृजन होना संभव नहीं होगा ।

वर्तमान में 20 डिप्टीजन व एक तकनीकी परीक्षा खण्ड कार्य कर रहे हैं । तथा भविष्य में 2 डिप्टीजनों व एक तकनीकी परीक्षा खण्ड के ओर कार्य करने की संभावना है । इसलिए इन 24

डिप्टीजनों के लिये विभिन्न पदों पर नियमानुसार भर्ती कर ली जाय । इसी अनुसार पदों की गणना कर ली जाये ।

112 अनुसूचित जाति/अनुसूचित तजनजाति के अभ्यर्थियों का चयन गिना एम्पलाइ-मोन्ट एक्सेन्ज के कर लिया जाय ।

113 जूनियर सलेक्शन कमेटी की शेष कार्यवाही विवरण दिनांक 26-3-84 एवं 27-3-84 का अनुमोदन एवं प्रेषित की गई ।

चयन नियमानुसार हो यह व्यवस्था की जावे ।

114 जूनियर सलेक्शन कमेटी में आवाहन आशुक्त को भी सदस्य बना लिया जाय ।

115 कमेटी क्षेत्राधिकार में संशोधित वेतन श्रृंखला 660-1300 के पदों को भी सम्मिलित कर लिया जाय ।

*Recd*

161 तलेक्सन कमेटी रिफारिश करने वाली ओथोरिटी है । निम्न अधिकारी डेलीगेशन आफ पावर के अनुसार है ।

171 बोर्ड ने जो कमेटी बनाई है और उसको जो कार्य सौंपे गये हैं उन कार्यों के लिये संबंधित कमेटी के निर्णय को मान्यता देना होगा एवं कार्यवाही विवरण बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा ।

110.24

CAO/IO

पंजीकृत आवेदकों एवं आवंटियों से पैनेल्टी वसूल करने के संबंध में निर्णय विमर्श हुआ है तथा यह निर्णय हुआ कि किसी व्यक्ति को जिस दिन रकम जमा करानी है, उस दिन यदि सार्वजनिक अवकाश है तो वह उस दिन रकम जमा करा सकता है । जिस पर कोई पैनेल्टी नहीं ली जाएगी यह नियम पिछले मासों में भी लागू होगा लेकिन निर्दिष्ट मासों में नहीं खोले जायेंगे ।

110.25

P.M.

भूमि अताप्ति के सम्बन्ध में मण्डल द्वारा विस्तृत चर्चा की गई । सदस्यों का मत था कि विशेषाधिकारी भूमि अताप्ति के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ बोर्डों के हित में नहीं हैं । इसलिए उन्हें तत्काल कहीं अन्यत्र लगाने के लिये राज्य सरकार को निर्देशित किया जाय ।

110.26

All DMs

आन्तरिक मण्डल द्वारा बनाये जाने वाले गकानों के मेटे-रियल की गुणवत्ता के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा यह महसूस किया गया कि एक गुणवत्ता नियंत्रण समिति गठित की जाय जो कि गकानों में लगाये जाने वाले मेटे-रियल की जाँच संबंधी कार्यवाही कर सके । तदनुसार समिति से गुणवत्ता नियंत्रण कमेटी का गठन किया गया । जिसमें निम्न सदस्य होंगे । :-

111 डा० हाकिम रिहंमंत

अध्यक्ष

112 श्री मोहम्मद हनीफ खत्री

सदस्य

113 श्री धर्माशरण माथुर

सदस्य

114 आन्तरिक आयुक्त, राज० आ० मं०

सदस्य

... 9.

*Recd*

110.27

LAO

110.28

110.29

110.30

110.31

110.32

110.33

है। नियुक्ति  
सौंपे गये हैं  
मान्यता देना  
बैठक में रखा  
संबंध में वि  
को जिस दि  
है तो वह उ  
नहीं ली जा  
रित गारले पु  
की गई।  
क. विकास  
त काल कही  
जा।  
रित की  
यह पहलू  
जो कि ग  
कर सक  
जिसमें

- 1-51 संबंधित क्षेत्र के उप आचारन आयुक्त सदस्य
- 16 उप आचारन आयुक्त 1 टेड सदस्य - सचिव
- 110.27 लैण्ड नेगोसिएशन कमेटी में श्री शंकर लाल बोर्ड सदस्य को इस कमेटी का सदस्य मनोनीत किये जाने का निर्णय लिया गया।  
LAO
- 110.28 बोर्ड के हिसाब का कई वर्षों का आडिट होना बाकी है। स्थानीय अकेक्षण विभाग द्वारा आडिट वर्ष 1981-82 तक ही हुआ है। हाउसिंग बोर्ड एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत महालेखाकार की आडिट पाटी से स्पेशल आडिट कराये जाने के लिये निवेदन किया जाय।
- 110.29 हाउसिंग बोर्ड एक्ट की धारा 17 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि पहली अप्रैल को समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को सूची बनाई जानी चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी सूची नहीं बनाई गई है। अब इस पर तत्काल कार्रवाई की जाये और सूची बनाई जाये।
- 110.30 बोर्ड के जिन सदस्यों के पास टेलीफोन नहीं है। उनको सरकारी भूत में से टेलीफोन व्यवस्था दिलवाये जाने हेतु विशेष रूप से सरकार को निवेदन किया जाय। वर्तमान में श्री मोहम्मद हनीफ खत्री एवं श्री रामचन्द्र त्यागी के गकानों पर टेलीफोन नहीं है जो बोर्ड के सदस्य है।
- 110.31 जो अधिकारीगण उप सभितियों में सदस्य है वे एक्स आफिशियल सदस्य माने जायेंगे।
- 110.32 प्रोजेक्ट कमेटी के क्षेत्राधिकार में किसी भी स्कीम के ले-आउट पर कार्य करना, गकानों के प्लान व डिजायनों पर कार्य करना, स्कीम की उपयुक्तता पर विचार विमर्श करना होंगे।  
1/CAO
- 110.33 हैडक्वार्टर स्थित प्रोपर्टी अलाटमेंट कमेटी विभिन्न शहरों की प्रोपर्टी अलाटमेंट कमेटी के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकती है।

Sumit

167

110.34  
Secy/DO

राज्य सरकार ने वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसदों तथा विधायकों के लिये विशिष्ट योजना मान सरोवर जयपुर लागू की थी कांटा में भी वर्तमान तथा भूतपूर्व विधायकों, सांसदों के लिये विशिष्ट योजना लागू करने के लिये भी राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु निवेदन किया जाय ।

110.35  
Secy/DO

श्री धर्मासुराज भायूर ने 18 बच्चों की सूची प्रस्तुत की है जिसका जाल अलाउमेंट कर दिया गया है उस पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इनकी जांच की जाय एवं उषा आवासन आयुक्त जोधपुर को इन अनियमितताओं को दूर करने हेतु गागला भेजा जाय ।

110.36  
C.O/PRO

राज्य सरकार के आदेशानुसार तम्बाई में एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसे आवासन बोर्ड द्वारा भाग लिया गया तथा यह प्रदर्शनी 31 मई 84 तक चलेगी, इसमें व्यय होने वाले 30,000/- रुपये की संधितमिति से स्वीकृति दी गई ।

110.37  
C.O

Amendment in rules for grant of advance for purchase of Conveyance to Board Employees.

प्रस्ताव पर विचार किया कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार 1 मोटर साईकिल/स्कूटर व मोपेड 1 वाहन खरीदने में वर्तमान सीमा रु 5,500/- को बढ़ाकर रु 6,500/- कर बोर्ड के नियमों में संशोधन कर दिया जाय ।

110.38  
C.O

Amendment in Rajasthan Housing Board food grain Advance to Employees Regulation, 1971.

प्रस्ताव पर विचार किया कर यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जो सीमा रु 950/- माहवार है उसे स्थान पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार रु 1250/- माहवार कर दी जाये ।

*Verma*

..... 11.

110.39

110.40

DOs/  
LA

15.4



168

175

-11-

110.39

श्री सुरेन्द्र सिंह परिवार ने 4600/- रुपये जमा करवाकर वर्ष 1979 में मध्यम आर्वा वर्ग "B" में जगह खरीदने में सफल हुआ था। श्री परिवार का दिनांक 26-10-80 को समाप्त हो गया। श्री परिवार के निवेदन पर शांति आवाहन समिति द्वारा 28-9-81 की बैठक में ग्राउन्ड फ्लोर 87.97 स्क्वायर मीटर का एक फ्लैट इनके लिये आरक्षित किया गया। निम्नानुसार श्री परिवार ने सीड मनी के 8, 800/- रुपये आरक्षित भूखान के पेटे में जमा कराये। इन्हें भूखान भस्म आवाहन बोला था किन्तु शांति आवाहन समिति की बैठक तक तक नहीं हुई।

उक्त मामले में बोर्ड द्वारा इस बैठक में विचार विमर्श कर लाटरी द्वारा 4/312 : एसओएफओ : नम्बर का प्लॉट श्री परिवार को आवंटित किया गया।

110.40

बैठक में बोर्ड के ध्यान में यह लाया गया कि प्रभारी अधिकारी : Officer Incharge : या विधिद्वारा : Lawyer : के साथ पर निश्चित नहीं होने पर बोर्ड के कई मामलों में कोर्ट में ठीक प्रकार से पैरवी नहीं होगी। उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श कर बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में ऐसे मामलों में संबंधित आवस्यत अभिलेखा प्रभारी अधिकारी होंगे तथा संबंधित उप आवस्यत आयुक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर कोर्ट में पैरवी करने के लिए विधिद्वारा नियुक्त कर लेंगे।

110.41

बोर्ड के दिव में अद्यतनी रेफरेंस करने के लिये अध्यक्ष, आवस्यत आयुक्त, सचिव, मुखलेखाधिकारी इस क्रम में से जो भी उपलब्ध हो तक्ष्य जाना जायेगा।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

स्थान सिंह :  
सचिव

154

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 19-6-84 को  
सम्पन्न हुई ।।। वीं बैठक में लिये गये निर्णय ।

मण्डल की ।।। वीं बैठक अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के कक्ष में दिनांक  
19-6-84 को सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

- |    |                                                                                                             |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1- | श्री के० के० सक्सेना,<br>अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं<br>सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन<br>राजस्थान सरकार | अध्यक्ष |
| 2- | श्री एच० एस० माथुर<br>मुख्य नगर नियोजक एवं<br>वास्तुविद् सलाहकार, राज० जयपुर                                | सदस्य   |
| 3- | श्री पी० के० लौरिया<br>आवासन आयुक्त                                                                         | सदस्य   |
| 4- | श्री शंकर लाल                                                                                               | सदस्य   |
| 5- | डा० श्री हाकिम सिंह अंबला                                                                                   | सदस्य   |
| 6- | श्री धर्मनारायण माथुर                                                                                       | सदस्य   |
| 7- | श्री रामचन्द्र त्यागी                                                                                       | सदस्य   |
| 8- | श्री मो० हनीफ खत्री                                                                                         | सदस्य   |

श्री ध्यान सिंह, सचिव एवं श्री विपिन विहारी माथुर, मुख्यलेखा अधिकारी, राजस्थान  
आवासन मण्डल भी उपस्थित थे ।

।।।। मण्डल की ।।० वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

मण्डल की ।।० वीं बैठक के निर्णयों का अवलोकन कर निम्नांकित संशोधनों  
का निर्णय लिया गया :-

*Leemte*

(155)

पृष्ठ संख्या " एक " का पृष्ठ

॥ 2 ॥

बिन्दु 110.23171

Secretary

यह निर्णय लिया गया कि बिन्दु संख्या 110.23171 के स्थान पर बिन्दु संख्या 110.23172 कर दिया जाय, बिन्दु संख्या 7 को हटा दिया जाय।

Secretary

बिन्दु संख्या 110.23161 में "संवेक्षण कमेटी" सिफारिश करने का आधारित है" - में शब्द " सिफारिश " के स्थान पर "चयन" प्रत्यारोपित कर दिया जाय।

111.2

मण्डल की 110 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्वित रिपोर्ट।

मण्डल की 110 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्वित रिपोर्ट को अवलोकन कर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

Secy/Dy. H.O.  
JC-I

110.20 गौडी कर्मचारियों को मकान आवंटन के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि जिन कर्मचारियों ने आवेदकों के लिए निर्मित मकानों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है उन्हें 15 दिन के अन्दर अन्दर खाली करने का नोटिस दिया जाय और पाठना रिपोर्ट से अवगत कराया जाय।

Secy.

110.21 हुडको कर्मचारियों को जवाहर नगर में मकान आवंटन के हेतु।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि हुडको कर्मचारियों को मकान आवंटन करने के लिए राज्य सरकार को मार्ग दर्शन हेतु निवेदन किया जाय।

*Secy.*

.....3.

पृष्ठ संख्या " दो " का शेष

1 3 1

P.M.

110.29 समस्त बोर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची ।

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची 15 दिन के अन्दर अन्दर बना ली जाय ।

Secy.

110.30 बोर्ड सदस्यों के लिए टेलीफोन व्यवस्था ।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि बोर्ड के जिन सदस्यों ने टेलीफोन के लिए रकम जमा करा दी है उसकी जानकारी प्राप्त करके टेलीफोन विभाग को निवेदन किया जाय ।

110.35 डबल अलाटमेंट के 18 मामलों की जाँच ।

Dy.HO Jodhpur

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि 18 मकानों के डबल - अलाटमेंट के सम्बन्ध में जाँच नहीं की गई है अतः उसकी जाँच उप आवासन आयुक्त जोधपुर तुरंत से तत्काल कराया जाय । यह जाँच 1 माह के अन्दर अन्दर करा ली जाय ।

111.3

जोधपुर के अतिरिक्त अन्य जिलों की आवंटन समितियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में आशिक संगोधन ।

सरकार द्वारा अन्य जिलों की आवंटन समितियों के सम्बन्ध में जो आशिक संगोधन किये गये हैं उनकी जानकारी मण्डल को दी गई ।

111.4

हुडको द्वारा स्वीकृत स्कीम्स की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

Dy.HO(HQ)

हुडको द्वारा स्वीकृत कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम फेज -2 सूरतगढ़ एवं कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम फेज-1 भिवाड़ी की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृतियाँ मण्डल द्वारा दी गई ।

पृष्ठ संख्या " तीन " का शेष

4

111.5

हुडको से 11 आवासीय योजनाओं हेतु ऋण लेने बाबत ।

Dy.HC(HQ)

हुडको द्वारा स्वीकृत 11 आवासीय योजनाओं की जानकारी मण्डल को दी गई तथा सर्वसम्मति से मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1- योजना नं० 4224 मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना मानसरोवर सेक्टर, 2 फेज-6, जयपुर ।
- 2- योजना नं० 3225 मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना आदर्श नगर विस्तार फेज-7, कोटा ।
- 3- योजना नं० 3226 मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना महावीर नगर विस्तार फेज-6, कोटा ।
- 4- योजना नं० 3227 मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना मानसरोवर सेक्टर-3 फेज-2, जयपुर ।
- 5- योजना नं० 3228 मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना मानसरोवर सेक्टर -4 फेज -8 जयपुर ।
- 6- योजना नं० 3229 मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना मानसरोवर सेक्टर -4, फेज-7, जयपुर ।
- 7- 3230 मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना, मानसरोवर सेक्टर-3 फेज-8, जयपुर ।
- 8- योजना नं० 3231 मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना मानसरोवर सेक्टर -3 फेज-7, जयपुर ।
- 9- योजना नं० 3232 मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना मानसरोवर सेक्टर -4 फेज-3, जयपुर ।
- 10- योजना 3233 मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना मानसरोवर सेक्टर -4 फेज-9, जयपुर ।
- 11- योजना नं० 3038 कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम आदर्श नगर, फेज-1, ब्यावर ।

*Sumit*

.....5.

पृष्ठ संख्या " चार " का पेश

॥ 5 ॥

111.6 उच्च आय वर्ग आवासीय योजना मानसरोवर सेक्टर-2 फेज-4 जयपुर स्कीम नं० 3268 सी॥ के लिए हुडको से ऋण ।

Dy.HC (HQ)

इस आवासीय योजना के लिए हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण की जानकारी मण्डल को दी गई व विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई ।

111.7 मिश्रित आवासीय योजना सवाई माधोपुर फेज -1 के लिए हुडको से ऋण । योजना नं० 3244 -सी॥

Dy.HC (HQ)

उक्त आवासीय योजना के लिए हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण की जानकारी मण्डल को दी गई, विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई ।

111.8 घोषासनी विस्तार रोड योजना जोधपुर की मध्यम आय वर्ग आवासीय स्कीम नं० 3257-सी के लिए हुडको से ऋण

Dy. HC(HQ)

उक्त योजना हेतु हुडको से स्वीकृत ऋण की जानकारी मण्डल को दी गई व मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से योजना की स्वीकृति प्रदान की ।

111.9 उच्च आय वर्ग आवासीय योजना मानसरोवर सेक्टर-2 फेज-5 जयपुर की योजना नं० 3264 के लिए हुडको से ऋण ।

Dy.H.C.(HQ)

प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया

*Recd*

सूचक संख्या " पाठ्य का प्रश्न

॥ 6 ॥

111.10 मण्डल के वर्कवार्ज कर्मचारियों को संगोदित वेतनमान देने बाबत  
मण्डल के वर्कवार्ज कर्मचारियों को भी नये वेतनमान दिये जाने के  
में जो निर्णय सरकूलेशन से स्वीकृत किया गया, उसका अनुमोदन  
किया गया ।

111.11 वित्त एवं मूल्य निर्धारण समिति के निर्णयों का अनुमोदन ।  
वित्त एवं मूल्य निर्धारण समिति को दिनांक 17-4-84 एवं 19-  
को बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी मण्डल को दो गई  
विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि - समिति के निर्णय बिन्दु  
के अन्तर्गत 3 सदस्यों को समिति राजस्थान के सभी क्षेत्रों के लिए  
किन्तु सभी स्थानों पर समिति के सदस्य नहीं पहुँच सकें इसलिए  
निर्णय लिया गया कि समिति जहाँ भ्रमणायत हो वहाँ जाँच करने जाए

111.12 सामान्य पंजीकरण योजना 1984  
निम्नांकित शहरों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय  
व मध्यम आयवर्ग हेतु सामान्य पंजीकरण योजना खोलने के संबंध में  
मण्डल को पूर्व में हुए पंजीकरण के विवरण एवं उपलब्ध भूमि की जा  
से अवगत कराया गया । विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय  
लिया गया कि पंजीकरण पुस्तिका का पुनरीक्षण कर आवश्यक संशोधन  
कर लिया जाय और पंजीकरण हेतु विज्ञापन 15 जुलाई तक जारी कर  
दिया जाय ।

झुन्झुनू, सीकर, बाँरा, बीकानेर, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़,  
धौलपुर, सूरसगढ़, गुलामपुरा, रायला, बालोतरा, किशनगढ़, पाली,  
शालावाड़ा, रागमण्डो, बून्दी तथा जोधपुर ।

कै.सू.कै.

.... 7.

पृष्ठ संख्या " आठ " का शेष

११

रहे हैं, और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर अवगत करावेंगे। अतः निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही इस वाक्य जानकारी प्राप्त कर मण्डल की आगामी बैठक में रखा जाय।

111.19

राज्य सरकार/समाज कल्याण विभाग द्वारा आवासन मण्डल के कमजोर वर्ग के लिये बनाये जाने वाले मकानों हेतु सबसिडी देने जाने बाबत।

Secy.

ऐसा जानकारी में आया है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा 750/- रुपये सबसिडी दी जाती है। उसी प्रकार मोई द्वारा आवंटित किये जाने वाले मकानों के आवंटियों को भी राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए जिससे कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग व अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। इस पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार व समाज कल्याण विभाग से निर्दिष्ट किया जाय कि वे आवासन मण्डल द्वारा आवंटित मकानों की कीमत पर सबसिडी देने का प्रावधान रखें।

111.20

उप आवासन आयुक्त मुख्यालय के पद को क्रमोन्नत कर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के समकक्ष किये जाने बाबत।

PM

मण्डल की दिनांक 31-12-83 की हुई बैठक के विन्तु संख्या 104.7 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि उप आवासन आयुक्त मुख्यालय के पद को क्रमोन्नत कर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के समकक्ष किया जावे जिससे कि वे अन्य उप आवासन आयुक्तों/सर्किलों के कार्य कलाशों को आवश्यक देखरेख व मार्ग दर्शन कर सकें। इस संबंध में अब तक कोई

2000/2



पृष्ठ संख्या " नौ " का शेष

10

निर्णय नहीं लिया गया। बोर्ड ने इस बाबत विचार विमर्श किया। अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा स्वागत प्राप्त संगठनों में अभियान्ताओं की पदोन्नति पर रोक लगा रखी है। जब यह रोक हटायी जायेगी तब इस पर विचार किया जायेगा। अतः यह निर्णय लिया गया कि पदोन्नति से रोक हट जाये तब यह मामला विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया जाय।

111.21

श्री अब्दुल गनीम द्वारा बैंकाक में हो रहे सेमिनार में भाग लेने हेतु किये जाने वाले व्यय की स्वीकृति।

GAO

श्री अब्दुल गनीम उष आवासन आयुक्त बैंकाक 10 दिन के सेमिनार में शामिल होने गये हैं, उनके द्वारा इस सेमिनार से संबंधित किये जाने वाले खर्चों के लिए मण्डल ने स्वीकृति दी।

111.22

आवासीय अभियान्ताओं के मुख्यालयों का पुनर्दृष्टि

HC

मण्डल के सदस्य श्री शंकर लाल द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि जिन शहरों में आवासीय योजनाएं चल रही हैं वहां पर आवासीय अभियान्ताओं के मुख्यालय तय किये जाने की आवश्यकता है। इस पर विचार विमर्श कर तय किया गया कि आवासन आयुक्त इस मामले में पुनर्दृष्टि करके सुझाव प्रस्तुत करें कि किन किन स्थानों पर आवासीय अभियान्ताओं के मुख्यालय नियमित किये जा सकते हैं।

111.23

Secy.

मण्डल द्वारा गठित विभिन्न समितियों में कुछ और सदस्यों को शामिल किये जाने बाबत।

आवासन मण्डल द्वारा पूर्ण में कई समितियों का गठन किया गया था,

*Secy.*

.....11.

25

## राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

मण्डल की दिनांक 16-8-84 को सम्पन्न हुई 112वीं बैठक के निर्णय

मण्डल की 112वीं बैठक दिनांक 16-8-84 को राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्ष के कक्ष में अपरान्ह 2.30 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

- |                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. श्री के० के० त्रिवेदी                                                           | अध्यक्ष |
| अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं<br>सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन<br>राजस्थान सरकार |         |
| 2. श्री नरेश चन्द्र त्रिवेदी                                                       | सदस्य   |
| वित्त सचिव, राज० सरकार                                                             |         |
| 3. श्री पी० के० लौरिया                                                             | सदस्य   |
| आवासन आयुक्त                                                                       |         |
| 4. श्री शंकर लाल                                                                   | सदस्य   |
| 5. श्री स्व० एस० माथुर                                                             | सदस्य   |
| मुख्य नगर नियोजक                                                                   |         |
| 6. डा० हाकिम रिह अंसारी                                                            | सदस्य   |
| 7. श्री धर्म नारायण माथुर                                                          | सदस्य   |
| 8. श्री रामचन्द्र त्यागी                                                           | सदस्य   |

श्री धान सिंह सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल एवं श्री वी० बी० माथुर जून-  
लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल भी उपस्थित थे।

112.1 मण्डल के संस्थापक अध्यक्ष स्व० श्री द्वारकादास पुरोहित के  
असामयिक निधन पर शोक प्रस्ताव।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व मण्डल के संस्थापक अध्यक्ष  
स्व० श्री पुरोहित के निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया।

हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित-----2.

*Leena*

(251)

रखा गया व ----।

:-: 2 :-:

वार्डिक श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक प्रस्ताव पारित किया गया।

112.2

मण्डल की 111वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन।

मण्डल की 111वाँ बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन कर अनुमोदन किया गया।

112.3

मण्डल की 111वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्वयन।

मण्डल के समक्ष प्रस्तुत 111वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्वयन विधि का निम्नांकित संशोधनों/संशोधनों के साथ अनुमोदन किया गया :-

1- माननीय सदस्य श्री प्रफ़ेसर राजू द्वारा आडिट की प्रोसेस परीक्षा के बारे में जानकारी चाही जाने पर जानकारी दी गई कि बॉकल आडिट फंड विभाग द्वारा छण्ड - ग्रुप, द्वितीय व तृतीय ज़रूर सफ़िल का आडिट किया जा रहा है तथा महालेखाकार की भी आडिट करने के लिए किया जा चुका है। सदस्यों ने यह भी व्यक्त किया कि आडिट का कार्य दिवसों के लिए पूरा करवाया गया तथा जोटा सफ़िल के अंश में विशेष ध्यान दिया जाय।

C. A. O.

P. M.

2- राजस्थान जे.पी.ए. अधिनियम 1970 की धारा 17 के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची तैयार करने पर जानकारी चाही गई। इस सम्बन्ध में मण्डल को अवगत कराया गया कि सूचियाँ तैयार कराई जा रही हैं प्रगति से अवगत कराया जायगा। यह भी निश्चय किया गया कि कर्मचारियों की पदवार संख्या का विवरण सभी सदस्यों को एक सप्ताह में भिजवाया जाय।

3- मण्डल के सदस्यों द्वारा इस बात पर ध्यान प्रकट किया गया कि गिन कर्मचारियों ने मण्डल के सकारों पर ध्यान केंद्रित कर रखा है उन्हें अभी तक बाकी नहीं किया गया। ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अतुल्य माननात्मक कार्यवाही के अलावा कानूनी कार्यवाही भी की जाय।

Secy/Ho

No. 4-

मण्डल के सदस्यों द्वारा जानकारी चाही गई कि सी० डी० धारा 3 में किताब वैलेन्स -----3.

Secy/Ho

252

कि सी० ई० आर० ----2

::-:: 3:-:-:

में कितना वैरोन्स है, जानकारी दी जाय । इस सम्बन्ध में मुख्यसेवाधिकारी ने अवगत कराया कि यह वैरोन्स अभी निकलवाया जा रहा है, जो अण्डल की अगली पैक में प्रस्तुत किया जायेगा ।

5- जिन लोगों को वर्ष 1979 में भूकानों का आवंटन किया गया था उन्हें अभी तक कच्चा नहीं दिया गया, क्योंकि भूकान अपूर्ण है ।  
C.A.O. भूकान जितने दिन पड़े रहते है उसका ब्याज लगाकर भूकान की कीमत बढ़ायी जाती है । यह भी बताया गया कि एक डो डो भूकान एक डो राय में आवंटित किये जाते है किन्तु उनको डो में काफी फर्क रहता है और कीमत अलग अलग बतायी जाती है जिसको साँचा जाना चाहिए । साथ ही आवंटित भूकान में के कच्चे पुरे दे दिये जाये । आवश्यक आधुनिक उस मायने में कार्यवाही करायेगी ।

ATP मुख्य नगर निधीक सदस्य ने अवगत कराया कि जो स्कीम हुन्नी को भेजी जाय उसे अण्डल की प्रोपेक्ट कंपेटी में अनुमोदित करा दिया जाना चाहिए ।

7- श्री शंकर साहू सदस्य ने बताया कि अण्डल की कनिष्ठ चयन तालिका ने यह निर्णय लिया था कि चूँकि राजस्व आगमन अण्डल में काफी मुकदमों स्थापनाओं में चल रहे हैं, और चूँकि 2 विधि सभासदों के समक्ष पर 2 विधि सहायक । एक जोधपुर तथा एक कोटा । नियुक्त कर दिये जाय जो मुकदमों की पैरवी कर सके । इस विषय में बड़े विधि अधिकारी मेंडिंग केसज को पूरी जाँकर रिपोर्ट करेंगे, ताकि अगली कार्यवाही तय हो सके ।

112.4 मण्डल के कर्मचारियों को मँहगाई भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में चर्चा की गई । मण्डल के सदस्यों ने राज्य सरकार से स्वािकृत बढ़ा हुआ मँहगाई भत्ता नकद दिये जाने के लिये अपनी राय व्यक्त की किन्तु मण्डल के सदस्य माननीय वित्त सचिव ने सुझाव दिया कि जिस हद तक राजकीय आदेश के विपरीत नकद भुगतान का प्रस्ताव है

Rembr

वह मामला ब्यारों-----

(253)

का प्रस्ताव है -----3.

::-:: 4 ::-::

का मतलब दूसरों को अधिक अन्तराष्ट्रीय में देना होता है। अतः राजकीय निर्देशों के अन्तर्गत अन्तराष्ट्रीय की तो समझी ही गई, परन्तु राजकीय आदेशों के विपरीत जहाँ नकद धुआँपान करना है, वह सामान्य दूसरों को देना आये।

112.5 राजस्थान आवासन मण्डल की वारं वारं योजना किराया अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 1970 में संशोधित।

112.6 राजस्थान में पंजीकृत निवार विधियों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया कि राजका विनिर्दिष्ट परमाणु विनिर्दिष्ट की जाये।

112.6 कर्मचारी संघों की वारं वारं के सम्बन्ध में।

राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी संघ एवं अखिल राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ उनको आवासन के संघ में मानवीय रूप से उनको अन्तर्गत विनिर्दिष्ट की प्रति मण्डल के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, जिस पर निवार विधियों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गये :-

1- पंजीकृत निवार विधियों की परिच्छेदों के आधार पर जवाहर नगर मानवीय नगर कापुर और अन्य शहरों में जहाँ के विनिर्दिष्ट कर्मचारी पंजीकृत हैं - उन्हें एक अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत किया जाये।

H/O

अतः सम्बन्ध में सभी अन्तर्गत के प्रस्ताव पारित किया गया कि अन्तर्गत में राज्य सरकार से विनिर्दिष्ट किया गया।

2- विनिर्दिष्ट मण्डलों पर अन्तर्गत विनिर्दिष्ट की जाये तथा यह एक पदोन्नति नहीं होती है नई विनिर्दिष्ट रोक दी जाये।

P.M.

निवार विधियों पर प्रस्ताव पारित किया गया कि कर्मचारी विनिर्दिष्ट के अन्तर्गत पदोन्नति के योग्य पदों को नहीं

*Leung*

नियुक्तियों से पूर्व -----3.

(254)

112-B.m.  
16.8.84

लोगों को नई -----4.

::-:: 5 ::-::

नियुक्तियों से पूर्व पदोन्नति दी जाय ।

- 3- प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों को पिनका सेवा काल 2 वर्ष से हो चुका है, उन्हें स्थायीकरण आदेश पुरान्त प्रसारित किये जाय ।

P.M

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि 31-3-81 तक जिले के पद सृजित हैं उनमें से रिक्त पदों को छोड़ कर शेष पदों को स्थायी घोषित कर दिया जाय और कर्मचारियों को जिन्हें 2 वर्ष हो चुके हैं उनका परीक्षा कर नियमानुसार स्थायीकरण के आदेश जारी कर दिये जाय ।

P.M

- 4- सेवा और पदोन्नति नियम 1976 को संशोधित/नये पदों का सृजन और पदोन्नति के लिये नियमों में संशोधन किया जाये ।

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संगोष्ठियों का परीक्षण करके प्रस्ताव मण्डल को अगली बैठक में रखा जाये ।

C.A.O.

- 5- जोई कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता 20 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाये ।

मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में यह पाया गया कि आवासन मण्डल के कर्मचारियों को 12 1/2 % प्रतिशत । मकान किराया भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में जोई के सदस्यों को सहमति है, किन्तु जोई के माननीय सदस्य चित्त सचिव राजस्थान के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया कि ब्लूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज से निर्णय करवाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाय ।

C.A.O.

- 6- एक्सप्रेसिया को बोनस के रूप में परिवर्तित किया जाये और अधिकतम राशि 750/- रुपये बढ़ाकर 1600/- रु0 किया जाये ।

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इस मामले में काबूनी राय ली जाकर बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय ।

leemk

तथ्य और दैनिक -----6.

255

प्रस्तुत किया जाय -----5.

::-:: 6 ::-::

7. तदर्थ और दैनिक भोगी कर्मचारियों को तुरन्त नियमित किये जाने व समस्त सुविधा दिये जाने वाचत ।

P.M.

विचार विमर्श किया गया । ऐसे कर्मचारियों को विमानानुसार सुविधाएं दी जा रही है और ऐसे कर्मचारियों के नियमित करने पर आवश्यक प्रावधान होने पर उन पर आवश्यक कार्यवाही होती है।

- 8- बोर्ड कर्मचारियों को मकान किराये पर वरिष्ठता के आधार पर दिये जाये और बोर्ड मकान में रह रहे कर्मचारियों को नाजायज ढंग से तंग कर मकान खाली नहीं कराया जावे ।

Secy

बोर्ड कर्मचारियों को किराये पर मकान दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि 30 मकान जयपुर कृत में, 10 मकान जोड़ा कृत तथा 10 मकान जोधपुर कृत में किराये पर दिये जाने हेतु रखे जाये व इसका प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न लोगों ने अभी तक मकान खाली नहीं किये उनके तत्काल खाली करवाये जाये व रेन्टल हाउसिंग स्कीम के सम्बन्ध में योजना प्रस्तुत की जाय ।

- 9- परियोजना अभियन्ता कनिष्ठ/वरिष्ठ और अन्य पदों पर प्रतिनिधुक्ति व्यवस्था बन्द की जाये।

P.M.

विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि प्रतिनिधुक्ति पर आये अधिकारियों को सूची मण्डल के सदस्यों को दी जाय ।

- 10- कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना ।

C.R.O.

इस प्रस्ताव पर आय सहायिता व्यक्ति को गई व निर्णय लिया गया कि इस स्कीम का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय ताकि निर्णय लिया जा सके ।

- 11- हनुमानगढ़ में अन्य जिलों के शहरों की भाँति मकान किराया भत्ता

C.R.O.

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूँकि यह मामला वित्त

Secy

संबंधी है, अतः-----7.

5.

अहमदाबाद जिला ---6.

:-: 7 :-:

केतु किये

---

पुनः अनुसार  
धर्मित पदों  
ही होती है।

आधार  
में से  
ले।

समान

) अमान

द्विज जाने

मिलान यह

मान खाली

हाउसिंग

पा

विश्व-श्रुति  
ही प्राप्त।

विश्व  
कि निर्णय

कराया भत्ता

पता पित्त

C.A.O.

Secy

112.7

By Nic  
KLC  
2 A6

112.8

H.O.

112.9

A.T.P.

संबंधी है, अतः इसे भी ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्र्राइज के  
समक्ष रखे जाने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जाय।

12- मोटी कार्यालयों का आवागमन व दैनिक भत्ता बढ़ाया जाय।

इस सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि मुख्याधिकारी निस्तृत  
प्रस्ताव बनाकर अपनी बैठक में रखें।

13- स्थानान्तरण नीति का निर्धारण।

इस नारे में सक्षम स्तर पर कार्यवाही होगी।

अन्य सभी मामलों में आवश्यक प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किये जाने  
पावित निर्णय किया गया।

गणेश तानाज दादाभाऊ निस्तृत योजना : कोटा में सीवर मार्ग  
डाकरी की प्रस्तावनीय व विस्तृत स्वीकृति प्रदान करने हेतु।

विचार विमर्श कर प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कोटा शहर में उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत वल्लभाड़ी योजना में  
सांरदों/विधायकों के आरक्षण आवंटनार्थ।

विचार विमर्श कर यह निर्णय किया गया कि यदि यह विषयों के  
अन्तर्गत है तो तदनुसार कार्यवाही की जाय अन्यथा राज्य सरकार  
को मामला निर्णय हेतु अग्रहित कर दिया जाय।

मानसरोवर सेक्टर-2 फेज-2 योजना नं० 33051 हेतु लडको से अण।

प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया व साथ ही सदन  
मुख्य नगर नियोजक के सुझाव के अनुसार निर्णय किया गया कि वि  
मामले आयन्दा प्रोजेक्ट कोटों के समक्ष रखे जाय।

7.

Secy

मानसरोवर सेक्टर -2 ---8.



251

प्रस्तुत किये जाय -7.

:-: 8 :-:

112.10 मानसरोवर लेक्टर-2, फेज-2 मिश्रित आवासीय योजना नं० 3308 के लिए हड्डको से ऋण ।

ATP

विचार विमर्श कर प्रस्ताव कार्यवाही से पारित किया गया तथा मुख्य नगर निगम के चुनाव के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों पहले मण्डल की प्रोजेक्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जाय ।

112.11 मानसरोवर लेक्टर-2, फेज-3, मिश्रित आवासीय योजना नं० 3306 हेतु हड्डको से ऋण ।

ATP

विचार विमर्श कर प्रस्ताव कार्यवाही से पारित किया गया तथा मुख्य नगर निगम के चुनाव के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों पहले मण्डल की प्रोजेक्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जाय ।

112.12 चोपासनी रोड अन्ध आब वर्ग आवासीय योजना नं० 3319 फेज- 2 वेस्ट एक्स्टेंशन के लिए हड्डको से ऋण ।

ATP

उक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि हड्डको को स्कीम भेजने से पूर्व प्रोजेक्ट कमेटी के समक्ष रखा जाय ।

अन्ध निम्न अध्याय मंडल की अनुमति से

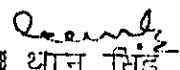
112.13 पिंक सोसाइटी के मामले में चूंकि मामला अदालत में है व इस विषय में राज्य स्तर पर भी विचार हुआ है, अतः इसमें महाधिवक्ता की राय लेने की आवश्यकता नहीं है ।

L A O

जहाँ अनाथा बैठक में रहे अन्य प्रस्तावों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था की कि उन्हें मण्डल की आवासीय बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

सद्व्यवस्था अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

/संलगनी/

  
। धनु सिंह ।  
सचिव

165

गृह संख्या " तेरह " का प्रेष

६ १४ ६

मध्यम आय वर्ग -ब

5000/-

उच्च आय वर्ग

12500/-

111.32

लीज की राशि पर ब्याज ।

CAO/HO

प्रस्तावानुसार निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा आवंटित गकारों की लीज की राशि आवंटियों द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित गण्ड व जुलाई में जमा न कराये जाने पर 18 % प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जावे । यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी अब तक की कुल बकाया राशि संबंधित आवंटियों द्वारा 30-6-84 तक जमा न कराये जाने पर 1-7-84 से कुल बकाया राशि पर उक्त दर से ब्याज लिया जावे ।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

*Thakur*

। धान सिंह ।  
सचिव

संगतानी /

111.29

आवंटियों द्वारा 6 मासिक किश्तों के बराबर अथवा इससे अधिक रकम एक मुश्त जमा कराने पर मासिक किश्तों के पुनर्निर्धारण के संबंध में ।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

111.30

जवाहर नगर नाले को नियंत्रित करवाने बाबत ।

HC/ CAO.

30-4-84 को मुख्य सचिव के कक्ष में जवाहर नगर नाले के कटाव तथा उससे होने वाली सड़क आदि की क्षति के संबंध में चर्चा की गई थी तथा यह निर्णय किया गया था कि इस नाले को नियंत्रित करने के लिए जो खर्च होगा उसमें से 5 लाख रुपये आवाहन गण्डत द्वारा वहन करना पड़ेगा इस बिन्दु पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि चूंकि यह मामला सार्वजनिक हित का है, जवाहर नगर आवासीय योजना को आने वाली सड़क पर बना हुआ पुल है वह क्षतिग्रस्त हो सकता है इसकी रोकथाम जरूरी है । अतः सर्वसम्मति से इस व्यय को वहन करने की अनुमति दी गई ।

111.31

सामान्य पंजीकरण राशि में वृद्धि बाबत ।

CAO/HO

इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से भविष्य में निम्न प्रकार से पंजीकरण राशि लिये जाने का निर्णय लिया गया :-

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 1000/- |
| अल्प आय वर्ग                   | 2000/- |
| मध्यम आय वर्ग - अ              | 3000/- |

*Scanned*

.... 14.

163

पृष्ठ संख्या " ग्यारह "

12

इससे अधिक मकानों की आवासीय योजना है वहाँ वे एक " स्वतंत्र काउन्टर " खोलें ।

111.26 1979 में आवंटित मकानों के कब्जे में विलम्ब ।

All Dy.HC's सदस्यों द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्ष 1979 में जिन मकानों का अलाटमेंट किया गया उनको अभी तक कब्जे नहीं दिये गये । वजह भी बतायी जाय तथा दिसम्बर 84 तक मकानों का कब्जा दिया जाय ।

111.27 वरिष्ठता सूचियों का कार्य पूरी करने कावत ।

LO/Dy.HC's 1- विभिन्न वर्षों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया उनकी वरिष्ठता सूचियाँ अभी नहीं बनायी गई जो शीघ्र बना कर पेश की जाय ।  
2- जिन मकानों में कम्पिया है उन मकानों को अब अविलम्ब करके कब्जे दिये जाय ।

111.28 पाली की आवासीय योजना के नामकरण समारोह पर जिये जाने वाले व्यय की स्वीकृति ।

GAO दिनांक 24-6-84 को पाली में माननीय मुख्यमंत्री का दौरा आयोजित हुआ है । इस अवसर पर पाली की आवासीय योजना का नामकरण किया जाना है । श्री शंकर लाल सदस्य द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इस योजना का नाम "कपला नहर नगर " रखा जाय तथा इस समारोह पर जो व्यय किया जायेगा उसका भी मण्डल ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

Samy

..... 13.

पृष्ठ संख्या " दस " का शेष

॥ ११ ॥

उनमें कुछ सदस्यों को ओर शामिल किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया व सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इनमें निम्नलिखित सदस्यों को ओर शामिल किया जाय :-

- 1- वरिष्ठ वयन समिति में श्री शंकर लाल, सदस्य
- 2- वर्कस कोठी में श्री मोहम्मद हनीफ खत्री, सदस्य
- 3- वित्त एवं मूल्य निर्धारण समिति में श्री रामचन्द्र त्यागी, सदस्य
- 4- प्रोजेक्ट कोठी में श्री धर्मनारायण माथुर, सदस्य एवं श्री शंकर लाल, सदस्य
- 5- संपत्ति आवंटन समिति : अपोलोस में श्री मोहम्मद हनीफ खत्री, सदस्य
- 6- कनिष्ठ वयन समिति में जगो हाकिम सिंह अंबला, सदस्य

111.24

मकानों के निर्माण में स्वरूपता लाने बाबत ।

Dy.HO(HQ)

माननीय सदस्यों द्वारा अवगत कराया कि ऐसा जानकारी में आया है कि एक ही स्थान पर एक ही आवासीय योजना में अथवा अलग अलग आवासीय योजनाओं में एक ही वर्ग के मकान अलग अलग भाग के बनाये जाते हैं, जिससे आवेदकों में विभिन्न प्रकार के विचार पैदा होते हैं । यह प्रसारित किया जाना चाहिए कि श्रेणीबद्ध मकान एक ही तारीख में बनाये जाय ।

111.25

आवांठियों को सुविधा हेतु जिले को विभिन्न आवासीय योजनाओं में "लोड-बैंकों" द्वारा एक्स्टेंशन काउन्टर स्थापित करने बाबत ।

CAC

श्री धर्मनारायण माथुर सदस्य ने अवगत कराया कि मण्डल के आवेदकों को रकम जमा कराने में काफी कठिनाई होती है । इसलिए जिलों को सार्वजनिक लोड बैंकों को यह निवेदन किया जाय कि जहाँ पर 500 या

*leank*

राजस्थान आवासन मण्डल: जयपुर

मण्डल की दिनांक 15-10-84 को सम्पन्न हुई 113 वीं बैठक के निर्णय :

मण्डल की 113 वीं बैठक दिनांक 15-10-84 को राजस्थान आवासन मण्डल के सभा-कक्ष में अपराह्न 3.00 बजे सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे

- |    |                                                                                                                     |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1- | श्री के० के० सक्सेना<br>अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं<br>सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन<br>विभाग, राजस्थान सरकार । | अध्यक्ष |
| 2- | श्री शंकर लाल                                                                                                       | सदस्य   |
| 3- | डॉ हाकिम सिंह अचला                                                                                                  | सदस्य   |
| 4- | श्री धर्मानारायण माथुर                                                                                              | सदस्य   |
| 5- | श्री रामचन्द्र त्यागी                                                                                               | सदस्य   |
| 6- | श्री मोहम्मद हनीफ खत्री                                                                                             | सदस्य   |
| 7- | श्री पी० के० तौरिया<br>आवासन आयुक्त                                                                                 | सदस्य   |
| 8- | श्री एच० एस० माथुर<br>मुख्य नगर नियोजक                                                                              | सदस्य   |

श्री विपिन बिहारी माथुर, मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल भी उपस्थित थे ।

श्री धान सिंह, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, विधान सभा प्रश्नों से संबंधित कार्यवश विधान सभा जाने के कारण उपस्थित नहीं हो सके ।

विभिन्न विचार बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

113.1 मण्डल की 112 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन :

अगली बैठक में प्रस्तुत किया जावे ।

113.2 मण्डल की 112वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट

क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि विगत एक वर्ष के अन्तर्गत लिये गये सभी निर्णयों की अनुपालना दिग्दर्शित करते हुए यह क्रियान्विति रिपोर्ट भी अगली बैठक में प्रस्तुत की जावे।

113.3 जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी प्रकोष्ठ की क्रियान्विति नियमित खण्ड के रूप में परिचालित कर उरुं आवश्यक पदों का चुनन एवं उन पर नियुक्ति करने हेतु प्रस्ताव।

इस बिन्दु पर विचार स्थगित किया गया।

113.4 हुडको द्वारा स्वीकृत रकम की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु।

प्रस्तावानुसार हुडको द्वारा स्वीकृत कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम केज - 1 ब्याचर 1 स्कीम नं० 3038 1 के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

113.5 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अपील विनियम 1976 के साथ लगाये जाने वाले शिड्यूल का अनुमोदन

राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अपील विनियम 1976 में विभिन्न कर्मचारियों के लिये अनुशासनात्मक एवं अपीलार्थ अधिकारी मनोनीति किये जाने एवं तदनुसार शिड्यूल आफ पावर्ती 1 Schedule of Powers 1 में संशोधन करने हेतु प्रस्तावानुसार - तालिका 1 शिड्यूल 1 संलग्न

करने हेतु स्वीकृति ---पृष्ठ ---तीन पर

- 3 -

करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई ।

113.6  
C.A.O.

1984-85 में 2.00 करोड़ के डिबेंचर जारी करने बाबत सर्कुलेशन से अनुमोदित प्रस्ताव की स्वीकृति ।

दो करोड़ के बॉण्ड जारी करने हेतु सर्कुलेशन से बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की मंजूरी की गई ।

113.7  
C.A.O.

वित्त एवं लागत समिति ' फाईनेन्स एवं कॉस्टिंग कमेटी ' के निर्णय ।

वित्त एवं लागत समिति की 6 अगस्त और 13 अगस्त सन् 1984 की बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

113.8

राजस्थान सरकार से प्राप्त निर्देशों/आदेशों के सम्बन्ध में

इस बिन्दु पर विचार विमर्श स्थगित किया गया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

113.9

P.M.

C.A.O.

प्रस्तावानुसार कर्मचारियों को वर्ष 1982-83 व 1983-84 के लिये एक्स्ट्रेसिया के भुगतान के सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :-

- 1- वर्ष 1982-83 के अनुग्रह राशि ' एक्स्ट्रेसिया ' के भुगतान का अनुमोदन किया गया ।
- 2- मण्डल में कार्यरत सभी नियमित, वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन ओगी कर्मचारियों को जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1983-84 में 240 दिन कार्यावधि पूरी कर ली हो, को सर्कुलेशन द्वारा पूर्व अनुमोदित

प्रस्तावानुसार अनुग्रहराशि... पेज-4... पर.



-4-

प्रस्तावानुसार अनुग्रहराशि । एकत्रेसिया । जो वेतन  
। मूल वेतन + महंगाई भत्ता + अन्तरिम राहत । का  
8.33 % या 750/- रु० जो भी कम हो का भुगतान करने  
की पुष्टि की गई ।

3- मण्डल में पिछले 2 वर्ष से कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों को भी  
जिन्होंने पिछले वर्ष 1983-84 में 240 दिन कार्यावधि  
पूरी करली हो को भी अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति  
प्रदान की गई ।

113.10 मण्डल के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री द्वारकादास पुरोहित की स्मृति में  
जोधपुर की आवासीय योजना का नामकरण ।

Dr HC (Hd)/  
(Jodhpur circle)  
secy

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल के  
संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री द्वारकादास पुरोहित की स्मृति को  
चिरस्थायी बनाये रखने के लिए जोधपुर नगर की " राईट एण्ड सविसेज  
योजना का नाम उनके नाम पर । द्वारकादास पुरोहित नगर" रखा जाए

113.11 तदर्थ कर्मचारियों की सहाय्यता में वृद्धि ।

P.M

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड में पिछले लगभग दो साल  
से कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों की सेवा की सहाय्यता तब तक के लिए  
बढ़ा दी जाये जब तक कि सीधी भर्ती से, चयन समिति द्वारा चयनित  
कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो जाते ।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त  
की गई ।

सचिव,

राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर ।

24

राजस्थान आवासन बोर्ड: जयपुर

मण्डल की दिनांक 24. 1.85 को सम्पन्न हुई 115 वी बैठक के निर्णय

मण्डल की 115 वी बैठक दिनांक 24. 1.85 को राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय के "कॉन्फ्रेंस हॉल" में अपरान्ह 3.00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे: -

- |                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. श्री के.के. सक्सेना                                                | अध्यक्ष |
| अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग । |         |
| 2. श्री पी.के. तोरिया,                                                | सदस्य   |
| राजस्थान आवासन मण्डल                                                  |         |
| 3. श्री एच. एस. माथुर,                                                | सदस्य   |
| मुख्य नगर नियोजक                                                      |         |
| 4. श्री शंकरलाल                                                       | सदस्य   |
| 5. डा. हाकिम सिंह अंचला                                               | सदस्य   |
| 6. श्री धर्मनारायण माथुर                                              | सदस्य   |
| 7. श्री रामचन्द्र त्यागी                                              | सदस्य   |
| 8. श्री मोहम्मद हनीफ खत्री                                            | सदस्य   |

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार अन्य आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके तथा श्री गजानन्द डरोलिया भी बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

श्री धानसिंह, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल एवं श्री टी.वी. माथुर मुख्य लेखाधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये: -

115.1 मण्डल की 114 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

मण्डल की दिनांक 27. 11. 84 को सम्पन्न हुई 114 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

निरन्तर.....

115.2 मण्डल की 114 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।

मण्डल की 114 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्नानुसार निर्देशा दिये गये:-

Secretary

112.3131 मण्डल के मकानों पर जबरन कब्जा करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।

सचिव ने यह सूचित किया कि लगभग 50 मकान खाली हो गये हैं तथा शेष मकानों को खाली कराने के लिए कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त मण्डल की 112 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 112.6181 पर किये गये निर्णयानुसार जयपुर में विभिन्न कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

At Dy. HC/RO

112.3151 आवेदकों को मकानों के आवंटन एवं कब्जा पत्र जारी करने बाबत ।

मण्डल के सदस्यों ने इस सम्बन्ध में और अधिक तत्परता से कार्यवाही करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह निर्देशा दिये कि आगामी बैठक में इस सम्बन्ध में निरस्त सूचना प्रस्तुत की जावे कि वर्ष 1984 जनवरी 84 से दिसम्बर 84 में कितने मकान आवंटित किये गये, कितने मकान किये गये तथा कितनों का कब्जा पत्र जारी किया गया। यह सूचना नगर वार तैयार की जावे। मण्डल के सदस्यों ने इस बात पर छेद व्यक्त किया कि

निरन्तर....3

*(Signature)*

125

....3....

सामान्यतया आवंटन पत्र जारी होने की तिथि तथा कब्जा पत्र जारी होने की तिथि में तथा वास्तविक कब्जा दिये जाने की तिथि में काफी अन्तर रहता है। इस अन्तर को न्यूनतम करने के लिए गण्डल ने अपेक्षा की। इस तथे में आवासन आयुक्त ने यह सूचित किया कि अब मकानों के अधिक से अधिक कब्जा पत्र जारी किये जाने पर जोर दिया जा रहा है तथा अप्रैल 84 से दिसम्बर 84 तक की समयवधि में लगभग 6600 मकानों के कब्जा पत्र जारी किये जा चुके हैं।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि गण्डल की परियोजना समिति : प्रोजेक्ट कमेटी : मकानों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किये जाकर आवंटियों को हस्तांतरित किये जाने सम्बन्धी कोई नई प्रक्रिया अपनाने के लिये अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगी।

आवेदकों के पंजीकरण तथा आवंटन में परस्पर पति-पत्नि का नाम जोड़ने के सम्बन्ध में।

आवेदकों के पंजीकरण तथा आवंटन में परस्पर पति-पत्नि का नाम जोड़ने के सम्बन्ध में गण्डल द्वारा लिये गये निर्णय को सामान्य जनता की सूचना हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जावे।

विधवाओं को मकान आवंटन।

विधवाओं को मकान आवंटित किये जाने सम्बन्धी निर्णय को समाचार पत्रों में विज्ञापित कर प्रसारण किया जावे।

निरन्तर.....4

114.5

114.6

*(Signature)*

नोट  
नोट का  
कर्मचारियों  
न खाली  
ने के लिए  
बैठक संख्या  
में "विविध"  
वर्णित किये  
जानी करने  
तत्परता  
ते हुए यह  
में वस्तुतः  
80 से  
गये कितने  
पत्र जारी  
जावे।  
क्या कि

PM

114.7

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ को क्रियान्वित  
नियमित खण्ड के रूप में परिवर्तित कर उसमें आवश्यक  
पदों का सृजन एवं उन पर नियुक्ति करने हेतु प्रस्ताव ।

मण्डल को अवगत कराया गया कि जन स्वास्थ्य अभियां-  
त्रिकी प्रकोष्ठ को एक खण्ड के रूप में परिणित किये  
जाने के फलस्वरूप कुछ नये पदों के सृजन के कारण वित्तीय  
भार लगभग 2.53 लाख रुपाये होगा।

इस पर विचार विमर्श कर मण्डल ने निर्णय लिया  
कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खण्ड की स्थापना संबंधी  
प्रस्ताव को इस बैठक को कार्यावलि में शामिल किया जावे।

HO/PRO

114.8

आवास आरक्षण आक्ट्स को संशोधित प्रक्रिया 1981 के  
अनुसार विधायित्व की गई शास्ति रकम व व्यय को  
दर अधिक एवं भारी होने के सम्बन्ध में।

मण्डल ने निर्देश दिये कि इस निर्णय को समाचार पत्रों  
में वितरित द्वारा प्रसारित किया जावे।

Secretary

114.24

राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों/आदेशों के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार से प्राप्त हुए आदेशों/निर्देशों की प्रति-  
लिपि मण्डल के सदस्यों को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने  
के निर्देश दिये गये।

115.3

चोपासनी जोधपुर में अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में।

Secretary/LAO

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर विस्तृत  
प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे जिसमें अन्य सदस्यों के  
साथ साथ घोषित अवाई की राशि तथा "लैण्डनिगोरिगेशन कमेटी"  
द्वारा प्रस्तावित राशि के अन्तर स्पष्ट रूप से दिग्दर्शित किये जावे।  
निरन्तर.....5

(Signature)

.....5.....

115.4 आवंटन के पश्चात् देय राशि में विलम्ब के कारण हुए निरस्तोकरण को नियमितोकरण के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि सामान्यतया 9 माह की निम्न निर्धारित अवधि में राशि न जमा कराने पर आवंटन रद्द किये जाने की कार्यवाही की जावे। विशेष परिस्थिति जन्म विवशता के मामलों को निर्णय हेतु बोर्ड में प्रस्तुत किये जावे।

115.5 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी सेवा नियम 1970 में संशोधन।

विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान सेवा नियम में तत्सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार मण्डल के सेवा नियमों में संशोधन किया जावे।

115.6 हुडको द्वारा स्वीकृत स्कीम की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु।

प्रस्तावानुसार योजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

115.7 मण्डल की परियोजना समिति में जयपुर विकास प्राधिकरण के निदेशक नगर आयोजना को सदस्य के रूप में सम्मिलित करने हेतु।

प्रस्तावानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के निदेशक नगर आयोजना को मण्डल की परियोजना समिति । प्रोजेक्ट कमेटी । का सदस्य बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

115.8 लैंड निगोसियेशन कमेटी के निर्णय।

मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये लैंड निगोसियेशन कमेटी के निर्णय का मण्डल द्वारा अवलोकन किया गया।

12 कनिष्ठ चयन समिति की विभिन्न बैठकों के निर्णय।

मण्डल की कनिष्ठ समिति की विभिन्न बैठकों के निर्णयों का अवलोकन किया गया।

HO

131 सम्पति आवंटन समिति की विभिन्न बैठकों के निर्णय।

सम्पति आवंटन समिति की विभिन्न बैठकों के निर्णयों का अवलोकन किया गया।

CAO/  
RE HQ-II 115.9

गणेश ताताज जोटा की शिक्षित आवासीय योजना संख्या 3599 के लिए हडको से ऋण।

प्रस्तावानुसार योजना सं. 3599 के लिए हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

CAO/  
RE HQ-II 115.10

जोधपुर की मधुवन एवं गोपासनी रोड पश्चिमी विस्तार योजना सं. 3602 के लिए हडको से ऋण।

प्रस्तावानुसार योजना सं. 3602 के लिए हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

Secy./  
CAO 115.11

बजट अनुमान वर्ष 1985-86 एवं संशोधित अनुमान 1984-85

गण्डल के वर्ष 1985-86 के लिए बजट अनुमान एवं वर्ष 1984-85 के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत किये गये। परन्तु समय अभाव के कारण इन पर विचार विमर्श अगली बैठक में किये जाने के लिए स्थगित किया गया।

CAO/  
RE HQ-II 115.12

जयपुर की मानसरोवर योजना सं. 3517-सी, सेक्टर-6, फेज-2 के लिए हडको से ऋण।

प्रस्तावानुसार योजना सं. 3517-सी के लिए हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

CAO/  
RE HQ-II 115.13

जयपुर की मानसरोवर योजना सं. 3518-सी सेक्टर-6, फेज-1 के लिए हडको से ऋण।

प्रस्तावानुसार योजना सं. 3518-सी के लिए हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

तिरन्तर..... 7

... 7. ....

115.14

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ की क्रियान्विति नियमित खंड के रूप में परिवर्तित कर उसमें आवश्यक पदों का सृजन एवं उन पर नियुक्ति करने हेतु प्रस्ताव ।

प्रस्तावानुसार, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ को परिवर्तन कर नियमित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खंड के तत्काल प्रभाव से सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा उस हेतु निम्न पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की गई:-

1. लेखाकार 1
2. लेखा सहायक 3
3. स्टेलो टार्डमिस्ट 1
4. कनिष्ठ सहायक 3
5. हेल्पर 2

115.15

कनिष्ठ सहायक संवर्ग को दो संवर्गों में विभक्त करने बाबत।

प्रस्तावानुसार वर्तमान कनिष्ठ सहायक के संवर्ग को विभक्त कर निम्नानुसार दो संवर्गों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई:-

1. कनिष्ठ सहायक । लेखा ।
2. कनिष्ठ सहायक । सामान्य ।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों संवर्गों की पद संख्या का निर्धारण कर वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों से विकल्प मांग लिया जावे कि वे कनिष्ठ सहायक लेखा संवर्ग और कनिष्ठ सहायक सामान्य में से किस में रहना चाहेंगे। इन संवर्गों के गठन पर प्रत्येक संवर्ग के अन्तर्गत कार्यधारियों की परस्पर वरीयता इन्टर-से-सीनियोरिटी उनकी वर्तमान कनिष्ठ सहायक के संवर्ग में वरीयता के अनुसार रहेगी।

अवन निर्माण अग्रिम क्रियमों में संशोधन ।

115.16

प्रस्तावानुसार राज्य सरकार के नवीनतम आदेश संख्या स्फ-1111

स्फ. डी./ग्रुप-2 178 दिनांक 20 नवंबर 84 के द्वारा किये गये राजस्थान

निरन्तर... 8



CAO/  
RE HQ-II

115.17

भवन निर्माण अग्रिम नियमों में संशोधन के अनुरूप, मण्डल के भवन निर्माण अग्रिम नियमों में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की गई। स्ववित्त पोषित योजना जवाहर नगर में उच्च आयवर्ग के मकानों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

प्रस्तावानुसार जवाहर नगर के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उच्च आयवर्ग के मकानों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

115.18

मानसरोवर स्ववित्त पोषित योजना के मकानों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

CAO/RE HQ-II

प्रस्तावानुसार बोर्ड की मानसरोवर योजना में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत मकानों के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

115.19

मण्डल के वृत्त कार्यालयों ॥ उप आवासन आयुक्त कार्यालय ॥ तथा खण्ड कार्यालयों का पुनर्गठन।

All Dy.HC/PM

प्रस्तावानुसार मण्डल के 4 वृत्त कार्यालयों ॥ उप आवासन आयुक्त, जयपुर वृत्त-प्रथम, द्वितीय, कोटा एवं जोधपुर के कार्यालय ॥ व 22 खण्ड कार्यालयों ॥ 20 वर्तमान में कार्यरत, एक प्रस्तावित जन स्वास्थ्य अभि. खण्ड ॥ तथा वणिजि ॥ 115.14 ॥ तथा एक और प्रस्तावित खण्ड ॥ एवं 13 प्रस्तावित उप-खण्ड कार्यालयों के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गई।

115.20

स्ववित्त पोषित योजना 1982 के अन्तर्गत आरक्षित मकान की किरातों की राशि देर से जमा कराने के कारण आवंटनी से ब्याज की राशि लेने बाधित।

All Dy.HC/HO

प्रस्तावानुसार स्ववित्त पोषित योजना 1982 के आवेदकों से देर से



..... 9. ....

1 Dy.HC/HO

रकम जमा कराये जाने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से देरी से जमा करायी जाने वाली रकम तथा देरी के समय के लिए ब्याज लेने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

115.21 अन्य विषय :-

गण्डल की बैठक में निम्नानुसार अन्य विषयों पर चर्चा हुई तथा आदेशा/निर्देशा प्रदान किये गये:-

### 1. कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता में वृद्धि ।

आवासन आयुक्त ने सदस्यों का ध्यान इस ओर आकषित किया कि ब्यूरो की गण्डल के पत्र सं. एफ-21111/एफ. सी./एच. बी./70/19 दिनांक 24.1.85 के द्वारा इस विषय पर शीघ्रातिशीघ्र सहानुभूति-पूर्णक विचार कर मकान किराया भत्ता में वृद्धि का 12½ प्रतिशत करने की अनुमति प्रदान करने के लिए निवेदन किया गया है। तदुपरान्त विचार विमर्श के पश्चात् गण्डल की 112 वीं बैठक में प्रस्ताव सं. 112.615 पर पूर्व में लिये गये निर्णय की पुनः पुष्टि की गई।

### 2. ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टर प्राइजेज का पत्र सं. एफ-9 बी15 बी. पी. ई. / 84/6295 दिनांक 3.1.85

ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टर प्राइजेज के पत्र क्रं. एफ-9-बी15 बी. पी. ई. / 84/6295 दिनांक 3.1.85 प्रति संलग्न के द्वारा दिये गये निर्देशों से गण्डल को अवगत कराया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पत्र द्वारा दिये गये ब्यूरो के निर्देशों के अनुसार गैहगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि की दिनांक 1.8.83, 1.10.83 और 1.11.83 व 1.1.84, 1.2.84, 1.4.84 और 1.6.84 से देय किराओं का भुगतान पूर्ववत् "मेमोरान्डम सर्टिफिकेट" के रूप

..... 10.....

में कर दिया जावे।

CAC

3. "नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स" शीघ्र देने वाजत ।

मुख्य लेखाधिकारी को निर्देशा दिये गये कि गैरगाई भत्ते की अव  
तक की प्रावधानों निधि में जमा राशि के लिए "राष्ट्रीय पत्र पत्र  
सभी कर्मचारियों को 31.3.85 तक अवश्य दे दिये जावें।

Secy/PM

4. जाँच के मामले निपटाने हेतु ।

कर्मचारियों के चल रहे जाँच के मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जा

CAC

5. यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन हेतु ।

यह निर्देशा दिये गये कि यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन हेतु  
प्रस्ताव मण्डल की अगली बैठक में रखा जावे। साथ ही यह निर्णय  
लिया गया कि राजस्थान सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के  
प्रावधानों के मुकामले यदि मण्डल के प्रावधानों में जहाँ कमी हो  
वहाँ उसे बढ़ा कर/संशोधित कर राज्य के यात्रा भत्ता नियमों के  
साकक्ष कर लिया जावे।

तदुपरान्त अध्यक्ष को धन्यवाद अर्पित करते हुए बैठक की कार्यवाही  
समाप्त की गई।



सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

सचिव  
Deputy

154

### राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 22.3.85 को सम्पन्न हुई 116 वीं बैठक के निर्णय

बोर्ड की 116 वीं बैठक दिनांक 22.3.85 को बोर्ड मुख्यालय के बैठक कक्ष में सम्पन्न हुई, इसमें निम्न उपस्थित रहे:-

- |                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 1. श्री के.के. सकसेना                  |         |
| अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड एवं      |         |
| शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग | अध्यक्ष |
| 2. श्री पी.के. लोरिया,                 | सदस्य   |
| आवासन आयुक्त, राज. आवासन बोर्ड,        |         |
| 3. श्री एच.एस. माथुर,                  | सदस्य   |
| मुख्यनगर निरीक्षक, राजस्थान            |         |
| 4. श्री शंकरलाल                        | सदस्य   |
| 5. डा. हामिक सिंह अंचला                | सदस्य   |
| 6. श्री धर्मनारायण माथुर               | सदस्य   |
| 7. श्री रामचन्द्र त्यागी               | सदस्य   |
| 8. श्री मोहम्मद इनीफ खत्री             | सदस्य   |
| 9. श्री गजानन्द डरोलिया                | सदस्य   |

श्री एस.एन. माहेश्वरी सचिव, तथा श्री वी.बी. माथुर मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल भी उपस्थित थे।

शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार अन्य आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:-

116.1 बोर्ड की 115 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन :

बोर्ड की 24.1.85 को सम्पन्न हुई 115 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

निरन्तर....2

116.2 बोर्ड की 115 वी बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट

बोर्ड की 115 वी बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट अ  
अवलोकन किया गया तथा समस्त निर्देश दिये गये:-

Secretary/HQ 112.3 151 अपेक्षों को राज्यों के आवंटन एवं कब्जा पत्र जारी  
करने बाबत ।

Secretary/D.D. 114.24 कोटा वृत्त की राजा अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये ।  
राज्य सरकार के वर्ष 83-84 व 84-85 में धारा 60  
आदेशों/निर्देशों की प्रतियाँ अगामी बैठक से पूर्व  
सदस्यों को भिजवा दी जाये और अधिसूचना में इस प्रकार  
आदेशों की प्रतियाँ यथा सम्यक् स्वतः ही भिजवाने  
व्यवस्था की जाये ।

Secy./LAO 115.3 चौपासनी जोधपुर में अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध  
राजिब ने बताया कि घोषित अवाई की राशि रां  
भेरीशियेशन कमेटी द्वारा प्रस्तावित राशि के  
विवरण हात ही में उप-आवासन आयुक्त, जोधपुर  
हुआ है। अतः विस्तृत प्रस्ताव परीक्षा के बाद अग  
बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा ।

Secretary 115.7 मण्डल की परिवर्धन समिति में जयपुर विकास प्र  
के निर्देशक, नगर आयोजना को सदस्य के रूप में  
करने हेतु ।

बोर्ड के पूर्व निर्णयानुसार सदस्य नामजद करने के मा  
जारी किये गये हैं, परन्तु राजस्थान आवासन मण्डल  
अधिनियम 1970 की धारा 19 में सेवा स्पष्ट प्राण  
नहीं है कि बोर्ड के सदस्यों के अलावा किसी को ना

निरन्तर....

मामला 31/01/71 निरन्तर...  
11/4/71 31/1/71 31/3/71

...3...

का सदस्य बोर्ड बना सकता हो। अतः उन्हें सदस्य के बजाय विशेष आमंत्रित के रूप में परियोजना समिति में बुलाया जावे और अनुपालना में जारी आदेशों में संशोधन कर लिया जावे।

115.21141 जॉय के माध्यम निपटाने हेतु:

कर्मचारियों के रुद्ध चल रहे विभागीय जॉय का विवरण आगामी बैठक प्रस्तुत किया जावे और शीघ्र निपटाने की व्यवस्था जावे।

बोर्ड की इस 116 वीं बैठक में विचारणीय बिन्दु एवं निर्णय

116.3 वर्ष 1985-86 के बजट अनुमान एवं वर्षी 84-85 के संशोधित अनुमान

मुख्य लेखाधिकारी ने वर्ष 1985-86 के बजट अनुमान एवं वर्ष 1984-85 के संशोधित बजट अनुमान पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य लेखाधिकारी एवं आवातन आयुक्त ने बैठक में उठाये गये विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट किया, बोर्ड ने निम्न निर्देश दिये:

1. वर्ष 1985-86 के प्रारंभ में 15643 अपूर्ण मकान रहेगे और 85-86 में 15066 नये मकान लेने का प्रस्ताव है। इन 30709 मकानों में से 14714 मकान 85-86 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इससे स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती वर्ष के सभी अपूर्ण मकान भी पूर्ण नहीं हो सकेगे। अतः कम से कम सभी 15643 मकान पूर्ण कराने के प्रयास किये जावे। जहाँ मायूली काश शेष है वहाँ प्राथमिकता दी जावे।
2. सदस्यों को नगर नगर सूचना उपलब्ध कराई जावे कि वर्ष 1984-85 के अंत तक कितने मकानों का निर्माण प्रारंभ किया गया, कितने पूर्ण हो गये और कितने मकान अपूर्ण रहे।

(14) (157)

.....4.....

CAO

3. आवागमन आयुक्त ने अवगत कराया कि राजस्थान आवागमन बोर्ड अधिनियम 1970 की धारा 33 के अनुसार बोर्ड को योजना का प्रकाशन राजपत्र में करना होता है जिसके लिए बजट प्रावधान होना जरूरी है। अतः वर्ष 1985-86 के प्रस्तावित बजट में लखनपुर, श्रीगंगानगर, खडगपुर, नोहर, तिरोही, टोंक, जयपुर, लिण्डोन, गंगपुर, गंगारोड, प्रतापगढ़, गिरवाड़ा, भरतपुर, उदयपुर, पाली जिलों में नई ली जाने वाली योजनाएं लिए दी गई प्रारम्भिक योजना रखी की स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात् वर्ष 1985-86 के बजट अनुमान एवं वर्ष 1984-85 के अतिरिक्त बजट अनुमान को प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई।

Secretary I 16.4

राजस्थान आवागमन बोर्ड की कार्यवाही अर्थात् एवं पदोन्नति विनियमन में संशोधन:

राज्य सरकार द्वारा अपने समस्त श्रेणी कर्मचारियों के लिए नियमों में किए गये संशोधन के अनुसार बोर्ड के हेल्परों के लिए भी पदोन्नति कोटा वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 1/2 प्रतिशत दिनांक 1.4.85 से करने की स्वीकृति दी गई।

CAO

116.5

बोर्ड के कर्मचारियों को भर्खाई भत्ता:

राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्वीकृत भर्खाई दिनांक 1.8.85 एवं 1.11.84 के अनुसार ही बोर्ड कर्मचारियों को भर्खाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई।

CAO

116.6

भवानीमण्डों की स्कीम फेज-1 स्कीम नं. 3066-सी 1 के लिए हुडको से ग्रान्ट राशि :

पूर्व में बोर्ड को प्रस्तुत अवेन्डा आर्डर नं. 110.12 में भवानीमण्डों की स्कीम फेज-1 स्कीम नं. 3066-सी 1 के लिए हुडको से 19.36 रुपये का प्रस्ताव दिया गया था जो बोर्ड ने स्वीकृत किया।

निरन्तर.....5

भवानीमण्डों की स्कीम फेज-1 स्कीम नं. 3066-सी 1 के लिए हुडको से 19.36 रुपये का प्रस्ताव दिया गया था जो बोर्ड ने स्वीकृत किया।

..... 5. ....

था परन्तु ऋण राशि भूल से 25.61 लाख रुपये के बजाय 18.36 लाख रु. दर्शा दी गई थी अतः 18.36 लाख रुपया के बजाय 25.61 लाख रुपया का ऋण हुडको से लेने के प्रस्ताव को स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गई।

116.7

श्रीमती कुन्ती माथुर, धर्म पत्तिनं स्व. श्री मधुसूदन माथुर परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ। उदयपुर को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति देने बाबत ।

बोर्ड के कनिष्ठ सहायकों के लिए नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हायर सैकेण्डरी में छूट देते हुए श्रीमती कुन्ती माथुर की योग्यता मेट्रिक होते हुए उन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त नियुक्ति दे दी जावे । मृतकों के वारिस को नियुक्ति देने में शैक्षणिक योग्यता मेट्रिक रखे जाने का प्रावधान नियमों में भी करा लिया जावे।

116.8

कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम फेज-III। सेक्टर-6, मानसरोवर जयपुर। स्कीम नं. 3641-सी । के लिए हुडको से ऋण लेने हेतु सर्किलेशन एजेन्डा संख्या 59

इसकी स्वीकृति दी गई ।

116.9

कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम फेज-II, गणेश तालाब कोटा। स्कीम नं. 3659-सी । एवं स्काउट फील्ड के पास सवाई माधोपुर फेज-I। स्कीम नं. 3660-सी । सर्किलेशन एजेन्डा संख्या 60 -

इनकी स्वीकृति दी गई ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अजेन्डा आइटम

116.10

बोर्ड के मुख्यालय भवन पर भवन एवं भूमि कर :

इस प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि बोर्ड मुख्यालय को भवन एवं भूमि कर से राज्य सरकार द्वारा

निरन्तर..... 6



143 (159)

.....6.....

मुक्त किया जाना संभव नहीं होगा क्योंकि ऐसे अन्य संस्थानों में भी ऐसा निर्णय राज्य सरकार का है। अतः इस पर यह निर्णय लिया गया कि भवन एवं भूमि की लागत को देखते 84 लाख रूपया का किया जाकर जो कर एक लाख उन्नीस हजार रूपया भूमि एवं भवन विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है, उसका भुगतान कर तथा जब तक कर देयता कानून के अनुसार हो, आगामी वर्षों में भुगतान की व्यवस्था रखी जाये ताकि अनावश्यक शांति अगति इसके अतिरिक्त साथ साथ राज्य सरकार को भी निवेदन कर दिया कि यह संस्था "न लाभ न हानि" के सिद्धान्त पर कार्य करते हुए स्वयं मकान उपलब्ध कराकर राज्य में आवासीय समस्या के समाधान में कार्यरत है, अतः इसे इस कर से मुक्त रखा जाये।

CAO 116.11

बोर्ड में नियोजित अधिकारियों को एडवाक महेगाई भत्ता को स्वो

राज्य सरकार द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कि 2250/- अधिक वेतन संगोधीत वेतनमान 1983 के अन्तर्गत प्राप्त कर रहे 1.1.85 से एडवाक महेगाई भत्ता स्वीकार किया है। इसे देखते हुए राज्यादेश के अनुरूप बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों को भी एडवाक महेगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी जाती है।

CAO 116.12

बोर्ड कर्मचारियों के लिए वाहन खरीदने हेतु अग्रिम राशि :

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नियमों में क्रमांक एफ-10 एफडी/ग्रुप-2 78 दिनांक 29.1.85 द्वारा जो संगोधीन किये हैं उनके अनुरूप ही बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए भी वाहन उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड के संबंधित नियमों में संगोधीन करने की स्वीकृति दी गई।

अन्य प्रस्ताव जो बैठक के दौरान प्रस्तुत हुए

Secy. 116.13

कनिष्ठ चयन समिति द्वारा भर्ती हेतु कर्मचारियों का चयन-

6 निरन्तर.....7

गैर सरकारी सदस्यों की ओर से श्री शंकरलाल ने लिखित प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया:-

"बोर्ड द्वारा अपनी 110 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 20.2.85 एवं 18.3.85 को कार्यवाही के अवलोकन के पश्चात पुनः एक्ट की धारा 19121 के अन्तर्गत कनिष्ठ चयन समिति को यह निर्देशान है कि समिति द्वारा जिन विज्ञापित रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार लेना शोष है उसमें भी पूर्व में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही साक्षात्कार लिये जाने को कार्यवाही शीघ्र की जायें।

साथ ही अन्य संस्थान यथा परिवहन निगम, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान पुनर्वित्त निगम आदि में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, को जानकारी सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल कर लें और कनिष्ठ चयन समिति निर्णय लें।

अतिरिक्त आवासन आयुक्त के पद सृजन के संबंध में:-

गैर सरकारी सदस्यों की ओर से श्री शंकर लाल ने निम्न प्रकार प्रस्ताव लिखित में प्रस्तुत किया।

"बोर्ड के बढ़ते हुए कार्य को दृष्टिगत रखते हुए व आवश्यकता को महसूस करते हुए बोर्ड द्वारा एक्ट की धारा 14131 के अन्तर्गत एक एडिशनल आवासन आयुक्त के पद का सृजन किया जाकर गंजौरी हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जाता है। इस पद पर बोर्ड में कार्यरत उप-आवासन आयुक्त को सौंपिषरही के आधार पर पदस्थापित किया जायें। इस संबंध में भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा पूर्व में भी लिखा जा चुका है जिसकी पुष्टी बोर्ड द्वारा की जाकर यह निर्णय लिया जाता है।"

इस पर बताया गया कि नई नियुक्ति एवं पदोन्नति पर लोक लगाई गई थी तथा गणना सम्भवतः मंत्री मण्डल में भी तिवार भीन था।

6- निरन्तर.....8.

इस पर यह निर्णय हुआ कि राज्य सरकार के आदेशों/ मंत्रों के निर्णय से माननीय प्रस्तावक सदस्यों को अवगत करा दिया जावे।

Secretary | 16.15

अभाव अभियोग एवं नियम उप नियम के संबंध में:-

गैर सरकारी सदस्यों की ओर से एक उप समिति गठित करने संबंध प्रकार लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

पूर्व में बोर्ड द्वारा एक्ट की धारा 54 के तहत अपने उप नियमों में गौजुटा विभागों और रेगुलेशन में संशोधन की आवश्यकता महसूस हुए अध्ययन एवं सुझावों हेतु किसी अधिकारी और अधिकृत किया था परन्तु काफी समय व्यतीत होने पर भी इस संबंध में कोई नहीं हुई है। और यह ज्ञात हुआ है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा असमर्थता भी प्रकट की गई है। अतः इस कार्य हेतु बोर्ड को एक उप समिति का गठन किया जावे जो किसी कानून में दक्ष विधिवेता अभिभावक अथवा रिटायर्ड न्यायिक सेवा के व्यक्तियों के परामर्श से तीन माह में सुझाव प्रेषित कर सकें।

गैर सरकारी सदस्यों की ओर से ही एक दूसरा प्रस्ताव अभाव कोटी गठित करने के संबंध में भी लिखित रूप में निम्न प्रकार प्रस्तुत हुआ:-

"धारा 19 के तहत कोटी का गठन:

बोर्ड द्वारा जनता के अभाव अभियोग की सुनवाई व निर्णय और जन सम्पर्क हेतु एक नयी कोटी की आवश्यकता को देखते निम्न प्रकार से एक कोटी का गठन किया जाता है:-

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. श्री गजानन्द डरोलिया  | अध्यक्ष |
| 2. श्री रामचन्द्र त्यागी | सदस्य   |
| 3. श्री हसीफ खत्री       | सदस्य   |
| 4. जन सम्पर्क अधिकारी    | सचिव    |

निरन्तर....9

आवृत्ति 31/01/2014 दिनांक 16/12/2013 को

## राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

राजस्थान आवासन बोर्ड की 18.5.85 को सम्पन्न हुई 117 वीं बैठक के निर्णय

बोर्ड की 117 वीं बैठक दिनांक 18.5.85 को बोर्ड मुख्यालय के बैठक कक्ष में सम्पन्न हुई इसमें निम्न उपस्थित रहे:-

- |    |                                                                                                                               |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | श्री के. के. सक्सेना,<br>अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड,<br>एवं शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग<br>राजस्थान सरकार, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पी. के. लौरिया<br>आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर                                                              | सदस्य   |
| 3. | श्री शंकर लाल                                                                                                                 | सदस्य   |
| 4. | श्री धर्मनारायण माथुर                                                                                                         | सदस्य   |
| 5. | श्री रामचन्द्र त्यागी                                                                                                         | सदस्य   |
| 6. | श्री मोहम्मद हनीफ खत्री                                                                                                       | सदस्य   |
| 7. | श्री गजानन्द डेरोलिया                                                                                                         | सदस्य   |

श्री  
श्री एस. एन. माहेश्वरी, सचिव तथा वी. बी. माथुर मुख्य लेखा अधिकारी  
राजस्थान आवासन बोर्ड भी उपस्थित थे।

शासन सचिव, वित्त, मुख्य नगर नियाजक राजस्थान एवं डा. ह. ट. किशोर सिंह आंचला अन्य आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण उक्त बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक में निम्न निर्णय लिए गये:-

117.1 बोर्ड की 116 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:- बोर्ड की 116 वीं बैठक के निर्णय संख्या 116.13 में दूसरे पैरा में शब्द "साथ ही" के स्थान पर "इस पर यह निर्णय लिया गया कि" प्रतिस्थापित करते हुए निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

117.2 बोर्ड की 116 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट:-

बोर्ड की 116 वीं बैठक की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न निर्देशा दिये:-

निरन्तर.....2

218

....2....

HC/All Dy.H.C./  
Secy.

112.315:- आवेदकों को मकानों के आवंटन एवं कब्जा पत्र जारी करने बाबत:-

कोटा कृ. में कब्जा देने के बकाया मामलों की शोचनीय स्थिति पर सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। आवासन आ. युक्त ने कहा कि आंकड़ों को वे स्वयं सही स्थिति ज्ञात करेंगे।

अन्य शहरों की स्थिति का भी अवलोकन किया गया तथा विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि एक अभियान चलाया जावे। कब्जा पत्र जारी करने या कब्जा देने में जो कठिनाइयाँ हो पानी, बिजली की व्यवस्था न हुई हो तो प्राथमिकता से कराई जावे। सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र में अभियान के दौरान पूरा सहयोग देंगे। जो मामले ऐसे हैं जिनमें कब्जा लेने की निर्धारित तिथि से 9 माह बाद तक कब्जा नहीं लिया गया है, उनमें से नमूने के तौर पर कुछ मामलों का अध्ययन बोर्ड सचिव एवं श्री धर्मनारायण माथुर, सदस्य करें और बोर्ड की आगामी बैठक में नीति निर्धारण हेतु सुझाव दें। प्रगति अगली बैठक में प्रस्तुत की जावे।

114.24:- राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की प्रतियां:-

कुछ सदस्यों ने श्री शंकरलाल सदस्य को मकान आवंटन करने का निर्देश राज्य सरकार का बताया और जानकारी चाही कि क्या वह धारा 60 का निर्देश नहीं है? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी को जाकर अवगत करा दिया जावे।

116.313। वर्ष 85-86 का बजट:-

बोर्ड सचिव ने बताया कि थोक मालियान अजमेर, बांसवाड़ा रोड उदयपुर व सेतो-चित्तौड़गढ़ योजनाओं के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं रखा गया है जिसके अभाव में धारा 33 की विज्ञप्ति एवं भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इनके लिए टोकन प्रावधान वर्ष

निरन्तर.....3

Secretary/HO

C.A.O.

.... 3....

85-86 के बजट में अब करने की स्वीकृति दी गई।

117.3 विकलांगों को वि-शेष स्थानीय यात्रा भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ।ओ। एफ डी।गुप2।76 दिनांक 27.10.83 के अनुरूप ही बोर्ड के अधे या ओरथोपिथेडिकली हैंडिकेप्ड कर्मचारियों को 1.10.83 से वेतन का 8% जो 75/-रुपये मासिक से अधिक न हों, स्वीकृत किया गया।

117.4 प्रताप नगर जोधपुर में प्राईमरी स्कूल के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु:-

प्रस्ताव अनुसार कुल 88,505/-रुपये की स्वीकृति दी गई जिसमें 38,290/-रुपये निर्माण पर व्यय होगा तथा शेष 50215/-रुपये भवन हेतु भूमि का मूल्य है।

117.5 सवाई माधोपुर में आवासीय योजना के लिए भूमि अधाप्ति:-

यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

117.6 श्री एस.आई.ए. रिजवी उप नगर कमिश्नर को वेतन भुगतान के क्रम में:-

श्री रिजवी को 1.10.84 से 14.10.84 तक के आदेशों की परीक्षा काल का वेतन राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

117.7 वित्त एवं लागत समिति की दिनांक 15.1.85, 22.1.85, 26.3.85 एवं 26.4.85 की बैठकों के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया।

117.8 ड्राईवर का एक पद सृजन करने हेतु:-

ड्राईवर का एक पद वेतन ग्रंथो 490-840 में स्वीकृत किया गया।

117.9 चौपासनी जोधपुर में अधाप्ति की गई भूमि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण:-

यथा प्रस्ताव कार्यवाही की जावे।

CAO

117.10

Agenda note by Circulation No.61 regarding Loan from HUDCO for Composite Housing Scheme Ph.I at Sector-6, Mansarovar, Jaipur (Scheme No.3518-C)

योजना हेतु ऋण राशि 47.35 लाख के स्थान पर 47.55 लाख बना दुस्तुती करने का अनुमोदन किया गया।

C.A.O.

117.11

Special deposit of Rs.25 crores by the Unit Trust of India with the Rajasthan Housing Board.

सदस्यों द्वारा पूछे जाने पर आवासन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस राशि को राज्य सरकार के लिए किराये के मकानों को बना ने में काम में लिया जायेगा। पुनर्गठन कैसे होगा? का उत्तर देते हुए आवासन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने बजट में प्रावधान करेगी या गारंटी देगी। इस आश्वासन पर प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

C.A.O.

117.12

Food Grain advance to the employees of the Board during the year 1985-86.

राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ। 163 एफडी। ग्रुप-2 170 दि. 24.4.85 के अनुरूप ही बोर्ड कर्मचारियों को 85-86 में भी अनाज अग्रिम राशि देने की स्वीकृति दी गई।

C.A.O.

117.13

Annual accounts of the Board for the year 1979-80 and 1980-81.

अनुमोदन किया गया। वार्षिक लेखों के पिछड़े होने पर सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। वर्ष 81-82 से 84-85 तक के लेख शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

PN/Secy.

117.14

कनिष्ठ चयन समिति की विभिन्न बैठकों के निर्णय:-

बोर्ड की कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दि. 20.2.85, 18.3.85, 8 व 9.4.85, 20.4.85, 10 व 11.5.85 की कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया।

निरन्तर.....5

....5....

117.15 राजस्थान आवासन बोर्ड एक्ट की धारा 17 की अनिवार्य अनुपालना के सम्बन्ध में सूचना:-

अवलोकन किया। शेष सूचना आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे।

117.16 बम्बई में ग्लिमप्सेज आफ इंडिया प्रदर्शनी में भाग लेने एवं व्यय की स्वीकृति:-

आर. एम. भूथर एण्ड को द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में बोर्ड ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार भाग लिया। इसका अनुमोदन किया गया एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

117.17 बोर्ड सचिव द्वारा बोर्ड कार्य में सुधार के लिए दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में।

श्रीशंकरलाल सदस्य ने अपने पत्र दिनांक 13.5.85 में आज की बोर्ड बैठक में उन सुझावों पर विचार करने के लिए अध्यक्ष महोदय को निवेदन किया था, जो बोर्ड सचिव ने श्री मोहम्मद हनीफ खत्री के पत्र दिनांक 30.4.85 के उत्तर में दिए हैं।

निर्णय लिया गया कि उन सुझावों की प्रतिलिपि सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाये और आगामी बैठक में विचार किया जाये।

117.18 श्री धर्मनारायण माथुर सदस्य ने अपने पत्र दिनांक 13.5.85 से मुख्य-लेखाधिकारी से कई मुद्दों पर सूचना मांगी थी और अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि बोर्ड बैठक में इन पर चर्चा की जाये।

इस पर मुख्यलेखाधिकारी द्वारा आंशिक सूचना दी गई है। निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण सूचना तैयार की जाकर वित्त एवं लागत समिति की अगली बैठक में विचार किया जावे तथा रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ रखी जाये। वित्त एवं लागत समिति जब इस पर विचार करें, श्री धर्मनारायण माथुर को विशेष आमंत्रित करें।



C.A.O.

117.19 श्री एन. एन. नरहरी, उप आवासन आयुक्त, जोधपुर को अध्ययन यात्रा हेतु 7500/- रुपये की स्वीकृति हेतु:-

आवासन आयुक्त ने प्रस्ताव किया कि हुडको द्वारा 1982-83 में "हुडको साइड्स एवं सर्वेक्षण" के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें बोर्ड ने जोधपुर की प्रोजेक्ट सर्वोत्तम होने के कारण "रोलिंग ट्रान्सी" जीती और प्रोजेक्ट के मैनेजर श्री एन. एन. नरहरी को 10,000/- रु. का नगद इनाम मिला जो कि विदेशों में अध्ययन यात्रा में उपयोग किया जा सकता है। हुडको के साथ जाने पर श्री नरहरी ने अध्ययन यात्रा में कार्यक्रम बैंकॉफ, हाँगकांग, मनीला व सिंगापुर का प्रस्तुत किया है जिस पर 17,725/- रु. व्यय आयेगा। तमिलनाडु आवासन बोर्ड में इसी तरह के मामले में 7500/- रु. की स्वीकृति दी थी। अतः 7500/- रु. की बोर्ड फंड श्री नरहरी को उक्त व्यय के लिए स्वीकृति दी जावे।

विचार वि-मर्ग के बाद प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति दी गई।

117.20 विशेष उल्लेख:-

बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने संक्षेप में बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा सुधार के प्रयत्नों का जिक्र किया और अपनी यह मन्त्रणा स्पष्ट की कि वे बोर्ड की प्रतिष्ठा ऊंची उठाने तथा लोगों को अधिक से अधिक सौजन्य देने के सभी प्रयासों में लगे हुए हैं। उन्होंने सदस्यों द्वारा बोर्ड कार्य में इन दिनों में अधिक रुचि लेने की सराहना की तथा बोर्ड हित में हर प्रकार के सहयोग एवं सुझावों की अपेक्षा की।

सभी सदस्यों ने अपनी पूरी क्षमता से सहयोग देने एवं सहभागिता रखने का विश्वास दिलाया।

तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(Signature)

। एन. एन. माहेश्वरी ।  
सचिव

। दाधीच ।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन बोर्ड की 15.7.85 को सम्पन्न हुई 118 वीं बैठक के निर्णय:-

बोर्ड की 118 वीं बैठक दिनांक 15.7.85 को बोर्ड मुख्यालय के बैठक कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न उपस्थित रहे:-

- |                               |                                                     |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 1. श्री आदर्श किशोर           | अध्यक्ष, राज. आवासन मण्डल                           | अध्यक्ष |
| 2. श्री नरेश चन्द्र           | भास सचिव, वित्त विभाग,<br>राजस्थान सरकार,           | सदस्य   |
| 3. श्री आर. रामाकृष्णन        | भासन सचिव, नगरीय विकास<br>एवं आवासन विभाग, राजस्थान | सदस्य   |
| 4. श्री एच. एस. माथुर         | मुख्य नगर नियोजक राजस्थान                           | सदस्य   |
| 5. श्री पी. के. बोसिया        | आवासन आयुक्त, राज. आवा.<br>बोर्ड।                   | सदस्य   |
| 6. श्री शंकर लाल              |                                                     | सदस्य   |
| 7. श्री धर्मनारायण माथुर      |                                                     | सदस्य   |
| 8. श्री रामचन्द्र त्यागी      |                                                     | सदस्य   |
| 9. श्री मो. हनीफ खान          |                                                     | सदस्य   |
| 10. श्री गणानन्द डेरौनिया     |                                                     | सदस्य   |
| 11. श्री डा. हाकिम सिंह अंबला |                                                     | सदस्य   |

श्री एस. एन. माडेश्वरी सचिव तथा श्री पी. बी. माथुर, मुख्य लेखाधिकारी भी उपस्थित थे। श्री ए. गतीन, उप आवासन आयुक्त, मुख्यालय एवं श्री भारतेन्द्र सिंह, आवासन अधिकारी राजस्थान आवासन बोर्ड की भी बैठक में सम्मिलित किया गया।

बोर्ड में निम्न निर्णय लिये गये:-

118.1.1 अध्यक्ष महोदय ने यह प्रस्ताव किया कि बोर्ड के नियुक्तीमान

अध्यक्ष श्री के. के. सक्सेना द्वारा बोर्ड को दी गई ग्रेड सेवाओं को अभिलिखित किया जावे। सर्व सम्मति से श्री के. के. सक्सेना को सेवाओं के प्रति आधार प्रगट करते हुए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

#### 118.1.2 मण्डल की 117 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट:-

गत बैठक दिनांक 18.5.85 के निर्णयों के अनुबोधन को सचिव में गत सप्ताह के द्वारा विचार विचार प्रगट किये गये:-

##### 111 श्री धर्मनारायण माथुर एवं श्री शंकर लाल:

उन्होंने पत्र दिनांक 13.5.85 द्वारा मुख्य लेखाधिकारी से कार्य पुस्तकों पर सूचना मांगी थी और जो उन्हें दि. 17.6.85 को हुई Costing & Finance Committee की मीटिंग में दे दी गई थी पर आज बोर्ड में विचार होना था परन्तु विचार विन्दु में श्री नहीं रखा गया है। श्री शंकर लाल ने प्रगट किया कि गत बैठक के निर्णय 117.7 के अनुसार बोर्ड सचिव के सुझावों पर इस बैठक में विचार होना था परन्तु विचार विन्दु में नहीं रखा गया है।

सचिव

इस हेतु उन्होंने यह भी प्रगट किया कि विशेष बैठक बुलाने का लिखित आग्रह और सरकारी सदस्यों ने पूरी अग्रगण्य को किया था। इस पर यह निर्णय किया गया कि इस पुस्तकों पर विचारार्थ विशेष बैठक का आयोजन किया जायेगा।

##### 121 श्री शंकर लाल:

उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया कि आवाहन बोर्ड अधिनियम की धारा 45, 46 के अनुसार लेखों का ऑडिट कराना जरूरी है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट की जांचना पर भी विचार बोर्ड में होना चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगली बैठक में इस संबंध में तथा ऑडिट रिपोर्टों की जांचना व उन पर विमर्श हेतु

निरन्तर...3

मुख्यलेखाधिकारी

वे विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे।

131 श्री धर्म नारायण माथुर:-

आवासन अधिकारी  
उप आवा. आयुक्त.  
कोटा, जोधपुर

उन्होंने बताया कि कई मामलों में बोर्ड कार्यालयों को गलती के कारण आवंटों पर शासित लग जाती है अथवा एक साथ कई किशोरें देनी पड़ती है, अतः बोर्ड अध्यक्ष को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में वे सुविधा निर्णय लेकर आवंटों को वास्तव दे सकें। इस पर ऐसे अधिकार अध्यक्ष को दिए जाने का निर्णय किया गया।

141 श्री गजानन्द डेरोलिया:-

उन्होंने सुझाव दिया कि बैठक में सदस्यों द्वारा उठाये गये मामलों, सुझावों आदि को कार्यवाही में दर्ज किया जाना चाहिए। इस पर निम्न सचिव ने बताया कि कई कारणों से कार्यवाही में विस्तृत उल्लेख दिया जाना वांछित नहीं होता।

151 श्री मो. हनीउ खत्री:

श्री धर्मनारायण  
व सचिव

उन्होंने दरिगामूल किया कि निर्णय संख्या 117. 2 के अन्तर्गत 9 माह के बाद तक अकादमियों के कडजा न लेने के मामलों के संबंध में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव आना था। इस पर श्री धर्मनारायण ने स्पष्ट किया कि उन्होंने-य बोर्ड सचिव ने कई पत्राचारों का आयोजन किया था, परन्तु ऐसी और पत्राचारों के आयोजन की जरूरत होने से आज सुझाव प्रस्तुत नहीं किए जा सके। आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे। तत्पश्चात् गत बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

118.2

मण्डल की 117 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट:-

गत बैठक के निर्णयों का अनुपालन का आयोजन कर विस्म निर्देशन मिले।

निरन्तर.....4

(158)

\* संकल्प संश्लेषण पत्र सं. 6/17/76/119/35/587 दि. 19.9.85 को  
श्री शंकर लाल सदस्य के (बक 47) श्री शंकर लाल पूर्व विधायक पद को प्राप्त  
हमने कमेटी 115 (म-व) को देते हैं।  
...4...

सचिव

114.24: राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की प्रतियां:-

\* श्री शंकर लाल सदस्य के संबंध में राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त  
गया है। इस संबंध में सम्बन्धित आवंटन संपत्ति को मापना  
प्रस्तुत किया जायेगा।

सचिव

117.15: कोटा डिपोजिट वृत्तीय एवं मधुर्ष की सूचना प्राप्त नहीं  
हुई, है जो प्राप्त की जाकर सभी कक्षा सूचना सदस्यों को प्रेषित  
कर दी जायेगी।

सचिव

117.17: बोर्ड सचिव द्वारा बोर्ड कार्य में सुधार के लिए दिये गये  
सूचनाओं के संबंध में तथा श्री धर्मरायण माधुर, सदस्य द्वारा पत्र  
दिनांक 12. 5.85 से मुख्य केन्द्राधिकारी से कई मुद्दों पर वांगों  
गई सूचना के संबंध में।

इसके सम्बन्ध में यह तय रखा कि मॉडल बोर्ड के अध्यक्ष आंतरिक  
तरीके से मामले पर मानस बचाये सम्बन्धित बोर्ड की बैठक में  
विचार किया जा रहेगा।

118.3

वसोयता सूची निर्धारित करने के पश्चात् आय वर्ग परिवर्तित  
कराये हुए आवेदकों को वसोयता निर्धारित करने के संबंध में।

पंचीकृत आवेदकों को वसोयता निर्धारित करने के पश्चात् भिन आवे-  
दकों के आय वर्ग में परिवर्तन 114 को बैठक के निर्णयानुसार होते  
हैं, उनकी वसोयता निर्धारण आधार पर तब दिये जाने का प्रस्ताव  
समीक्षा किया गया:-

सचिव, उम आगरान  
आयुक्त कोटा, जोधपुर

114 आय वर्ग परिवर्तन हेतु आवेदन प्राप्त की तिथि, यदि आय  
प्रमाण पत्र साथ लगा हुआ है। यदि आय प्रमाण पत्र बाद में पेश  
किया गया है तो आय प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तिथि।

121 यदि एक ही तिथि के कई मामले हो तो लाटरी से आपसी

(1) निरन्तर.....5

... 5 ...

वरीयता तय की जाये। इस हेतु जयपुर के लिए जोर्ड सचिव तथा जोधपुर एवं कोटा जिले के लिए संबंधित उप आवासन आयुक्त, को अधिकृत किया गया।

118.4

प्रोजेक्ट आफोसर के पद को समाप्ति एवं कार्मिक प्रबन्धक के पद को ब्रमावन्त करने के सम्बन्ध में।

सचिव

प्रोजेक्ट आफोसर के पद को समाप्ति का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा कार्मिक प्रबन्धक को वरिष्ठ वेतन मान से ब्रमावन्त किया जाकर 1000-1860 के वेतनमान का किया जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस हेतु यदि राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता को तो प्राप्त कर ली जाये। इस पद को पूर्ति जोर्ड सेवा के प्रोजेक्ट आफोसर, जन सम्पर्क अधिकारी, सहायक आवासन अधिकारी में से वरिष्ठता का योग्यता के आधार पर पूर्ति करने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया।

सचिव

118.5

अभाव अधिभोग एवं नियम उप नियम समिति में मुख्यलेखाधिकारी एवं आवासन अधिकारी को सदस्य मनोनीत करने के संबंध में।

इस समिति में जोर्ड सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी को सदस्य बनाया जाने का निर्णय किया गया। साथ ही विधि अधिकारी के बजाय जन सम्पर्क अधिकारी को इस समिति का सदस्य सचिव बनाया जाना तय किया गया। समिति अपने कार्यवाही की प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करें, यह निर्णय भी लिया गया।

118.6

तीस रिजर्व ड्राईवर का एक पद गुप्त की स्वीकृति:-

जिला सचिव ने जवाब दिया कि प्रायः विद्यमान गाड़न होते हैं अतः ही ड्राईवरों के पद गुप्त किये जाते हैं। यदि जोर्ड में ड्राईवर

निरन्तर....6

सचिव

के अभाव में आने के कारण इन्हें भी कार्यरत होनी पड़ी।  
में कार्यरत होकर, जो कि इन्हें भी कार्यरत रखे हो, उसे कुछ  
अतिरिक्त करता दिया। मगर मालूम होने का कार्य लिया जा  
सकता है अथवा दैनिक जैसा पर किसी इन्फॉर्मर से काम लिया जा  
सकता है। अतः सर्वोच्च रिजर्व इन्फॉर्मर के पद के सृजन का प्रस्ताव  
अस्वीकार किया गया तथा वित्त सचिव को उक्त राय के अनुसार  
कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

118.7

राज्यादेश, अधिनियम 60 के अन्तर्गत सूचनार्थ:-

सचिवों के  
सदस्य अधिव

सदस्यों ने सम्बन्धित आर्गेंटिना समिति, जयपुर के अध्यक्ष पद पर श्री  
के. के. सक्सेना पूर्ण बोर्ड अध्यक्ष के पद पर बोर्ड अध्यक्ष को नियुक्त करने  
के राज्यादेश का अवलोकन किया। सदस्यों ने वित्त समिति, भूमि  
अर्वाप्ति समिति, कानूनी कन्ट्रोल कमेटी, जूनियर सल्लेखन कमेटी,  
प्रोत्साहन कमेटी, तथा जल कमेटी के अध्यक्ष पद पर गैर सरकारी  
सदस्यों को अध्यक्षों के स्थान पर बोर्ड अध्यक्ष के नियुक्त करने के  
राज्यादेश का भी अवलोकन किया। गैर सरकारी सदस्यों ने  
यह प्रगट किया कि थोड़े ही समय में गैर सरकारी सदस्यों को  
अध्यक्ष के पद से उठाने का कोई औचित्य तो नहीं था तथापि  
राज्यादेश के अनुसार मान्यता डोनी चाहिए। श्री धर्मनारायण  
भाथूर ने यह टिप्पणी भी की कि वित्त समितियों के अध्यक्ष पदों  
अध्यक्ष रहे हैं, उनको बैठकों में अन्तर्गत हो छोटी है। इस पर अध्यक्ष  
सदस्य ने आश्वासन दिया कि वे समितियों को बैठक तथा आवश्यकता  
एवं निर्धारित समय पर आयोजित करने का ध्यान रखेंगे।

118.8

कनिष्ठ प्राध्यापकों के पदों के सृजन हेतु:-

कार्मिक प्रबन्धक

प्रस्तावों के अनुसार जयपुर मुक्त प्रथम एवं द्वितीय, जोटा मुक्त  
तथा जोधपुर मुक्त कॉलेजों में तथा जयपुर, जयपुर, जयपुर,  
जयपुर... 7

उप  
कोटा,  
संघीय  
अध्यक्ष

आय  
उप  
कोटा, जो

....7....

हनुमानगढ़, बीकानेर एवं उदयपुर खण्ड कार्यालयों में एक-एक पद कनिष्ठ प्रारूपकार का तृजित करने तथा उन सभी कार्यालयों में एक-एक पद ट्रेसर के समाप्त करने की अनुमति दी गई।

118.9

अधिमानी सूची व वरीयता सूची में जिन आवेदकों के नाम सम्मिलित होने से रह गये हैं, उनके संबंध में प्रक्रिया निर्धारण हेतु:-

आवासन अधिकारी,  
उप आवा. आयुक्त,  
कोटा, जोधपुर  
संबंधी आवासन  
अभियन्ता.

अधिमानी सूची व वरीयता सूची में जिन आवेदकों के नाम सम्मिलित होने से रह गये हैं उनको प्रस्तावानुसार यद्योक्त वरीयता क्रम में शामिल किया जाने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार उस वर्ग/संवर्ग की पूर्व निर्धारित वरीयता सूची में तमाम क्रमांकों एवं सामिल किये जाने वाले नामों के नीचे कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली अथवा अन्य प्रकार लॉटरी निकाली जाने आए इस प्रकार लॉटरी में जो क्रमांक शामिल किये जाने वाले नामों को प्राप्त हो, उनके साथ "अ" जोड़ कर वरीयता सूची में उसी क्रमांक के नीचे रखा जाये।

119.10

रक्षा सेवाओं के सदस्यों को भूमि के मूल्यों में रियायत देने बाबत ।

रक्षा सेवाओं के सदस्यों को भूमि के मूल्यों एवं प्रशासनिक व्यय में रियायत देने के संबंध में बोर्ड ने अपनी 44 वीं एवं 105 वीं बैठक में जो निर्णय लिये थे उन पर पुनर्विचार करते हुए निम्न प्रकार । भूमि की कीमत में छूट देने का निर्णय लिया गया। प्रशासनिक व्यय की कोई छूट नहीं दी जायेगी ।

आवासन अधिकारी,  
उप आवा. आयुक्त,  
कोटा, जोधपुर

11 परमवीर चक्र, परमानवीर चक्र, वीर चक्र प्राप्त करने वाले पंजीकृत आवेदकों से भूमि का कोई मूल्य नहीं लिया जायेगा ।

12 अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले पंजीकृत आवेदकों से भूमि का 25% मूल्य लिया जायेगा ।

13 गैरमान इन डिस्कोने प्राप्त करने वाले पंजीकृत आवेदकों से भूमि का 75 प्रतिशत मूल्य लिया जायेगा ।

निरन्तर...8



118.11

To add the provision of examination in place of type writing test for the Handicapped employees in Rajasthan Housing Board employees condition of recruitment and Promotion regulation 1976.

सचिव

विभाग कर्मचारियों को टाइप टेस्ट के अजाय विधित परीक्षा पास करने का प्रावधान नियमों में राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ-317 डी. ओ. पी/ए-111/1981 दिनांक 17.6.83 के अन्तर्गत करने की स्वीकृति दी गई।

118.12

FOR INFORMATION & CONFIRMATION OF THE BOARD:  
Grant of Dearness allowance to the employees of the Board.

मुख्यलेखाधिकारी

राज्य सरकार द्वारा अने अधिसूचना क्रमांक एफ-1311 एफ. डी. ग्रुप -11 82-1 दिनांक 4.6.85 द्वारा 1.1.85 के प्रभाव से मंहगाई अत्ते की दरों का रिवीजन किया है। तदनुसार डी बोर्ड कर्मचारियों को भी मंहगाई अत्ता देने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

118.13

Agenda note by Circulation No.62 regarding Operational financing support by HUDCO.

118.14

Agenda note by Circulation no.63 regarding loan for Housing Scheme sanctioned by HUDCO.

आवासन सचिव  
मुख्यलेखाधिकारी

आवासन सचिव कार्यालय एवं आवासन से उनके संबंध में सब प्रगट किया कि इस प्रकार के स्कीम स्टेण्डा जारी करने से पूर्व उन्हें बताया जाना चाहिए। अतः आवासन सचिव की पुष्टि की गई।

118.15

दिनांक 11.4.85 व 26.4.85 को मण्डल की वित्त एवं लागत समिति की बैठक में विचार गये विषयों का प्रत्येक कार्य:-

दिनांक.....9

.... 9. ....

सचिव। मुख्यलेखा।  
वित्त एवं लागत  
समिति

वित्त सचिव ने वित्त एवं लागत समिति बैठक दिनांक 11.4.85 के निर्णय संख्या 2 के संबंध में यह जानकारी चांदा कि मण्डल के स्टाफ पर कितनी राशि बकाया चल रही है। इस पर मुख्य लेखाधिकारी ने अगली बैठक में सूचना प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

श्री धर्म नारायण ने बताया कि जोधपुर वृत्त के लिए कार खरीदने का निर्णय एवं पत्र में प्रावधान होने के बावजूद भी कार खरीदने के आदेश कम्पनी को नहीं दिये गये हैं। इस पर अतिरिक्त आदेश देने का निर्णय लिया गया।

सातसठ सचिव भारतीय विकास एवं आवासन ने ध्यान आकषिप्त किया कि वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 11.4.85 के निर्णय संख्या 3-11 तथा बैठक दिनांक 26.4.85 के निर्णय संख्या 5, 6 व 7 का संबंध एवं क्षेत्राधिकार समिति का नहीं था। अतः यह निर्णय लिमा गया कि समिति अपने क्षेत्राधिकार के विषय पर ही विचार करे। अध्यक्ष मंडीय ने यह स्पष्ट किया कि समिति के निर्णयों में संबंधित विषयों पर मात्र सिफारिश ही है।

118.16 फेर्रोमेन के पद से फेर्रोप्रिन्टर के पद पर पदोन्नति:-

प्रस्तावानुसार एक पद फेर्रोप्रिन्टर का वेतन मान 490-10-555-15-660-20-840 में सुविधा करने की अनुमति दी गई।

118.17

Sp-ecial deposit of Rs.2.50 Crores by the Unit Trust of India with the Rajasthan Housing Board.

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से 2.50 करोड़ रुपये का विशेष जमा देने के संबंध में 117 की बैठक में विन्दु संख्या 117.11 पर निर्णय किया गया था। उस एजेन्डा विन्दु में यह परिकल्पना नहीं की गई थी कि इस जमा का संबंध किसी विशेष योजना से होगा परन्तु तब यह समझा गया था कि इस राशि को राज्य सरकार के लिए

निरन्तर... 10.

मुख्यसेवाधिकारी  
सचिव

किराये के भत्तों को भत्तों में कार्य किया जायेगा और तदनुसार बी. बी. 117 का पैक में स्वीकृति दी थी। इस संबंध में आ यह प्रस्तावित किया गया है कि यह राशि सामान्य निर्माण कार्यों के लिए उपयोग में ली जायेगी और किसी विशेष योजना या निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने की किसी शर्त से जुड़ी हुई नहीं होगी। अतः तदनुसार पूर्व निर्णय में संशोधन किया जाना स्वीकृत किया गया।

118.18

Amendment in Rules for grant of Advance for purchases of Conveyance to Board Employees.

मुख्यसेवाधिकारी.

राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या एक-11371एफ. डी. गु-2/78 दिनांक 28.3.85 द्वारा वाहन खरीदने हेतु अग्रिम धनराशि देने के संबंध में नियमों में संशोधन किये हैं जिनके अनुसार स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड/बरीके के लिए अधिकतम राशि 8000/- रुपये की गई है। अतः बी. बी. कर्मचारियों के लिए इसी प्रकार वाहन खरीदने हेतु अग्रिम धन राशि के लिए बी. बी. के संबंधित नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

—: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:—

118.19

मुख्यसेवाधिकारी.

राज्य सरकार ने क्रमांक एक-12 1121 एफ. डी. गु-2/82 दिनांक 25.2.85 द्वारा राजस्थान विधान सेवा भौतिकल एटन्डेन्स। सन् 1974 में संशोधन किया है। तदनुसार राजस्थान हाऊसिंग एम्पायर्स भौतिकल एटन्डेन्स। सन् 1970 के क्लॉज 7121 तथा 4 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

118.20

मुख्यसेवाधिकारी

अध्यक्ष महोदय ने बी. बी. को अपना कराया कि:-

111 आवासियों के भेजे पूर्ण करने एवं भिजान करने के लिए एक

निरन्तर.....11

.... 11 ....

अधिवेशन 25.7.85 से प्रारम्भ किया जा रहा है।

उप आ. आयुक्त मु. के लिए "ओपन काउन्टर" सिस्टम बोर्ड कार्यालय में प्रारम्भ किया जा रहा है।

आवासन आयुक्त.

13। सभी डिवाइजनों के अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गये हैं तथा नयी योजना में निर्माण कार्य तभी प्रारम्भ किया जायेगा जबकि अपूर्ण कार्यों में प्रयाप्त प्रगति हो जायेगी तथा बोर्ड के पास भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए धन राशि उपलब्ध होगी।

सचिव

उप आ. आयुक्त मु. निधन्त्रण, आय-व्यय आदि बिन्दुओं की प्रगति रिपोर्ट बोर्ड की हर बैठक में प्रस्तुत की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि बोर्ड कर्मचारियों द्वारा बोर्ड के मकानों पर भी बाजारवा कब्जा किए हुए थे उसकी स्थिति से भी अवगत कराया जाये। इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया कि वे बोर्ड बैठक के लिए कुछ बिन्दु स्थायी तौर पर निविदा कर देंगे तथा चाही गई सुचना उपलब्ध कराएंगे।

तत्पश्चात् सधनवाट बोर्ड की बैठक समाप्त की गई।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल

149  
175

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

राजस्थान आवासन बोर्ड की दिनांक 26.8.85 को सम्पन्न हुई 119 वीं बैठक  
के निर्णय

बोर्ड की 119 वीं बैठक दिनांक 26.8.85 को बोर्ड मुख्यालय के बैठक कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष राजस्थान आवासन बोर्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्न उपस्थित रहे:-

|     |                        |                |                                         |
|-----|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1.  | श्री आदर्श किशोर       | अध्यक्ष        | अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल, जयपुर         |
| 2.  | श्री प्रियदर्शी ठाकुर  | सदस्य          | शासन सचिव वित्त विभाग<br>राजस्थान सरकार |
| 3.  | श्री एच. एस. माथुर     | सदस्य          | मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान              |
| 4.  | श्री पी. के. लोरिया    | सदस्य          | आवासन आयुक्त, राज. आवा. बोर्ड           |
| 5.  | श्री शंकर लाल          | सदस्य          |                                         |
| 6.  | श्री धर्मनारायण माथुर  | सदस्य          |                                         |
| 7.  | श्री रामचन्द्र त्यागी  | सदस्य          |                                         |
| 8.  | श्री मो. हनीफ खत्री    | सदस्य          |                                         |
| 9.  | श्री गजानन्द डेरौलिया  | सदस्य          |                                         |
| 10. | डा. हाकिम सिंह अंचला   | सदस्य          |                                         |
| 11. | श्री एस. एन. माहेश्वरी | सचिव, सदस्य    |                                         |
| 12. | श्री बी. एल. बजाज      | विशेष आमंत्रित | मु. लेखाधिकारी,                         |
| 13. | श्री अब्दुल मतीन       | ..             | .. उप आवासन आयुक्त                      |
| 14. | श्री भारतेन्दु सिंह    | ..             | .. आवासन अधिकारी                        |

बैठक में सम्मिलित हुए।

119.1 बोर्ड की 118 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

118 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन निम्न संशोधन के साथ किया:-

11.1 निर्णय संख्या 118.2 के अन्तर्गत 114.24 में शब्द "श्री शंकरलाल, सदस्य" के स्थान पर "श्री शंकर लाल पूर्व विधायक" दर्ज किया जावे।

निरन्तर:....2

12। निर्णय संख्या 118.7 के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि अभाव अभियोग एवं नियम उप नियम समिति की बैठक प्रत्येक माह में किसी निश्चित तिथि को रद्दी जावेगी तथा नियमोपनियम के कार्य हेतु एक पृथक तदर्थ समिति/उप समिति बोर्ड अध्यक्ष गठित करेंगे ताकि नियम आदिनांक किये जा सकें एवं नियमों में संशोधन संबंधी कार्य किया जा सके। अन्य समितियों की बैठकें यथा सम्भव एक माह में एक बार की जावेगी।

13। निर्णय संख्या 118.15 के संबंध में आगे विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड की समितियों के निर्णयों को, जो वर्तमान प्रक्रियानुसार बोर्ड के अवलोकनार्थ रखे जाते हैं और बोर्ड द्वारा अवलोकन किया जाता है, इसके बजाय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने चाहिए और बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन किया जाना चाहिए। समितियों में विचार बिन्दु प्रस्तुत करने तथा निर्णय लेने में इस बात की सावधानी बरती जावे कि पूर्व में लिए गये बोर्ड निर्णय के विपरीत न हो। समितियों के निर्णय यदि बोर्ड निर्णय अथवा नियमों के विपरीत हो तो उन्हें सचिवालय बोर्ड में विचार बिन्दु के रूप में मय अपनी टिप्पणियों के प्रस्तुत करेगा। समितियों के निर्णय बोर्ड में प्रस्तुत करने से पूर्व समिति के सदस्य-सचिव द्वारा स्पष्ट टिप्पणी दी जावे कि समिति के निर्णयों का अनुमोदन बोर्ड द्वारा कर दिया जावे अथवा किसी निर्णय पर कोई सतराज है और किस प्रकार का सतराज है।

14। निर्णय संख्या 118.20 के संबंध में इसकी दूसरी पंक्ति में शब्द "कार्य" के बाद "सामान्यतया" जोड़ा जावे तथा शब्द 'तभी' के स्थान पर "तब" प्रतिस्थापित किया जावे।

119.2

बोर्ड की 118 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट:-

✓ निरन्तर.....3

... 3....

91 नौ माह बाद तक मकान का कब्जा न लेने के मामलों के संबंध में प्रस्ताव---श्री धर्मनारायण, सदस्य एवं बोर्ड सचिव द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

119.3 दिनांक 17.6.85 की मण्डल की वित्त एवं लागत समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन:-

वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 17.6.85 के निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

119.4

An agenda note for composite corporate Membership in All India Housing Development Association New Delhi:-

इस सदस्यता के लिए 12,500/- रुपये वार्षिक चंदा देने की स्वीकृति दी गई।

119.5

कोटा शहर में दिनांक 8.6.83 को आवंटित/आरक्षित हुए मकानों में भूल सुधार एवं नियमितकरण हेतु:-

कोटा शहर में दिनांक 8.6.83 को आवंटित/आरक्षित हुए मकानों में असंगतियों को दूर करने के लिए प्रस्तावानुसार निम्न निर्णय लिये गये:-

अ। उच्च आय वर्ग में ऐसी कोई असंगति नहीं है अतः इस आरक्षण/आवंटन को सही माना जाय।

ब। मध्यम आय वर्ग में इस लाँटररी के केवल 216 एवं 162 वर्ग गज के भूखण्डों पर बने मकानों को ही सम्मिलित किया जावे।

स। 90 स्क्वेयर मीटर से लेकर 72 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों पर बने मकानों को मध्यम आय वर्ग "अ" में सम्मिलित कर लिया जावे।

द। अल्प आय वर्ग में 70.5 से लेकर 40.5 तक के भूखण्ड सम्मिलित किये जावे एवं 30 स्क्वेयर क्षेत्र एवं इससे कम ग्राप के भूखण्ड सम्मिलित कर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु स्वीकृत किये जावे।

निरन्तर.....4

उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार जिन भू-खण्डों में कोई बदलाव नहीं है, उन भूखण्डों के आवंटियों से सीड मनी समय पर लेना आवश्यक था। यदि उन्होंने जमा नहीं कराया है तो वे शास्ति एवं ब्याज देंगे। ऐसे प्रकरणों में फाइलों की जांच कर उन्हें नोटिस दे दिया जावे एवं यदि सीड मनी जमा कराने की अंतिम दिनांक समाप्त हो गई है तो उनके आवंटन को निरस्त कर धरीयता सूची के दूसरे लोगों को सीडमनी पत्र जारी कर दिये जावें।

जिन भूखण्डों में उपरोक्त वर्गीकरण में बदलाव है, ऐसे आवंटियों से उनके विकल्प मांग लिये जावे। यदि वे ये मकान रखने की अपनी इच्छा रखते हैं तो उन्हें तुरन्त सीडमनी जमा कराने को कहा जाये। ऐसे आवेदकों से कोई शास्ति वसूल नहीं की जावे।

यदि आवंटों अपने विकल्प में कोई दूसरा मकान दशाति हैं, तो उनके आवंटन को निरस्त कर पंजीकरण को बहाल रखा जावे एवं उनसे कोई शास्ति नहीं <sup>ली</sup> जावे। इनके प्रकरण में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आवासन मण्डल आगे के आवंटनों में इन्हें इनकी इच्छा की माप का भूखण्ड देने के लिए बाध्य नहीं है।

उपरोक्त आवंटियों को जिन्होंने छोटे मकान लेने में अपनी अनिच्छा जाहिर की है तो उनको 9x12 एवं 12x18 माप के गुराने पड़े हुए मकानों को उपलब्धि के अनुसार सीडमनी लेटर्स जारी <sup>कर</sup> दिये जावे। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि अन्य किसी शहर में इस तरह की विसंगतियां हो तो इसी तरह से उन मामलों में भी अध्यक्ष को समुचित निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है। अनिष्ट में एक लॉटरी में एक आय वर्ग के लिए एक ही साईज के मकान डाले जावें यह सुनिश्चित किया जाये।

(2) निरन्तर....5



....5....

- 119.6 सम्पत्ति आवंटन समिति, जयपुर की दिनांक 12.7.85 की बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन:-

निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

- 119.7 अभाव अभियोग नियम एवं उपनियम समिति राज. आवासन बोर्ड को दिनांक 25.4.85, 27 व 28.5.85 एवं 29.6.85 को सम्पन्न हुई बैठकों के निर्णयों का अनुमोदन:-

समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों को अनुपालना को जानें। यदि कोई मांगला बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हो तो विचार विन्दु तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया जावे।

- 119.8 नाका मदार [अजमेर] में फ्लैट्स के आवंटन के संबंध में:-

प्रस्तावानुसार निम्न निर्णय लिये गये:-

11. अजमेर शहर के लिए पंजीकृत सभी आवेदकों को यह विकल्प दे दिया जावे कि नाकामदार, अजमेर योजना में उपलब्ध 200 फ्लैट्स यदि वे लेने के इच्छुत हो तो तुरन्त उपलब्ध कराये जा सकें हैं।

12. जिन आवेदकों को उपरोक्त फ्लैट्स आवंटित किये गये हैं एवं जिन्होंने लेने से इंकार किया है उनका पंजीकरण निरस्त नहीं माना जायेगा परन्तु साथ ही आवासन मण्डल भविष्य में उन्हें एक मंजिले गकान उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं होगा।

- 119.9. Loan from HUDCO for composite Housing Scheme Ph.III near scout field sawai Madhopur (Scheme No.3977)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

निरन्तर:....6

119.10

Loan from HUDCO for MIG Housing Scheme Ph.VI, at Sector VI, Mansarowar Jaipur (Scheme No. 3931)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

119.11

Loan from HUDCO for MIG Housing Scheme Ph-VI at Sector V, Mansarowar Jaipur (Scheme No. 3974)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

119.12

Loan from HUDCO for MIG Housing Scheme Ph IV at Chopasani Road West extension Jodhpur (Scheme No. 3979)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

119.13

Loan from HUDCO for comp. Housing Scheme ph.II at Adarsh Nagar Beawar (Scheme No. 4008-C)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

119.14

Loan from HUDCO for HIG Housing Sch. Ph-V at Sector VI Mansarowar, Jaipur (Scheme No. 3982)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

119.15

Loan from HUDCO for MIG Housing Scheme Ph-XII, Sector IV, Mansarowar, Jaipur (Scheme No. 3980)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

✓ निरन्तर..... 7

.....7.....

119.16

Loan from HUDCO for LIG Housing Scheme Ph.II near scout field Bawal Madhopur (Scheme No. 3795)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

119.17

Loan from HUDCO for MIG Housing Scheme Ph.II at Dholpur (Scheme No. 3992)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

119.18

Loan from HUDCO for MIG Housing Scheme Ph XI at sector III Mansarowar, Jaipur (Scheme No. 3978)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

119.19

Loan from HUDCO for composite Housing Scheme Ph-II Sector-I Mansarowar, Jaipur (Scheme No. 3971)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

119.20

Loan from HUDCO for Composite Housing Scheme for Low cost Housing Competition 1985 at NEB, Alwar (Sch.No. 4006-C)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

119.21

Loan from HUDCO for HIG Housing Scheme Ph-VIII at Mahaveer Nagar, Kota (Scheme No. 3985-C)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

119.22

Loan from HUDCO for HIG Housing Scheme at NEB Ph-IV Alwar (Scheme No. 4007-C)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई, परन्तु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट में हुडको को पुनः भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

निरन्तर.....8

182  
....8....

- 119.23 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम 1976 के निशम 40 प्रसूति अकाशा के संबंध में संशोधन हेतु:-

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई।

- 119.24 श्री सुभाष चन्द्र शर्मा पुत्र श्री शीतल चन्द्र शर्मा, स्वतन्त्रता सेनानी स्वामी शोभानन्द को मध्यम आय वर्ग का मकान आवंटन हेतु:-

इस संबंध में बोर्ड अध्यक्ष, श्री शीतल चन्द्र शर्मा की पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी करने के बाद आवश्यक निर्णय करें, जो बोर्ड को स्वीकार होगा।

- 119.25 Special deposit of Rs.5.00 Crores by the Unit Trust of India with the Rajasthan Housing Board:-

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई।

- 119.26 Amendment in conditions of promotion to the post of Accounts Assistant from Junior Assistant:-

प्रस्तावानुसार कनिष्ठ सहायक से लेखा सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु बोर्ड द्वारा 86 वीं बैठक में लिए गये निर्णय से बाबत जोड़े जाने

"after qualifying the departmental test for proficiency in accounts"

को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया साथ ही राजस्थान आवासन गण्डल कर्मचारी रिवरयूमेंट एंड प्रमोशन रूलेमान 1976 में "सेड्यूल एकाउन्ट्स" के क्रमांक 1 में कालम 6 में शब्द "of working in accounts branch" विनियमित करने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया इस कैडर को दो वर्गों में विभक्त किया जाए तथा कनिष्ठ सहायक लेखा एवं कनिष्ठ सहायक सामान्य के पदों की संख्या का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखा जावे कि जिस किसी शाखा अथवा कार्यालय में कनिष्ठ सहायक

निरस्तार.....9

लेखा अथवा कनिष्ठ सहायक सामान्य के जितने पद कार्य की दृष्टि से आवश्यक हों, वहां उतने पद रखे जायें। कनिष्ठ सहायकों से कनिष्ठ सहायक लेखा एवं कनिष्ठ सहायक सामान्य के संवर्ग हेतु विकल्प भांगते समय दोनों संवर्ग में पदों की संख्या, आगे पदोन्नति योग्य पदों की स्थिति भी स्पष्ट कर दी जाये तथा उन्हें यह भी अवगत करा दिया जाये कि संवर्ग का यह विभाजन केवल कार्य की दृष्टि से है और दोनों विभाजित संवर्ग अन्य सभी मामलों में समान माने जायेंगे तथा विकल्प केवल एक ही बार दिया जाना है। वो अंतिम होगा।

119.27 आरक्षित श्रेणी के शेष वर्गों के आरक्षित कोटे के अग्रनयन करी फावड। हेतु:-

प्रस्तावानुसार मकानों के निम्न आरक्षित कोटे को यदि वह भरा नहीं गया है तो उस सीमा तक अग्रनयन करी फावड करने को स्वीकृति दी गई:-

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| भूतपूर्व सैनिक एवं विधावाओं     | 2 प्रतिशत   |
| स्वतन्त्रता सेनानी              | 1 प्रतिशत   |
| बोर्ड कर्मचारी                  | 3 प्रतिशत   |
| विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार | 2.5 प्रतिशत |
| कुल:-                           | 8.5 प्रतिशत |

119.28 अल्प आय वर्ग के आवेदकों को वन विहार योजना जयपुर में आवंटित आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के मकानों के बजाय उनके आयवर्ग-नुसार अल्प आय वर्ग के मकान आवंटन करने के संबंध :-

प्रस्तावानुसार वन विहार, जयपुर में आवंटित मकानों की कोशिश बतारी हुए यह विकल्प दे दिया जाये कि यदि वे ये मकान रखने के इच्छुक हो तो रख सकते हैं। वरना उन्हें वन विहार में ही दो

कमरे वाले मकान दे दिये जायें। जो आवेदक आवंटित मकान नहीं रखना चाहते हैं उनसे किसी भी प्रकार की शास्ति आदि वसूल नहीं की जावेगी।

119.29

तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि व उपाजित अवकाश/चिकित्सा अवकाश दिये जाने के क्रम में:-

विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों के नियमन आदि का मामला प्रमुख है, जिसके तय होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि उपाजित/चिकित्सा अवकाश आदि का मामला स्वतः ही तय हो जायेगा। अतः तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों के मामले के संबंध में विधान सभा में दिये गये आश्वासन आदि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड अध्यक्ष पहले अपने स्तर पर स्क्रोनिंग करके निर्णय ले ले तथा बोर्ड को सूचित कर दे।

119.30

कांग्रेस शाताब्दी समारोह प्रदर्शनी 2 अक्टूबर 1985 में भाग लेने के:-

इस प्रदर्शनी में भाग लेने तथा 60,000/- रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई।

119.31

पंजीकरण के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में:-

इस संबंध में यह निर्णय लिया कि आवेदक के मामले के गुण अनुगुण व परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड अध्यक्ष राज्य के किसी भी शहर से किसी भी अन्य शहर में पंजीकरण स्थानान्तरण के संबंध में निर्णय ले रखने के लिए प्राधिकृत किया गया।

119.32

Group Insurance Scheme of LIC.

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति है:-

119.33

Operational financing support by HUDCO.

(निरन्तर....)

...11....

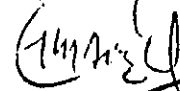
प्रस्तावानुसार हुडको से ऋण लेने के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गई।

119.34

बोर्ड के लेखा सुधार के लिए अनुबन्ध पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नियोजित करना:-

अध्यक्ष ने यह अवगत कराया कि बोर्ड के लेखी की स्थिति काफी खराब है। यह कार्य इतना पिछड़ा गया है कि उसमें शीघ्र ही सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अनुबंध पर नियोजित किया जाकर आंतरिक ऑडिट एवं लेखा निर्माण एवं सुधार का कार्य करा लिया जावे। इस कार्य मुख्य लेखाधिकारी की देख रेख में ही किया जायेगा तथा इस कार्य हेतु "चार्टर्ड अकाउंटेंट" को जो राशि दी जायेगी उसके संबंध में तथा शर्तें व कार्य आदि तय कर लिया जावे। इस पर इस प्रस्ताव करते हुए बोर्ड अध्यक्ष की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत को स्वीकृत किया गया, परन्तु यह स्वीकृति विशेष परिस्थितियों में दी जाती है, क्योंकि अन्यथा कार्य में सुधार होना संभव नहीं है। अविष्य में मुख्य लेखाधिकारी एवं उनके स्टाफ का ही यह उत्तरदायित्व रहेगा कि लेखा सदैव सही एवं आदिनांक रहे।

तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही सन्निवृत्त समाप्त की गई।



राजेश्वर

राजस्थान आचारन बोर्ड, जयपुर

### राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

राजस्थान आवासन बोर्ड को दिनांक 30.10.85 को सम्पन्न हुई 120 वीं बैठक के निर्णय

बोर्ड की 120 वीं बैठक दिनांक 30.10.85 को बोर्ड मुख्यालय के बैठक कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्न उपस्थित रहे:-

1. श्री आदर्श किशोर अध्यक्ष, अध्यक्ष राज. आवा. मण्डल, जयपुर
2. श्री आर. रामाकृष्णन सदस्य, आवासन सचिव, नविआ विभाग
3. श्री एच. एस. गांधुर सदस्य, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान
4. श्री पी. के. लोरिया सदस्य, आवासन आयुक्त,
5. श्री गंकर लाल सदस्य
6. श्री धर्मानारायण गांधुर सदस्य
7. श्री रामचन्द्र त्यागी सदस्य
8. श्री मो. हनीफ़ खत्री सदस्य
9. श्री गजानन्द डरोलिया सदस्य
10. श्री डा. हाकिम सिंह अंगला सदस्य
11. श्री एल. एन. माहेश्वरी सचिव
12. श्री बी. एल. बजाज विशेष आमंत्रित, मुख्य लेखाधिकारी
13. श्री अब्दुल ग़नीन विशेष आमंत्रित, उप आवासन आ. म. गु.

#### 120.1 बोर्ड की 119 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

119.1121 : श्री गजानन्द डरोलिया ने ध्यान दिलाया कि अभाव अभियोग एवं निशेधन नियम समिति की बैठक प्रत्येक मास में, जहां तक सम्भव हो, दो बार रखी जाने की चर्चा गत बैठक में हुई थी। अतः इस सुझाव पर तदनुसार संगोपन समझा जावे।

119.2 : नौ माह के बाद तक मकान कब्जा न देने के मामलों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि इस संबंध में निर्णय



"सरकुपेशन एपेण्डों" से करा लिया जावेगा ।

119.6 : मध्यम आय वर्ग के शब्दों के आगे "ब" शब्द के की गलती के कारण अंकित नहीं हुआ है, जो अंकित माना

आचारान  
अधिकाारी

119.7 : श्री मोहम्मद हनीफ खत्री ने अभाव अभियोग एवं पनियम में चिमर्न हुए डा. इनाम के मामले में शीघ्र निर्णय अनुरोध किया।

120.2 मण्डल की 119 वीं बैठक की क्रियान्विती रिपोर्ट:-

सचिव

119 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विती रिपोर्ट अवलोकन किया गया। जो आदेश प्रसारित होने शेष है, वे प्रसारित किए जावे।

120.3 Appointment of the members of the Board of trustees for the provident fund.

सचिव

राजस्थान आचारान बोर्ड "प्रोविडेंट फंड" के नियम 1971 के अनुसार प्रोविडेंट फंड का नियंत्रण एवं प्रबन्ध "बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज" द्वारा किया जाने का प्रावधान है। "बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज" में बोर्ड की ओर से प्रतिनिधियों को नामजद किया जाना है। निवार चिमर्न के बाद श्री मो. हनीफ खत्री एवं श्री गजानन डरोलिया, सदस्य को नामजद किया गया ।

मुख्याधिकाारी

120.4 Transfer of registration before allotment of the near like the spouse, sons, sons, daughter, daughters-in-law, brothers, sisters etc.

सचिव

आवंटन नॉटरी से पूर्व नजदीकी रिश्तेदार के नाम पंजीकरण हस्तांतरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि आवंटन ज उसकी पत्नि/पति, पति या पत्नी के भां, माप, भाई, बहन, पुत्री के नाम पंजीकरण का हस्तान्तरण बोर्ड अध्यक्ष द्वारा

(1) .....3

परिस्थितियों को ध्यान में रखी सुर किया जा सकता है।  
परन्तु जिस व्यक्ति को हस्तान्तरण किया जा रहा है, आगेदम  
पत्र के समय बोर्ड में पकान हेतु मंजीकरणा के योग्य होना चाहिए।  
इस प्रकार के हस्तान्तरण हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प  
आय वर्ग के आवेदक से 200/- रुपये व उच्च आय, मध्यम आय "ब"  
व मध्यम आय "अ" वर्ग से 500/-फीस ली जायेगी।

120.5 An agenda note by Circulation No.64 regarding market  
borrowings of Rs.3.00 crores by issue of secured debentures  
during the year 1985-86.

बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

120.6 मण्डल कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 24.9.85 के  
निर्णय का अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ:-

बोर्ड द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

120.7 मण्डल की वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 20.8.85  
13.9.85 एवं 15.10.85 के निर्णय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 13.9.85 के संदर्भ में  
गैर सरकारी सदस्यों ने प्रकट किया कि गैर सरकारी सदस्यों  
के अहत्तों में भी संशोधन आवश्यक है। आवासन आयुक्त ने अनुरोध  
कराया कि बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों के भले राजस्थान  
आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 की धारा 8 के अन्तर्गत राज्य  
सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। अतः बोर्ड की अधिकांश  
अहत्तों की दूर के अनुसार राज्य सरकार से आदेश प्राप्त किये  
जावेगे।

वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 15.10.85 के निर्णय  
संख्या 3 में बोर्ड कर्मचारियों को "एक्स्पेंसिया" की राशि की  
सीमा 750/-रु. से बढ़ा कर 1600/-रु. करने के सम्बन्ध में

यह निर्णय लिया गया कि "ब्यूरो ऑफ पब्लिक रन्स" के निर्णय का हस्तजार किया जावे। निर्णय संख्या 71 वर्ग करते हुए यह संशोधन किया गया कि अधिकारियों राजकीय अकादमी के दिन निलामी के सम्मान में यदि पर कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा तथा कर्मचारियों के दैनिक भत्ते के बराबर पारिश्रमिक, जो कि स के वेतन से ज्यादा नहीं होगा, देय होगा। निर्णय सं में दुकानों को छतों के अधिकार का जो सुझाव दिया गया पर कायूनी राय ली जाकर "प्रोपेक्ट क्वेट्री" में रा वर्ग के दौरान निम्न बिन्दु भी सामने आये:

मु. लेखाधिकारी

1. नीलामी से दुकान खरीदने में एक से अधिक दुकान व्यक्ति द्वारा खरीदने की पाबन्दी श्री मोहम्मद खत्री ने बताया। इस सम्बन्ध में वित्त एवं लागत परीक्षण कर सुगुचित निर्णय लेये।

आवासन अधिकारी

2. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए दुकानें आरक्षित नहीं है, परन्तु उनका आवंटन संश्लेषित किया गया है। तद्विषय में बताया कि दुकानों की लागत में से अधिक होने के कारण आवंटन नहीं हो रहा है। मायला निगम एवं राज्य सरकार के बीच विचारों की जानकारी मिली है। अध्यक्ष इस मामले को देखें।

आवा. अधिकारी

120.8

3. जोधपुर में प्रतापगढ़ में 13 दुकानों के भागलों को समूह कार्यविधि में कार्यरत बोर्ड कर्मचारियों को फिर के आवास उपलब्ध कराने हेतु:-

उप आवा. अधिकारी  
मुख्यालय

✓ इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जोधपुर, जोधपुर, शहरों के अलावा सभी खण्ड मुख्यालयों पर 5 गकान

6. ....

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उप खण्ड मुख्यालय पर 2 मकान बोर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों के किराये पर देने हेतु आरक्षित किये जावे। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 120.9                                                                                             | Construction of houses for Government Servant with the Loan Assistance from Unit Trust of India, during 7th plan period.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| आवा. आयुक्त/<br>ग. लेखाधिकारी                                                                     | सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक जी-21121जीरडी/4/85 दिनांक 15.10.85 के अनुसरण में "यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया" से 1.5 करोड़ रुपया बोर्ड द्वारा अर्पण लिये जाने तथा राज्य कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृती दी गयी। इस अर्पण पर चर्चा शर्तें आदि लागू होगी जो कि बोर्ड द्वारा पूर्ण में 5 करोड़ रुपया "यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया" से लिये गये अर्पण पर लागू है। |
| 120.10                                                                                            | अभाव अधिभोग एवं नियम उप नियम सलाहकार समिति राज. आवा. मण्डल की बैठक दिनांक 4.9.85 एवं 3.10.85 के निर्णय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ:-                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                   | अवलोकन करने के पश्चात अनुमोदन किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120.11                                                                                            | फैरोप्रिंटर पद पर शर्तों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कार्मिक प्रबन्धक                                                                                  | फैरोप्रिंटर के पद पर नियुक्ति हेतु 5 साल फैरोसेन का अनुभव तथा 100 प्रतिशत चरिष्ठता एवं मैरिट से भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 120.12                                                                                            | राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी शर्तों एवं पदोन्नति विनियम 1976 के सिड्यूल के पेज संख्या 3 पैरा 91ए में पदोन्नति नियम में संशोधन हेतु:-                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कार्मिक प्रबन्धक                                                                                  | राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी पदोन्नति विनियम 1976 के नियम 91ए में वर्तमान प्रावधान के स्थान पर निम्न प्रावधान                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                   | In respect of first promotion to higher post, promotion of eligible persons shall be made on the basis of seniority-cum merit. Second Promotion shall be made on the basis of                                                                                                                                                                                                                      |

...  
merit and, seniority-cum-merit in the promotion of

प्रति स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

120. 13

कनिष्ठ सहायक के पद से लेखा सहायक के पदोन्नति को  
संगीत देय:-

कार्मिक प्रबन्धक

कनिष्ठ सहायक के पद से लेखा सहायक के पद पर पदोन्नति  
सौधी भर्ती के वर्तमान प्रावधान क्रमशः 25% एवं 75% के  
पर 50% एवं 50% किये जाने की स्वीकृति दी गई।

120. 14

Revision of rates of guarantee commission payable to  
Government.

मु. सेवा अधिकारी

राजस्थान सरकार द्वारा "राजस्थान स्टेट ग्रांट ऑफ गारंटी  
रेगुलेशन" 1970 में आदेशा संख्या एफ-51एफडी/एक्स/4/ए  
पी-1/85/ दिनांक 17.5.85 में गारंटी कमीशन को द  
3/4 प्रतिशत वार्षिक के स्थान पर एक प्रतिशत वार्षिक  
दी है और तदनुसार ही बोर्ड ने राज्य सरकार को दिनांक  
30.6.85 को कहा था राशि पर एक प्रतिशत वार्षिक  
गारंटी कमीशन देना प्रारम्भ कर दिया है। इसकी स्वीकृति  
दी गई।

-: अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-

120. 15

Grant of Dearness Allowance to the employees of the

राज्य सरकार के आदेशा क्रमांक एफ-1311एफडी/ग्रुप-11/  
दिनांक 3.10.85 द्वारा वर्तमान मंहगाई अस्से की दरों  
रिवीजन दिनांक 1.5.85 को किया है। अतः बोर्ड कर्मियों  
को भी इसका लाभ दिया गया है। इसकी पूर्व प्रभाव से  
दी गई।

120. 16

उप आचार्य आचार्य के पद पर पदोन्नति से निष्पत्ति से

तय करने हेतु: -

राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 की "अनुसूची तकनीकी" में उप आवासन आयुक्त के पद को सम्मिलित नहीं किया गया है। जब कि पांच उप आवासन आयुक्त काफी समय से कार्यरत हैं। अतः "राज. सर्विलेज ऑफ इन्जि. & बिल्डिंग एण्ड रोड्स ब्रांच" नियम, 1954 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिप्राप्ती अभि. & सिविल से पदोन्नति द्वारा अधीक्षक अभि. & सिविल के पद भरने के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए बोर्ड द्वारा उक्त अनुसूची में उप आवासन आयुक्त के पद को सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई। उप आवासन आयुक्त के पद आवासीय अभि. से पदोन्नति से आने वाले का प्रावधान रखते हुए शेष प्रावधान "राज. सर्विलेज ऑफ इन्जि. & बिल्डिंग एण्ड रोड्स ब्रांच" नियम, 1954 के अनुसार ही लागू रहे जायें। आगन्तुकों के जलपान हेतु अधिकारियों द्वारा व्यय की राशि के सम्बन्ध में: -

इस संबंध में निम्न प्रकार अधिकारियों को आगन्तुकों के लिए जलपान आदि हेतु व्यय करने के लिए संशोधित तोगाओं की स्वीकृति दी गई: -

आवासन आयुक्त 200/-रु. प्रति माह

राचिव, उप-आवासन आयुक्त एवं मुख्य लेखाधिकारी 150/-रु. प्रति माह

वास्तुविद् निरीक्षक, आवासन अधिकारी, विधि अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, उप-निदेशक & सहायक, आवासन अभियन्ता, कार्मिक प्रबन्धक एवं जल सप्लाई अधिकारी

75/-रु. प्रति माह

.....8

120.17

राचिव

116

...8...

120. 18

बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को प्राथमिकता से राज्य सरकार द्वारा मजान आवंटन करना ।

सचिव

बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को धारा 8-ए, डिस्ट्रीक्चर प्रोगरसी रेगुलेशन, 1970 के अन्तर्गत राज्य सरकार में प्राथमिकता से मजान उनके द्वारा वांछित पर व आयुर्वी के अनुसार आवंटन कराने का प्रयास तत्पश्चात् सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हो गई

*(Signature)*

ए. एन. बाह्यकारी  
सचिव

। दाधीच ।

or discuss  
s regardin  
to the 1 ar  
daughters-i  
hile we in  
on-pos  
e know in  
t emerge.  
the tra  
not be go  
sought to  
proces  
d, in the nex  
the Board

H.C.

Chairman

Reg